लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 33, नौवा सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 18, मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1987/10 अग्रहायण, 1909 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 351, 353, 355 और 357 से 360	...	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 352, 356 और 361 से 371	...	25-32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3555 से 3559, 3562 से 3599 3601, 360·4 से 3653, 3655 से 3761 3763 से 3770 और 3772 से 3789	...	32-216
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	222-226
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	...	226-227
सभापटल पर गये गये पत्रों सम्बन्धी समिति		
सत्रहवां प्रतिवेदन	...	227
सभापटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति		
कार्यवाही सारांश	...	228
29 नवम्बर, 1987 को 14 डाउन अजमेर-दिल्ली तीव्र यात्री गाड़ी के डिब्बे में आग लगने की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य		
श्री माधवराव सिंधिया	...	228-229
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) उड़ीसा में समेकित बाल विकास परियोजनाओं के विस्तार की आवश्यकता	...	229-232
श्रीमती जयन्ती पटनायक	...	229-230

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

(दो) गोवा राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का पृथक संवर्ग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री शान्ताराम नायक ... 230

(तीन) बलरामपुर, गोंडा, उत्तरप्रदेश में एक दूरदर्शन टावर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री दीप नारायण वन ... 230

(चार) उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर और भदोई क्षेत्रों में गलीचा बनाने के काम में लगे लोगों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता

श्री उमकांत मिश्र ... 231

(पांच) सामान की बुकिंग और उतराई पर प्रतिबन्ध लगाने वाले आदेशों को बांट लेने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना ... 231

(छः) नेशनल फेडरेशन आफ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न हथकरघा समितियों को देय बकाया धन-राशि का भुगतान किये जाने की आवश्तकता

श्री सेफुद्दीन चौधरी ... 231-232

(सात) असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए अल्पावधि/दीर्घावधि योजनायें तैयार करने की आवश्यकता

श्री अब्दुल हमीद ... 232

(आठ) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्म दिवस को "राष्ट्रीय अवकाश" घोषित करने की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी ... 232

रेल दावा अधिकरण विधेयक

और

भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) संशोधन विधेयक ... 232--259

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पीयूष तिरकी ... 233-235

श्री बृजमोहन महन्ती ... 235-236

श्री. एन. सुन्दरराजन	...	237
कुमारी ममता बनर्जी	...	237-240
श्री रामनारायण सिंह	...	240-241
श्री डा. फूलरेणु गुहा	...	241-242
श्री एन. वी. एन. सोमू	...	242-245
श्री कम्मोदीलाल जाटव	...	245-246
श्री आशुतोष लाहा	...	246-248
श्री राम बहादुरसिंह	...	248-250
श्री सी. जंगा रेड्डी	...	250-251
श्री माधवराव सिंधिया	...	251-257

रेल दावा अधिकरण विधेयक

खण्डवार विचार

खण्ड 2 से 38 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री माधवराव सिंधिया	...	258

भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) संशोधन विधेयक

खण्डवार विचार

खण्ड 2 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री माधवराव सिंधिया	...	259

प्राकृतिक आपदाओं विशेष रूप से सूखा बाढ़, तथा तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा	...	259-298
श्री विजय कुमार यादव	...	259-261
श्री कमला प्रसाद सिंह	...	261-262
श्री के. डी. सुलतान पुरी	...	262-263
श्री सुरेश कुरुप	...	263-265
श्री जगन्नाथ चौधरी	...	265-267
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	...	267-270

श्री डूमरलाल बैठा	...	270-272
श्री एस. तंगराजु	...	272-273
श्री जगन्नाथ पटनायक	...	273-275
श्रीमती डी. के. भण्डारी	...	276-277
प्रो. एन. जी. रंगा	...	277-278
श्री वी. एस. विजयराघवन	...	279-281
श्री राम नारायण सिंह	...	281-283
श्री नवल किशोर शर्मा	...	283-287
श्री दौलत सिंह जी जडेजा	...	287-290
श्री अमर राय प्रधान	...	290-293
डा. ए. के. पटेल	...	293-294
श्री आर. जीवरत्नम	...	294-297

कार्य-मंत्रणा समिति

पैंतालीसवां प्रतिवेदन	...	299

लोक सभा

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1987/10 अग्रहायण, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज तो प्रो० साहब अकेले ही सज रहे हैं ?

श्री बालकवि बैरागी : आज सेनापति है, सेना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आज साथी कहां हैं ?

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय खाद्य निगम के कोइनी गोदाम को भेजे जाने वाले माल का रास्ते में नुकसान होना

*351. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान हर महीने गोपालगंज रेलवे स्टेशन से भारतीय खाद्य निगम के कोइनी गोदाम को ठेकेदार से कितने माल की ढुलाई कराई गई;

(ख) इस माल की ढुलाई के लिए ठेकेदार को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि माल की ढुलाई के दौरान माल कम हो गया और माल को नुकसान पहुंचा और यदि हां, तो इस प्रकार, हर महीने कितने माल को नुकसान पहुंचा; और

(घ) इस हानि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में इस प्रकार की हानि न होने देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जैसा कि भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है, पिछले एक वर्ष के दौरान ठेकेदार के माध्यम से गोपालगंज रेलवे स्टेशन से भारतीय खाद्य निगम केकोइनी गोदाम को मासवार भेजे गए माल की मात्रा नीचे दी जाती है :—

माल	भेजी गई मात्रा
नवम्बर, 1986 से मार्च, 1987	शून्य
अप्रैल, 1987	884.88 मीटरी टन
मई, 1987	2106.86 मीटरी टन
जून, 1987	शून्य
जुलाई, 1987	शून्य
अगस्त, 1987	2411.08 मीटरी टन
सितम्बर, 1987	शून्य
अक्तूबर, 1987	1100.00 मीटरी टन
जोड़	6502.82 मीटरी टन

(ख) जैसा कि भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है, पिछले एक वर्ष के दौरान ठेकेदार को निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है :—

मास	ठेकेदार को अदा की गई राशि
नवम्बर, 1986 से मार्च, 1987	शून्य
अप्रैल, 1987	9485.06 रुपए
मई, 1987	22583.83 रुपए
जून, 1987	शून्य
जुलाई, 1987	शून्य
अगस्त, 1987 से अक्तूबर, 1987	ठेकेदार ने अभी तक बिल प्रस्तुत नहीं किए हैं।
जोड़	32,068.89 रुपए

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि ढुलाई के दौरान माल में कुछ कमी हुई है जिसके लिए निगम द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जा चुकी है :—

(i) डिपो प्रभारी को मुअत्तल कर दिया गया था और उसे चार्ज-शीट दिया गया।

(ii) डिपो से तीन कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है।

(iii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, पटना ने डिपो प्रभारी के विरुद्ध उनके द्वारा 1986-87 में की गई कथित कई अनियमितताओं के लिए एक मामला दर्ज कराया है।

(iv) भारतीय खाद्य निगम ने चार्टर्ड एकाउंटेंट को एक फर्म की डिपो के कार्यचालन में अनियमितताओं की जांच-पड़ताल करने का कार्य सौंपा था। चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय खाद्य निगम अन्य चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है।

यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को और जांच करने के लिए भी भेज दिया गया है।

श्री काली प्रसाद पांडेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया है कि भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि ढुलाई के दौरान माल में कुछ कमी हुई है, जिसके लिए निगम द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, जब सरकार स्वीकार करती है कि माल ढुलाई के दौरान कम हुआ है तब फिर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। यह मेरे क्षेत्र का मामला है और इस सदन में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय एक साल पहले** ठेकेदारों के विरुद्ध जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चल रही है और फिर** काम करते हुए अपने खास आदमी** को कोइनी और गोपालगंज का ठेका दे दिया। मेरा प्रश्न 17 तारीख को हाउस में आना था जोकि एक तारीख तक टाला गया।

अध्यक्ष महोदय : काली प्रसाद जी, आप हाउस में एलीगेशन नहीं करेंगे, आप सीधा प्रश्न पूछिए, एलीगेशन मत करिए।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेरा मूल प्रश्न है···।

अध्यक्ष महोदय : ये जो नाम नहीं ले रहे हैं, वह नहीं लिया और ये कह रहे हैं कि मैं यहां नहीं हूं।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाई जाए। एक प्रश्न 17 तारीख को पुछा जाना था। अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि यह 25 नवम्बर को "हिन्दुस्तान समाचार" में छपा है :—

"खाद्य निगम का गेहूं काला बाजार में"—14 नवम्बर को अधिकारिक तौर पर बताया गया है···

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़िए नहीं, प्रश्न कीजिए।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। इसमें लिखा है कि 62 क्विंटल गेहूं पुलिस ने जब्त किया, और इस सम्बन्ध में एक व्यापारी** के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। **(व्यवधान)** घटना का विवरण देते हुए आरक्षी अधीक्षक ठाकुर केशव प्रसाद सिंह ने बताया कि गश्ती से लौटते हुए···**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, आप यह सारा नहीं पढ़ सकते।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब प्रथम दृष्टांत में माल

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कम पाया गया है तो इसको देखते हुए वर्तमान ठेकेदार का लाइसेंस जोकि गोपालगंज और कोइनी का माल ढुलाई का दिया गया है, उसको रद्द करके पूरे प्रकरण की सी०बी०आई० से जांच करवाई जाएगी या नहीं ?

श्रीमती शीला दीक्षित : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं, इनको लिखकर भिजवा दें तो हम जांच करवा देंगे। वैसे माननीय सदस्य जानते हैं कि सी०बी०आई० की इन्क्वारी चल रही है, इसके अलावा अगर इनके पास कोई सूचना या खबर है तो हमारे पास मंत्रालय में लिखकर दे दें, हम उसकी जांच करवा देंगे।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटक्शन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सी०बी०आई० की इन्क्वारी तो हो रही है।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : उसका लाइसेंस रद्द करवाइए, आप जांच करवा लीजिए। अगर मेरा आरोप गलत हो तो मैं सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब प्रथम दृष्टि में ही मामला दर्ज हो चुका है और उसका गेहूं पकड़ा गया है···।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं कि आपने सी०बी०आई० इन्क्वारी के लिए कहा है, इन्होंने कहा है कि सी०बी०आई० की इन्क्वारी चल रही है, अब उसमें जो भी साबित होगा उसी हिसाब से कार्यवाही होगी।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : मेरी जो भावना है उसे स्वीकार करें। जो सी०बी०आई० की कार्यवाही चल रही है वह पूर्व के ठेकेदार के विरुद्ध चल रही है···

अध्यक्ष महोदय : अब वाले के विरुद्ध भी चाहते हैं।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : गोपालगंज में जो माल पकड़ा गया है ··

श्रीमती शीला दीक्षित : आप जो कुछ कह रहे हैं वह लिखकर दे दें। जो भी उचित कार्यवाही करनी होगी, चाहे सी०बी०आई० के द्वारा हो, वह करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह एक्साइज का मामला बड़ा गड़बड़ है। आपने जवाब में कहा कि हमने डिपो के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है···

श्री अब्दुल गफूर : नहीं किया।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जांच अलग से हो रही है, सस्पेंड अलग से किया है। आपने डिपो मैनेजर को सस्पेंड किया उसके अलावा जो अन्य कर्मचारी हैं जो उस काम में शामिल हैं, जिन लोगों ने गेहूं की ब्लैक की है और ठेकेदार भी शामिल है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती शीला दीक्षित : उनको सस्पेंड करना है या क्या कार्यवाही कर सकते हैं यह तो जब सी०बी०आई० की जांच रिपोर्ट आएगी तभी कर पाएंगे। उससे पहले कैसे जवाब दे दूं। डिपो इंचार्ज के खिलाफ प्राइमा फेसी केस बनाया था, लेकिन जांच होने के पहले मैं कैसे चला सकती हूं कि अन्य कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यह केवल ढुलाई के दौरान ही माल कम होने का प्रश्न नहीं है; परन्तु गोदाम में ही कमी से भी इसका सम्बन्ध है। मैं पंजाब का हूं तथा मुझे यह बात मालूम है कि

खरीद किए जाने के बाद जब माल गोदाम में रखा जाता है तो स्थानीय अधिकारियों द्वारा हर बोरी में से एक या दो किलो निकाल लिया जाता है और फिर उसे गोदाम में रख देते हैं। गोदाम में कुछ महीनों के बाद नमी से इसका वजन बढ़ जाता है तथा जब इसे किसी और जगह भेजा जाता है तब ढुलाई के समय फिर चोरी होती है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदया से यह पूछ सकता हूं यदि वह इस तथ्य से अवगत हैं कि ये चोरियां गोदाम से ही होने लगती हैं तथा यह एक बहुत बड़ी धोखा-धड़ी है और यदि ऐसा है तो, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रीमती शीला दीक्षित : हमें इस बात की जानकारी है कि कमियां होती हैं, बोरियां खोली जाती हैं, नमी का अंश उड़ जाता है इसलिए वजन कम हो जाता है तथा चोरियां हो रही हैं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि भारतीय खाद्य निगम की दोषरहित प्रणाली है, परन्तु जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं या तो प्रबंधक द्वारा तथा यदि आवश्यक हो तो विभागीय अध्यक्ष द्वारा उनकी जांच की जाती है, जैसाकि कोइनी गोदाम के मामले में हुआ है और अब तो वहां सी० बी० आई० की जांच भी हो रही है। इसलिए मैं आपको यह कह कर उत्तर नहीं दे सकती कि हर मामले में केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जाती है। जो कुछ जाना चाहिए वह किया जाता है तथा मैं आपको यह आश्वासन भी दे सकती हूं कि भगतजी स्वयं इस बारे में बड़े चिन्तित हैं।

वह राज्य सरकारों, भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी अधिकारियों को लिखते रहे हैं तथा वह स्वयं गोदामों का दौरा करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है अब चोरियों तथा हानि में काफी कमी आई है।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू : यह जो मसला है यह सिर्फ गोपालगंज से संबंधित ही नहीं है हमारे देश में करीब-करीब आज सभी प्रान्तों में अकाल पड़ा हुआ है। हम अपने लोगों को खाना देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी तरह से बिहार में रांची और दूसरी जगहों पर महीनों एफ० सी० आई० के गोदामों में, स्टेशन्स पर माल पड़ा रहता है, बारिश से वह सड़ रहा है, उसकी चोरी हो रही है। हम चाहेंगे कि मंत्री महोदया जहां भी एफ० सी० आई० का माल रखें वहां विशेष ध्यान रखा जाए अन्यथा ब्लैक में उसे बेचा जाएगा। हर जगह इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि दाने-दाने के लिए हमारा देश मोहताज है···

श्रीमती शीला दीक्षित : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है और जो अपना दुःख व्यक्त किया है, उसके लिए आभारी हूं। अगर हमें लिखकर बता दें कि किन-किन डिपो में यह कार्यवाही करनी है जो आपने चर्चा की है तो हम उन पर खास तौर पर ध्यान देंगे।······**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

नैफ्था की कमी

+

*353. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में नैफ्था की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भविष्य में भी इसकी कमी बनी रहेगी और यदि हां, तो वर्ष 1990 ई० तक इसकी कितनी कमी रहेगी और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार नैफ्था की कमी को पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) देश में नैफ्था की मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा रहा है और वर्ष 1990 तक की इसकी प्रत्याशित मांग को भी पूर्ण रूप से पूरा करने की संभावना है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, नैफ्था के वर्तमान मूल्यों के कारण कई पैट्रो-रसायन उद्योगों को पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। इस संबंध में क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या सरकार नैफ्था के मूल्यों में कमी करने का विचार कर रही है जो कि पैट्रो रसायन उद्योगों में आवश्यक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। तथा यदि ऐसा है तो क्या नैफ्था के मूल्यों को युक्तिसंगत करने से उद्योग को फिर अपेक्षित बढ़ावा मिल जाएगा ?

श्री ब्रह्म दत्त : इस समय सरकार के पास तेल उत्पादों के मूल्य घटाने या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि किसी उद्योग विशेष को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसमें क्या किया जाना चाहिए, इसकी हम जांच करवाएंगे।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि नैफ्था का मूल्य कम करने के संबंध में क्या कोई सचिवीय समिति गठित की गई है और यदि हां, तो इस संबंध में समिति की क्या रिपोर्ट है ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, मेरे विचार से तो कोई समिति गठित नहीं की गई है, क्योंकि इस समय हम तेल उत्पादों के मूल्य कम करने अथवा बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : जहां तक नैफ्था के सही उपयोग का संबंध है, बोंगाईगांव पैट्रो-रसायन काम्प्लैक्स में एक नैफ्था एकक बनाने का प्रस्ताव था। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ तथा बोंगाईगांव के नैफ्था का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, बोंगाई गांव के संबंध में मेरे पास ब्यौरा नहीं है। परन्तु जहां तक मुझे याद है हम नई मशीनरी लगाकर बोंगाई गांव की क्षमता का विस्तार करना चाहते थे। परन्तु नए तेल-शोधन के कारण यह काम रुक गया है।

श्री दिनेश गोस्वामी : वह भी तो रुक गया है।

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय सदस्य नए तेल-शोधक कारखाने के बारे में जानते हैं। इसे गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाने का विचार था परन्तु कोई गैर-सरकारी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। हम स्वयं इसे लगाने का विचार कर रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता है।

बिहार में केप्रोलेक्टम और सीमेंट एकक स्थापित करना

+

354. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्रीमती प्रभावती गुप्त :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान बिहार में केप्रोलेक्टम और सीमेंट एकक स्थापित किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो वे एकक कौन-कौन से स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या ये एकक बिहार के औद्योगिक विकास में वृद्धि के लिए पर्याप्त होंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना अवधि के दौरान बिहार में अन्य कौन-सी परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) **एक विवरण** संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) केप्रोलेक्टम के उत्पादन के लिए 50,000 मी० टन वार्षिक क्षमता हेतु बिहार स्टेट इण्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि० को एक आशय-पत्र 5-7-1985 को जारी किया गया था। इस परियोजना के पूरी होने के संबंध में कोई सुनिश्चित संकेत उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक सीमेंट का संबंध है, इस समय बिहार में छह सीमेंट संयंत्र हैं, जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 25.50 लाख मी० टन प्रति वर्ष है। और इनका वार्षिक उत्पादन लगभग 12 लाख मी० टन है। इनमें से 8.74 लाख मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता वाले दो संयंत्र बन्द पड़े हैं। इसके अलावा सीमेंट संयंत्रों को 6, 30,000 मी० टन कुल वार्षिक क्षमता के लिए आशय-पत्र/पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन मे बिहार के औद्योगिक विकास में प्रोत्साहन मिलने की आशा है। किसी राज्य का औद्योगिक विकास अवस्थापना सहायता पर निर्भर करता है, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकारें मुख्यत: उत्तरदायी हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं है। मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (घ) का उत्तर बिल्कुल नहीं दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इनमें से कोई उद्योग 'उद्योग रहित जिले' में लगाए जाएंगे अथवा नहीं ? तथा इन उद्योगों के लगाए जाने में जो प्रगति हुई है उसकी सूचना हमें सरकार ने क्यों नहीं दी।

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : महोदय, बिहार में निम्नांकित सीमेंट संयंत्रों को शुरू करने के लिए पंजीकरण हेतु आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं। सोन-वैली-पोर्टलैंड सीमेंट ओर प्रोग्रेसिव सीमेंट को आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा भी अन्य सीमेंट कारखानों के लिए पंजीकरण प्रदान किया जा चुका है। परन्तु यहां पर कोई भी व्यक्ति उद्योग नहीं लगा रहा है। दो सीमेंट कारखाने पहले ही बन्दी किए जा चुके हैं। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश तथा जनशक्ति नियोजन का हिस्सा काफी अच्छा है। 1985-86 में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल निवेश 6308 करोड़ रुपए था जो कि देश में निवेश की गई कुल राशि का 11% है। इसी प्रकार वहां 4.54 लाख कर्मचारी हैं जोकि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में कार्यरत कर्मचारियों का 22% है।

कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं—बोकासे इस्पात संयंत्र, हिंदुस्तान कॉपर लि०, भारतीय उर्वरक निगम, भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग लि०, यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया आदि।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या यह मेरे प्रश्न का उत्तर है ?

श्री जी० जी० स्वेल : क्या आपने मंत्री महोदय की बात पर ध्यान दिया ? उनकी बात सुने बिना ही आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं ।

श्री राजमंगल पांडे : क्या यह आवश्यक है कि आपको वांछनीय उत्तर ही मिले ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मेरे विचार से माननीय मंत्री जी को मेरे प्रश्न का उत्तर विशेष रूप से देने के लिए कहा जाएगा ।

मैंने पूछा है कि कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा कितने रोजगार के अवसर जुटाए गए हैं; क्या भारी मात्रा में रोजगार प्रदान किया गया है अथवा नहीं, क्या उद्योग रहित जिले में उद्योग लगाए गए हैं अथवा नहीं। परन्तु इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया है। हमें दिए गए विवरण में मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है कि दो सीमेंट संयंत्रों का उपयोग नहीं किया जा रहा है और छः अधिष्ठापित सीमेंट संयंत्रों की क्षमता का केवल 50% ही उपयोग हो रहा है। तथापि अन्य सीमेंट संयंत्रों के लिए आशय पत्र प्रमाण-पत्र पंजीकरण जारी किए गए हैं। यदि कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा है तो इन लाइसेंसों को देने का क्या तुक है ?

मैंने एक विशिष्ठ प्रश्न पूछा था कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं, उद्योग विहीन जिले में इनमें से कोई उद्योग स्थापित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है कि केप्रोलेक्टम संयंत्र स्थापित क्यों नहीं किया गया और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है।

श्री जे० वेंगलराव : (क) से (घ) तक का उत्तर था कि केप्रोलेक्टम की 50,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया था। वे इसे चलाने की स्थिति में नहीं हैं। हाल ही में मैंने दो बार बिहार का दौरा किया था। बिहार के मुख्य मंत्री आए थे और इस पर उन्होंने मेरे साथ चर्चा की थी। पिछड़े क्षेत्र में आशय-पत्र जारी करने के बावजूद वे इसे क्रियान्वित कर जाने की स्थिति में नहीं होते। आपको मालूम है कि एक उद्योग को इसलिए राजस्थान स्थानान्तरित करना पड़ा था क्योंकि वे इसे निष्पादित करने में असमर्थ थे।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मेरा प्रश्न इन एककों की अवस्थिति के बारे में था; क्या ये उद्योग विहीन जिलों में हैं। परन्तु माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री एम० अरुणाचलम : हमारी नीति पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की है और पिछड़े क्षेत्रों को विभिन्न किस्मों के प्रोत्साहन दिए गए हैं। उन्हें उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में लगाना चाहिए, हमें हर प्रकार के प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री जी० जी० स्वेल : उन्होंने एक विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या इन यूनिटों को उद्योग विहीन जिलों में स्थापित किया गया है। आप इसका सीधा उत्तर क्यों नहीं देते ?

श्री एम० अरुणाचलम : पिछड़े क्षेत्रों में अपने एक आशय-पत्र और लाइसेंस दिए हैं। उन्हीं लोगों को यहां पर उद्योग स्थापित करने हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त : अध्यक्ष जी आप देखिए कि मूल प्रश्न और माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, दोनों में कितना विरोधाभास है। मंत्री जी का उत्तर अस्पष्ट और निराशाजनक

है। हम उनसे स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। मंत्री जी ने कहा है कि केप्रोलेक्टम और सीमेंट की जब दो योजनाएं बन जाएंगी तो बिहार में इण्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने यह कहा है कि सरकार की ओर से आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं परन्तु उद्योग स्थापित करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जब योजनाएं ही अभी नहीं बनी हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है; दूसरी ओर सीमेंट के दो संयन्त्र बन्द पड़े हैं, पता नहीं फिर कैसे बिहार में इण्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि उत्तर बिहार में जहां निरन्तर बाढ़ आते रहने के कारण स्थिति बड़ो दर्दनाक हो गयी है, उत्तर बिहार की अर्थ-व्यवस्था जर्जर हो गयी है, क्या उस इलाके में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे, क्या वहां छोटे-बड़े और मंझले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जाल बिछाया जाएगा ताकि वहां की गरीबी दूर हो सके। इसके साथ-साथ यह भी बतायें कि उत्तर बिहार में जहां थर्मल पावर प्लांट है···

अध्यक्ष महोदय : बस बस, यह लैक्चर करने का समय नहीं है।

श्रीमती प्रभावती गुप्त : लेकिन बिहार का औद्योगीकरण कैसे होगा।

जो थर्मल पावर का प्लाण्ट है, उसको उत्तर बिहार में सीमित करेंगे क्या और वहां पर हमारे जो कारखाने हैं संयंत्र हैं···(व्यवधान)···मैं जानना चाहती हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप कर क्या रही हैं? यह कोई भाषण का समय है? यह भाषण करने का समय नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जवाब किस बात का।

श्री सी० पी० ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने अभी कहा कि बिहार में बाढ़ आई है और बिहार की जो मेजर इन्डस्ट्री है डालमियां इन्डस्ट्री वह सिक पड़ गई हैं और वहां के लोग बेकार बैठे हुए हैं। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई इन्डस्ट्री खुलने वाली नहीं है। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट एग्रेसिव एप्रोच लेकर इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को जब तक नहीं कहेगी कि आप लोग बिहार में इन्डस्ट्रीज लगाएं तब तक बिहार में इन्डस्ट्रीज नहीं लग सकती हैं। सुनने में जैसा आया है कि वहां के लीड बैंक के चेयरमैन ने कहा है कि बिहार में इन्डस्ट्रीज खोलोगे, तो वहां से कुछ रिटर्न नहीं होगा। इसलिए अगर गवर्नमेंट एग्रेसिव स्टेप नहीं लेगी, तो वहां कोई इन्डस्ट्रीज नहीं खुलेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने वहां के लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं?

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : सर, बिहार के बारे में एक फुल डिस्कशन रखा जाए?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जे. वेंगलराव : जैसा कि मैंने पहले ही वर्ष 1984 में कहा था···(व्यवधान) कृपया मेरी बात तो सुनिए।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, मन्त्री जी कहते हैं 'मेरी बात सुनें' परन्तु सदस्य नाराज है। हम उनकी बात क्यों सुनें?

श्री जी. जी. स्वैल : और हम उनकी बात सुनते भी हैं तो वह हमारी समझ में नहीं आती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए। यदि आप उन्हें उत्तर नहीं देने देंगे तो मैं अगले प्रश्न पर चर्चा प्रारम्भ कर दूंगा।

श्री जे. बेंगलराव : महोदय, वर्ष 1984 में हमने 21 आशयपत्र और 26 औद्योगिक लाइसेंस दिए थे। वर्ष 1985 में हमने 22 आशय पत्र और 20 औद्योगिक लाइसेंस दिए। जहां तक 1986 का संबंध है 18 आशय पत्र और 9 औद्योगिक लाइसेंस दिए गए थे। अक्तूबर, 19'7 तक हमने 11 आशय पत्र और 8 औद्योगिक लाइसेंस दिए हैं।

एक माननीय सदस्य : हमें यह बताइये कि वहां पर अब तक कितने उद्योग स्थापित हुए हैं।

श्री जे. बेंगलराव : मैं दो बार बिहार गया हूं। हाल ही में मैं रांची गया था और वहां पर मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर विद्यमान उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले वे बिजली का उत्पादन करें उसके बाद उद्योगों की बात करने का हक होता है।

श्री सी. पी. ठाकुर : महोदय, बिजली नहीं तो उद्योग नहीं ऐसा कहना घटिया दलील है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : महोदय, क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं। बिजली के बारे में उल्लेख हुआ है। यदि आप चाहें तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : [हिन्दी] आप लोग कर क्या रहे हैं। [अनुवाद] **आप किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। आप प्रश्न करें मैं उत्तर प्राप्त करूंगा।**

श्री जी. जी. स्वैल : आपको हमें यह कहने का अधिकार है कि हमें क्या करना चाहिए और उस पर अमल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। परन्तु क्या मंत्री महोदय का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह भी प्रतिबद्ध हों ? प्रारम्भ में ही प्रश्न अवस्थान के बारे में था और क्या ये उद्योग, उद्योगविहीन जिलों में स्थापित किए गए हैं। मंत्री महोदय ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं की है। वे ऐसी बातें कर रहे हैं जो नौकरशाही की हैं और यह बातें हमारी समझ में नहीं आती।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर आपको बहुत विनम्र होना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री जे. बेंगलराव : महोदय, किसी की इसमें रुचि नहीं है। बिजली का बिल्कुल उत्पादन नहीं होता है···

श्री जी. जी. स्वैल : क्या यही उत्तर है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग कर क्या रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करें (व्यवधान) शांत, शांत। मुझे आपसे एक बात कहनी है। यदि आप सोचते हैं कि एक उद्योग स्थापित करने के लिए यह बात सभी व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ी हुई है और यदि आप चाहते हैं तो आप इस पर पूरी चर्चा कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, इस सारे मामले से वह अकेले कैसे निबट सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है जब चर्चा होगी आप यहां पर नहीं होंगे।

(व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर टांटी : इसे केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके अन्तर्गत असम सहित अन्य राज्य भी शामिल किए जाने चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे लिखकर दीजिये। हम इसकी जांच करेंगे कि हम इस बात को किस प्रकार सुलझा सकते हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में पैट्रोल और मिट्टी के तेल के डम्प

*355 **प्रो. सैफुद्दीन सोज** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का पहाड़ी तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पेट्रोल/मिट्टी का नेल के डम्प बनाने का विचार है; और

(ख) इस परियोजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। तेल उद्योग की पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में अनेक खुदरा बिक्री केन्द्र तथा तालुक केरोसीन डिपुओं सहित मिट्टी के तेल की डीलरशिपें खोलने की योजना है। यह प्रस्ताव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मेरे प्रश्न के भाग (क) कि "क्या उनके मंत्रालय का पहाड़ी तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पैट्रोल/मिट्टी का तेल के डम्प बनाने का विचार है" के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकारोक्ति की है लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है।

शायद छः माह पहले, हमारी मांग के जवाब में, माननीय मंत्री जी कुछ केन्द्रीय स्थानों पर गैस, मिट्टी का तेल और पैट्रोल के डम्प बनाने पर विचार कर रहे थे ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह सुविधा प्रदान की जा सके। मेरे राज्य में कश्मीर का पूरा लद्दाख क्षेत्र तुलैल, गुरेज, कैरान, कारनाह, माबिल और जम्मू में माढ दाचन, जूडु, बसन्त गढ़, बानी आदि सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में कतिपय अन्य स्थान दुर्गम हो जाते हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय यह वचन देंगे कि वे केन्द्रीय स्थानों पर डम्प बनायेंगे ताकि इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में यह सुविधा हो सके? आखिरकार, क्या इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है?

श्री ब्रह्म दत्त : मैं लद्दाख क्षत्र की कठिनाइयों को पूरी तरह समझता और महसूस करता हूं।

वर्ष में लगभग छ: महीने यहां पर विभिन्न मार्गावरोध बाधाएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उन महीनों के लिए एक विशेष स्तर पर डिपो और भण्डार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब इन्हें लेह अथवा कारगिल क्षेत्र में नहीं ले जाया जा सकता।

हम ऐसे क्षेत्रों में मुख्य वितरण केन्द्रों का वितरण क्षेत्र बढ़ा रहे हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैंने इस कार्य में हुई प्रगति की भी जानकारी चाही है। आप काम कर रहे होंगे। आप कहते हैं कि आप ये बिक्री केन्द्र और डीलरशिपें आदि खोल रहे हैं। मैं वास्तव में डीलर शिप में रुचि नहीं रखता। प्रश्न यह है कि ऐसी स्कीम हो जिससे कस्बों और केन्द्रीय स्थानों पर आप मिट्टी के तेल और गैस के डम्प खोल सकें। लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गैस ले जाई जानी चाहिए क्योंकि जंगलों को बचाया जाना है। आपके पास स्कीम थी लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे सिलिन्डर दिए जा सकते हैं ताकि इन सिलिन्डरों को ग्रामीण स्वयं अपने घरों को ले जा सकें। वहां ये डम्प होने चाहिएं। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वे ये डम्प बनायेंगे। आपने मिट्टी के तेल और पैट्रोल का तो पहले ही जिक्र किया है लेकिन आपने गैस के बारे में नहीं बताया है। गैस बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि शहरों मे बड़े सिलिन्डर दिये जाते हैं तो छोटे सिलिन्डरों के बारे में क्या विचार है ताकि ग्रामीण लोग इन केन्द्रीय स्थानों पर आकर इन्हें स्वयं ले जाएं। ये आवश्यक वस्तुएं हैं। अतः माननीय मंत्री को निश्चित उत्तर देना चाहिए।

श्री ब्रह्म दत्त : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हू लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि माननीय महोदय ने अपने प्रश्न में केवल मिट्टी के तेल और पैट्रोल का उल्लेख किया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : नौस को मैं कैसे भूल सकता हूं ?

श्री ब्रह्म दत्त : हमारे पास जम्मू और काश्मीर में एक बोटलिंग प्लांट था। अब हमारे पास जम्मू और काश्मीर मे दो बोटलिंग प्लांट है। जम्मू प्लांट पहले ही चालू हो चुका है और श्रीनगर प्लांट को शीघ्र ही चालू किए जाने की सम्भावना है। छोटे सिलिन्डरों की जहाँ तक बात है, यह प्रयोग शुरू किया गया है। हमारे पास 5000 सिलिन्डर हैं और जैसे ही इन सिलिन्डरों की लोकप्रियता बढ़ेगी, हमारे पास अधिकाधिक सिलिन्डर होंगे। लेकिन मुख्य दिक्कत यह है कि पहले हमें वितरण केन्द्र स्थाई बनाने हैं, उसके बाद ही बड़े या छोटे सिलिन्डरों का वितरण किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा है कि इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारे डी पी के डिपो है और 117 डिलर शिपें भी है और जंगलों को बचाने के लिए चाहे वितरण प्रणाली से अथवा एक्सटेंशन केन्द्रो के माध्यम से छोटे सिलिन्डरों बड़े सिलिन्डरों की सप्लाई के सभी प्रयास किए जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि हिली एरियाज में कुछ डिस्ट्रीब्यूट्स प्वाइन्ट्स की बात होती है और कुछ इसके लिए नार्म्स भी होते हैं। उन नार्म्स के कारण सर्वे करने के बाद यह कह दिया जाता है कि इस काम के लिए गैस डीलरशिप की बात नहीं बनती है, न ही पैट्रोल-पम्प आऊट-लैट बैठता है और न ही कैरोसीन उपलब्ध हो पाता हैं।

[अनुवाद]

इस कारण से आप मूल मानदण्डों और मौलिक तत्वों को ही बदल रहे ताकि कार्य में विस्तार

किया जा सके और पहाड़ी क्षेत्रों को व्यापक रूप से फायदा हो सके। देश भर में 117 डिलरशिपें कुछ नहीं हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र इसकी तुलना में काफी बड़ा है।

श्री ब्रह्मदत्त : मैं मानता हूं कि 117 डिलरशिपें कुछ नहीं हैं लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो होना बेहतर है। हमने सुदूरवर्ती क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के सम्बन्ध में मानदंड निर्दिष्ट किए हैं। वरना तो ये 117 भी नहीं होती। राज्य सरकार को भी इन क्षेत्रों में मिट्टी के तेल और गैस के वितरण में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। तब यह कार्य अधिक दक्षता से किया जा सकेगा।

डाक विभाग के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने हेतु विशेषज्ञ समिति

*357. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) क्या यह समिति डाक सेवाओं के विस्तार के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की बढ़ती हुई मागों पर भी विचार करेगी ;

(घ) क्या जनता से भी सुझाव मांगे जायेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी हां।

(ख) समिति की नियुक्ति के संबंध में एक सरकारी संकल्पना सं० 43-31/87 पी.ई. (1) तारीख 8.9.87 जिसमें कार्यक्षेत्र भी निर्धारित है, की प्रति विवरण के रूप में सदन के पटल पर रखी गई है।

(ग) समिति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के संदर्भ में डाक सेवाओं की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाना है। इसके साथ-साथ समिति डाक सेवाओं के विकास के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों की मांग पर भी विचार करेगी।

(घ) और (ङ) :— जी हां। आम जनता, विभिन्न उपभोक्ता ग्रुप, डाक कर्मचारी और संघों से सुझाव एकत्र करने के लिए समिति प्रश्नावली जारी कर रही है। इसके अतिरिक्त समिति केन्द्र और और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, जनता के प्रतिनिधियों जैसे कि संसद सदस्य, विधायक आदि, ग्रामीण पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास में लगी अन्य विभिन्न एजेंसियों- तथा ऐसे ही अन्य प्रतिनिधि ग्रुपों के साथ भी बैठकें करेगी।

संकल्प

विषय :—डाक सेवाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने संबंधी उपायों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन।

स्वतंत्रता के बाद से चहुंमुखी आर्थिक विकास तथा जनसंख्या एवं साक्षरता में वृद्धि और साथ ही संचार प्रौद्योगिकी में आमूल परिवर्तनों के कारण डाक प्रशासन पर बढ़ती हुई मांग के संदर्भ में सरकार गत कुछ समय से डाक सेवाओं के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की आवश्यकता पर विचार करती रही है। हाल ही में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने डाक सेवाओं और कार्मिक प्रबंध व्यवस्था की

पुनरीक्षा करने के उद्देश्य से एक समिति गठित करने की सिफारिश की है ताकि डाक सेवाओं में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके तथा विभाग के विस्तृत ढांचे में कार्य कर रहे कर्मचारियों को संतुष्टि मिल सके। इस सिफारिश पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। समिति की सदस्यता निम्न प्रकार होगी : —

(1) श्री एस. वी. लाल,	सेवानिवृत्त सचिव (समन्वय) मंत्रिमंडल सचिवालय ......अध्यक्ष
(2) डा. पी.सी जोशी, आर्थिक विकास संस्थान	......सदस्य
(3) श्री एस. रामनाथन, निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	......सदस्य
(4) श्री आर. किशोर सेवानिवृत्त सदस्य (कार्मिक) डाक सेवा बोर्ड	......सदस्य
(5) डा. एन. शेशागिरी अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिक विभाग	......सदस्य
(6) श्री के.सी. शर्मा अपर सचिव, श्रम मंत्रालय	......सदस्य
(7) श्री के. घोश उप महानिदेशक, डाक सेवा बोर्ड	......सदस्य सचिव

2. विशेषज्ञ समिति की कार्यशर्तें निम्न प्रकार होंगी :

(1) समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से बढ़ती हुई मांग के संदर्भ में डाक सेवाओं के कार्य का अध्ययन करना और इस प्रणाली की प्रचालन संबंधी-प्रबंध संबंधी और तकनीकी क्षमताओं और कमजोरियों को आंकना।

(2) जनता की अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तकनीकि परिवर्तनों सहित डाक नेटवर्क की विस्तृत योजना, दक्ष और कम-खर्चीले प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश करना।

(3) विभाग की वित्तीय क्षमताओं और डाक सेवाओं की मूल्य नीति की समीक्षा करना तथा सार्वजनिक हित और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उचित, सिफारिश देना।

(4) कर्मचारियों में संतोष लाने, उत्पादकता बढ़ाने और अधिक प्रभावशाली तथा सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली अपनाने के उद्देश्य से विभाग की कार्मिक नीति की समीक्षा करना और उसमें आवश्यक परिवर्तनों को सुझाना। कार्मिक नीति में शर्ती संबंधी नीति, प्रशिक्षण की व्यवस्था, कैरियर में प्रगति लाना तथा सतर्कता (वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) शामिल हैं।

(5) संगठनात्मक ढांचे, विभाग के मुख्यालय के गठन तथा अन्य सरकारी विभागों और संगठनों के साथ संबंध की पुनरीक्षा करना तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व और प्रशासन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना।

3. विशेषज्ञ समिति 30 सितम्बर, 1988 से पहले यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

हस्ताक्षर
(रमेश चन्द्र गुप्त)
सचिव, डाक सेवा बोर्ड

आदेश

आदेश है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

हस्ताक्षर
(रमेश चन्द्र गुप्त)
सचिव, डाक सेवा बोर्ड

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह : माननीय मंत्री जी ने जो विस्तार से जवाब दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि इतनी महत्वपूर्ण समिति में जनता का एक भी प्रतिनिधि क्यो नहीं रखा गया है? जनता के प्रतिनिधि जनता की तकलीफ को समझ सकते हैं, क्या सरकार समिति को फिर से पुनर्गठित करेगी?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, इस समिति में सरकारी कर्मचारियों सहित ऐसे सदस्य हैं जो सामाजिक, आर्थिक तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं तथा मंत्रीमंडलीय समिति का एक उपसचिव इसका चेयरमैन है। यह समिति सभी वर्गों के लोगों जिसमें विधायक, संसद सदस्य तथा विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं, के विचार तथा अभिवेदन प्राप्त करेगी। इस समय हम इस समिति में कुछ और जोड़ने का विचार नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह : यह ठीक है कि यह समिति एक सितम्बर, 1988 के पहले अपनी रिपोर्ट दे देगी परन्तु इसके पहले क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट देगी? यदि हां, तो कब?

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। समिति ने अभी काम करना शुरू किया है तथा इससे रिपोर्ट प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। माननीय सदस्य के पास जो जानकारी है वह ठीक नहीं है।

श्री सुरेश कुरूप : गैर-सरकारी संदेशवाहक सेवायें सुव्यवस्थित रूप से डाक विभाग की कार्यवाहियों का स्थान लेती जा रही हैं तथा उनकी आय को भी प्रभावित कर रही हैं। महोदय, ये गैर सरकारी संदेशवाहक सेवायें आम जनता को अधिक कुशल तथा द्रुत सेवायें प्रदान करती हैं। अतः यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि अधिक से अधिक लोग इस सेवा पर निर्भर करने लगे हैं। महोदय, यह द्रुतगामी डाक बिल्कुल भी इस समस्या का उत्तर नहीं है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गैर सरकारी संदेशवाहक सेवाओं की इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने का विचार कर रही है?

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, भारतीय डाक अधिनियम के अनुसार पत्रों को उठाने का एकाधिपत्य सरकार का है। गैर सरकारी संदेशवाहक सेवायें केवल दस्तावेज उठाती हैं। यह सच है कि इनमें से कुछ गैर-सरकारी संदेशवाहक सेवायें नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। हमने नये डाक विधेयक में जो अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है, इस बात का ध्यान रखा है। किन्तु इसके अतिरिक्त···

एक माननीय सदस्य : वह भी कुशल नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। द्रुत डाक सेवा···

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी कुशलता से उन्हें हराइये।

श्री संतोष मोहन देव : जी हां, हमें अपनी डाक नेटवर्क में सुधार करना है तथा सदस्य इस समिति के समक्ष अपने सुझाव रख सकते हैं, हम निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी : पत्र तथा दस्तावेज के बीच क्या अन्तर है। अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने दो शब्द प्रयोग किए हैं पत्र तथा दस्तावेज। मैं जानना चाहूंगा कि दोनों के बीच क्या अन्तर है?

(**व्यवधान**)

श्री अताउर्रहमान : महोदय, आपके माध्यम से मैं संचार मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि बारपेटा जैसे जिले के शहरों से टेलीग्राम तार द्वारा भेजी जाती है अथवा सामान्य डाक द्वारा?

श्री संतोष मोहन देव : मुझे इसके लिए स्पष्ट प्रश्न चाहिए। मैं इस तरह से उत्तर नहीं दे सकता।

श्री अताउर्रहमान : किन्तु वे इसके लिए टेलीग्राम वाली दर से ही शुल्क ले रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : आप मुझे एक अलग प्रश्न दीजिए तथा मैं उत्तर दूंगा।

श्री अताउर्रहमान : किन्तु यह एक अनुपूरक प्रश्न है।

श्री संतोष मोहन देव : वह अनुपूरक प्रश्न इसमें से नहीं उठ सकता।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप तार द्वारा पूछिये।

[**अनुवाद**]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय प्रश्न यह है कि क्या देश के कुछ भागों में टेलीग्राम तार द्वारा अथवा सामान्य डाक द्वारा भेजी जाती है।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मंत्री महोदय या अध्यक्ष महोदय में से इस बात का निर्णय किसे करना है कि इसमें से अनुपूरक प्रश्न उत्पन्न होता है अथवा नहीं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : छपे हुए पैम्फलैट्स और ब्राउचर्स प्राइवेट कूरियर्स की तरफ से बांटे जा रहे हैं. उनका एक संगठन बना हुआ है, क्या यह सरकार की जानकारी में आया है? अगर आया है तो उसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाने की योजना है ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : इसीलिए समिति कार्य कर रही है, रिपोर्ट मिलने के बाद हम कोई कार्यवाही करेंगे।

फोर्ड चैसिसों की खरीद

*358 **श्री एस. जयपाल रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बसों और ट्रकों के लिए फोर्ड चैसिस खरीदने वाले लोगों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या बैंक आफ इण्डिया या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक ने धन फोर्ड-चैसिसों के विपणन हेतु ट्रक निर्माताओं के साथ कोई समझौता किया है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) उद्योग मंत्रालय को पहले कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) फोर्ड चैसिसों के विनिर्माता मे. सिम्पसन एण्ड कं. लि. ने सूचित किया है कि इसके वाहनों के विपणन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उनके साथ कोई विशिष्ट समझौता नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने 'शिकायत' शब्द का प्रयोग किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसने शिकायत की है और किस प्रकार की है। भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कम्पनी का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ विशेष समझौता नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्रकों के व्यापार के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ उनका सामान्य प्रकार का अथवा अविशिष्ट प्रकार का कौनसा समझौता है।

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगलराव) : उनका बैंक से कोई समझौता नहीं है। माननीय सदस्य ने शिकायतों के बारे में कहा है। दो शिकायतें हैं। एक शिकायत राजस्थान ट्रक चालक यूनियन की ओर से है जिन्होने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी और राजस्थान उच्च न्यायालय से इस वर्ष सितम्बर में संघ सरकार के उद्योग मंत्रालय के सचिव को संबोधित एक सूचना हमें प्राप्त हुई

है। अब हम इस मामले पर कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह न्यायालय के विचाराधीन है। दूसरी शिकायत किसी श्री पी. एल. बाली से प्राप्त हुई है। जिन्होंने एक मुन्सिफ न्यायालय में दंड-विधि से संबंधित याचिका दायर की और मुन्सिफ न्यायालय ने निदेश दिया कि मामला सिविल प्रकार का है और उन्होंने इस कम्पनी के विरुद्ध भी एक सिविल मामला दायर किया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी उत्तर को टालने के लिए अंग्रेजी भाषा पर अपने अधिकार का दिखावा कर रहे हैं। मैंने उन्हें सभा को शिकायतों की प्रकृति के बारे में बताने के लिए कहा था। मंत्री जी ने शिकायतों की प्रकृति नहीं बताई है। 'न्यायालय के विचाराधीन' का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि प्रश्न तथ्यों से संबंधित है न कि गुण दोषों से।

दूसरे, भारत सरकार से इसलिए शिकायत की गई थी कि प्रशासन सुधारात्मक कार्यवाही करे। न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए शिकायत दर्ज कर सरकार को सुधारात्मक आय करने से नहीं रोकता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय शुरू किए गए और शिकायत किस प्रकार की है।

श्री एम. अरुणाचलम : पहली शिकायत फालतू पुर्जों, मशीनों, सर्विस सम्बन्धी सुविधाओं की अनुपलब्धता तथा फालतू पुर्जों की अत्यधिक कीमतों के बारे में थी। जहां तक श्री बाली द्वारा की गई शिकायत का सम्बन्ध है उसके ट्रक की दुर्घटना हो गई थी और उसने यह शिकायत की कि कुछ विनिर्माण सम्बन्धी कमी थी। न्यायालय ने निदेश दिया कि उन्हें सिविल न्यायालय में शिकायत दाखिल करनी चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मेरे पहले अनुपूरक का उत्तर देने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कौन से उपाय शुरू किये गये हैं। चूंकि सरकार शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करती इसलिए सम्बन्धित पक्षों को न्यायालय में जाना पड़ा। सरकार द्वारा कौन से उपाय शुरू किये गये हैं ? किस स्तर पर यह कार्य अटका हुआ है ?

श्री जे. वेंगलराव : यह वाणिज्यिक सौदा है। राजस्थान ट्रक चालक यूनियन ने न्यायालय की शरण ली है। यह कहा जा सकता है कि मामला जयपुर उच्च न्यायालय में लंबित है। मैं आगे और कुछ नही कहना चाहता।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, कृपया 'न्यायालय में विचाराधीन' मामलों पर अपना विनिर्णय दुहराएं। तब वे संभ्रमित नहीं होंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, कृपया हस्तक्षेप करें। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं ? आपको इस मामले में हस्तक्षेप अवश्य करना चाहिए।

प्रो. मधु दंडवते : कौन से सुधारात्मक उपाय किये गये ?

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बता दें कि क्या सरकार ने कुछ किया है या नहीं।

श्री जे. वेंगलराव : सरकार तब तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है जब तक दायर याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यह विलक्षण स्थिति है।

प्रो. मधु दंडवते : उन्होंने न्यायालय में जाने का ही केवल एक सुझाव दिया हे । इसके अतिरिक्त कुछ नहीं ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उन्होंने सरकार से भी अपनी शिकायतें की हैं। सरकार कार्यवाही आरम्भ करने के लिए सक्षम है। सरकार को उत्पादो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। सरकार अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती है···

श्री एम. अरुणाचलम ; कम्पनी ने सभी परिक्षण वाहन के मार्ग के योग्य और गुणवत्ता परीक्षण पास कर लिए हैं । अतः हम क्या कर सकते हैं ? मैं नहीं जानता ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या यह सरकार की स्थिति है कि बारे में···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, श्री सुल्तानपुरी।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, फोर्ड गाड़ी के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं और उद्योगपतियों की तरफ से उस गाड़ी को मार्केट में लाने के लिए एडवर्टिजमेंट दिया जाता है कि यह फोर्ड गाड़ी बहुत अच्छी है तथा इससे लोगों को फायदा होगा । पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से लोगों ने बैंक से कर्जा लेकर और अपनी सारी प्रापर्टी उसमें लगाकर ट्रक खरीदा है । लेकिन जैसा कि इन्होंने जवाब दिया है, वह खास महत्व नहीं रखता है । जिन लोगों ने कर्जा लिया है, वे कर्जा वापिस नहीं कर सके हैं और सारी की सारी गाड़ी खराब निकली है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जिन लोगों ने कर्जा लिया है, क्या सरकार उनको कम्पंसेशन देने के लिए या बैंक से ऋण की माफी के लिए कोई पग उठाने का इरादा रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब पहले आ गया है ।

[अनुवाद]

श्री जे. वेंगल राव : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह वास्तव में सत्य है। यदि वे मुझसे कोई शिकायत करेंगे तो मैं एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग से गलत व्यापारिक व्यवहारों की जांच करने तथा उन्हें सजा देने के लिए कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री नामग्याल

लद्दाख और कारगिल में खाना पकाने की गैस की आवश्यकता

359 **श्री पी. नामग्याल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख और कारगिल जिलों में खाना पकाने की गैस की आवश्यकता का पता लगाने के लिए गत गर्मी के मौसम के दौरान लद्दाख में एक सर्वेक्षण दल भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला और यदि नहीं, तो क्या इस दल को अब लद्दाख भेजने का प्रस्ताव है और इस दल को अब तक वहां न भेजने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) :

हालांकि लेह और कारगिल जिलों में एल पी जी की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण दल नहीं भेजा गया है, फिर भी इन जिलों से संबंधित जानकारी पहले से ही तेल उद्योग के पास उपलब्ध है।

श्री पी. नामग्याल : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि लद्दाख क्षेत्र में एल. पी. जी. के बारे में जानकारी तेल उद्योग के पास पहले ही उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूँ कि उनके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लेह और कारगिल जिलों में एल. पी. जी. के कुल कितने सिलिंडरों की आवश्यकता है ? यह हिसाब कब लगाया गया था ? इस क्षेत्र में एल पी. जी. गैस की लोकप्रियता को देखते हुए क्या इसका नये सिरे से अनुमान लगाना उचित नहीं होगा ?

श्री ब्रह्म दत्त : सामान्यत: एल. पी. जी. की आवश्यकता का अनुमान नए पंजीकरण से लगाया जाता है। लेह की कुल जनसंख्या 8700 है। इसमें से 1050 उपभोक्ता हैं। यह एक अच्छा संकेत है कि 2500 और लोग एल. पी. जी. का कनेक्शन मांग रहे हैं। कारगिल की जनसंख्या 3500 है। वहां 100 उपभोक्ता हैं। सौ और लोग एल. पी जी. का कनेक्शन मांग रहे हैं। हम जल्दी ही उनकी आवश्यकता को पूरा कर देंगे।

श्री पी. नामग्याल : धन्यवाद। मैं आपके आंकड़ों को स्वीकार नहीं करता हूं क्योंकि यह सही प्रतीत नहीं होते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इस समय लेह और कारगिल जिलों सहित लगभग 3000 कनेक्शन पहले ही दिए जा चुके हैं। वहां 2500 और लोग कनेक्शन मांग रहे हैं जो पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अत्यधिक शीत जलवायु की परिस्थितियाँ होने के कारण इस क्षेत्र में शीत ऋतु में एल. पी. जी. का अधिक उपयोग होता है। दूसरी समस्या है कि शीत ऋतु में कम से कम 6 से 7 महीने तक सड़कें बंद रहती हैं। मेरे अनुमान के अनुसार शीत ऋतु के 6 महीनों में लगभग 70,000 सिलिंडरों की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय शीत ऋतु के 6 महीनों के लिए आवश्यक, लगभग 70,000 से 80,000 सिलिंडरों का स्टाक भरने के लिए कदम उठाए ताकि गैस की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में पहले ही बता दिया था कि दो समस्यायें हैं। एक समस्या उस क्षेत्र में सिलिंडर स्टोर करने की है और दूसरी समस्या लाने ले जाने की है क्योंकि 6 माह तक ही ढुलाई सम्भव रहती है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि सिलिंडरों को वहाँ स्टोर करना चाहिए। भंडार की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कमी के दिनों में सिलिंडरों का लाना-ले जाना सुनिश्चित करने के लिए हम राज्य सरकार के साथ सहयोग करने के पूरे प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त, लद्दाख और कारगिल जिलों में दो आबंटन केन्द्र खोलने का भी प्रयास कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में कुछ एक्सटेन्शन केन्द्र भी खोले जाएंगे। उस क्षेत्र में भी हम राज्य सरकार का सहयोग चाहते हैं। मैंने जम्मू और काश्मीर के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के साथ बात चीत की थी और हम स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ करेंगे।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के विनियमन को देखते हुए भारत सरकार का यह विचार है कि पहाड़ी क्षेत्रों को एल. पी. जी. और मिट्टी का तेल प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। क्या वह प्राथमिकता निर्धारित कर ली गई है ?

श्री ब्रह्म दत्त : जी नहीं, हम राज्यों को मिट्टी का तेल आबंटित करते हैं। राज्य विभिन्न

जिलों को मिट्टी का तेल आबंटित करते हैं और हम आशा करते हैं कि राज्य पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे। एल. पी जी. के बारे में हमने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। गैस के बारे में प्रमुख समस्या गैस भरने का संयंत्र लगाने की है। जम्मू और काश्मीर में एल. पी, जी. भरने के दो संयंत्र लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में एल. पी. जी. भरने के दो नये संयंत्र लगाये जा रहे हैं, एक हल्द्वानी में है जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और गढ़वाल की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिये एल. पी. जी. भरने का दूसरा संयंत्र हरिद्वार में स्थापित किया गया। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में परवानू में एल. पी. जी. भरने का एक संयंत्र शीघ्र ही लगाया जा रहा है। इसी प्रकार, हम उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। अतः एल. पी. जी. भरने के संयंत्र स्थापित करने और आवंटन करने के नये स्थानों की स्थिति यह सिद्ध करती है कि वहां प्राथमिकता निर्धारित है। हम उस प्राथमिकता को छोड़ नहीं सकते हैं।

श्री विजय एन. पाटिल : अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने हिमालय की पादगिरियों में स्थापित किये जाने वाले खाना पकाने की गैस भरने वाले संयंत्रों के नामों का उल्लेख किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में सतपुरा पहाड़ी जैसे और पहाड़ी क्षेत्र भी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे संयंत्र वहां भी लगाये जा रहे हैं।

श्री ब्रह्म दत्त : हम केवल सतपुरा पहाड़ी, पश्चिमी घाट अथवा पूर्वी घाटों पर ही अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रत्यूत अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर भी ध्यान दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री राजस्थान गये थे तथा उन्होंने ध्यान दिलाया था कि गुजरात तथा राजस्थान के छोटे खेतों के आसपास के क्षेत्रों को बचाया जाये। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। हम इसे प्राथमिकता दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाबे-सदर मुहतरम्, यहां पर पहाड़ी इलाके का जिक्र है। राजस्थान में झुन्झुनू और सीकर का जो इलाका है, उसमें भी पहाड़ी इलाका आता है। खेतड़ी और उदयपुर वाटी का जो एरिया है, वह पहाड़ी क्षेत्र है। मैं जानना चाहता हूं कि ये फैसेलिटीज जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिये लागू हैं, क्या झुन्झुनू और सीकर के खेतड़ी और उदयपुर वाटी इलाकों को भी मिलेंगी?

श्री ब्रह्म दत्त : राजस्थान में हमारी कोशिश यह है कि जो थोड़ा बहुत जंगल का इलाका वहां पर है, वह बचा रहे और अगर माननीय सदस्य झुन्झुनू और सीकर में नये जंगल लगायेंगे, तो उनको बचाने के लिए हम जरूर उपाय करेंगे एल. पी. जी. प्लान्ट लगा कर।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहायता प्राप्त औद्योगिक परियोजनाएं

360. **श्री वी. तुलसी राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहायता प्राप्त औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989 के दौरान राज्य में और विशेष रूप से तेलंगाना क्षेत्र में इस प्रकार की नई परियोजनायें स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव क्या हैं, और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : *(क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नये एककों की स्थापना करने की बजाय विद्य-*मान सुविधाओं का पुनर्गठन करके, उत्पादकता में सुधार करके, प्रौद्योगिकी का उन्नयन तथा विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण करके, सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने पर बल दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश में चल रही केन्द्रीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं जिनके परिव्यय की 7वीं पंच-वर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है, की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विभिन्न परियोजनाओं के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वार्षिक परिव्यय का निर्धारण प्रति वर्ष उनकी समीक्षा करने के बाद किया जाता है। आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के वार्षिक योजना प्रस्तावों पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

7वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल आन्ध्र प्रदेश की केन्द्रीय क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं की सूची

क्रम. सं. उपक्रम/इकाई/योजना का नाम

1. विशाखापट्टनम स्टील प्रोजेक्ट
2. स्पेन्ज आयरन इंडिया लिमिटेड, कोथागुडेम
3. नेशनल अल्युमीनियम कं. लि. (नालको)
4. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड विशाखापट्टनम
   (क) विजाम स्मेल्टर
   (ख) सिलवर रिकवरी
   (ग) प्रतिस्थापन, नवीकरण, आधुनिकीकरण आदि
5. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड
   चिकारागुन्टा एण्ड यप्पामना माइन्स
6. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., विशाखापट्टनम (प्रोपीलीन रिकवरी आदि)
7. इन्डो बर्मा पैट्रोलियम कं. लि, सिमुरेंली नई योजना एकक का विस्तार
8. फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया
   (क) रामागुन्डम प्लांट रिवैम्पिग आदि
   (ख) रामागुन्डम प्लांट मीडियम प्रेशर बायलर
   (ग) रामागुन्डम संयंत्र प्रतिस्थापन तथा नवीकरण
9. इंडियन ड्रग्स फार्मासिटीकल्स लिमिटेड, हैदराबाद
   (क) विस्तार, प्रतिस्थापन और नवीकरण आदि

10. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स-कोयूर
(संयुक्त क्षेत्र परियोजना) (इक्विटी कंट्रीब्यूशन)
11. सेंट्रल इस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स
12. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैदराबाद ।
13. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसलस, विजाम
14. एच. एम. टी. लि., हैदराबाद ।
15. हिन्दुस्तान केबल्स लि.,
16. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया प्रोजेक्टस
17. टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. कांकीनाडा
18. हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेन्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट
19. हिन्दुस्तान शिप्यार्ड लि. विजाग
(आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन तथा नवीकरण अनुसंधान एवं विकास आदि)
20. कम्प्यूटर मैंटीनेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया हैदराबाद ।
21. हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेन्ट प्रोजेक्ट
22. सेन्टर फार डवलपमेंट आफ कम्प्यूटर मैन फ्रेम्स, हैदराबाद ।
23. हैवी वाटर प्लांट मानूगुरू ।
24. न्यूक्लयिअर प्यूअल काम्पलेक्स हैदराबाद ।
25. इलैक्ट्रानिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद ।
26. सिक्योरिटी प्रिन्टिग प्रेस, हैदराबाद ।
27. इंडियन गवर्नमेंट मिन्ट हैदराबाद ।

[हिन्दी]

श्री वी. तुलसी राम : जनाबे-सदर, हाजरीन जलसा···(व्यवधान)···हाजरीन सदन, अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : अपनी जगह पर वापस आ गये, ठीक है।

श्री वी. तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा समय हो जायेगा, इसलिए मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी लाइन पर आ गये।

श्री वी. तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन था कि—

(क) इस समय आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहायता प्राप्त औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान राज्य में और विशेष रूप से तेलंगाना क्षेत्र में इस प्रकार की नई परियोजनायें स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ? अध्यक्ष महोदय ने उसका थोड़ा उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उससे आपकी तसल्ली नहीं हुई ?

श्री वी. तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह उत्तर दिया है कि—

"आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के वार्षिक योजना प्रस्तावों पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।"

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह सूखाग्रस्त एरिया है। मेरा क्षेत्र महबूब नगर है और रायलसीमा है ये बहुत ही पिछड़े हुए और बैकवर्ड एरिया हैं। ये बहुत ही सूखे से प्रभावित एरियाज हैं। ऐसे एरियाज में आप गवर्नमेंट की ओर से, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई परियोजना बनाने जा रहे हैं या कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री जे. वेंगल राव : माननीय सदस्य का प्रश्न केन्द्र से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में है। केन्द्र राज्य तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में केवल तीन प्रकार की परियोजनाएं हैं। केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनायें वहां नहीं हैं। यह माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के संबंध में है। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में परियोजनाओं की संख्या के संबंध में है : वे योजना आयोग के विचाराधीन हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि वर्तमान उद्योगों के लिए आंध्र प्रदेश में 40% विद्युत की कटौती की जाती है। वे मुझसे किस प्रकार आशा कर सकते हैं कि मैं वहां नये उद्योगों को प्रारम्भ करूं ?

[हिन्दी]

श्री वी. तुलसी राम : पावर शार्टेज तो सारी दुनिया मे है। पावर आपके पास है, आप उसे खर्च कर दीजिए। सारी पावर आपके पास है। यहां पावर मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, सब पावर आपके पास में है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सेकिंड सप्लीमेंटरी है। इसी बीच में मैंने पढ़ा है कि आप बेकवर्ड एरियाज में उद्योग स्थापित करने का विचार रखते हैं। क्या ऐसा आपका कोई विचार है ? जो सूखे से प्रभावित एरियाज हैं, उन एरियाज में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को सब्सीडी नहीं रोकनी चाहिए। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसी जगह पर सब्सीडी नहीं देने से, वहां सूखा पड़ने से लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है ? अगर आप सबसीडी बंद करेंगे तो इंडस्ट्रीज वहां बिल्कुल बद हो जाएंगी। कम से कम आपको सूखे से प्रभावित एरियाज में आपको यह देनी चाहिए आप क्या क्लीयरकट बतायेंगे कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री जे. वेंगल राव : कुछ पिछड़े इलाकों के लिए, दी जाने वाली आर्थिक सहायता जनवरी, 1988 के अन्त तक चलती रहेगी। इस बीच हम विभिन्न राज्यों में विकास केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में वार्ड जल समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे रहे हैं। इसके पश्चात् हम सभी सुविधाओ के साथ एक मूलभूत ढांचा स्थापित करेंगे। तब आपको हर प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। किन्तु आपको सुविधाएं मिलेंगी।

— —

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा होलोटाइप इंस्यूलेटरों का विकास

352· **श्री वाई. एस. महाजन :**

श्री पी.एम. सईद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 400 किलोवाट क्षमता के लिए, जो कि देश में उच्चतम वोलटेज प्रणाली है, होलोटाइप इंस्यूलेटरों के, जिनका अब तक आयात किया जा रहा था विकास के सम्बन्ध में सफलता प्राप्त कर ली है ;

(ख) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित इंस्यूलेटरों की गुणवत्ता और कार्यकुशलता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप है ;

(ग) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इन इंस्यूलेटरों की समूची मांग पूरी कर सकेगा ; और

(घ) इन इंस्यूलेटरों के निर्माण के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) (क) जी, हां। आद्यरूप की जांच की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रारम्भ में विदेशी मुद्रा की वार्षिक बचत लगभग 35 लाख रुपये होगी जो क्रमिकरूप से बढ़कर निकट भविष्य में 200 लाख रुपये हो जाएगी।

गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर खर्च

*356 **चौधरी राम प्रकाश :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) इस प्रयोजन पर खर्च के लिए सातवीं योजना में आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि शेष बची है ; और

(ग) गैर-परम्परागत ऊर्जा-स्रोतों पर इतनी अधिक धनराशि खर्च किए जाने के बाद आम आदमी को वास्तव में क्या लाभ हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के कार्यक्रमों पर सातवीं योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में 244.35 करोड़ रुपये के नियतन की तुलना में 242.83 करोड़ रुपये खर्च होने की रिपोर्ट मिली है। वर्ष 1987-88 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में इन कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। सातवीं योजना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के लिए 412.35 करोड़ रुपये का कुल नियतन किया गया था।

प्राप्त सूचना के अनुसार, सातवीं योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 1985-86 तथा 1986-87

के दौरान राज्य क्षेत्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों पर 31.28 करोड़ रुपये के नियतन की तुलना में 33.78 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वर्ष 1987-88 के लिए राज्य क्षेत्र में इन कार्यक्रमों के लिए 22.34 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। सातवीं योजना के दौरान राज्य क्षेत्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए कुल 107.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सातवीं योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान उत्तर-पूर्वी परिषद के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए 0.77 करोड़ रुपये व्यय किए जाने की रिपोर्ट मिली है। वर्ष 1987-88 के दौरान इस प्रयोजन हेतु उत्तर-पूर्वी परिषद के लिए 0. 5 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। सातवीं योजना के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद हेतु एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों सहित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्र, राज्य क्षत्र तथा उत्तर-पूर्वी परिषद में इन कार्यक्रमों के लिए पहले दो वर्षों में पहले हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात पर विचार करते हुए कि वर्ष 1987-88 के दौरान किए गए नियतनों का उनके द्वारा वर्ष के दौरान उपयोग किया जाएगा, सातवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 69.52 करोड़ रुपये, राज्य क्षेत्र में 51.08 करोड़ रुपये तथा उत्तर-पूर्वी परिषद के लिए 0.58 करोड़ रुपये शेष रहने की आशा हो सकती है।

(ग) लगभग संबंधित 4 वर्ष की अल्पावधि की आनुपातिकता में जबसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, उन्नत प्रकार के चूल्हों की स्थापना करके कीमती जलाने की लकड़ी की बचत करके, महिलाओं की उदासीनता को कम करके, धुआंरहित चूल्हों के द्वारा उनके स्वास्थ्य में सुधार करके तथा इसके साथ पर्यावरण के सुधार में अंशदान देकर 30 लाख से अधिक गृह-स्वामियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इन चूल्हों ने 10,000 से अधिक गांवों में घरों को धुआंरहित बनाया है और इससे ईंधन वाली लकड़ी की विशेष बचत हुई है। इसके अतिरिक्त अब तक 8.7 लाख से अधिक पारिवारिक आकार के बायो गैस संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन्होंने जलाने की लकड़ी को बचाने तथा काफी लाभदायक कीमतों की उर्वरक खाद की पर्याप्त मात्रा के उत्पादन में भी ग्रह- स्वामियों की सहायता की है। 70,000 वर्ग मीटर से अधिक में फैली सौर तापीय प्रणालियों की स्थापना ने औद्योगिक तथा घरेलू क्षेत्र दोनों में ताप ऊर्जा की मांगों को प्रदान करने में सहायता की है। 90,000 से अधिक सौर कुकर बेचे जा चुके हैं। 1400 गांव को और प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी यूनिट दी जा चुकी है, इसके अलावा 200 सामुदायिक रोशनी तथा टी.वी. प्रणालियां स्थापित की गई हैं। पवन ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत, 1800 से अधिक पवन पम्प स्थापित किए गए हैं। चार विभिन्न राज्यों में 3.65 मेगावाट की क्षमता के 5 पवन फार्मों ने अपने सम्बन्धित ग्रिड़ों को 8 मिलियन विद्युत यूनिट का सम्भरण करने में सहायता की है।

जैसा कि इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्राथमिक रूप के है, जिनमें से सामान्य तथा गरीब व्यक्ति की संख्या अधिक है, ऐसा प्रतीत होगा कि सामान्य व्यक्ति पहले ही इन कार्यक्रमों से वास्तविक लाभ प्राप्त कर चुका है।

सम्पर्क कार्य करने वाली बेतापी कम्पनियों का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ व्यापार संबंध

*361. श्री सी. जंगा रेड्डी :

डा. ए. के. पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचारों की जानकारी है कि तेल और प्राकृतिक गस आयोग में काम करने वाले अधिकारियों के परिवारों के सदस्य अथवा निकट संबंधी सम्पर्क कार्य करने वाली बेनामी कम्पनियां चला रहे हैं अथवा वे सम्पर्क कार्य करने वाली ऐसी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं जिनका आयोग के साथ व्यापार संबंध है जिसे आयोग के हितों को हानि पहुंच रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) और (ख) :— सरकार ने इस सम्बन्ध में दिनांक 18 अक्तूबर, 1987 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार को देखा है।

इस समाचार में लगाये गये आरोप निश्चय ही सामान्य और अस्पष्ट हैं ; अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाई करना आवश्यक नहीं है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के नियम और प्रक्रियाएं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तैयार की जाती हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारियों की संख्या को युक्तियुक्त बनाने की योजना

*362. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से अपने कर्मचारियों की संख्या को युक्ति-युक्त बनाने हेतु योजनायें तैयार करने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रत्युत्तर में इन एककों द्वारा योजनायें बनाये जाने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया जायेगा ताकि इन पर लाभप्रद वाद-विवाद हो सके ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाना सरकारी क्षेत्र के सम्बद्ध उपक्रमों का प्रबन्धकीय कार्य है। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षत्र के उपक्रमों को कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

*363 **डा. पी. वल्लल पेरुमन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1987 की स्थिति के अनुसार नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में जितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं उन्हें भर लिया गया है ; और

(ग) अधिकारी ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार, नेवेला लिग्नाइट कारपोरेशन लि. में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों की कुल सख्या क्रमशः 2523 और 87 थी। इनमें कार्यपालक अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण आरक्षित प्रतिशत के अनुसार उनकी भर्ती संभव नहीं हो सकी है। जो पद न हों भरे जा सके हैं उनकी रिक्तियों को बाद में भरी जाने वाली रिक्तियों में जोड़ दिया जाता है।

(ग) दिनांक 31.3. 1987 की स्थिति के अनुसार नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में अधिकारी ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमश. 212 और 6 थी।

ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोलना

*364. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्राम पंचायत वाले बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जहां एक भी डाकघर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत वाले ऐसे गांवों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्राम पंचायत वाले ऐसे गांवों में डाकघर खोलने को कोई प्राथमिकता दी जायेगी; और

(घ) ग्राम पंचायत वाले इन गांवों में से प्रत्येक में कम से कम एक डाकघर कब तक खोल दिया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सर्किल अध्यक्षों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.3.87 को 74,887 ऐसी ग्राम पंचायत थीं जहां डाकघर नहीं थे परन्तु समीप की ग्राम पंचायतों में स्थापित डाकघरों द्वारा सेवा सुलभ की जाती थी।

(ख) हिमाचल प्रदेश में 2531 ग्राम पंचायतें हैं। परन्तु इस जानकारी का सत्यापन राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए डाकघर सुलभ करना संभव नही है क्योंकि इसके अतिरिक्त न्यूनतम जनसंख्या तथा राजस्व की शर्त भी पूरी करनी होती है। नीति यह है कि ग्राम पंचायत का गठन करने वाले ग्राम समूह में डाकघर सुविधा प्रदान की जाएगी बशर्ते कि (I) संयुक्त जनसंख्या 3000 से कम न हो (पिछड़े, पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 1500) (II) अनुमानित राजस्व लागत के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से कम न हो (पर्वतीय, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में 15 प्रतिशत)। आगे यह भी व्यवस्था है कि पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में सबसे निकट डाकघर से 3 कि.मी. की न्यूनतम दूरी की शर्त में छूट दी जा सकती है।

जिन ग्राम पंचायतों में डाकघर का औचित्य बनता है उनमें चरणबद्ध रूप में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन सुलभ हों और अपेक्षित पदों के सृजन के संबंध में वित्त मंत्रालय अपनी अनुमति प्रदान कर दे।

राज्यों द्वारा राशन कार्ड जारी किया जाना

*365. **श्री पी. कुलनदेईवेलू** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने सभी राज्यों को निदेश दिए हैं कि वे सभी परिवारों को राशन कार्ड जारी करें ;

(ख) विभिन्न राज्यों ने अक्तूबर, 1987 तक कितने-कितने कार्ड जारी किए हैं ;

(ग) राशन कार्ड जारी करने में किन मानदंडों का अनुसरण किया जा रहा है ; और

(घ) देश में कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच.के.एल. भगत) (क) से (घ) : लोगों को राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पुनः सलाह दी गई है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड जारी किए जाएं। राशन कार्ड जारी करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्यतया राशन कार्ड किसी क्षेत्र/राज्य में रहने वाले वास्तविक निवासियों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा वांछित सत्यापन करने के बाद जारी किए जाते हैं। कुल मिलाकर, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी सम्पूर्ण आबादी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधाएं प्रदान कर दी हैं।

मंगलौर शोधनशाला परियोजना

*366. **श्री बी.एस. सिवनाल :**

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री मंगलौर में में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की शोधनशाला परियोजना के बारे में 24 फरवरी, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 33 उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के मंगलौर में पेट्रोलियम शोधनशाला की स्थापना के लिये इस बीच विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे स्वीकृति के लिये सरकार को पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई और इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस शोधन कारखाने को कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संयुक्त उद्यम कम्पनी के निर्माण होने से बारह महीने के अन्दर सरकार को प्रस्तुत की जानी है। इस कम्पनी का पंजीकरण दिसम्बर, 1987 में कराये जाने की आशा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) रिफाइनरी को सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर अपना अनुमोदन दिये जाने की तिथि से चार वर्ष के अन्दर चालू हो जाने की सम्भावना है।

केलकर समिति को सिफारिशें

*367. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) नया औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 किन सिद्धांत अथवा मानदण्डों पर आधारित है,

(ख) क्या केलकर समिति द्वारा औषधों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में की गई सभी सिफारिशें नये औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश में शामिल कर ली गई हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो कौन-2 सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या अनेक आवश्यक औषधों के मूल्य में वृद्धि की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 (1) भारत में औषध और भेषज उद्योग के युक्तिकरण, गुणवता नियंत्रण और विकास के लिए दिसम्बर, 1986 में सरकार द्वारा घोषित उपायों, (2) श्रेणी-II औषधों के सम्बन्ध में केलकर समिति की सिफारिशों और (3) श्रेणी I औषधों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों पर आधारित है।

(ख) और (ग) श्रेणी 2 औषधों के बारे में केलकर समिति को सिफारिशें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा श्रेणी I के लिये अभिज्ञात औषधों का लोप करने के बाद सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी। इन्हें औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था जिसकी प्रतियां 27 अगस्त, 1987 को सदन के पटल पर रखी गई थी।

(घ) और (ङ.) : औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 की प्रथम अनुसूची में शामिल औषधों के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत है और दूसरी अनुसूची में शामिल औषधों के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत एम. ए. पी. ई. की अनुमति दी जाती है। यह भारत में औषध और भेषज उद्योग के युक्तिकरण, गुणवत्ता नियन्त्रण और विकास के लिए दिसम्बर, 1986 में सरकार द्वारा घोषित उपायों पर आधारित है।

औषध कंपनियों से औषध मूल्य समीकरण खाते के अन्तर्गत वसूल की गई धनराशि

*368 **श्री राजकुमार राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान और 30 सितम्बर, 1987 तक ग्राहकों से अधिक मूल्य लिये जाने के कारण औषध कंपनियों से औषध मूल्य समीकरण खाते के अन्तर्गत कितनी धनराशि वसूल की गई है, और

(ख) कुल कितनी धनराशि वसूल की जानी है और वह कब तक वसूल की जाएगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) 1986 के दौरान और 30 सितम्बर, 1987 तक एकत्र की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

(1) मेसर्स फुलफोर्ड (आई) लि.	50 लाख रुपये
(2) मे. साइनामाइड (आई) लि.	20 लाख रुपये
(3) मे. हेकस्ट (आई) लि.	2 करोड़ रुपये

(ख) कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 31-12-1983 को समाप्त अवधि के लिये कंपनियों से वसूल की जाने वाली लगभग राशियां जिनका निर्धारण विशेष दल द्वारा किया गया था, निम्न प्रकार हैं :

1. मे. हेक्स्ट (आई) लि.	5,64,12,423 रुपये
2. मे. साइनामाइड (आई) लि.	4,92,00,247 रुपये
3. मे. जान रोश लि.	1,66,87 232 रुपये
4. मे. फाइजर लि.	99,07,731 रुपये
5. मे. जाफरानी मैनर्स लि.	29,85,268 रुपये
6. मे. एथनर लि.	10,18,543 रुपये

राशियों को वसूल करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

दूरसंचार के बारे में भारत और हालैंड द्वारा समझौता

*369. **डा० बी० वेंकटेश :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दूरसंचार के बारे में भारत और हालैंड के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां। नई दिल्ली में 8 फरवरी, 1983 को भारत सरकार तथा नीदरलैंड किंगडम के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के एक करार पर हुए हस्ताक्षर के अनुपालन में 19 सितम्बर, 1987 को नई दिल्ली में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार तथा नीदरलैंड-किंगडम के यातायात तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय के बीच दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए परस्पर सहमति के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) परस्पर सहमति के इस ज्ञापन के अन्तर्गत दूरसंचार के क्षेत्र में पारस्परिक लाभ तथा दूरसंचार के विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए तकनीकी सहयोग देना शामिल है। इस सहयोग के अधीन तकनीकी तथा प्रचालन स्टाफ की अदला-बदली, फैलोशिप तथा छात्रवृत्ति, प्रौद्योगिकी आदि के अंतरण को शामिल किया जा सकता है।

जगदलपुर को माइक्रोवेव नेटवर्क से जोड़ना

370. **श्री मानकू राम सोडी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के जिला मुख्यालय जगदलपुर को माइक्रोवेव नेटवर्क से जोड़ने सम्बन्धी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा और यदि नहीं, तो इस मामले में विलंब के क्या कारण हैं, और

(ग) इस कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) रायपुर-धमतरी-जगदलपुर के बीच एक 8 होप 7 जी. एच. जैड 34 मोप्स डिजिटल माइक्रोवे प्रणाली निर्माण के अंतिम चरण में है।

(ख) निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्च, 1988 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयल इंडिया लिमिटेड का पुनर्गठन

371. **श्री एस. एम. गुरड्डी :**

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आयल इंडिया लिमिटेड का, जो पूर्वी क्षेत्र में तेल का मुख्य उत्पादक है, पूरी तरह से पुनर्गठन करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो आयल इंडिया लिमिटेड का पुनर्गठन करने सम्बन्धी मुख्य योजनाएं क्या है; और

(ग) पुनर्गठन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिए जाने की सम्भावना है और आयल इंडिया लिमिटड का पुनर्गठन करने से क्या लाभ होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, की आपटिकल फाइबर परियोजना

3555. **श्री मानिक सान्याल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रुपनारायणपुर स्थित हिन्दुस्तान केबल्स के एकक में को-एक्सियल केबल्स का निर्माण पहले ही बन्द किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो कब बन्द किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि को-एक्सियल केबल्स का विकल्प आपटिकल फाइबर है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आपटिकल फाइबर परियोजना को पश्चिम बंगाल में रूपनारायणपुर में, जहां सभी मूलभूत सुविधाएं और अनुभव सुगमता से उपलब्ध हैं, स्थापित करने की बजाय इलाहाबाद में स्थापित किया जाएगा; और

(च) इस परियोजना को पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित करने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) : कोअक्सिअल केबिलों की दो किस्मों, जैसे बड़ी टयूब और छोटी टयूब में बड़ी कोअक्सिल केबल्स टयूब के उत्पादन को। अप्रैल, 1987 से बन्द कर दिया गया था।

(ग) और (घ) : कोअक्सिअल केबिलों का उपयोग लांग डिस्टेन्स ट्रान्समिशन के लिए किया जाता है जबकि आप्टिकल फाइबर केबलों का उपयोग लांग डिस्टेन्स ट्रान्समिशन और इन्ट्रा-सिटी कनेक्शन्स दोनों के लिए किया जाता है।

(ङ) यह अन्तिम रूप से निर्णय लिया गया है कि हिन्दुस्तान केबल्स लि. की प्रस्तावित आप्टिकल फाइबर परियोजना को नैनी, जिला-इलाहाबाद (उ. प्र.) में स्थापित किया जाए।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिहार का पुनः चालू किया जाना

3556. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**

प्रो. चन्द्र भानु देवी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा बिहार में रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को पुनः चालू करने हेतु 29 अक्तूबर, 1987 को केन्द्रीय सरकार को क्या मार्गनिर्देश दिए गए थे,

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है: और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 28-10-1987 के आदेश के जरिए केन्द्र सरकार को निदेश दिया है कि मै० रोहतास इन्डस्ट्रीज लि० का मामला इस आदेश की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड को भी मै. रोहतास इन्डस्ट्रीज लि. के पुनरुज्जीवन तथा पुनर्वास के लिए 7 मार्च, 1988 तक एक योजना बनाने का निदेश दिया है, जिस पर वह विचार कर सके। उच्चतम न्यायालय के आदेशों को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के ध्यान में ला दिया गया है।

खाद्य तेल का आयात करने के लिए जापान की सहायता

3557. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान सरकार ने भारत को खाद्य तेल का आयात करने के लिए कितनी सहायता दी है और यह सहायता किन शर्तों के आधार पर दी गई थी : और

(ख) धन राशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) : जापान सरकार ने बताया है कि वे भारत को उसके सूखा राहत तथा आर्थिक पुनर्निर्माण कार्य में सहायता करने की दृष्टि से 29.5 बिलियन येन (लगभग 270 करोड़ रुपए) का ऋण देने के इच्छुक है। यह ऋण दोनों देशों के बीच सहमति के आधार पर आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए किए जाने वाले भुगतान को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। इस ऋण समझौते पर अभी बातचीत तथा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस वस्तु-ऋण की अदायगी 7 वर्षों की छूट-अवधि के बाद 18 वर्षों की अवधि में की जाएगी और इस पर 2.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा।

प्रौद्योगिक हस्तान्तरण के लिए अमरिका के समझौता

3558. **श्रीमत बसवराजेश्वरी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका औद्योगिक सहयोग, इंजीनियरिंग उद्योग संघ तथा यूनाईटेड स्टेट्स चैम्बर आफ कामर्स दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को बढ़ावा देने के तरीकों का निर्धारण करने के लिए संयुक्त कृतिक दल गठित करने पर सहमत हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या किसी शिष्टमंडल ने अमरीका का दौरा किया है,

(ग) यदि हां, तो इस दौरे के क्या निष्कर्ष निकले हैं, और

(घ) क्या इस संबंध में सरकारी स्तर पर कोई सहमति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) : इंजीनियरी उद्योग परिसंघ के एक शिष्ट मंडल ने 13 से 25 सितम्बर, 1987 तक यू. एस. ए. का दौरा किया था, जहां पर उनका यू. एस. चैम्बर आफ कामर्स के साथ लाभप्रद विचार-विमर्श हुआ था। दोनों देशों के आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाने व प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के लिए वे दोनों एक संयुक्त कृतिक दल स्थापित करने के लिए सहमत हो गए थे। इंजीनियरी उद्योग परिसघ और यू. एस. चैम्बर आफ कामर्स के बीच कोई करार नहीं हुआ है।

खाद्य तेल का उत्पादन, आयात, निर्यात और भण्डार

3559 **श्री रेणुपद दास :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेल का उत्पादन किया गया, आयात किया गया, निर्यात किया गया तथा इस समत खपत के लिए मदवार कुल कितनी मात्रा में तेल उपलब्ध है ;

(ख) क्या खाद्य तेल की स्थिति संतोषजनक है : और

(ग) यदि नहीं, तो खाद्य तेल की स्थिति में वर्तमान संकट के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1984-85 से 1986-87 तक, गत तीन तेल वर्षों खाद्य तेलों अनुमानित उत्पादन 103 लाख मी. टन और इनका आयात 49.44 लाख मी. टन (अन्तिम) था। ये मात्रा खपत के लिए उपलब्ध थी।

(ख) देश में खाद्य तेलों की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच अन्तर अभी बना हुआ है।

(ग) कमी के मुख्य कारण हैं (1) गत दो वर्षों के दौरान तिलहनों का कम उत्पादन होना और (2) मानसून का अनिश्चित होना।

भारत के साथ एस. टी. डी. प्रणाली द्वारा अन्य देशों को जोड़ना

3562 **श्री परस राम भारद्वाज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के साथ एस. टी. डी. प्रणाली द्वारा कौन-कौन से और कितने देशों को जोड़ा गया है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरार इस प्रणाली द्वारा भारत के साथ किन-किन देशों को जोड़ा जाएगा।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 150 देश उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली द्वारा भारत से जुड़े हैं। इन देशों की सूची संलगन विवरण I में दी गई है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 19 अतिरिक्त देशों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली से जोड़े जाने की योजना है और इन देशों की सूची संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण I

20-11:87 की स्थिति के अनुसार भारत के साथ आई० एस० डी० से जुड़े देशों की सूची

1. अलासका 2. अलबानिया 3. अल्जीरिया 4. अलगूनिया 5. अन्टीगुआ 6. अर्जेनटना 7. अरूगा 8. एसेनमन द्वीपसमूह 9. आस्ट्रेलिया 10. आस्ट्रीया 11. आजोरस/मडेरिया 12.

भामाज 13. वेह्रीन 14. बंगलादेश 15. वारवाडोज 16. वेल्जियम 17. वेलीजे 18. वेनीम 19. वरमुडा 20. वोलविया 21. वोवस्नाना 22. ब्राजील 23. बुर्नई 24. बुलगारिया 25. बुर्कीनाफोजो 26. केगरून 27. कनाडा 28. साइमन द्वीपसमूह 29. सैन्ट्रल अफेरिकन रिपब्लिक 30. चीली 31. क्रिशमश द्वीपसमूह 32. कोलम्बिया 33. कोस्टारिका 34. क्यूबा 35. साइप्रस 36. चेकोस्लोवाकिया 37. डेनमार्क 38. डिजीबुटी 39. डोमीनिकन द्विपसमूह 40. डोमीनिकन रिपब्लिक 41. मिश्र 42. इथोपिया 43. फिजी 44. फिनलैंड 45. फ्रांस 46. गरवोन 47. गाँपिया 48. पूर्वी जर्मनी (जीडीआर) 49. जर्मनी (वेस्ट) (अफआरजी) 50. घाना 51. जिब्रालटर 52. ग्रीस 53. ग्रनाडा 54. गोडेलूपी 55. गुयाम 56. गाटेमाला 57. गुयाना 58. हवाले 59. होल्डरूज 60. हांगकांग 61. हंगरी 62. आइसलैंड 63. इन्डोनेशिया 64. आयरलेंड 65. इटली 66. इवोरी कोस्ट 67. जमायका 68. जापान 69. जोर्डन 70. केन्या 71. कुवैत 72. लेबनान 73. लिजोटी 74. लाइवेरिया 75. लीविया 76. लजगवर्ग 77. मकाओ 78. मालागाती 79. मलावी 80. मलेशिया 81. मालद्वीप 82. माली 83. मालटा 84. मार्शलद्वीप 85. मारटेनक 86. मैक्सिको 87. माईक्रोनेशिया 88. मोटेरबैखी 89. मौरक्को 90. नौरो 91. नेपाल 92. नीदरलैण्ड 93. नीदरलैण्ड (एन्टीलेस) 94. न्यूजीलैण्ड 95. नाउजर 96. नाईजीरिया 97. नार्वे 98. ओमान 99. पाकिस्तान 100. पलाऊ 101. पानामा 102. पाह्वा न्यूगिनी 103. प्राग 104. पिलीपीन 105. पौलैण्ड 106. पुर्तगाल 107. पोर्टरीको 108. कतार 109. रूमानिया 110. समुआ (ईस्ट 111. साउदी अरबीया 112. सीनीगल 113. साइचिल्स 114. सरलीन 115. सिंगापुर 116. सोलोमन द्वीप-समूह 117. दक्षिणी कोरिया 118. स्पेन 119. श्रीलंका 120. सैन्टकिसोपर 121. सैन्टलेसिया 122. सीनीगल 123. सूडान 124. स्वाजीलैण्ड 125. स्वीडन 126. स्वीटजरलैण्ड 127. सीरिया 128. ताइवान 129. तन्जानिया 130. थाईलैण्ड 131. टोगोलस गणतत्र 132. टांगा 133 ट्रीनीडाड एवं टोबाशो 134. टयूनिशिया 135. टर्की 136. संयुक्त अरब अमीरात 137. यू. एस. आर. 138. यूगांडा 139. यू. के. 140. संयुक्त राज्य अमेरिका 141. उरूगवे 142. वानटयू (न्यूहेनराइड्स) 143. वेटीकनसीटी 144. येनिजुवेया 145. विरजीन (ब्रिटीश द्वीपसमूह) 146. यमन अरब गणतंत्र 147. युगोस्लाविया 148. जैरे 149. जामबिया 150. जिम्बाबे।

विवरण II

1987-88 के दौरान आई एसराडी पर भारत के साथ जोड़े जाने वाले देशों की सूची।

1. बुरूंडी
2. इक्वाडोर
3. ईरान (ईरान)
4. मोजमविक
5. नोरफाल्क द्वीप
6. समोआ (अमेरिका)
7. मारीसिस
8. कांगो पीपल रिपब्लिक
9. फाकलैंड द्वीप

10. इराक

11. नामीबिया

12. पेरू

13. सोमालिया डेमी. गणतंत्र

14. चाड गणतंत्र

15. हैटी

16. लेओ (पीपल डेमो. गणतंत्र)

17. निकारागुआ

18. रैंडा

19. सूरीनाम

लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन हेतु आरक्षित वस्तुए

3563 **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिये आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है और बड़े उद्योग सरकार द्वारा जारी निदेशों की अवहेलना करके इन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या से निपटने के लिये सरकार का कोई नया कानून बनाने अथवा मौजूद कानून में संशोधन करने का विचार है, और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी और किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) : केवल आनुषंगिक या लघु क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उत्पादन किए जाने के लिए विशिष्ट वस्तुओं के आरक्षण की उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1984 की धारा 5 में व्यवस्था की गई है। इस धारा में आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों द्वारा सी. ओ. बी. लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है। इनकी क्षमता को लघु उद्योग क्षत्र के लिए वस्तु के आरक्षप की तिथि के समय विद्यमान स्तर पर स्थिर कर दिया गया है। इन उपबन्धों का उल्लंघन करना उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 24 के अधीन 1994 के संशोधित अधिनियम की धारा 4 के अनुसार दंडनीय है। लघु उद्योग क्षत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उव्पादन करने के इच्छुक बड़े औद्योगिक उपक्रमों के मामले में, इनके आवेदनों पर केवल तभी विचार किया जा सकता है यदि वे नए अथवा अतिरिक्त उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के भीतर निर्यात करने का दायित्व लेते हैं।

हजीरा में लाइनियर अल्काइन बेन्जीन संयंत्र लगाना

3564 **श्री तम्पन थामस** : क्या उद्योग मंत्री गुजरात में हजीरा में गैर सरकारी एकक को भूमि का आवंटन के बारे में 25 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न सं. 4650 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक गैर सरकारी एकक ने हजीरा में सरकारी भूमि पर पीटीए और लाइनियर अल्काइल बेंजीन के उत्पादन के लिये संयंत्रों की स्थापना की है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या संबंधित पक्ष ने संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक अनुमति या लाइसेंस प्राप्त कर लिया था।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) हाजिरा में पी. टी. ए. मथवा एल. ए. बी. बनाने के लिए सरकारी एकक ने कोई भी प्लांट स्थापित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

द्वीप समूहों को देश के अन्य भागों से जोड़ने हेतु अन्तः समुद्री केबल व्यवस्था शुरू किया जाना

3565 **श्री पी. पेंचालिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारे द्वीप समूहों को देश के अन्य भागों से जोड़ने हेतु नई अन्तः समुद्री केबल व्यवस्था शुरू कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है,

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपर असम से नागालैण्ड में हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के संयंत्र तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य

3566. **डा. पी. एल. शैलेश** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपर असम में गालेकी क्षेत्र से तुली (नागालैंड) में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के संयंत्र तक प्राकृतिक गैस को ले जाने के लिये 3 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन बिछाने का कार्य स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का नियत समय पर कार्य पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पाइपलाइन के अपने निर्धारित समय अप्रैल, 1988 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है

दूरसंचार नेटवर्क में इलेक्ट्रानिकी पुर्जों में त्रुटि का पता लगाने के बारे में कम्प्यूटर डेटा बेस की स्थापना

3567. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरसंचार नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रानिकी पुर्जों में त्रुटि का पता लगाने के बारे में एक कम्प्यूटर डेटा बेस की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वयन किया जाएगा ; और

(ग) इस प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) संघटक विश्वसनीय विश्लेषण तथा मापक प्रणाली कंप्यूटर पर आधारित प्रणाली है तथा फरवरी, 1987 से दरसंचार संघटक अनुमोदन केन्द्र, बेंगलूर में कार्य कर रही है। यह केन्द्र मरम्मत केन्द्रों से प्राप्त खराब संघटकों पर डाटा एकत्र करके उनका विश्लेषण करता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पन-बिजली एककों के लिए फ्रांस से सहायता

3568 **श्री आर. एम. मोये:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग सिस्टम के निर्माण के लिए एक पन-बिजली एकक सहित कई परियोजनाओं के लिए फ्रांस की सरकार से सहायता मांगी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : फ्रांस ने जम्मू और कश्मीर में दुलहस्ती पन-बिजली परियोजना और बंगलौर में दूरसंचार फैक्टरी के लिए कुछ 3.8 बिलियन फ्रैंक की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है। फ्रांस द्वारा ये प्रस्ताव उन सामान्य प्रौटोकोल ऋणो के अलावा हैं जो ऐसी परियोजनायों के वित्तपोषण के लिए दिये गये हैं जिन पर दोनों पक्ष सहमत हो चुके हैं।

रिफ्लैक्टिव एक्रेलिक उत्पादों का निर्माण

3569. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर ऊर्जा पैदा करने के लिये सहायक उपकरण के रूप में काम आने वाले रिफ्लेक्टिव एक्रेलिक उत्पादन का निर्माण किन-किन देशों द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने भारत में रिफ्लैक्टिव एक्रेलिक उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये कदम उठाये ; और

(ग) यदि हां, तो भारत में रिफ्लैक्टिव एक्रेलिक के निर्माण में संबंध में सरकार की नीति क्या है और सरकार ने इस दिशा में कौन से कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) : रिफ्लैक्टिव एक्रेलिक उत्पादों का सीमित रूप में उपयोग किया जा रहा है क्योंकि अधिक विकासीय कार्य एवं क्षेत्रीय अध्ययनों के द्वारा कुछ देशों में सौर ऊर्जा को काम में लाने में अतिरिक्त साधनों का उपयोग उनके विस्तृत उपयोग से पहले होना आवश्यक है। भारत में इस देश में अनुसंधान तथा विकास कार्य शुरू किया गया और यदि उपयुक्त पाया गया तो इसके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

त्रिपुरा में एस. टी. टी. की सुविधा

3570. **श्री बाजूबन रियान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में किन-किन कस्बों, शहरों को एस. टी. डी. सुविधा से जोड़ा जा चुका है और वर्ष 1987-88 के दौरान किन-किन कस्बों, शहरो को एस. टी. डी. सुविधा से जोड़ा जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : त्रिपुरा में अगरतला को एस. टी. डी. सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।

कैलाशहर और आर. के. पुर को 1987-88 से जोड़ने की संभावना है।

गोवा राज्य की डाक व्यवस्था

3571. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवस्थापित राज्य गोआ की डाक व्यवस्था का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका वर्तमान ढांचा क्या है;

(ग) गोवा के डाक विभाग का दर्जा किस स्तर तक बढ़ाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य (श्री मोहन देव) : (क) और (घ) फिलहाल, गोआ डाक मण्डल महाराष्ट्र सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में है और भारतीय डाक सेवा ग्रुप "क" के वरिष्ठ समय वेतनमान में वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर इसके अध्यक्ष हैं। गोवा को नया राज्य बना देने से इस राज्य की डाक व्यवस्था का स्तर बढ़ाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यह मामला अभी विचाराधीन है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा मशीनों का किराये पर लिया जाना

3572. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. 1977-78 से 1985-86 तक नौ मशीनें किराये पर ली थी;

(ख) यदि हाँ, तो किससे तथा किन शर्तों पर ली थी;

(ग) किराये पर लेने के क्या प्रयोजन थे तथा लागत और लाभ का क्या अनुपात रहा;

(घ) क्या इनको किराये पर लिया जाना नियमों के अनुसार था; और

(ङ) क्या इसका अनुमोदन ईस्टर्न को लफील्ड्स लिमिटेड तथा कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक बोर्ड द्वारा किया गया था ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे (क) और (घ) : वर्ष 1977-78 से वर्ष 1985-86 की अवधि में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने निम्नलिखित फर्मों से भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनों के 21 सेट तथा उनके सहायक उपकरण किराए पर लिए थे :—

1. मेसर्स जी. एस. अटवल ऐंड कंपनी (गुआ)
2. मेसर्स मर्केन्टाइल कंस्ट्रक्शन कंपनी
3. मेसर्स स्टर्लिंग कंस्ट्रशन कंपनी
4. मेसर्स अरविन्द कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लि.

5. मेससं रवि उद्योग

6. मेससं गुरु मेहर कंस्ट्रक्शन कंपनी

7. मेससं ईस्टर्न मिनरल्स ऐंड ट्रेडिंग एजेंसी

8. मेससं खालसा ब्रदर्स

9, मेससं जी एम. अटवल ऐंड (इंजी) प्राइवेट लि. ।

10. मेससं आर. एन. भलोटिया

11. मेससं गुरु मेहर कंस्ट्रक्शन कं. प्राइवेट लि,

12. मेससं ओरियन्टल

मुख्य शर्तों में जो पहलू शामिल थे व हैं सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन, संचालन कार्य को छोड़कर अन्य किसी काम में हाथ से काम करने वाले श्रमिक नहीं लगाना, मशीनों/उपकरणों की देखभाल एवं मरम्मत और कृत कार्य का माप के अनुसार भुगतान ।

(ग) : मशीनों/उपकरणों को ओपेनकास्ट पद्धति से छोटे-छोटे अलग टुकड़ों में स्थित भंडारों के खनन के लिए किराए पर लिया गया था । ऐसे भंडरों के खनन के लिए किराए की मशीनें/उपकरण लगाना, समान परिस्थितियों में विभागीय मशीनों के प्रयोग की तुलना में, ज्यादा किफायती पाया गया है । (घ) और (ङ) : मशीनरी/उपकरण को किराए पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के निदेशक बोर्ड ने अथवा उस सक्षक प्राधिकारी द्वारा लिया गया था जिसे शक्ति प्रत्यायित की गई थी । कोल इंडिया लि. ने वर्ष 1981 में मशीनें/उपकरण किराए पर लेने के संबंध में मार्ग-निर्देश निर्धारित किए थे ।

औषधियों की कमी

3573 **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 सितम्बर, 1987 के इंडियन एक्सप्रेस में "गवर्नमेंट टू एनश्वोर अवलैविलिटी आफ ड्रग्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो देश में उत्पादन की जाने वाली उन औषधियों के नाम क्या हैं जिनकी कमी का समाचार है, और

(ग) इन औषधियों की कमी होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर.के जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उन औषधों जिनके संबध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अंतर्गत नियत अलाभकारी कीमतों के कारण बार-बार कमी होने का समाचार था, के बारे में जहां तक जानकारी उपलब्ध है, निम्न प्रकार है :—

ओरल पोलियो वैक्सिन

ए०टी०एस०

एन्टि स्नेक वेनम सीरम

स्ट्रेप्टोमाइसिन

आक्सीटोसिन

पिलोकार

डेप्सोन

डाईथाइल कारबामेजाइन साइट्रेट

फेनोबारबिटोन, आदि ।

यूनिलिवर ग्रुप की कम्पनियां

3574. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनिलिवर ग्रुप के अन्तर्गत कौन-कौन सी कम्पनियां हैं ;

(ख) इन सभी कम्पनियों का कुल उत्पादन कितना है ;

(ग) इन सभी कम्पनियों का आपस में परस्पर संबंध कैसा है ;

(घ) सरकार इन कम्पनियों पर एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम या कम्पनी अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किस प्रकार नियन्त्रण करती है ; और

(ङ) यूनिलिवर ग्रुप को व्यापक रूप से अपना व्यवसाय फैलाने से रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : **(क) और (ख)** : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत और हिन्दुस्तान लीवर हाऊस से सम्बधित उपक्रमों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
2. वृन्दावन प्रोपर्टीज लिमिटेड
3. हीथ एण्ड कम्पनी (कलकत्ता) लिमिटेड
4. इन्डेक्सपोर्ट लिमिटेड
5. लिप्टन इंडिया लिमिटेड
6. शार्पेज लिमिटेड

1986 में उपर्युक्त उपक्रमों का कुल व्यापारावर्त 1155.74 करोड़ रु० था ।

लिप्टन इंडिया लिमिटेड और बुक बॉड इंडिया लिमिटेड के उपक्रम 1-9-1987 से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 2 (छ) के निबन्धों के अनुसार निदेशकों के अन्तःपाशन के माध्यम से अन्तःसम्बन्धित हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत और बुक बॉड हाऊस से सम्बन्धित उपक्रम, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है, हिन्दुस्तान लीवर हाऊस से अन्तःसम्बन्धित हो गए हैं :—

1. बुक बाण्ड इण्डिया लिमिटेड
2. बॉन लिमिटेड
3. दीवरशोला टी कम्पनी लिमिटेड

4. दूलिया टी कम्पनी लिमिटेड

5. दूम दूमा इण्डिया लिमिटेड

6. टी एस्टेट्स इण्डिया लिमिटेड

7. थाएशोला टी कम्पनी लिमिटेड

वर्ष 1986 में उपर्युक्त उपक्रमों का कुल व्यापारावर्त 445.24 करोड़ रुपए था।

(ग) हिन्दुस्तान लीवर हाऊस के अन्तर्गत सूचीबद्ध उपक्रम स्वीकार्य तौर पर अन्त:सम्बन्धित हैं। बुक बाण्ड हाऊस के अन्तर्गत सूचीबद्ध उपक्रम भी स्वीकार्य तौर पर अन्त:सम्बन्धित हैं।

(घ) : कम्पनी अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और उद्योग (डी एण्ड आर) अधिनियम में इन अधिनियमितियों के उपबन्धों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, विनियमन- नियंत्रण का प्रावधान भी है।

(ङ) : भारत में विदेशी निवेशों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

खादी संस्थाओं की परिसंपतियों में मजदूरों की भागीदारी

3575. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन से मान्यता प्राप्त न लाभ न हानि आधार पर चल रही अधिकांश खादी संस्थाओं ने लाखों रुपये की परिसम्पतियां जुटा ली हैं, और।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का खादी संस्थाओं की इस प्रकार जोड़ी गई परिसम्पतियों में मजदूरों को भागीदारी देने का विचार हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) (क) और (ख) : खादी और ग्रामोद्योग आयोग से मान्यता प्राप्त खादी संस्थान राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से स्वीकृत पद्धति के अनुसार ऋण और अनुदान के रूप में में वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। कुछ खादी संस्थान, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग में पंजीकृत हैं, आयोग से सीधे सहायता प्राप्त करते हैं। इन संस्थानों को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अवस्थापना सुविधाएं देने, खादी के कपड़ों से सामान तैयार करने, औजारों और उपकरणों की आपूर्ति करने, कच्चे माल और तैयार सामान के भंडारण के लिए गोदाम बनाने, खादी के विपणन के लिए वितरण की दुकानें खोलने के लिए यह सहायता दी जाती है। ये सुविधाएं इसलिए दी जाती हैं ताकि कामगार मुक्त रूप से कार्य कर सकें और जहां भी वह चाहें अपनी जीविका कमा सकें। ये कार्यकलाप प्रमाणीकरण नियमों के माध्यय से विनियमित होते हैं और लेखापरीक्षा, बिक्री मूल्य और लाभ भी निश्चित रूप से नियमों और स्वीकृत पद्धति क भीतर होता है। अत: कामगारों और खादी का उत्पादन करने वाले संस्थानों को सेवाएं प्रदान करने के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए परिसम्पत्तियों के स्वामित्व की कोई संभावना नहीं है।

सौर ऊर्जा का उत्पादन

3576. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर ऊर्जा के उत्पादन पर कितनी धन-राशि खर्च होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे : आगामी पंचवर्षीय (आठवीं) योजना अभी तक शुरू नहीं गई हैं।
[अनुवाद]

केरल में मालापुरम, कालकट और कन्नानोर जिलो में टेलीफोन सुविधा

357 . **श्री जी.एम. बनातवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के टेलीफोन सुविधा के साथ स्थापित हेक्सागान की संख्या का जिला वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार विशेष रूप से मालापुरम, कालीकट और कन्नानौर जिले में और अधिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गई है।

(ख) मालापुरम, कालीकट और कन्नानौर जिलों के षटकोणीय क्षेत्र की आवादी के लिए पहले से ही टेलीफोन सुविधा प्राप्त है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

केरल राज्य के षटकोणीय क्षेत्र के अंतर्गत उसी आबादी के लिए प्रदान की गई सुविधा का जिलेवार ब्यौरा :-

क्रम सं०	जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा पाने वाले षटकोणों की संख्या
1.	त्रिवेंद्रम	36
2.	क्विलोन	36
3.	बछानामथित्ता	20
4.	अल्लेपी	30
5.	कोट्टायम	41
6.	इडुक्की	27
7.	एर्नाकुलम	39
8.	त्रिचुर	51
9.	पालघाट	62
10.	मालापुरम	52
11.	कालीकट	37
12.	वायनाड	22
13.	कन्नानौर	44
14.	कासरकोड	33

दक्षिणी राज्यों में बिजली की उपलब्धता

3578. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान, वर्ष-वार दक्षिण राज्य में बिजली की उपलब्धता की क्या स्थिति रही है; और

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान इन राज्यों में बिजली की कमी हुई थी; यदि हां, तो कितनी कमी हुई थी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान दक्षिणी राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार थी :—

(आंकड़े मिलियन यूनिटों में)

	1975-86	1987-88
आन्ध्र प्रदेश		
आवश्यकता	13534	15057
उपलब्धता	13534	15057
कमी (%)	—	—
कर्नाटक		
आवश्यकता	12166	14163
उपलब्धता	2463	10350
कमी (%)	2703 (22%)	3813 (27%)
केरल		
आवश्यकता	5225	5567
उपलब्धता	5225	5146
कमी (%)	—	421 (8%)
तमिलनाडु		
(पांडिचेरी सहित)		
आवश्यकता	14610	16391
उपलब्धता	13076	14983
कमी (%)	1534 (19%)	1408 (9%)

इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड की जांच

3579. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के पत्र संख्या 21/46/81-सी.एल.-II द्वारा इण्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड की तथा बाद में अनेक संबंधित कम्पनियों की जांच करने का आदेश दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा इनमें पाई गई अनियमितताओं इत्यादि के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) कम्पनी विधि बोर्ड के दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के पत्र सं. 21/46/81-सी. एल.-2 के द्वारा इण्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण का कोई आदेश नहीं दिया गया था। तथापि, फरवरी 1984 में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 क के अन्तर्गत उक्त कम्पनी का निरीक्षण किया गया था। तत्पश्चात्, विभिन्न संबंधित कम्पनियों के निरीक्षण के आदेश भी दिए गए थे।

(ख) मैसर्स इण्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण से उदभूत होकर, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 187 ग (1), (2) तथा (5) के उल्लंघन के लिए कंपनी, इसके निदेशकों और अन्यों के विरुद्ध अभियोग की अनिवार्य कार्यवाहियां शुरू की गई हैं। उक्त कम्पनी तथा इसके दो निदेशकों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 628 के अन्तर्गत भी अभियोग की कार्यवाहियां प्रारम्भ की गई हैं। इस कम्पनी तथा अन्य सम्बन्धित कंपनियों की निरीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, कंपनी विधि बोर्ड ने दिनांक 13-11-87 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (ख), (i) तथा (ii) के अंतर्गत आठ कंपनियों के कार्यकलापों की जांच का आदेश दिया है।

[हिन्दी]

सागर जिले के लिए ऊर्जा योजनाएं

3500. **श्री नन्दलाल चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान सागर जिले के लिए ऊर्जा के बारे में स्वीकृत योजनाओं के क्या नाम हैं; और

(ख) इन योजनाओं में प्रत्येक योजना की लागत कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सागर जिले के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में कोई स्कीम स्वीकृत नहीं की गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिगरेट और बीड़ी का उत्पादन

3581. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा धूम्रपान के विरुद्ध प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल किए जाने के कारण सिगरेटों के उत्पादन (लघु, बड़े, संगठित और गैर संगठित क्षेत्र) में भारी गिरावट आ रही है,

(ख) क्या बीड़ी उत्पादन के मामले में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, राज्यवार कितना उत्पादन हुआ ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में सिगरेट का उत्पादन, जैसा कि तकनीकी विकास महानिदेशालय को सूचित किया गया है, निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सिगरेटों का उत्पादन (दस लाख नगों में)
1984	84997
1985	80681
1986	72675

सिगरेटों के उत्पादन के आंकड़े लघु क्षेत्र में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

उत्पादन में कमी विभिन्न कारणों, जैसे मूल्य में वृद्धि, उत्पादन की लागत में वृद्धि, स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरुकता जिसके परिणामस्वरूप सिगरेट की खपत कम होना इत्यादि, से हो सकती है।

(ख) और (ग) : अधिकतर बीड़ी निर्माण का काम कुटीर क्षेत्र में है तथा इन एककों के उत्पादन के आंकड़ इत्यादि सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। बीड़ी उत्पादन की प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय नौवहन निगम द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजना

3582. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय नौवहन निगम द्वारा कुछ संयुक्त उद्यम परियोजनाएं आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी संयुक्त उद्यम परियोजनाएं आरम्भ किए जाने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) : शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का संयुक्त उद्यम के रूप में क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की साम्यपूंजी भागीदारी से पश्चिमी और पूर्वी तट में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अपतटीय प्रचालनों के लिए पोत सेवाएं प्रदान करने हेतु अपने अपतटीय सेवा पोतों (ओ एस सी) को लगाने से संबंधित एएक प्रायोगिक प्रस्ताव है।

बिजली की वास्तविक खपत के आधार पर बिल बनाना

3583. **श्री सांभाजीराव ककाड़े** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में घरेलू बिजली उपभोक्ता के बिल स्वीकृत भार (लोड) के आधार पर बनाने के बजाए अब बिजली की वास्तविक खपत के आधार पर बनाए जायेंगे जैसा कि दिनांक 6 जनवरी, 1987 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इस विशिष्ट और युक्तिसंगत निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की है और विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों को अनुदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और चेयरमैन की सार्वजनिक घोषणा को कार्यान्वित न किए जाने के पीछे सुस्पष्ट स्थिति और मूल आधार क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के बिल ऊर्जा की वास्तविक खपत के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। तथापि, घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा अन्य उपभोक्ताओं को अब निर्धारित सीमा से अधिक खपत/मांग पर प्रति किलोवाट भार की खपत के आधार पर जुर्माना देना होता है। पहले वास्तविक ऊर्जा की खपत की तरफ ध्यान दिए बिना यदि संबद्ध भार स्वीकृत भार से अधिक होता था तो जुर्माना लगाया जाता था।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा ये संशोधित प्रावधान संबंधित अधिकारियों में परिपत्रित कर दिए गए हैं ताकि इनको लागू किया जाना सुनिश्चित हो सके।

(घ) ऊपर भाग (क) से (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सीरमों और वैक्सीनों के मूल्यों में वृद्धि

3584. **श्री संतोष कुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक महीने में कुछ आवश्यक सीरमों और वैक्सीनों के मूल्यों में तीन गुना वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ख) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित सूत्रयोगों के निर्माता/आयातकर्ता कीमतों को 50 प्रतिशत लाभ सहित संशोधित करने के लिए स्वतन्त्र है। किन्तु जहां तक जानकारी उपलब्ध है, स्वदेश में निर्मित सीरमों और वैक्सीनों की कीमतें बढ़ाई नहीं गई हैं।

[हिन्दी]

दूरसंचार स्टाफ कालेज

3585. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इन्जीनियरी संस्थान की दूरसंचार सलाहकार समिति ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक दूरसंचार स्टाफ कालेज खोलने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्टाफ कालेज की किस स्थान पर स्थापना किए जाने की संभावना है और इस पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) यह कालेज कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा और यदि सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं। सरकार को ऐसे किसी सुझाव की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) : इस समय दूरसंचार विभाग के लिए स्टाफ कालेज के बतौर गाजियाबाद में उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहा है। अतः किसी नए स्टाफ कालेज की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का कारोबार

3586, **श्री मोपन भाई पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले सामान का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का कितना कारोबार था और इस अवधि के दौरान विभिन्न एककों ने कितना लाभ अर्जित किया;

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा निर्यात किए गए सामान का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया गया ;

(घ) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सामान, विशेष रूप से यंत्रों और घड़ियों की भारी मांग ; और

(ङ.) यदि हां, तो हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कारोबार और लाभ में वृद्धि करने के लिए उसके उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगलराव) : (क) एच. एम. टी. मशीनी औजारों, घड़ियों, ट्रैक्टरों, डेयरी मशीनों तथा लैम्पों का उत्पादन करती है।

(ख) 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान एच. एम. टी. का कारोबार क्रमशः 374.45 करोड़ रुपये तथा 493.13 करोड़ हुआ है। एच. एम. टी. द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान एकक-वार अर्जित लाभ संलग्न विवरण में दिया जाता है।

(ग) एच. एम. टी. अपना सम्पूर्ण निर्यात अपनी सहायक एच. एम. टी. (इण्टरनेशनल) के माध्यम से करती है। यह मुख्यतः इंजीनियरी मदों से सम्बन्धित सामानों तथा सेवाओं का निर्यात करती है। इसका निर्यात 1985 में 7.6 करोड़ रुपये तथा 1986 में 16.98 करोड़ रुपये का था।

(घ) घड़ियों, ट्रैक्टरों तथा कुछ किस्मों के मशीनी औजारों की मांग बहुत अच्छी है।

(ङ) एच. एम. टी. की योजना आक्रामक विपणन, लागत में कमी करने हेतु उपाय, कारोबार और लाभों में सुधार करने के लिए नए उत्पादों को शुरू करने की है।

विवरण

1985-86 और 1986-87 के दौरान एच. एम. टी. लिमिटेड का एकक-वार शुद्ध लाभ/(हानि) ।

(लाख रुपये में)

एकक	1985-86	1986-86
मशीन टूल डिवीजन, बंगलौर	468	458
डाई कास्टिंग डिवीजन बंगलौर	77	75
मशीन टूल डिवीजन, पिंजौर	344	263
मशीन टूल डिवीजन, कलमस्सेरी	25	14
मशीन टूल डिवीजन हैदराबाद	(330)	(371)
प्रेस डिवीजन हैदराबाद	(163)	(278)
मशीन टूल डिवीजन, अजमेर	3	(13)
हारोलॉजिकल मैकेनिकल डिवीजन, बंगलौर	121	128
प्रिंटिंग मैकेनिकल डिवीजन, कलमस्सेरी	7	4
सी. एन. सी. सिस्टम डिवीजन,	—	5
इन्स्ट्रुमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल सिस्टम डिवीजन बंगलौर	—	3
आर. एण्ड डी. (मेटल कटिंग) सेंटर	(93)	(119)
सैंट्रल मैटल फार्मिंग इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद	(122)	(124)
घड़ी कारखाना 1 तथा 2, बंगलौर	226	260
घड़ी कारखाना-3, श्रीनगर	(58)	(76)
घड़ी कारखाना-4 तुमकुर	860	922
घड़ी कारखाना-5, रानी बाग	(572)	(556)
घड़ी असेम्बली एन्सीलरीज	362	218
क्वार्टज एनालॉग घड़ियां, बंगलौर	159	186
वाच केस असेम्बली, बंगलौर	3	7
मिनिएचर बैटरी परियोजना, गुवाहाटी	(33)	(14)
ट्रैक्टर डिवीजन, पिंजौर	277	332
डेयरी मशीनरी यूनिट, औरंगाबाद	7	2
लैम्प यूनिट, हैदराबाद	(589)	(763)
कारपोरेट हैड आफिस*	(5)	13
योग	862	576

*व्यापारिक समूहों को आवंटित किया जाना है ।

आन्ध्र प्रदेश में उद्योगविहीन जिले

3587. डा. टी. कल्पना देवी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में "उद्योगविहीन" जिलों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश के जिलों के क्या नाम हैं और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उद्योग विहीन जिलों को औद्योगिक जिलों के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास के विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम : (क) से (ग) : ट979-80 की जिला उद्योग केन्द्र कार्य योजनाओं के अनुसार जिन जिलों में बड़े या मझौले उद्योग नहीं हैं, को "उद्योग रहित जिले" माना गया है। आंध्रप्रदेश का कोई भी जिला इस मानदंड को पूरा नहीं करता है।

"उद्योग रहित जिलों" को पिछड़े क्षेत्रों की "क" श्रेणी में शामिल किया गया है तथा इन जिलों में उद्योग की स्थापना करने वाले उद्यमी सर्वोपरि प्राथमिकता, उच्चतम दर पर केन्द्रीय निवेश राजसहायता अर्थात 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 25 लाख रु. (श्रेणी "क" के पहाड़ी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना करने हेतु 50 लाख रु. तक बढ़ी हुई), अखिल भारतीय आवधिक ऋण दाता वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त की सुविधायें, कर रियायतें आदि लेने के पत्र होते हैं।

केन्द्रीय सहायता "उद्योग रहित जिलों" में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्यों को दी जाती हैं, जो कुल लागत का एक तिहाई होती हैं और जिसकी सीमा प्रति जिला 2 करोड़ रु. है।

पेनिसिलीन के आयात के संबंध में मार्ग निर्देश

3588. श्री सिद्ध लाल मुरमू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने यह मार्ग निर्देश जारी किए हैं यदि लघु औद्योगिक एककों को सरकारी एजेन्सी के माध्यम से वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत 6 एपीए उपलब्ध नहीं कराया जाता तो स्वदेशी उत्पादकों को पेनिसिलीन का और आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्ता हाल ही में 6 एपीए के आवेदनों को स्वीकृति देते समय इन मार्गनिर्देजों को लाग किया गया था, और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता

3589. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1985 से आज तक वर्ष-वार समूचे देश में विशेषकर समूचे बिहार उत्तर बिहार, छोटा नागपुर और मध्य बिहार में, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता कितनी है ;

(ख) उपर्युक्त क्षेत्रों में ऊर्जा की उपलब्धता को बढ़ाने और उनके बीच असमानताओं को दूर करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या पश्चिम कोसी नहर और तिरहुत नहर के विभिन्न स्थलों पर पन विद्युत उत्पादन के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

पेनिसिलिन-जीर्ट कस्ट क्रिस्टल का मूल्य

3590. **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने पेनसिलिन-जी फर्स्ट क्रिस्टल का जो मूल्य निर्धारित किया है वह इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. और हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड के वास्तविक उत्पादन आंकडों की बजाय कम उत्पादन के आंकड़ों पर आधारित है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पेनिसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल के अधिक उत्पादन को देखते हुए इसका मूल्य कम करने के लिये कौन से कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"रिफाइन्ड तेल" उद्योग को आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई

3591. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन करने का क्या आधार है ;

(ख) : इसके क्या कारण हैं कि "रिफाईन्ड" तेल उद्योग को आयातित खाद्य तेलों का वनस्पति उद्योग की तरह निश्चित मूल्य पर नियमित आवंटन न करके केवल तदर्थ आधार पर नीलामी के द्वारा आवंटन किया जाता है ;

(ग) : क्या रिफाईन्ड तेल उद्योग को आयातित खाद्य तेलों का उसी मूल्य पर सप्लाई करने का विचार है जिस मूल्य पर वनस्पति उद्योग को की जाती है ताकि रिफाईन्ड तेल उद्योग उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत सस्ते दामो पर रिफाईन्ड तेल उपलब्ध करा सके ; और

(घ) : यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) (क) : उचित मूल्यों पर वनस्पति का पर्याप्त उत्पादन बनाए रखने के लिए वनस्पति उद्योग को उनकी अनुमत देशीय

तेलों की आवश्यकता और उपलभ्यता के बीच के अन्तर के बराबर मात्रा तक आयातित खाद्य तेलों का आवंटन किया जाता है। आवंटन की कुछ मात्रा 18,000 रुपये प्रति मी. टन की दर से दी जाती है।

(ख) से (ग) व (घ) : खुले बाजार में खाद्य तेलों की उपलभ्यता की अनुपूर्ति करने तथा उनके मूल्य उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए आयातित परिष्कृत खाद्य तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती दरों पर सप्लाई किए जा रहे है। सूखे के कारण तिलहनों/तेलों के उत्पादन में आई गिरावट से उत्पन्न स्थिति में और सुधार लाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि परिशोधन-शालाओं (रिफाइनरीज) को 18,000 रुपये प्रति मी. टन की दर पर आयातित अपरिष्कृत खाद्य तेल सप्लाई किए जाएं, ताकि खुले बाजार में उनकी उपलभ्यता में सुधार लाया जा सके।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

3592. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बुदनी, नसरुल्लाहगंज, उदयपुर, दीवानगंज और सांची टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण के बारे में गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रयोक्ता इन एक्सचेंजों के माध्यम से ट्रंक कालों पर बातचीत नहीं कर पाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन टेलीफोन एक्सचेंजों का सुधार करने तथा जिला मुख्यालयों के साथ अन्य टेलीफोन सम्पर्क स्थापित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं। मध्य प्रदेश के बुदनी, नसरुल्लाहगंज, उदयपुर, दीवानगंज और सांची टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण के बारे में कोई गंभीर शिकायतें नहीं मिली हैं। तथापि, कभी कभी ट्रंककालों के न मिलने के बारे में शिकायतें प्राप्त हो जाती है।

(ख) ट्रंककालों के न मिलने के कारण ओवर हैड ओपन वायरों में व्यवधान पैदा हो जाना है।

(ग) बुदनी में एक ट्रंक बोर्ड प्रदान किया जा रहा है और इन एक्सचेंजों के ट्रंक कार्यकरण में सुधार लाने के लिए नसरुल्लाहगंज को इस बोर्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा। अन्य एक्सचेंजों के लिए परियात कम होने के कारण उनके जिला मुख्यालयों के लिए सीधे सर्किट प्रदान करने पर आने वाले अतिरिक्त खर्च की पूर्ति नहीं होती। फिर भी, ट्रंक लाइनों को चालू हालत में रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य बिजली बोर्डों की क्षमता उपयोग में सुधार

3593. **श्री के. मोहनदास** : क्या उर्जा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यो के बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड के क्षमता उपयोग में कितने प्रतिशत सुधार हुआ है ; और

(ग) उनके कार्य-निष्पादन में एक और अधिक सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री ऊर्जा मंत्रालय में (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) और (ख) : अप्रैल से अक्तूबर, 1987 तक की अवधि के दौरान राज्य बिजली बोर्डों के ताप विद्युत केन्द्रों का औसत संयंत्र भार अनुपात 50.8% था जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान

यह 47 6% था। इन अवधियों के दौरान अलग-अलग राज्य बिजली बोर्ड के बारे में सूचना सलंग्न विवरण में दी गई है।

(ग) : ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में और सुधार लाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, केन्द्र प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण करने तथा फुटकर पुर्जों को प्राप्त करने में राज्य बिजली बोर्डों को सहायता देना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला और कांछित मात्रा में कोयला सप्लाई करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना आदि।

विवरण

अप्रैल-अक्तूबर, 1986 तथा 1987 के दौरान विभिन्न बिजली बोर्डों का

संयंत्र भार अनुपात

राज्य/प्रणाली	संयंत्र भार अनुपात (%) अप्रैल-अक्तूबर	
	वास्तविक 1987	वास्तविक 1986
1. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	44·9	71·6
2. ह. रा. बि. बोर्ड	38·3	31·6
3. रा. रा. बि. बोर्ड	67·2	45·7
4. पं. रा. बि. बोर्ड	64·8	60·5
5. उ. प्र. रा. बि. बोर्ड	44·5	37·6
6. गुं. बिजली बोर्ड	59·1	52·0
7. म. रा. बि. बोर्ड	53·6	50·6
8. म. प्र. रा. बि. बोर्ड	48·8	48·0
9. आ. प्र. रा. बि. बोर्ड	74·7	65·3
10. त. ना. बि. बोर्ड	65·2	64·9
11. केरल विद्युत बोर्ड	53·8	39·9
12. बि. रा. बि. बोर्ड	30·4	33·2
13. उ. रा. बि. बोर्ड	33.2	30·0
14. प. बं. रा. बि. बोर्ड	43·4	44·3
15. प, बं. वि. विकास कंपनी	44·2	34·2
16. दुर्गापुर परियोजना लि०	31·4	31·4
17. असम राज्य बिजली बोर्ड	30·7	16·9
जोड़ : रा. बि. बोर्ड	50·8	47·6

पश्चिम बंगाल में डीलरों को खाना पकाने की गैस का अतिरिक्त कोटा

3594. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के खाना पकाने की गैस के डीलरों को इस वर्ष गैस का अतिरिक्त कोटा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के खाना पकाने की गैस के डीलरों को इस वर्ष कोई अतिरिक्त कोठा नहीं मिला हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय पश्चिम बंगाल के खाना पकाने की गैस के डीलरों को चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान गैस का कोटा बढ़ायेगा और अधिक गैस सप्लाई करेगा ;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) :- उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) से (च) तेल उद्योग पश्चिमी बंगाल के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास करेगा, इसके साथ ही यह एल पी जी की उपलब्धता और भरण क्षमता आदि में होने वाला वृद्धि के अनुसार नये उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं भी पूरी करेगा।

उत्तर प्रदेश के रामपुर (जौनपुर) में तारघर

3595. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के रामपुर (जौनपुर) में 50 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर कोई तारघर नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर एक तारघर की स्थापना करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) रामपुर (जौनपुर) से 10 कि. मी. की दूरी पर भदोही में एक विभागीय तारघर है। रामपुर (जौनपुर) में फोनोकाम आधार पर एक तारघर भी कार्य कर रहा है।

(ख), और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सोलर फोटोवोल्टेक सैलों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी

3596. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित प्रोद्योगिकी पर आधारित सोलर फोटो-वाल्टेक सैलों मोडलों और प्रणालियों के निर्माण के लिए दो संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोलर फोटोवाल्टेक सैलो के निर्माण के लिए देश में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है ; और

(ग) देश में प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने के बावजूद प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति देने के लिये बाध्य होने के कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) से (ग) : भारत तथा विदेशों में सौर फोटोवोल्टिक सेलों, माड्यूलों के निर्माण तथा पद्धतियों के विकास के लिए प्रौद्योगिकीय विकास के स्तर की ओर सरकार पूर्ण या जागरुक है। वर्तमान समय में एक क्रास्टाइल सिलिकन आधारित प्रौद्योगिकी, सौर सेलों के निर्माण के लिए विकसित की गई है तथा इसे देश में वाणिज्यिक उत्पादनों में लाया गया। एमोरफस सिलिकन प्रौद्योगिकी पर आधारित विदेशी सहयोग से एक प्रस्ताव अनुमोदिन किया गया है। यह उस प्रौद्योगिकी से बिल्कुल भिन्न है जो देश में विकसित की गई है तथा जिसका देश में ही वाणिज्यिकरण हुआ है। तथा इसमें प्रकाशवोल्टीय उत्पादों की लागतों को कम करने की क्षमता है। प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी के प्रयोग की भारत में विशेषकर देहाती क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने की काफी सम्भावनाएं हैं। इसलिए वर्तमान नीति रूपरेखा में देशी प्रौद्योगिकी के संरक्षण तथा उनके सुधार सहित जहां उपयुक्त और तर्कसंगत हो नई तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों की स्थापना करना भी शामिल है।

यूनियन कारबाइड के चेम्बूर स्थित काम्प्लेक्स का अधिग्रहण

3597. **डा. दत्ता सामंत :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार यूनियन कारबाइड के स्थित काम्प्लेक्स, जिसे प्रबंध मंडल ने बंद कर दिया था, अधिग्रहण करने और उसे इंडियन पैंट्रोकेमिल कारपोरेशन लि. को सौंपने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, और

(ख) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार और श्रमिक संघ की ओर से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार और कामगार संघ से इस संबंध कुछ प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव के विभिन्न निहितार्थों का अध्ययन किया जा रहा है।

भारी उद्योगों की स्थापना

3598. **श्री आर. अण्णानम्बी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सारे देश में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'एक भारी उद्योग' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) : बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर आधारित होती है तकनीकि-आर्थिक पहलुओं के अलावा केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है। सरकार उन क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने

के लिए विभिन्न प्रोत्साहन देकर उद्योगों के छितराव को भी प्रोत्साहन देती है, जिन्हें पिछड़ा मान लिया गया है।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

3599. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री जगन्नाथ पटायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) (क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

औषध फार्मूलेशन संबंधी नये मूल्यों का कार्यान्वित न किया जाना

3601. **श्री बी. एस. बसवराजू :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा :

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सूचना प्राप्त हुई है कि अनेक औषध एककों न औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 के अंतर्गत श्रेणी 1 और 2 में औषध फार्मूलेशन संबंधी नये मूल्यों को कार्यान्वित न करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इन एककों द्वारा इन मूल्यों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण बताये गये हैं,

(ग) क्या सरकार ने उनके सुझावों पर विचार किया है, और

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितने सुझावों को स्वीकार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के कर्मचारी

3604. **श्री आर. जीवरत्नम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के उत्तरी आरकोट जिले में रानीपेट स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एकक में नियुक्त कुशल और अकुशल, स्थायी और नैमित्तिक श्रमिकों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ; और

(ख) इस एकक में नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भर्ती की प्रक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री वेंगलराव) : (क) बी. एच. ई. एल. के रानीपेट, जिला उत्तरी आरकोट, तमिलनाडु एकक में भर्ती किए गए कुशल, अकुशल और नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार है—

कुशल		अकुशल	
स्थायी	नैमित्तिक	स्थायी	नैमित्तिक
897	46	552	34

(ख) स्थानीय लोगों में से नैमित्तिक श्रमिक भर्ती किए जाते हैं बशर्ते कि भर्ती विनिदेशों को पूरा करते हैं।

बायोगैस संयंत्रों से उत्पादित ईंधन का उपयोग

3605. श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की राजसहायता योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए अधिकतर बायोगैस संयंत्रों में उत्पादित ईंधन बड़ी मात्रा में बेकार जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों से उत्पादित ईंधन का उपयोग करने हेतु सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) जी नहीं। बायोगैस संयंत्रों से ईंधन गैस का उत्पादन, संयंत्रों की क्षमता, पशु गोबर की निरन्तर मात्रा मिलाने तथा आस-पास का तापमान आदि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों का अनुकूलतम उपयोग करने की दृष्टि से राज्य सरकारों तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन एजेंसियों को संयंत्रों के संचालन तथा रख-रखाव में अत्यधिक संख्या में उपभोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने तथा स्थापना के पश्चात् संयंत्रों की सफाई और मरम्मत का पबन्ध करने के लिए पहले ही अनुदेश दिए जा चुके हैं।

मारुति कारों का निर्यात

3606. प्रो. के. वी. थामस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कितनी मारुति कारों का निर्यात किया गया है; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) 31-10-87 को निर्यात की गई मारुति कारों की संख्या 623 है, जिससे लगभग 212 मिलियन अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई।

ऊर्जा सह-उत्पादन प्रौद्योगिकी

3607. श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही :

डा. गौरीशंकर राजहंस : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञ के अनुसार बिजली की अत्यधिक कमी वाले विकासशील देशों के लिए ऊर्जा सह-उत्पादन प्रौद्योगिकी एक आदर्श समाधान है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी की जांच की है ; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी का ब्योरा क्या है और सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) प्रश्न में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के प्रतिवेदन की सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि, विद्युत के अतिरिक्त उत्पादन के लिए सह-उत्पादन की प्रौद्योगिकी सुप्रसिद्ध है तथा विभिन्न औद्योगिक यूनिटों में इसका उपयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

तेल निकालने सम्बन्धी कार्यों से पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना

3608. **डा. प्रभात कुमार मिश्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत के तटवर्ती क्षेत्र में पेट्रोलियम गैस के निस्तारण से होने वाले प्रदूषण तथा तटदूर क्षेत्र में छिद्रण कार्यों से समुद्र के प्रदूषण के प्रभावों का कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या है ;

(ग) क्या प्रदूषण के प्रभावों को रोकने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) इन अध्ययनों से पता चला था कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण पर नगण्य प्रभाव पड़ा था।

(ग) जी. हां।

(घ) उन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

— पर्यावरण सम्बन्धी सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर मानीटरिंग करना।

— प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों/उपकरणों की स्थापना करना ताकि केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित मानकों के निस्राव का विसर्जन हो।

— पर्यावरण इंजीनियरों को तैनात करना जिससे कि वे यथावश्यक मनीटरिंग कर सकें और उपचारी उपाय कर सकें।

— तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कार्मिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना जिससे कि उनमें निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के प्रति जागरुकता उत्पन्न हो।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद

3609. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** :

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या उपभोक्ताओं की विभिन्न कठिनाइयों की जांच करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर कोई एजेंसियां स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां. तो जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसी एजेंसियों को कौन सी कार्यवाही शक्तियां दी जाएंगी ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत (क) से (ग) : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चयन करने का अधिकार, शिकायतें दूर किए जाने का अधिकार तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, को प्रोत्साहन देना तथा उनका संरक्षण करना है। परिषद के सुझाव सिफारिशी स्वरूप के होते हैं । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए एक पृथक त्रि-स्तरीय अर्द्ध-न्यायिक तंत्र की स्थापना करने का विचार किया गया है । यह अधिनियम सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा उनके लिए छूट नहीं दी गई हो, लागू होता है । इस अधिनियम में परिकल्पित त्रि-स्तरीय प्रतितोष तंत्र जिला, राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर स्थापित किया जाना है। जिलों में प्रतितोष मंच (रिड्रेसल फोरम) उपभोक्ता की शिकायतों के मामलों में 1 लाख रुपए तक के दावों में उपयुक्त राहत/मुआवजा दिला सकते हैं। राज्य आयोग एक लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के दावों के लिए उपभोक्ता की शिकायतें स्वीकार कर सकते हैं तथा उपयुक्त राहत/मुआवजा दिला सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग 10 लाख रुपए से अधिक के दावों के मामलों में शिकायतें स्वीकार कर सकता है तथा राहत/मुआवजा दिला सकता है राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोग को अपीलीय शक्तियां भी दी गई हैं ।

सुपर बाजार को लाभ

3610. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** :

श्री कमल प्रसाद सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री सुपर बाजार को लाभ के बारे में 21 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7235 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान सुपर बाजार में कुल कितनी बिक्री हुई तथा गत तीन वर्षों के दौरान हुई बिक्री की तुलना में यह कितनी है ;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान इसने कुल कितना लाभ और शुद्ध लाभ अर्जित किया तथा गत तीन वर्षों में अर्जित लाभ की तुलना में यह कितना है ; और

(ग) लाभ में कमी तथा ऊपरी व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) वर्ष 1986-87 (जुलाई से जून) के दौरान सुपर बाजार, दिल्ली की कुल अनुमानित बिक्री 6978.00 लाख रुपये की थी, जोकि पिछले तीन वर्षों अर्थात 1983-84, 1984.00 तथा 1985-86 को क्रमश: 3909.09 लाख रुपये, 4331.70 लाख रुपये तथा 6512.08 लाख रुपये की लेखा-परीक्षित कुल बिक्री की तुलना में अधिक थी।

(ख) 1981-87 के लिए अनन्तिम सकल लाभ 465 लाख रुपये (गैर-लेखा-परीक्षित) तथा अनन्तिम निवल लाभ लगभग 40-55 लाख रुपये था। 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के

दौरान सुपर बाजार का सकल लाभ क्रमश: 287·95 लाख रुपये, 273·67 लाख रुपये तथा 343.55 लाख रुपये था, जबकि उन्हीं वर्षों में निवल लाख 58·45 लाख रुपये, 1649 लाख रुपये तथा 31·64 लाख रुपये था।

(ग) 1986-87 के दौरान लाभ में कोई कमी नहीं है। निवल लाभ में 1984-85 से निरंतर वृद्धि होती रही है। तथापि, ऊपरी खर्चों में, मुख्यतया कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान करने तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत कम मार्जिन पर कुछ आवश्यक वस्तुऐं वितरित करने के लिए विशेष मोबाइल वैनें चलाने के कारण वृद्धि हो रही है।

गुजरात में सीमेंट का उत्पादन

3511· श्री उत्तमभाई ह. पटेल :

श्री ए. चार्ल्स :

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सीमेंट की मांग और पूर्ति को देखते हुए इसका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 से 1986-87 के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में सीमेंट का वर्ष-वार और राज्य-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में सीमेंट की कितनी मांग की गई थी और उसकी कितनी मात्रा सप्लाई की गई ;

(घ) क्या सीमेंट का उत्पादन हर वर्ष घटता जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं और क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे है ; और

(च) 1 दिसम्बर, 1987 से 31 दिसम्बर, 1988 के दौरान सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है और मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) (क) वर्ष 1986-87 के दौरान 365 लाख टन सीमेंट का उत्पादन हुआ तथा चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 415 लाख टन का उत्पादन होने की आशा है। यह उत्पादन वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) गुजरात तथा अन्य राज्यों के बड़े क्षेत्र के सीमेंट कारखानों का वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 का वर्षवार और राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि सफेद सीमेंट तथा मिनि सीमेंट संयंत्रों सहित पिछले तीन वर्षों में देश में हुआ सीमेंट का कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :—

1984-85	301· 90 लाख टन
1985-86	331. 30 लाख टन
1906-87	365. 00 लाख टन

(ग) राज्यों/संघ क्षेत्रों की सीमेंट की आवश्यकता सुनिश्चित करने की कोई पद्धति नहीं है। राज्य/संघ क्षेत्रों की सीमेंट की आवश्यकता सुनिश्चित करने की कोई पद्धति नहीं है। राज्य/संघ क्षेत्र अपनी सीमेंट की आवश्यकता की सूचना भी नियमित रूप से नहीं देते हैं। तथापि वर्तमान उत्पादन देश की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है सीमेंट के मामले में कुल मिलाकर हमेशा यह आत्मनिर्भर रहा है क्योंकि गुजरात स्थित सीमेंट कारखाने स्थानीय आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हैं। वस्तुत: राज्य में नई क्षमता स्थापित हो जाने के फलस्वरूप सीमेंट गुजरात के बाहर भी भेजा जाता है।

(घ) जी, नहीं। वर्ष प्रति वर्ष सीमेंट का उत्पादन घट नहीं रहा है। परन्तु इसके विपरीत सीमेंट का उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है। जैसा कि पिछले तीन वर्षों के निम्नलिखित आंकड़ों में दर्शाया गया है :—

वर्ष	सीमेंट का उत्पादन (मिलियन टन में)
1984-85	30.19
1985-86	33.13
1986-87	36.50

चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1987-88 के दौरान 415 लाख टन उत्पादन होने की सम्भावना है।

(ङ) देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं और प्रोत्साहन दिए गए हैं :—

(1) उत्पादन की लागत में वृद्धि के लिए उद्योग की क्षतिपूर्ति करने तथा उद्योग की अपनी लाभकारिता सुधारने के दोहरे उद्देश्य से लेवी सीमेंट के अवधारण मूल्य को बढ़ा दिया गया है तथा सीमेंट उद्योग के लेवी दायित्व को कम कर दिया है।

(2) 1.1. 1982 से 31.3.86 के बीच उत्पादन शुरू करने वाले तथा 1.4.86 को अथवा इसके बाद उत्पादन शुरू करने वाले नए एककों को क्रमश: 20 रु. प्रति मी. टन तथा 50 रु. प्रति मी. टन तक उत्पादन शुल्क में छूट दी गई है।

(3) कैपटिव डीजल पावर प्रजनन क्षमता स्थापित करने के लिए सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहित किया गया है तथा उच्च लागत के डी.जी. कैपटिव पावर की सहायता से सीमेंट उत्पादन की बढ़ी लागत के लिए क्षतिपूर्ति करने हेतु लेवी दायित्व को कम करके राहत दी गई है।

(4) लेवी दायित्व में उपयुक्त राहत देकर वैट प्रोसेस एककों को ड्राई प्रोसेस एककों में बदलने के लिए उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है।

(च) उत्पादन लक्ष्य वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रारंभ में वर्ष 1987-88 के लिए 425 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य निश्चित किया गया था। किन्तु देश के सीमेंट उत्पादन प्रमुख राज्यों में बिजली की भारी कटौती के कारण विभिन्न कारखानों के उत्पादन में कमी आयी है। वर्ष के दौरान लगभग 415 लाख मी. टन का उत्पादन होने की संभावना है। वर्ष 1988-89 के लिए 46 लाख मी. टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

वर्ष 1984-85 से 1986-87 के दौरान उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

(लाख टनों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1984-85	1985-86	1986-87
1.	जम्मू और काश्मीर	1.28	1.31	1.21
2.	हिमाचल प्रदेश	4.58	6.38	7.63
3.	हरियाणा	5.94	5.62	5.48
4.	उत्तर प्रदेश	9.07	10.89	10.10
5.	राजस्थान	34.52	41.27	42.18
6.	असम	1.78	1.73	1.64
7.	बिहार	12.99	12.10	12.06
8.	उड़ीसा	8.57	8.66	8.49
9.	पं. बंगाल	3.53	3.61	3.95
10.	मेघालय	0.96	0.89	0.98
11,	गुजरात	21.35	26.09	30.6
12.	महाराष्ट्र	16.16	14.71	15.94
13.	मध्य प्रदेश	66.50	70.72	79.48
14.	कर्नाटक	24.70	57.86	33.57
15.	केरल	1.05	2.48	2.76
16.	आंध्र प्रदेश	44.09	48.80	54.67
17.	तमिलनाडु	38.98	37.26	38.06
	कुल योग :	296.05	320.38	348.26

[हिन्दी]

राज्यों में उद्योगों की स्थापना

3612. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को नए उद्योगों की स्थापना और उनका विस्तार करने के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में किसी उद्योग की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वहां पर ऐसा कोई योग कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 (23.11.87 तक) की अवधि के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त हुए औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अन्तर्गत कोई भी औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

राज्य का नाम	1985	1986	1987 (23.11.87 की स्थिति)
	1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	272	242	153
अरुणाचल प्रदेश	6	—	2
असम	48	37	15
अंडमान और निकोबार	1	2	—
बिहार	47	55	21
चंडीगढ़	2	4	—
दादरा और नगर हवेली	11	14	5
दिल्ली	40	30	12
गुजरात	236	208	89
गोवा, दमण और दीव	24	17	17
हरियाणा	124	114	58
हिमाचल प्रदेश	52	55	45
जम्मू और कश्मीर	37	25	14
केरल	48	34	21

	1	2	3
कर्नाटक	145	114	99
लक्षद्वीप	—	—	—
मध्य प्रदेश	187	220	77
महाराष्ट्र	385	335	183
मणिपुर	1	—	2
मेघालय	1	1	4
नागालेंड	8	5	—
मिजोरम	—	1	—
उड़ीसा	47	54	34
पांडिचेरी	24	25	19
पंजाब	124	122	59
राजस्थान	116	88	70
तमिलनाडु	154	269	138
त्रिपुरा	2	—	—
उत्तर प्रदेश	382	387	163
पश्चिमी बंगाल	87	110	45
सिक्किम	1	—	—
एक राज्य से अधिक	48	46	21
योग		2617	1366

[अनुवाद]

मारुति का स्वदेशीकरण

3613. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति उत्पादन का स्वदेशीकरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो मारुति को स्वदेशीय पुर्जों ; सब असेम्बलियों आदि की सप्लाई करने वाले सप्लायर्स कौन-कौन हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगलराव) : (क) यद्यपि मारुति उद्योग लिमिटेड ने कारखाने के अन्दर निर्माण के सम्बन्ध में अनुमानित स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है, किन्तु अनुषंगी विकास में कुछ कमियां रह गई हैं।

(ख) विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि एक अनवरत प्रक्रिया है और इस समय मारुति उद्योग लिमिटेड के 339 सहायक सम्भरक हैं।

[हिन्दी]

लघु औद्योगिक एककों के पंजीकरण की वैधता अवधि बढ़ाना

3614. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने लघु औद्योगिक एककों के पंजीकरण के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार के विकास आयुक्त (लघु उद्योग) को कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नियमों को सरल बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालत में औद्योगिक विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी हां।

मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों से लघु एककों के अनंतिम पंजीकरण की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

. चूंकि नियमों का सरलीकरण एक सतत प्रक्रिया है, अतः अनंतिम पंजीकरण की वैधता अवधि बढ़ाने की प्रणाली की भी निरन्तर समीक्षा की जाती है।

उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां स्वीकृत करना

3615. **चौधरी अख्तर हसन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी नगर में खाना पकाने की गैस की एजेंसी खोलने के मापदण्ड क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा खाना पकाने की गैस की एजेंसियां खोलने के लिए राज्य-वार कितने आवेदनपत्र मंजूर किए गए ;

(ग) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर में वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी गैस एजेंसियां खोली गई हैं और इन नगरों की अलग-अलग जनसंख्या कितनी हैं;

(घ) विशेषकर सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के 50,000 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले कुछ नगरों में गैस एजेंसियां न खोलने के क्या कारण हैं; और

(ङ.) उत्तर प्रदेश के 50,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सरकार का कब तक गैस एजेंसियां खोलने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 20,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले कस्बों/शहरों (1981 की जनगणना के अनुसार) को वहां एल पी जी के विपणन के लिए पर्याप्त तत्व मौजूद हों चरण रूप से तेल उद्योग द्वारा कवर किया जा रहा है।

(ख) 1 अप्रैल, 1987 को कार्य कर रही एल पी जी वितरणशिपों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण II दी गई है।

(घ) बिजनौर जिले में नजीबाबाद को छोड़कर बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फर नगर जिलों में 50,000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों में एल पी जी सुविधा दी गई है।

(ङ.) उत्तर प्रदेश के 50,000 या अधिक जनसंख्या वाले तीन शहर अर्थात् गोण्डा, नजीबाबाद और लखीमपुर खीरी में अभी तक एल पी जी सुविधा नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से गोण्डा में एक वितरणशिप स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं; सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण लखीमपुर खीरी में यह रुकी हुई है। नजीबाबाद में हाल ही में मुकदमा समाप्त होने के साथ विपणनशिप के चयन के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

विवरण I

1.4.1987 को वर्तमान एल. पी. जी. वितरणशिपों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एल. पी. जी. वितरणशिपों की सं.
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	295
2.	असम	70
3.	बिहार	102
4.	गुजरात	249
5.	हरियाणा	84
6.	हिमाचल प्रदेश	22
7.	जम्मू और कश्मीर	37
8.	कर्नाटक	18
9.	केरल	116
10	मध्य प्रदेश	164
11.	महाराष्ट्र	482
12.	मणिपुर	7
13.	मेघालय	8
14.	नागालेंड	8
15.	उड़ीसा	59
16.	पंजाब	109
17.	राजस्थान	99
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	250
20.	त्रिपुरा	7

	1	2
21.	उत्तर प्रदेश	308
22.	पश्चिमी बंगाल	170
23.	अरुणाचल प्रदेश	6
24.	चंडीगढ़	22
25.	दादर और नागर हवेली	1
26.	दिल्ली	172
27.	गोआ, दमन और दीयू	25
28.	मिजोरम	2
29.	पांडिचेरी	5
		3066

विवरण II

1.4.1986 से 31.10.1987 तक उत्तर प्रदेश में खोली गई एल. पी. जी. वितरणशिपों की संख्या

	1	2	3
क्रम सं.	स्थान	जिला	जनसंख्या
1.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	642400
2.	तुण्डला	आगरा	27463
3.	जौनपुर	जौनपुर	105000
4.	बड़ौच	बडौच	102580
5.	वाराणसी	वाराणसी	729700
6.	भादोई	वाराणसी	732192
7.	चन्दपुर	बिजनौर	41552
8.	बहेरी	बरेली	29680
9.	उज्जैन	बदायूं	29487
10.	कानपुर (4 स्थान)	कानपुर	1633500
11.	सयहोरा	बिजनौर	30198

	1	2	3
12.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	348000
13.	नौएडा (2 स्थान)	गाजियाबाद	165000
14.	लखनऊ (3 स्थान)	लखनऊ	976600
15.	देहरादून (महिला क्लब ओएनजीसी)	देहरादून	—
16.	खातिमा (के एम वी एन)	नैनीताल	8483
17.	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	172400
18.	कण्डल्ला	मुजफ्फरनगर	25500
19.	रायबरेली	रायबरेली	90400
20.	ओनला	बरेली	26419
21.	देहरादून	देहरादून	280400
22.	कानपुर (3 स्थान)	कानपुर	1633500
23.	सीतापुर	सीतापुर	98300
24.	नगिना	बिजनौर	50400
25.	किरतपुर	बिजनौर	32079
26.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	642400
27.	आगरा	आगरा	765000
28.	हापुड़	गाजियाबाद	103500
29.	अलीगढ़	अलीगढ़	320000
30.	रोबर्टसागंज	मिर्जापुर	16122
31.	केशगंज	ईटा	61402
32,	अनूपशहर	बुलन्दशहर	15,200
33.	झांसी	—	2,73,900
34.	सरोहना	—	30,100
35.	मैनपुरी	—	59,800
36.	हाथरस	—	93,000
37.	दियोरिया	—	55,700
38.	कोंच	—	35,100
39.	धामपुर	—	29,100
40.	फैजाबाद	—	1,41,700
41.	मनकापुर	—	उपलब्ध नहीं
42.	बबीना	—	उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

नागपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3616. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज और इतवारी टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो नागपुर मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज और इतवारी टेलीफोन एक्सचेंज में प्रतीक्षा सूची में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के नाम हैं और कब से; और

(ग) प्रतीक्षा सूचियों को निपटाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) नागपुर मुख्य और इतवारी एक्सचेंजों में प्रत्येक श्रेणी की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणियों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षारत सबसे पुराने आवेदक की तारीख निम्नांकित है :—

एक्सचेंज का श्रेणी नाम	प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या	किस तारीख से प्रतीक्षा सूची में हैं
नागपुर मुख्य ओ वाई टी-विशेष	420	12.10.1982
ओ वाई टी सामान्य	331	19.6.1982
गैर ओ वाई टी विशेष	899	28.8.1982
गैर ओ वाई टी सामान्य	5084	30.8.1980
योग	6734	
इतवारी ओ वाई टी विशेष	25	1.2.1987
ओ वाई टी सामान्य	276	18.2.1986
गैर ओ वाई टी विशेष	461	19.8.1984
गैर ओ वाई टी सामान्य	4502	9.3.1982
योग	5264	
कुल योग	11998	

(ग) 1988-89 में 10,000 लाइनों वाला ई-10-बी मुख्य एक्सचेंज चालू किए जाने की संभावना है। इसके अलावा 8वीं योजना की प्रारम्भिक अवधि में वी आर सी ई में 4,000 लाइनें तथा सक्करधारा में 3,000 लाइनें चालू किए जाने की सम्भावना है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन जिले

3617. **श्री एस. बी. घोलप** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक टेलीफोन जिले के लिए आमतौर पर 10,000 कनेक्शन मंजूर किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में 1987-88 के दौरान कितने नए टेलीफोन जिले स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के कल्याण काम्पलैक्स में लगभग 20,000 टेलीफोन कनेक्शन हैं; और

(ग) यदि हां, तो कल्याण काम्पलैक्स का दर्जा बढ़ाकर उसे टेलीफोन जिला न बनाए जाने के क्या कारण हैं और इसका दर्जा कब तक बढ़ाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी नहीं। विभाग में शुरू की गई सेकंड्री स्विचिंग क्षेत्र योजना के अनुसार कोई भी टेलीफोन जिले या तार मंडल नहीं होगा। इनके स्थान पर दूरसंचार जिले होंगे जो सामान्यतया राजस्व जिलों की सीमाओं के अनुसार होंगे।

(ग) कल्याण दूरसंचार जिले का कार्यभार लगभग 20,000 सीधी एक्सचेंज लाइनों का है।

(घ) प्रशासनिक खर्चों पर कड़ी मितव्ययिता बरतने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, इस समय कल्याण दूरसंचार जिले का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में दर्जा बढ़ाए जाने की सम्भावना नहीं है।

खाद्य पदार्थों को संसाधित करने वाले उद्योगों को लाइसेंस

3618. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में खाद्य पदार्थों के संसाधित करने वाले उद्योग, विशेषकर नाश्ते के लिए आलू और टमाटर को संसाधित करने वाले उद्योग, बड़ी संख्या में स्थापित हो रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे एककों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे ; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे खाद्य उद्योगों को आयातित कन्सट्रेटों के आधार पर शीतल पेयों के उत्पादन के साथ जोड़ने वाले किसी प्रस्ताव पर विचार करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) पंजाब राज्य में खाद्य पदार्थों को संसाधित करने वाले उद्योगों की स्थापना करने के लिए 1986 तथा 1987 (अक्तूबर तक) के दौरान जारी किए गए अनुमोदनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

औद्योगिक लाइसेंस	—	3
आशय पत्र	—	1
एस. आई. ए. पंजीकरण (लाइसेंस मुक्त योजना के अंतर्गत)	—	5
डी. जी. टी. डी. पंजीकरण	—	3

(ग) खाद्य पदार्थों को संसाधित करने वाले उद्योग मार्च, 1985 में चलाई गई लाइसेंसमुक्त योजना के अन्तर्गत आते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों को संसाधित करने वाले उद्योगों की स्थापना

करने वाले उद्यमी अन्य उद्यमियों की तरह, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि वह राज्य में फल/सब्जी को संसाधित करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

(घ) जी, नहीं।

भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड का गैस क्रैकर काम्पलैक्स

3619. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड का गैस क्रैकर काम्पलैक्स निर्धारित अवधि में पूरा हो जाएगा और इस परियोजना की लागत में वृद्धि होने की कोई सम्भावना नहीं है; और

(ख) अलीबाग जिले में नगोथाने स्थित परियोजना का पूंजी परिव्यय कितना है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और यह परियोजना कब चालू हो जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र) : (क) और (ख) इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लि. (आईपीसीएल) द्वारा कार्यान्वित की जा रही एमजीसीसी की अनुमोदित पूंजीगत लागत 1167 करोड़ रुपए है और इसे अगस्त, 1989 तक पूरा करने का कार्यक्रम है परियोजना प्राधिकारियों ने हाल ही में सूचित किया है कि सीमाशुल्क की बढ़ी हुई दरों, विनिमय दर में परिवर्तनों और वित्तपोषण प्रभारों के अधिक प्रभाव के कारण लागत अनुमानों में परिवर्तन हो सकता है।

असम सरकार का गैस टरबाइनों का आयात करने का प्रस्ताव

3620. **प्रो. पराग चालिहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने असम में बिजली उत्पादन की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपेक्षित चार गैस टरबाइन आयात करने हेतु अपने प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार से मंजूरी मांगी है।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्ताव से सहमत न होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) असम राज्य बिजली बोर्ड के लाकवा गैस थर्मल पावर स्टेशन फेज II के लिए जापान से 2372.51 लाख रु० (सी. आई. एफ.) मूल्य के 4 × 15 एम डब्ल्यू टी जी सैट का आयात करने तथा 57.41 लाख रु० के स्थापना प्रभार के लिए उक्त बोर्ड से एक आवेदन इस विभाग में प्राप्त हुआ था जिस पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 29.4.1987 को हुई बैठक में विचाम किया गया था। समिति ने यह पाया कि प्रस्तावित टी जी सैटों का आयात करने के वास्ते विश्व टैंडर प्रकाशित करने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड ने अधिकार प्राप्त समिति की पूर्व अनुमति नहीं ली है और फिर भेल 20 एम डब्ल्यू के तीन टी जी सैटों की आपूर्ति करने की स्थिति में था और भेल ने उच्चतर क्षमता के तीन टी जी सैटों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया था उन्हें अधिष्ठापित करके विद्युत बोर्ड अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था। उपर्युक्त बातों के कारण समिति का यह विचार था कि उक्त टी जी सेटों का आयात करने का कोई औचित्य नहीं था। तदनुसार प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था। असम राज्य विद्युत बोर्ड को इस निर्णय की सूचना 16.6.1987 को दे दी गई थी।

औषध निर्माता कंपनियों से उन्हें हुये अनपेक्षित लाभ की वसली

3621. **श्री बलवन्त सिंह रामवालिया**

श्री एच. बी. पाटिल :

श्री एस. बी. सिदनाल

डा. चिन्ता मोहन

डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी :

डा. बी. एल. शैलेश :

डा जी. विजया रामा राव :

श्री. शांताराम नायक :

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औषध निर्माता कंपनियों से उन्हें हुए अनपेक्षित लाभ की वसूली करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषध कंपनियों के क्या नाम हैं और इनसे कितनी धनराशि वसूल की जानी है,

(ग) कितनी राशि जमा की जा चुकी है और बकाया राशि कब तक वसूल की जाएगी,

(घ) क्या इन औषध कंपनियों से वसूल करने योग्य धनराशि का आकलन करने के लिए गठित विशेष दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है,

(ङ) यदि हां, तो इस दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(च) सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औषध निर्माता कंपनियों से अनभिप्रेत लाभों की वसूली एक बार पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) से (च) कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 31. 12. 1983 को समाप्त अवधि के लिए कंपनियों से वसूल की जाने वाली लगभग राशियां जिनका विशेष दल द्वारा अनन्तिम रूप से निर्धारण किया गया था, निम्न प्रकार हैं :—

1. मे. हेक्स्ट (आई) लि.	5,64,12,423. रुपए
2. मे. साइनामाइड (आई) लि.	4,92,00,247 रुपए
3. मे. जान मैथ लि.	1,66,87,232 रुपए
4. मे. फाइजर लि.	99,07,731 रुपए
5. मे. जाफरी मैनर्स लि.	29,85,268 रुपए
6. मे. एथनागर लि.	10,18,543 रुपए

असम में आयल इंडिया लिमिटेड की गतिविधियां

3622. श्री ई. अय्यपू रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड ने असम में वर्ष 1986-87 का 2.4 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त कर दिया हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके वर्ष 1987-88 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की क्या संभावनाएं हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) वर्ष 1986-87 के दौरान आयल इण्डिया लिमिटेड के क्षेत्रों से कुल 2.64 मि. ली. टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था जिसमें से असम से 2.58 मि. मी. टन तेल का उत्पादन हुआ था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1987-88 के लिए संशोधित लक्ष्य 2.55 मि. टन का है । इसमें से 2.50 मि.मी. टन का उत्पादन असम से ही होने की सम्भावना है ।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क

3623. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कोई परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां । सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में 57 नए टेलीफोन एक्सचेंज और 180 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की योजना है । 31.3.87 तक 29 टेलीफोन एक्सचेंज और 70 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलिफोन केन्द्र पहले ही खोले जा चुके हैं । 1987-88 के दौरान 9 टेलीफोन एक्सचेंज और 30 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाने की संभावना है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

3624. श्री एन. डेनिस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 में सरकारी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में सरकारी क्षेत्र के एककों को कितना शुद्ध लाभ हुआ ;

(ग) वर्ष 1986-87 में हुए लाभ का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकारी क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वित्तीय कार्य- निष्पादन से सम्बन्धित अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है । किन्तु, 178 उद्यमों से प्राप्त अनन्तिम अपरीक्षित आंकड़ों के आधार पर

1986-87 के दौरान सभी सरकारी उद्यमों के कुलमिला कर कार्यचालन परिणामों के फलस्वरूप 1994.57 करोड़ रुपये के निबल लाभ का पता चलता है जबकि 1985-86 के दौरान उन्होंने कुलमिलाकर 1199.35 करोड़ रुपये का निबल लाभ कमाया था।

(ग) 1986-87 के दौरान क्षेत्र-वार लाभ के बारे में अनन्तिम आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) 31-3-1987 को सरकारी क्षेत्र में किये गये पूंजी निवेश सम्बन्धी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। 31-3-1986 को सरकारी क्षेत्र में कुल 50. 341 करोड़ रुपये का पूंजी-निवेश था।

विवरण

क्षेत्रवार विश्लेषण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्र	निवल लाभ (+)/हानि (—)
1.	इस्पात	(+) 28.61
2.	खनिज एवं धातु	(—) 32.76
3.	विद्युत	(+) 209.94
4.	पैट्रोलिय	(+) 2084.45
5.	रसायन उर्वरक तथा फार्मेस्यूटिक्ल्स	(—) 125.94
6.	भारी इंजीनियरी	(+) 60.46
7.	मध्यम एवं हल्की इंजीनियरी	(—) 43.15
8.	परिवहन उपस्कर	(+) 3.84
9.	उपभोक्ता सामग्री	(—) 128.02
10.	कृषि पर आधारित उत्पादन	(—) 3.07
11.	कपड़ा	(—) 137.44
12.	व्यापार एवं विपणन	(+) 209.73
13.	परिवहन सेवायें	(—) 33.26
14.	संविदा एवं निर्माण सेवायें	(—) 3.56
15.	तकनीकी विकास तथा तकनीकी परामर्शदायी	(+) 31.49
16.	लघु उद्योगों का विकास	(+) 1.40
17.	पर्यटन सेवायें	(+) 1,66
18.	वित्तीय सेवायें	(+) 31.48
19.	धारा 25 के अधीन कम्पनियों	(+) 0.69
	जोड़ :-	(+) 1994.57

औद्योगिक विकास

3625. प्रो० मधु दण्डवते : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास दर की वृद्धि में बहुत अधिक रुकावटें हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये रुकावटें कौन-सी हैं ;

(ग) इन रुकावटों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अन्त तक औद्योगिक विकास की कितनी दर होने की आशा है ; और

(घ) औद्योगिक विकास दर में वृद्धि करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) ओद्योगिक उत्पादन के नवीनतम उपलब्ध सूचकांक के अनुसार, अप्रैल-जून, 1986 की तुलना में अप्रैल-जून, 1987 में उद्योग की विकास दर 11.5 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 6.1 प्रतिशत थी ।

(घ) सरकार ने औद्योगिक उत्पादन/विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ अनेक उपाय किए हैं जिनमें उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, विस्तृत व वर्गीकरण करना, कार्य शीलता के न्यूनतम किफायती मापों के संदर्भ में क्षमता का पुनः पृष्ठांकन करना, परिशिष्ट-1 उद्योगों की सूची में वृद्धि करना, संयंत्र एवं मशीनों के आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापन/नवीनीकरण के कारण होने वाली क्षमता को मान्यता देने के लिए सरलीकृत पद्धति अपनाना आदि शामिल हैं । लाइसेंसिंग समिति, परियोजना स्वीकृति बोर्ड, पूंजीगत वस्तु समिति, विदेशी निवेश बोर्ड आदि द्वारा विभिन्न निपटानों/स्वीकृतियों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है । प्रशासनिक मन्त्रालयों को भी शक्तियों का प्रत्योजन किया गया है ।

1987-88 के दौरान चुने हुए पूंजीगत वस्तु उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन का एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया है । इनमें विद्युत नियंत्रण उपकरण, लोहे की ढली वस्तुएँ और इस्पात की गढ़ी वस्तुएं, मशीन के औजार और औद्योगिक मशीनें शामिल हैं ।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध न होना

3626. श्री मनोरंजन भक्त : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खाद्य तेलों सहित आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान की गई सप्लाई का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) द्वीप समूह में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता में कमी के बारे में अण्डमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से मार्च, 1987 से अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की कमी

3627. **श्री अमल दत्त :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस के डीलरों से खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों की कमी तथा उन्हें सिलेन्डरों की सप्लाई में विलम्ब के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने चार महानगरों में डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं के खाना पकाने का गैस के सिलेण्डरों को बदलने में लगाये जाने वाले समय का आकलन किया है ;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष प्रत्येक महानगर में उक्त कार्य के लिये औसतन कितना समय लिया गया और सिलेण्डरों को बदलने में लगाये गये समय में अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पश्चिमी बंगाल में एस. पी. जी. के वितरकों से एल. पी. जी. रिफिलों की सप्लाई में हुई कमी के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ख) देश के कुछ भागों में प्रपुंज उत्पाद की अपर्याप्त उपलब्धता, यातायात समस्याओं हाल के बाढ़ आदि के कारण संसूचना सुविधाओं के अस्तव्यस्त होने जैसे कारणों से हाल ही में एल. पी. जी. की रिफिलों की सप्लाई में बैकलाग उत्पन्न हो गया है। इन बाधाओं को दूर करने के सम्बन्ध में पहले ही किये गये उपायों के आधार पर आशा है कि आगामी महीनों में स्थिति में सुधार आ जाएगा।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तेल उद्योग इस स्थिति पर सूक्ष्म नजर रख रहा है और बैकलाग को कम करने के लिए यथावश्यक कारंवाई की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को यथा संभवन, रिफिलों की सप्लाई समय पर की जाए।

एक उर्वरक कारखाने को सिमेंट के निर्माण के लिए नया लाइसेंस देना

3628. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला (उड़ीसा) में एक उर्वरक कारखाने को उर्वरक उत्पादन बन्द करने की अनुमति दी गई थी, जिसके लिए उस कारखाने ने लाइसेंस लिया था और उड़ीसा राज्य वित्त निगम से ऋण लिया था, जिसकी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी ;

(ख) क्या इस कारखाने को कृषि के लिए अत्यन्त आवश्यक उर्वरक के स्थान पर सीमेंट का उत्पादन करने के लिए एक नया लाइसेंस दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में मूल लाइसेंस को समाप्त करके सीमेंट उत्पादन के लिये नया लाइसेंस दिया गया ; और

(घ) क्या उक्त सीमेंट कारखाने को इसके मूल उद्यमी द्वारा एक अन्य कम्पनी को हस्तान्तरित किया जा रहा है और क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और उड़ीसा राज्य वित्त निगम ने इस हस्तांतरण के लिए अपनी प्रारम्भिक अनुमति दे दी है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) से (घ) उर्वरक कारखाना जिसे सीमेंट कारखाने में परिवर्तित किया गया है, का ब्यौरा प्रश्न में नहीं दिया गया है। फिर भी, सराफ एजेंसिज लिमिटेड ने इस मन्त्रालय को सितम्बर, 1985 में सूचना दी थी कि उन्होंने सुन्दरगढ़ में स्थित मे. उड़ीसा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के एक रुग्ण एकक को 1982 में अधिकार में ले लिया था और उसको उन्होंने एक सीमेंट पीसने वाले एकक में परिवर्तित कर दिया है। वे मे. उड़ीसा सीमेंट्स लिमिटेड, राजगंगपुर के कारखाने से प्राप्त क्लिंकर को सीमेंट में पीस रहे हैं। फिर भी, चूंकि मे. उड़ीसा सीमेंट्स ने उन्हें क्लिंकर की आपूर्ति करना बन्द कर दिया है उनका ग्राइन्डिंग एकक जुलाई, 1985 से बन्द हो गया था। बाहर से क्लिंकर प्राप्त करने में कठिनाई को देखते हुये, कम्पनी ने जून, 1986 में डी. जी. टी. डी. को 100 मी. टन प्रति दिन (33,000 मी. टन प्रति वर्ष) की क्षमता वाला एक लघु सीमेंट एकक स्थापित करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये आवेदन दिया था और उन्हें 4 सितम्बर, 1986 को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पानी का पता लगाने के लिए छिद्रण कार्य

3629. **श्री डी. पी. जडेजा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पानी का पता लगाने के लिए छिद्रण कार्य हेतु अपनी सेवाएं प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह प्रस्ताव इसके कार्यान्वयन में व्यावहारिक है ;

(घ) इस प्रयोजनार्थ गुजरात में कितने ड्रिलिंग रिग उपलब्ध हैं ; और

(ङ) इस कार्य के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ङ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को गुजरात में कच्छ के जिलाधीश से सुखरी कूप के पंपिंग मशीनों के साथ पेय जल के लिए उपयोग करने के सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त हुआ है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के विचार से उस कुएं का जल नमकीन होने के कारण मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था। तदनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने कच्छ के जिलाधीश को यथोचित उत्तर भेज दिया। उसमें सूखा पीड़ित आबादी वाले क्षेत्र की किसी अन्य रीति से सहायता करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की गई थी। राज्य सरकार से आगे कोई अनुरोध नहीं मिला है।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अधिकारियों को अन्तरिम राहत की बकाया राशि का भुगतान

3630. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के अधिकारियों को अन्तरिम राहत की बकाया राशि का भुगतान किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त राशि का कब तक भुगतान किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कम्पनी की नकदी की स्थिति बराबर विकट होने से एच. ई. सी. के अधिकारियों को 1-1-1986 से 31-7-1987 तक तदर्थ राहत की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया राशि का भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करना

3631. श्री सुरेश कुमार : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य तेलों की इन किस्मों के नाम क्या हैं और निर्धारित किए गए उनके मूल्यों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) उद्योग द्वारा बरते जा रहे स्वैच्छिक मूल्य अनुशासन के अनुसार वनस्पति के प्रति 15 कि.ग्रा. के टीन का अधिकतम मूल्य 335 रुपए है। खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों के बारे में अधिकतम सीमा लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

शाहजहांपुर से पाइपलाइन को अन्यत्र ले जाना

3632. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली उत्पादन के लिये गैस प्रदान करने हेतु, शाहजहांपुर के लिये गैस पाइप लाइन को किसी अन्य स्थान को ले जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या गैस के निर्धारित उपयोग में गैस परिवर्तन के लिये उर्वरक विभाग को स्वीकृति मांगी गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले विद्युत केन्द्रों की समान विद्युत दरें

3633. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजाध्यक्ष समिति की उस सिफारिश पर निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले सभी विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन लागत का एकीकरण किया जाये और उनमें उत्पादित बिजली को देश भर में राज्य बिजली बोर्डों को समान दर पर बेचा जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो इसमें असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में किस तारीख तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) देश के लिए एक समान बिजली की टैरिफ लागू करने में न केवल विभिन्न स्रोतों से विद्युत के उत्पादन की लागत को इकट्ठा करना बल्कि विभिन्न प्रणालियों के लिए इसकी पारेषण की लागत को भी इकट्ठा करना शामिल है। केन्द्रीय क्षेत्र के सभी विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत सप्लाई के लिए और विभिन्न प्रणालियों को इसकी पारेषण लागत के लिए एक समान टैरिफ तैयार करने की बाधाओं और व्यवहार्यता की विस्तारपूर्वक जांच करने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई है। समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जाने के बाद हो मामले में निर्णय लिया जा सकेगा।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

3634. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

श्री हुसैन दलवाई : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक आधारभूत सहायता उपलब्ध न कराये जाने के कारण बहुत सी कम्पनियाँ पिछड़े जिलों की ओर अभी आकर्षित नहीं हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) किसी भी विशेष क्षेत्र के औद्योगीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों/उद्योग सहित जिलों को विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें देकर उनके प्रयासों में सहायता पहुँचाती है। इन अभ्युपायों से उद्यमी औद्योगिक दृष्टि से पिछले क्षेत्रों में अपने एककों की स्थापना करने के लिए आकृष्ट हुए हैं जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष	आशय पत्र		औद्योगिक लाइसेंस		तकनीकी विकास महानिदेशालय	
	कुल	पिछड़ा क्षेत्र	कुल	पिछड़ा क्षेत्र	कुल	पिछड़ा क्षेत्र
1984	1064	627	905	323	1915	1144
1985	1457	774	985	427	1961	1140
1986	1130	621	618	278	1162	610
1987 (सितम्बर तक)	706	372	388	158	945	501

चूंकि पिछड़े क्षेत्रों में त्वरित औद्योगीकरण की एक बाधा अवस्थापनापरक सुविधाओं का अभाव है, प्रत्येक उद्योग रहित जिले में एक या दो निर्धारित किए गए विकास केन्द्रों में अवस्थापनापरक विकास शुरू करने के लिए (1-4-83 से) राज्य सरकारों की सहायता करने का निर्णय किया है। अवस्थापना सम्बन्धी विकास की कुल लागत की एक तिहाई की केन्द्रीय राजसहायता प्रत्येक उद्योग रहित जिले को उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये होती है।

केरल में माइक्रो पन-बिजली परियोजनाओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन

3635. **श्री टी० बशीर :**

श्री के० मोहनदास : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने लघु/माइक्रोपन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन करने लिए कोई परियोजना भेजी है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस परियोजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए विद्युत उत्पादन अथवा ऐसी परियोजनाओं के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवा पेपर मिल्स जेपोर, उड़ीसा

3636. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोरापुट जिले के जयपोर में स्थित सेवा पेपर मिल्स बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इंवेस्मेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा, लिमिटेड और कोरापुट जिले में स्थित बैंकों ने कुल कितनी पूंजी का निवेश किया है ; और

(घ) उद्यमी ने अपना कितना पूंजी निवेश किया था और उद्यमी को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से कितनी राज्य सहायता दी गई थी ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) कम क्षमता उपयोग प्रबन्धकीय अक्षमता, बाधित प्रवाहमयता तथा संयंत्र में कुछ विभागीय असन्तुलनों के कारण मिल का कार्य निष्पादन प्रारम्भ से ही असन्तोषजनक रहा है।

(ग) और (घ) परियोजना की वित्त व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

(1) जारी की गई पूंजी	लाख रु०	लाख रु०
निजी अभिवर्धक	348	
सह-अभिवर्धक-आई. पी. आई सी. ओ. एल.	136	
आम जनता	540	1024
(2) केन्द्रीय राज्यसहायता		15
संस्थानों तथा बैंकों से सावधिक ऋण		2546
कुल		3585

एकाधिकार गृहों को जारी किये गये अपयुक्त लाइसेंस

3637. **श्री राम भगत पासवान :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 से 1986 की अवधि के दौरान एकाधिकार गृहों को कितने औद्योगिकी लाइसेंस दिए गए ;

(ख) 1 जनवरी, 1986 को इनमें से कितने लाइसेंस अप्रयुक्त थे ;

(ग) ऐसे लाइसेंसों की सामान्यत: वैधता अवधि कितनी होती है ; और

(घ) अब तक अप्रयुक्त ऐसे लाइसेंसों का मुख्य उत्पादवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरूणाचल): (क)से (घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत विभिन्न उपक्रमों को वर्ष 1982 से 1986 के दौरान 568 औद्योगिक लाइसेंस (62 कार्य जारी रखने के लाइसेंसों सहित) मंजूर किए गए ।

एक औद्योगिक लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता अवधि दो वर्ष होती है और इस अवधि के भीतर उद्यमी से आशा की जाती है कि वह वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगा तथापि, सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालय द्वारा उचित आधार पर दो वर्ष की प्रारम्भिक वैधता को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार एक औद्योगिक परियोजना के फलीभूत होने में तीन से चार वर्ष का समय लगता है। फिर भी प्रारम्भिक स्थापना अवधि एक परियोजना से दूसरी परियोजना में भिन्न-भिन्न होती है ।

1982 से 1986 की अवधि में विभिन्न एम. आर. टी. पी. उपक्रमों को मंजूर किए गए 568 औद्योगिक लाइसेंसों में से 5 औद्योगिक लाइसेंस रद्द/निरस्त कर दिए गए हैं । यह पांच लाइसेंस एप्रोटिमाइन, पावर-लाइन कैरियर कम्यूनिकेशन सिस्टम, एच. आर. सी. फ्यूज लिंकस/फ्यूज कैरियर, विचेस्टर डिस्क ड्राइव्स तथा कलर/ब्लैक एण्ड ह्वाइट टी. वी. रिसीवरों जैसी वस्तुओं के विनिर्माण से सम्बन्धित थे ।

पीयरलैस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

3638. **कुमारी ममता बनर्जी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के 22 जनवरी, 1987 के निर्णय के बाद पीयरलैस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सकार ने बोर्ड के निदेशकों के बारे में ब्यौरा प्राप्त कर लिया है और उनके पूर्ववृत्तों की जाँच कर ली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या लोक हित में कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत उक्त कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कोई निदेशक मनोनीत करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 22-1-87 से निदेशक मन्डल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं ।

1. डा० अभिजीत सेन, निदेशक, त्यागपत्र दे दिया है
2. श्री पी. सी. सैन, निदेशक, प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त
3. श्री एन. के. बनर्जी, निदेशक, त्यागपत्र दे दिया है

4. श्री जे. सी. बोस मलिक, निदेशक नियुक्त किया गया

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269 के अन्तर्गत, सरकार को केवल यह निश्चित करना अपेक्षित होता है कि क्या पब्लिक कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी जो पब्लिक कम्पनी की सहयोगी कम्पनी है, में प्रबन्ध या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने वाला प्रस्तावित व्यक्ति, इस प्रकार की नियुक्ति के लिये योग्य एवं उपयुत व्यक्ति है। कम्पनी ने श्री पी. सी. सेन को प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए एक आवेदन पत्र दायर किया है, जो विचाराधीन है।

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड ने दिनांक 13-11-87 के अपने आदेश द्वारा कम्पनी-अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशक मन्डल में तीन वर्ष की अवधि के लिए चार निदेशकों को नियुक्त करने का निर्णय किया है। इस आदेश के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने 19-11-1987 को चार निदेशकों को नियुक्त किया था। तथापि, केन्द्रीय सरकार को सूचित किया गया है कि कम्पनी ने कम्पनी विधि बोर्ड के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध सम्मानीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, के समक्ष रिट याचिका दायर की है और कि न्यायालय ने दिनांक 19-11-1987 के अन्तरिम आदेश द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड के 13 नवम्बर, 1987 के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दी थी और उसे लागू न करने अथवा आगे भी लागू न करने का निर्देश दिया था।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा लघु और माइक्रोपन-बिजली परियोजनाएं स्थापित करना

3639. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को लघु और माइक्रोपन-बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा लगभग 5 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 6 माइक्रो/मिनी/लघु जल-विद्युत स्कीमों का कार्यान्वयन आरम्भ किया जा रहा है। ये पाइलट परियोजनाएं हैं जिनके 2 वर्ष की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा इन स्कीमों का टर्न-की आधार पर क्रियान्वयन, संबंधित राज्य बिजली बोर्डों के साथ निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण

3640. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख)

वर्ष 1987-88 में उड़ीसा के लिए 22.32 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें 1400 गांवों को विद्युतीकृत करने और 5000 पम्पसेटों को ऊर्जित करने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 1987-88 के दौरान, 31-10-1987 तक उड़ीसा के लिए 217 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय की 9 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई हैं जिनमें 216 गांवों का विद्युतीकरण और 163 पम्पसेटों को ऊर्जित किया जाना शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा संवितरित की गई राशि तथा उड़ीसा में विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या (राज्य योजना और ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत) नीचे दिए गए अनुसार है :—

वर्ष	ग्रा. वि. नि. द्वारा संवितरित की गई राशि (लाख रुपए में)	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1984-85	1138	1242
1985-86	1436	1141
1986-87	1617	1392

सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा में 7558 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने की परिकल्पना की गई है। आशा है कि सातवीं योजना के ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य को कुल मिलाकर प्राप्त कर लिया जाएगा बशर्ते सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में अपेक्षित निधियां उपलब्ध होंगी।

भोपाल गैस पीड़ितों के लिये पंचवर्षीय राहत कार्य-योजना

3641. **श्री एच. ए. डोरा :**

श्री परसराम भारद्वाज : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भोपाल गैस दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए पांच वर्षीय कार्य योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक दीर्घ अवधि की कार्रवाई योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

सूरजमुखी, ताड़, मूंगफली और बिनौले से खाद्य तेल

3642. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि मूंगफली, सूरजमुखी और ताड़ के पेड़ों को वाणिज्यिक स्तर पर लगाने से देश में खाद्य तेल के उत्पादन में काफी वृद्धि की जा सकती है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने में बिनौले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सरकार ने तिलहनों तथा तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित करना, जिसमें दूसरे पाँच तिलहनों के बारे में गहन विकास कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त मूंगफली, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में विशेष परियोजना चलाना शामिल है।
2. खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन-ढांचे को नया रूप देने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विपणन करने से सम्बन्धित परियोजना के तहत कुछ राज्यों में राज्य स्तरीय तिलहन सहकारी उत्पादक संघ गठित किए हैं ।
3. तिलहनों के लिए उच्च स्तरों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना ।
4. तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना। तिलहनों के उत्पादन के बारे में एक प्रौद्योगिकी मिशन गठित किया गया है।
5. सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना और वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।
6. तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन और आधार-ढांचे सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करना ।
7. वनस्पति उद्योग द्वारा गैर-पारम्परिक तेलों का अधिक प्रयोग करने पर वित्तीय प्रोत्साहन देना, परिष्कृत चावल की भूसी, बिनौले और सोयाबीन के तेल, जो सीधे मानव उपभोग के लिए होते हैं, के सम्बन्ध में और परिष्कृत विलायक निष्कर्षित तेल के लिए भी उत्पाद शुल्क से छूट देना।

(ख) मूंगफली, सूरजमुखी के बीज तथा ताड़ के फल अधिक तेल उत्पादक स्रोत हैं, अतः अधिक क्षेत्र में उनकी खेती करने/बागान लगाने को प्रोत्साहन देने से तेलों का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(ग) और (घ) भारत में खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने में बिनौले की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिनौले के तेल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन शुल्क में कटौती तथा अन्य रियायतें दी गई हैं, जैसाकि ऊपर भाग (क) में कहा गया है।

मोरेना जिले (मध्य प्रदेश) में डीजल पम्प

3643. **श्री कम्मोदी लाल जाटव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के चम्बल डिवीजन के मोरेना जिले में इस समय कितने डीजल पम्पसेट कार्यरत हैं और उन्हें प्रति माह कितना डीजल सप्लाई किया जाता है ;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को इस सप्लाई से अपेक्षित मात्रा में डीजल मिल रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मोरेना जिले में और अधिक डीजल पम्पसेट लगाने की कोई योजना है और यह कार्य कब तक किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) मध्य प्रदेश के

जिला मुरैना में 12 डीजल रिटेल आउटलेट काम कर रहे हैं जिनकी समिलित औसतन मासिक बिक्री 1201 किलोलिटर की है।

(ख) और (ग) चूंकि डीजल एक मुक्त बिक्री का उत्पाद है, अतः जिले में इसकी मांग को आमतौर पर पूर्णरूप से पूरा किया जा रहा है और किसी प्रकार के अभाव की रिपोर्ट नहीं है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तेल उद्योग ने जिला मुरैना में तीन नये रिटेल आउटलेटों की स्थापना करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। चूंकि इसमें विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमन्त्रित करने, तेल चयन बोर्ड आदि द्वारा चयन किया जाना अन्तर्निमित होता है, अतः इन आउटलेटों को चालू करने में कितना समय लगेगा, इसे निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है।

[अनुवाद]

राज्यों में पामोलीन का वितरण

3644. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से अक्तूबर, 1987 के बीच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पामोलीन की की गई मांग का महीनेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक महीने के दौरान इसका कितनी मात्रा में आबंटन किया गया और उन्होंने इसकी कितनी मात्रा प्राप्त की,

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक राशनकार्डधारी को दिए जाने वाले पामोलीन की मात्रा के बारे में मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र नगरों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्ड धारियों को पामोलीन का समान आधार पर वितरण नहीं कर रहे हैं ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक तेल वर्ष में आयातित खाद्य तेलों के लिए अपनी कुल मांग भेजते हैं। तेल वर्ष 1986-87 (नवम्बर-अक्तूबर) के लिए आयोजित खाद्य तेलों की राज्यवार मांग संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रैल से अक्तूबर, 1987 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत थोक-थोक पैकों में किया गया पामोलीन का आबंटन और उनके द्वारा उठाई गई मात्रा संलग्न विवरण II में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित की जाने वाली मात्रा, लिए जाने वाले अधिकतम उपभोक्ता मूल्यों और आयातित खाद्य तेलों के अनधिकृत माध्यमों तक गैर कानूनी ढंग से ले जाए जाने के विरुद्ध किए जाने वाले निवारक तथा दण्डात्मक उपायों के सम्बन्ध में समय-समय पर अनुदेश तथा दिशानिर्देश जारी करती है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु आयातित खाद्य तेलों का आबंटन करती है। इसे आगे वितरित करने की

जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शहरों, कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डधारियों को पामोलीन समान रूप से सप्लाई नहीं किया जा रहा है।

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर) 1986-87 के लिए मांग

क्र० सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(मी० टनों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	2,01,000
2. असम	7,200
3. बिहार	17,280
4. गुजरात	2,08,000
5. हरियाणा	30,000
6. हिमाचल प्रदेश	12,000
7. जम्मू व कश्मीर	6,000*
8. कर्नाटक	1,12,500
9. केरल	57,000
10. मध्य प्रदेश	62,000*
11. महाराष्ट्र	2,30,000
12. मणिपुर	5,960*
13. मेघालय	8,400
14. नागालैण्ड	12,000
15. उड़ीसा	72,000
16. पंजाब	21,600
17. राजस्थान	14,500
18. सिक्किम	1,800
19. तमिलनाडु	1,32,000
20. त्रिपुरा	2,736
21. उत्तर प्रदेश	19,200
22. पश्चिम बंगाल	1,86,000
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,200

*राज्य से 1986-87 के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए 1986-87 के लिए मांग 1985-86 के स्तर के समान ले ली गई है।

24. अरूणाचल प्रदेश	450
25. चंडीगढ़	1,200
26. दादरा व नगर हवेली	1,080
27. दिल्ली	35,000
28. गोआ, दमण व दीव	5,640
29. लक्षद्वीप	200
30. मिजोरम	3,000
31. पाण्डिचेरी	7,200

विवरण II

(मात्रा मी० टन में)

माह	आबंटन	उठाई गई मात्रा
अप्रैल, 1987	27030	20941
मई, 87	23000	23473
जून, 87	28230	26196
जुलाई, 87	31840	32672
अगस्त, 87	71070	43733
सितम्बर, 87	96150	70856
अक्तूबर, 87	106260	100768

दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति

3645. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति गठित कर ली गई है :

(ख) यदि हां, तो यह कब गठित की गई और समिति के सदस्यों का विवरण क्या है,

(ग) क्या समिति के सदस्यों को कोई मानदेय राशि दी जायेगी और यदि हां, तो कितनी,

(घ) वर्तमान समिति का कार्यकाल कितना है,

(ङ) समिति के कार्य क्या होंगे,

(च) समिति के सदस्यों को क्या सुविधायें दी जायेंगी, और

(छ) समिति के सदस्यों के चयन के मानदण्ड क्या हैं।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां,

(ख) दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन 24-6-87 को कर दिया गया है। इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) जी नहीं। टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए केवल वास्तविक यात्रा भत्ता पाने के हकदार हैं जो अधिकतम 50 रुपये होगा।

(घ) समिति का कार्यकाल 30-6-1989 तक है।

(ङ) टेलीफोन सलाहकार समिति के कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(च) एक सदस्य को, उसके कार्यकाल के दौरान, बिना-बारी पर एक निःशुल्क टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया जाता है, दो माह के दौरान 1200 निःशुल्क कालों की छूट दी जाती है।

(छ) नामित सदस्य साधारणतः टेलीफोन सलाहकार समिति की भौगोलिक सीमा के भीतर ही निवास करेंगे। टेलीफोन जिलों के अध्यक्ष विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को नामित करते हैं। संसद सदस्यों का नामांकन संसदीय कार्य मन्त्रालय द्वारा किया जाता है। सलाहकार समिति के लिए नामांकन हेतु इस तरह/प्रकार प्राप्त सिफारिशों पर दूरसंचार निदेशालय में सीधे प्राप्त अन्य नामों पर विचार किया जाता है।

विवरण I

दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों का विवरण

क्र० सं०	नाम और पते
1.	श्री आई. जे. तलवार सचिव (समन्वय) दिल्ली प्रशासन दिल्ली
2.	श्री बी. पी. खुल्लर, सदस्य महानगर परिषद् डी-1/26 माडल टाउन दिल्ली
3.	डा० एस. सी. वत्स, सदस्य महानगर परिषद् डी 10, सी. सी. कालोनी राणा प्रताप के सामने दिल्ली
4.	श्री गुरुबक्श सिंह, सदस्य महानगर परिषद् 124/1 थान सिंह नगर, गली नं० 3 आनन्द पर्वत, नई दिल्ली—110005,
5.	श्री प्रेम चन्द्र कौशिक, मकान नं० 36, नांगलोई एक्सटेंशन,—1 दिल्ली—
6.	श्री आर. चन्द्र मोहन, आई. ए. एस. सचिव नई दिल्ली नगर पालिका केन्द्र, संसद मार्ग—नई दिल्ली —110001
7.	श्री राजेन्द्र मलिक, ए-360, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली
8.	श्री भरत सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा 85 न.थं एवेन्यू, नई दिल्ली—110001

क्रम सं०	नाम और पत्ते
9.	श्रीमती सुन्दरवती वल प्रभाकर, संसद सदस्य लोक सभा, सी 82 कीर्ति नगर, नई दिल्ली 110015
10	श्री शमीम अहमद सिद्दीकी संसद सदस्य, राज्य सभा 23 वेस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली 110001.
11.	श्री शम्मी नारंग, 90-डी, बी. के. एस. मार्ग, नई दिल्ली 110001.
12.	श्री के. एल. नन्दन, सम्पादक नव भारत टाइम्स एच-7 जंगपुरा एक्सटेंशन—नई दिल्ली।
13.	श्री पंकज शर्मा, सीनियर स्टाफ सवांददाता नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
14.	श्री आर. के. गोस्वामी 25/30 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।
15.	श्री नवीन शोरी, मुख्य सम्पादक मिलाप, नई दिल्ली
16.	श्री हरभवन सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय छोटे समाचार पत्र संघ, 26 एफ-कनाट, प्लेट, नई दिल्ली
17.	डा० सुभाष चन्द बंसल, डी-131 पंचशील इन्कलेब, नई दिल्ली-17
18.	डा० रोशन लाल, 3, मालचा मार्ग, नई दिल्ली-21.
19.	डा० एस. के. जुत्सी, सदस्य बोर्ड आफ होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडीसीन, सी-22 निजामुद्दीन ईस्ट नई दिल्ली।
20.	श्री डी. आर. लखानी एडवोकेट, ए-6/15, कृष्णा नगर दिल्ली।
21	श्री बिजेन्द्र जैन, एडवोकेट, 348 लायस चैम्बर्स, हाई कोर्ट नई दिल्ली।
22.	श्री प्रीत पाल सिंह, साहनी 1439 गोपाल स्ट्रीट, पहाड़ गंज नई दिल्ली।
23.	श्री आर. एन. मित्तल, एडवोकेट, 241, लायर्स चेम्बर्स दिल्ली हाई कोर्ट नई दिल्ली।

क्रम संख्या	नाम और पते
24.	श्री डी. आर शाहएमडी, निरकांरी फ्लोर एंड वेजीटेबल आयल इंडस्ट्रीज, प्राईवेट लिमिटेड जमना हाऊस 10203, पदम सिंह रोड़, करोलबाग, नई दिल्ली.
25.	श्रीमती सुशीला जासानीदास, 3-ए, मान सिंह रोड़ नई दिल्ली.
26.	डा० (कुमारी) सुग़रा, मेंहदी, प्रो० उर्दू विभाग, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, दिल्ली
27.	श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी, एडवोकेट 222 सिद्धार्थ इन्क्लेब, नई दिल्ली।
28.	डा० आर. एल. अरोरा, 2157, रानी बाग, दिल्ली
29.	श्री आर. के. शरीन ब्लू स्टार लिमिटेड नई दिल्ली
30.	श्री केवल पुरी बी-16, ग्रीन पार्क, एक्सटेंशन, नई दिल्ली
31.	श्री जे. डी. शर्मा: ए—14, जी. टी. रोड, झिलमिल इन्डस्ट्रीज एरिया शाहदरा, दिल्ली।
32.	श्री सी. बी. गुप्ता, ई—206, ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली—48.
33.	श्री महेन्द्र पाल शर्मा, 27. पंचकुईया रोड़, नई दिल्ली
34.	श्री जे. आर. जिंदल, 561, जी. टी. रोड, शाहदरा दिल्ली
35.	श्री दिलीप तावड़े, सी—29, नीति बाग, नई दिल्ली.
36.	श्रीमती दोली सिंह, 77/1, कृष्णा नगर, रोड नं० 3 बी—3/91 बी—अपोजिट सफदर जंग इन्क्लेव, नई दिल्ली
37.	श्री महेशवर दयाल, अध्यक्ष, यूनाईटेड़ चैम्बर आफ ट्रेड एशोसियेशन— 5557 कटराराठी अमीर चन्द मार्ग, दिल्ली,

क्रम संख्या	नाम और पते
38.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह, 10158, अब्दुल अजीज रोड, करोलबाग, नई दिल्ली
39.	श्री गुरनाम सिंह, एच—6, अशोक बिहार फेस—1 नई दिल्ली
40.	श्री जय प्रकाश गुप्ता, 7/12 ईस्ट पटेल मार्ग नई दिल्ली.
41.	डा० (श्रीमती) प्रभामनचन्दा, दिल्ली क्लीनिक रिंग रोड, नई दिल्ली.
42.	श्री तेजवन्त सिंह, लीडर आफ पंथिक पार्टी, दिल्ली, एस. जी. पी. सी. दिल्ली.
43.	श्री ओ. पी. शर्राफ, 3—बी, राजेन्द्र पार्क, नई दिल्ली.
44.	डा० सुधीर कुमार सोनी, 31/6 इस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली.
45.	श्री इकबाल भारती, 1307, जीनत महल, फर्रास खाना, दिल्ली.
46.	श्री शैलेश कुमार प्रभाकर, ए—32 सुभद्रा कालोनी, सरायरोहल्ला, दिल्ली.
47.	डा० (प्रो०) सुखबीर सिंह, 6/370, ब्राह्मण गली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली,
48.	श्री बलदेव सिंह, हाऊस नं० 452, पाना उद्यान नरेला, दिल्ली,
49.	श्री टीकले बिंद्रा, 25, रिंग रोड, लाजपत नगर—4, नई दिल्ली,
50.	श्री सुरेश यादव, 69, ज्वाला हरी, पश्चिम बिहार, दिल्ली,
51.	शशि कपिला, 25/16. पंजाबी बाग, एक्सटेशन दिल्ली,
52.	श्री चतर सिंह, 1806, जोर बाग, त्रिनगर, दिल्ली,
53.	श्रीमती निर्मला जैन, सी—5, महारानी बाग, नई दिल्ली,
54.	श्री हारून युसुफ, 2164, फस्ट फ्लोर क्षाटा काले साहिब, गली बल्लीमारन, दिल्ली,

क्रम सं०	नाम और पते
55.	श्री ओ. पी. वासन, के—4, सुजान सिंह पार्क, खान मार्केट, नई दिल्ली,
56.	श्री कजोड़ मल, मकान नं० 409, शिव गली, पंजाबी बाजार, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली—9
57.	जत्थे दार रिछपाल सिंह 516, मुखर्जी नगर, दिल्ली— 9
58.	श्री अच्छे लाल बालमिकी, एक्स—एस. पी. (आर. एस.) वर्किंग प्रेसीडेन्ट, आल इंडिया वाहन की, महासभा, 35 साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली,
59.	श्री प्रावीर वाग्ची, संगठन सचिव, आल इंडिया कांग्रेस सेवा दल (1) 19, लोदी स्टेट, नई दिल्ली.—3
60.	श्री जी. सी. बंसल, शाह भवन, 2 चमेलीयन रोड, दिल्ली—6.
61.	श्री भीष्म कोहली, 6/10, पंत नगर, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली—14.
62.	श्री प्रेम प्रकाश चौहान, प्रेसीडेन्ट, अखिल भारतीय सांस्कृतिक चेतक संस्था, 4212, रामपुरा, लारेंस रोड,—दिल्ली—35.
63.	श्री घनश्याम दास गुप्ता, ए—21, रामा रोड, आर्दश नगर, दिल्ली
64.	श्री विनोद दुखिया, एच—27, अशोक बिहार—दिल्ली
65.	श्री सूरत सिंह यादव, 137, ऋषि नगर, मैन बाजार, रानी बाग, दिल्ली,
66.	श्रीमती एम. सिन्हा, 181, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली,
67.	श्री विनोद सिंघल, दिल्ली,

क्रम सं०	नाम और पते
68.	श्री ब्रजमोहन रावत,—दिल्ली.
69.	श्री जियाउलहक सोज– दिल्ली.
70.	श्री जगजीत सिंह कंधारी, नं० 385, संत नगर, (ईस्ट आफ कैलाश) नई दिल्ली.
71.	श्री कैलाश तुली, 93, कृष्णा स्ट्रीट, पहाड़ गंज, नई दिल्ली.
72.	श्री कृष्णन स्वरूप शर्मा, चेयरमैन, यंग मैन्स वेलफेयर आर्गेनाईजेशन 104, नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली—110001.

विवरण II

दूरसंचार टेलीफोन सलाहकार समिति का कार्य

(अ) दूरसंचार सेवाओं के निष्पादन को मानीटर करना और उनमें सुधार के लिये विभाग को सलाह देना।

(आ) टेलीफोन का प्रयोग करने वाला जनता और दूरसंचार विभाग के मध्य निकट सम्बन्ध स्थापित करना।

(इ) जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी शिकायतों को ठीक प्रकार से प्रस्तुत करके उन पर ध्यान दिया जा रहा है।

(ई) टेलीफोन सेवाओं के उन्नयन और सुधार के लिये विभाग द्वारा की जा रही कारवाही का जनता में व्यापक प्रचार करना।

(उ) टेलीफोन उपस्कारों और लाइनों के अभाव का सामना करने के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने में विभाग की सहायता करना।

(ऊ) "ओ. वाई. टी." तथा गैर ओ. वाई. टी. विशेष'' श्रेणियों के अन्तर्गत दर्ज आवेदकों का प्रतीक्षा सूची का तुलनात्मक प्राथमिकता का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करके नियमानुसार उचित तथा समान आधार पर बिना धारा के कनेक्शन देने का निर्णय लेने में विभाग की सहायता करना।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों का कार्यकरण

3646. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उचित दर की दुकान तथा "सुपर केरासीन आइल" डीलर शिपआबंटित करने का मानदंड क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उचित दर की 90 प्रतिशत दुकानों में रविवार और अन्य छुट्टी के दिन आवश्यक वस्तुएं स्टाक में नहीं होतीं ;

(ग) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सभी दिन हो ;

(घ) क्या सर्किल कर्मचारियों की भी कुछ जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी स्थिति न होने दें ;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(च) दिल्ली में सप्ताह के दौरान दर की दुकानों और "सुपर केरासीन आइल" डीलरों के काम के घंटे क्या हैं ; और

(छ) दिल्ली में हर पखवाड़े खाद्य मदों, चीनी और मिट्टी के तेल की कितनी-कितनी मात्रा का वितरण किया जाता है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में उचित दर की दुकानें तथा सुपीरियर केरोसीन आयल डीलरशिप आबंटित करने के लिए अपनाए गए मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार, सर्किल कर्मचारी रोजाना उचित दर की दुकानों पर विनिर्दिष्ट मदों की उपलभ्यता पर नजर रखते हैं और क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलभ्यता सम्बन्धी रिपोर्ट भेजते हैं। क्षेत्रीय अधिकारी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उचित दर के दुकानधारी समय से मांग-पत्र भेजें, प्राधिकार-पत्र प्राप्त करें तथा भारतीय खाद्य निगम/दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में ड्राफ्ट जमा कराएं। भारतीय खाद्य निगम/दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के स्तर पर विलम्ब के मामले में खाद्य और आपूर्ति अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ मामला उठाते हैं और क्षेत्रीय अधिकारी उपयुक्त स्तर पर अपने अधिकारियों से सम्पर्क करके सप्लाई शीघ्र भिजवाने का प्रयास करते हैं। किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सप्लाई में विलम्ब होने के मामले में क्षेत्रीय निरीक्षक विनिर्दिष्ट मदों को एक उचित दर की दुकान से दूसरी दुकान में अंतरित कर देता है, ताकि वे खाद्य कार्डधारियों को उपलब्ध हो सकें।

(च) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार काम करने के घंटे इस प्रकार हैं : प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से सायं 7.00 बजे तक बुधवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है।

(छ) दिल्ली में प्रति पखवाड़े में खाद्य पदार्थों, चीनी तथा मिट्टी के तेल के वितरण की मात्रा संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण I

प्रत्येक 3,5000 अनाज यूनिटों के लिए एक उचित दर की दुकान तथा 1200 खाद्य कार्डों के लिए एक सुपीरियर केरोसीन आयल डिपो आबंटित किया जाता है। आबंटन के लिए किए गए आवेदन में निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिएं :—

(1) उसका व्यापार परिसर कानूनी अधिकार होना चाहिए।

(2) व्यापार परिसर सामान्यतया निर्धारित आकार का होना चाहिए और भारी वाहनों के वहाँ तक पहुँचने की सुविधा होनी चाहिए।

उचित दर की दुकान 5 मी. × 3 मी. × 3 मी.

सुपीरियर केरोसीन आयल डिपो=4 × 3 × 3 मी.

(3) उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए।

(4) वह इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि विभाग के अनुदेशों के अनुसार व्यापार कर सके।

(5) उसका अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का मौजूदा अथवा रद्द उचित दर की दुकान की दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों में कोई हित नहीं होना चाहिए।

(6) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए किसी आदेश के अन्तर्गत तथा पी. आई. एस. आई. दिल्ली बिक्रीकर अधिनियम या किसी अन्य घोर अपराध के सजा लिए नहीं मिली होनी चाहिए।

(7) आवेदक किसी आटा चक्की अथवा विनिर्दिष्ट मदों से सम्बन्धित अन्य किसी प्रतिष्ठान, का मालिक अहीं होना चाहिए और उचित दर की दुकान के मामले में, दुकान/परिसर के साथ कोई आथा चक्की अथवा इस प्रकार का प्रतिष्ठान नहीं होना चाहिए।

विवरण II

प्रति पखवाड़ा खाद्य मदों तथा चीनी के वितरण की मात्रा इस प्रकार है :—

	गेहूं भोजी कार्ड	चावल भोजी कार्ड
गेहूं :	5 कि. ग्रा. प्रति अनाज यूनिट	2.5 कि. ग्रा. प्रति अनाज यूनिट
चावल :	1.25 कि० ग्रा० प्रति अनाज यूनिट	कि० ग्रा० प्रति अनाज यूनिट
चीनी :	400 ग्राम प्रति चीनी यूनिट	

मिट्टी का तेल जारी करने के मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

(1) एल. पी. जी. प्रयोग करने वाले कार्डधारी—5 लीटर प्रति माह

(2) अन्य कार्डधारी—5 चीनी यूनिटों तक—6 लीटर
6 चीनी यूनिटों तक—7 लीटर
7 चीनी यूनिटों तक—8 लीटर
8 चीनी यूनिटों तक—9 लीटर
9 चीनी यूनिटों तक—10 लीटर
10 व उससे ऊपर यूनिटों तक —11 लीटर

करीमगंज जिले में सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) प्रणाली

3647. **श्री सुदर्शन दास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की करीमगंज जिले में सूक्ष्मतरंग (माइक्रोवेव) प्रणाली का विस्तार करने की कोई योजना है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब से शुरू होने की संभावना है, और

(ग) क्या सरकार की करीमगंज तथा कछार जिलों के लिए इस क्षेत्र के भीतर सभी ट्रंक कालों को स्थानीय कालों के रूप में मानने की स्वीकृति देने हेतु इस क्षेत्र को युनिट "फ्री जोन" के रूप में घोषित करने की योजना है,

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) (क) और (ख) : करीमगंज सिलचर के मध्य यू. एच. एफ रेडियो प्रणाली नवम्बर. 1985 से कार्य कर रही। करीमगंज और सिलचर के मध्यत परियात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यू. एच. एफ. प्रणाली में पर्याप्त क्षमता है। अतः यू. एच. एफ. प्रणाली को नैरो बैंड माइक्रोवेव प्रणाली में बदलने की फिलहाल कोई योजना नही हैं।

(ग) जी नहीं।

अशोक कागज मिल का बन्द होना

3648. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार को विदित है कि असम में "अशोक कागज मिल" वर्ष 1983 से बन्द कर दीगई है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मिल को फिर से चालू करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम (क) : जी हाँ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के परामर्श से वित्तीय संस्थानों द्वारा इस मिल को पुनः खोलने के तरीके निकाले जा रहे हैं । असम स्थित इस मिल के जोगीघोप एकक की पुनर्जीव्यता तथा पुनर्वास की सम्भाव्यता रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये एक सलाहकार के जरिये राज्य सरकार ने प्राप्त कर ली है। मिल के जोगीघोपा तथा रामेश्वर नगर एकक जो क्रमशः असम तथा विहार में स्थित हैं, के देयादेय के विभाजन के प्रश्न पर वित्तीय संस्थानों द्वारा एक रिपोर्ट भी माँगी गई है। सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार के विचार उपलब्ध होने पर ही अशोक पेपर मिल की पुनर्जीव्यता तथा पुनर्वास पर अग्रेतर कार्यवाही करना सम्भव होगा।

[हिन्दी]

ईंधन बचत करने वाले उपकरणों का निर्माण

3649. **श्री शान्ति धारीवाल** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स यूनिवाल्व डिस्ट्रीब्यटर्स कोरपोरेशन, कनाडा ने कारों में स्थापित करने के लिए ईंधन बचत उपकरणों का देश में निर्माण करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कनाडा की इस परीक्षण फर्म ने प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये पैट्रोलियम परिरक्षण अनुसंधान संघ, दिल्ली से सम्पर्क किया था ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह उपकरण परीक्षण में उपयुक्त पाया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का इस फर्म को देश में इस उपकरण का निर्माण करने की अनुमति देने का विचार है?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्यमन्त्री श्री (एम. अरुणाचलम) (क) और (ख) मे. यूनिवाल्व डिस्ट्रीब्यूटर्स कारपोरेशन, कनाडा के सहयोग से कारों के लिए ईंधन बचत उपकरणों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किसी भी भारतीय पार्टी से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मद्रास के मे. एसजे एसोसिएट्स ने मैसर्स यूनिवाल्व डिस्ट्रीब्यूटर्स कारपोरेशन, कनाडा की ओर "यूनीकर्व वाल्वस" की भारतीय परिस्थितियों में जीव्यता प्रमाणित करने की दृष्टि से उसका मूल्यांकन करने के लिए पैट्रोलियम परिरक्षण अनुसंधान संघ से सम्पर्क किया है।

(ग) पैट्रोलियम परिरक्षण अनुसन्धान संघ विदेशी पार्टी के दावों की जांच कर रहा है तथा अभी तक कोई भी परीक्षण तथा मूल्यांकन परिणाम उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(घ) इस मामले में सरकार के किसी दृढ़ विचार को इंगित कर पाना समय पूर्व होगा

[अनुवाद]

छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण

3650. **कुमारी डी. के. तारा देवी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों के लिए उपयोगी छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इस समय एच. एम. टी., आयशर ट्रेक्टर्स लि०, पंजाब ट्रेक्टर्स लि०, एस्कोर्ट्स लिमिटेड, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०, वी. एस. टी. टिलर्स ट्रेक्टर्स लिमिटेड जैसे अधिकांश प्रमुख ट्रेक्टर निर्माता छोटे ट्रेक्टर बना रहे हैं जो कि छोटे किसानों के लिए व्यवहारिक हैं। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार वर्तमान ट्रेक्टर निर्माता अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता के भीतर किसी भी प्रकार के ट्रेक्टरों का निर्माण कर सकते हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के बिजली घरों को कोयले की अतिरिक्त मात्रा में सप्लाई

3651. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सभी तीन प्रमुख बिजली घर कोयला खानों के निकट स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या दो प्रमुख बिजली घरों, सतपुरा ताप बिजली घर, सरनी और कोरबा पश्चिम तट बिजली घर, कोरवा में कोयले की सप्लाई असंतोषजनक है जबकि यह बिजली घर कोयलाखानों के मुहानों पर स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या कोयले की कम सप्लाई एवं घटिया किस्म होने के कारण अधिष्ठापित क्षमता को पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का सतपुरा और कोरवा पश्चिम बिजली घरों को कोयले की

अतिरिक्त मात्रा में सप्लाई के लिए तत्काल व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ताकि ये बिजली घर बिजली का आवश्यक मात्रा में उत्पादन कर सकें तथा उद्योग और कृषि को समुचित बिजली सप्लाई की जा सके : और

(ङ) क्या सरकार का राज्य के प्रमुख बिजली घरों को उनकी आवश्यकतानुसार कोयले की अतिरिक्त मात्रा की सप्लाई करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) कोयले की कमी के कारण सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र (जिसे सरनी ताप विद्युत केन्द्र भी कहा जाता है) तथा कोरबा पश्चिम ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत के उत्पादन में किसी प्रकार की हानि के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। 25-11-1987 को सतपुड़ा और कोरबा पश्चिम ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले का स्टाक क्रमश: 39, 931 और 13,957 टन था। सतपुड़ा केन्द्र का डिजाइन "ई" और "जी" ग्रेड के कोयले के लिए बनाया गया है तथा यह "ई" और "एफ" ग्रेड का कोयला प्राप्त कर रहा है जबकि कोरबा पश्चिम केन्द्र का डिजाइन "एफ" और "जी" ग्रेड के कोयले के लिए बनाया गया है और "जी" ग्रेड का कोयला सप्लाई किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) : कोयले की सप्लाई की स्थिति की समुचित रूप से मानीटरिंग की जा रही है और वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड और साऊथ-इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड से सतपुड़ा और पश्चिम कोरबा केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि की जा रही है। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से भी अनुरोध किया गया है कि इन केन्द्रों के लिए कोयले की अपनी कुल खरीद में वृद्धि करे।

[अनुवाद]

गुजरात को खाद्यान्नों, खाद्य तेल और चीनी का आवंटन

3652. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों का राहत शिविरों में वितरण करने के लिये सूखा-प्रवण राज्यों को इसका कोटा बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान गुजरात को राहत शिविरों और सार्वजनिक वितरण के माध्यम से वितरण करने के लिए कितनी मात्रा और कितने मूल्य के खाद्यान्नों की विभिन्न किस्में, खाद्य तेल और चीनी का आवंटन किया गया ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)

(क) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन तथा सूखा/विपदा राहत के लिए विभिन्न राज्यों को उचित स्तरों पर गेहूं और चावल के आवंटन किए गए हैं।

(ख) : वर्ष 1988 के लिए आवंटन देय नहीं हुए हैं।

भारत द्वारा विदेशों में दूरसंचार उपकरण स्थापित करना

3653. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत किन-किन देशों की दूरसंचार उपकरण स्थापित करने में सहायता कर रहा है,

(ख) कुल कार्य कितना है और इसमें से कितना सरकारी एजेंसियों को दिया गया है तथा कितना भारतीय गैर सरकारी कम्पनियों को दिया गया है, और

(ग) इन कार्यों के कारण कितने भारतीय लोगों को रोजगार मिला है,

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) संचार मंत्रालय फिलहाल टेली-कम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इण्डिया लि० (टी. सी. आई. एल.) के माध्यम से निम्नलिखित देशों में दूर-संचार उपस्करों की संस्थापना करने में सहायता कर रहा है :—

मौजाम्बीक

जिम्बाबवे

यमन अरब गणराज्य

सऊदी अरब

ओमान

कुवैत

(ख) 1986-87 के दौरान टी. सी. आई. एल. ने 47.8 करोड़ रुपये के व्यापार का लक्ष्य प्राप्त किया। इसमें से लगभग 15% टी. सी. आई. एल. द्वारा भारतीय प्राइवेट कम्पनियों को दिए गए सिविल निर्माण कार्य का अंश है।

(ग) टी. सी. आई. एल. द्वारा मार्च, 1987 में विदेशी प्रोजेक्टों पर नियुक्त व्यक्तियों की संख्या लगभग 600 थी। विभिन्न प्रोजेक्टों पर प्राइवेट कम्पनियों ने लगभग 250 व्यक्तियों को नियुक्त किया।

आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले में गैस पर आधारित बिजली संयन्त्र

3655. **श्री श्रीहरि राव :**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले में अथवा गोदावरी वेसिन के निकट गैस पर आधारित एक बिजली संयन्त्र लगाने का जो प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त संयन्त्र के कब तक लगाए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) : आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से 139.14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 150 मेगावाट (6×25 मेगावाट) क्षमता का एक संयुक्त साइकिल गैस टरबाइन संयन्त्र स्थापित करने के सम्बन्ध में संभाव्यता रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई है। इस केन्द्र के लिए प्रस्तावित कार्य-स्थल, नरसापुर शहर के बाहरी हिस्से में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के केन्द्रीय गैस एकत्रणा केन्द्र के निकट है।

प्रस्तावित स्कीम का तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन गैस तथा पानी सहित सभी निवेशों की उपलब्धता के सुनिश्चित होने, कार्यस्थल सम्बन्धी आँकड़े प्राप्त हो जाने और अपेक्षित प्राप्त हो जाने और अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को केन्द्रीय सहायता

3556. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को प्रति वर्ष केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि स्वीकृति की गई ; और

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री श्रीमती सुशीला रोहतगी (क) : अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों तथा नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 से 1986-87 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के लिए स्वीकृत की गई केन्द्रीय ऋण सहायता की कुल राशि लगभग 11.35 करोड़ रुपये है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ रु० में
1984-85	शून्य
1985-86	5.12
1986-87	6.23

(ख) वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को 12.40 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता देने का प्रस्ताव है, जो निम्नानुसार है :—

	करोड़ रु० में
अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइन	0.50
नवीनकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीम	11.90
जोड़	12.40

भारतीय सीमेंट निगम के एककों द्वारा क्षमता का उपयोग

3657 : **चौधरी रहीम खां :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के सभी एककों की गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित क्षमता क्या थी और उनमें कितनी कितनी स्थापित क्षमता का उपयोग किया गया ;

(ख) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के सभी एककों में कितना और कितने मूल्य का भण्डार जमा था ; और

(ग) देश के प्रत्येक एकक की गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक औसत खपत भण्डार और भण्डार का औसत मूल्य क्या है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी. सी. आई. एकक के भण्डार और फालतू पुर्जों की वार्षिक औसत खपत का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है ।

विवरण I

सी० सी० आई० यूनिटों की क्षमता का उपयोग

यूनिट	स्थापित (लाख मी० टन)	(क्षमता उपयोग %) 1986-87	1985-86	1984-85
मांढर	3.80	82.5	94.7	95.3
कुरकुन्ता	2.00	85.3	78.8	91.5
बोकाजन	2.00	82.0	86.5	88.7
राजबन	2.00	72.6	83.0	94.1
नयागांव	4.00	67.4	63.8	81.0
अकलतारा	4.00	65.1	66 0	69.9
एरागुंतल	4.00	58.7	62.5	68.6
चरखी दादरी	1.42	103.0	77.7	104.8
आदिलावाद	4.00	65.4	59.0	58.1
योग	27.22	72.2	72.5	79.7

विवरण II

भण्डार और फालतू पुर्जों की एककवार वस्तु सूची

(लाख रुपये में)

एकक	31-3-87 को
मांढर	220.39
कुरकुन्ता	151.89
बोकाजन	292.72
राजबन	220.85
नयागाँव	245.75
अकलतारा	258.37
एरागुतल	314.54
चरखी दादरी	159.23
आदिलाबाद	389.82
सेन्ट्रल स्टोर अकलतारा	189.14
योग	2442.70

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान भण्डार और फालतू पुर्जों की खपत

	खपत	(लाख रु० में)	
यूनिट	1986-87	1985-86	1984-85
मांडर	201.:3	200.01	174.89
कुरकुन्ता	119.48	103.64	83.45
बोकाजन	152.21	138.70	101.25
राजबन	110.41	127.12	114.66
नयागांव	205.32	177.93	148.23
अकलतारा	293.50	247.06	191.63
एरागुंतल	192.06	160.22	141.23
चरखी दादरी	59.50	48.35	41.19
आदिलाबाद	171.90	207.46	250.32

औषधियों की बिक्री

3658. डा० जी० विजय रामा राव: : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष कितने मूल्य की औषधियों की बिक्री की जाती है और उनमें से कितने मूल्य की औषधियों का आयात किया जाता है किनने मूल्य की औषधियों का देश में ही उत्पादन होता है ;

(ख) स्वदेशी और आयातित औषधियों पर अलग-अलग दूरदर्शन, आकाशवाणी,/समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया जाता है ; और

(ग) भारतीय कंपनियों/बहुराष्ट्रिक कंपनियों के सम्बन्ध में इनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग विभाग में मन्त्री (श्री आ. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) प्रश्न में अपेक्षित ब्यौरों को मानीटर नहीं किया जाता है और इसलिए उपलब्ध नहीं हैं।

शीतल पेयों के लिये फल संसाधन एकक

3659. डा० फूलरेणु गुहा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने शीतल पेयों और अन्य फल उत्पादों को तैयार करने के लिए फलों का इस्तेमाल करने हेतु संसाधन एककों की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान प्रत्येक मद का कितना उत्पादन हुआ ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सरकार ने फल पेय तैयार करने के लिए दिल्ली में एक फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट स्थापित किया था। यह प्लांट अप्रैल, 1982 में माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड (जिसका बाद में नाम बदल कर माडर्न

फूड इंडिस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड कर दिया गया था) को हस्तान्तरित कर दिया गया था। कम्पनी ने इस प्लांट को उसी मास चालू कर दिया था।

(ख) इस प्लांट द्वारा 1984-85 से 1986-87 तक के वर्षों के दौरान तैयार किए गए फल पेयों की प्रत्येक मद के उत्पादन के आंकड़े संलग्न विवरण में दिऐ गए हैं।

विवरण

किस्म	माँग की यूनिट	1984-85	1985-86	1986-87
बोतलों में पैक				
आम	4.8 लीटर की क्रेट	5,09,649	6,40,638	5,97,523
अमरूद	वही	7,669	3,089	3,695
सेव	वही	6,777	1,366	2,331
अनन्नास	वही	12,065	6,065	7,661
नीम्बू	वही	4,118	1,180	2,132
खुली लीटर				
आम	खुली लीटर	2,17,565	54,408	53,464
अमरूद	वही	49,001	7,200	852
सेव	वही	504	479	35
अनन्नास	वही	7,546	2,690	211
लेमन	वही	13,690	2,124	—
संतरा	वही	—	—	1,785
टैंगो-मैंगो	लीटर	—	—	1,426
थैली				
आम	200 कि.ग्रा. की 10 थैलियां	—	5,211	5,050

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड को पुनर्जीवित करना

3660. **श्री सोमजीभाई डामर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड में काफी समय से कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड में नया अध्यक्ष कब तक नियुक्त करने का है ; और

(ग) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड को पुनर्जीवित करने और पुनर्गठित करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ताकि इस संगठन को एक अधिक अर्थक्षम यूनिट बनाया जा सके।

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) नियमित अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के चयन के लिए कार्रवाई पहले से ही आरम्भ कर दी गई है।

(ग) कम्पनी की जीव्यता में सुधार के लिए समुद्र पार परियोजनाओं के दावों और बकायों को पूरा करना कम्पनी को और अधिक क्रयादेश प्राप्त कराने में सहायता करना परियोजनाओं को समय से चलाने के लिए मानीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना, लागत में कमी करना आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में एटा में जनपट में पेट्रोल पम्प खोलना

3661. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एटा जिले में जनपट में पेट्रोल पम्प खोलने की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का जनपट में एक पेट्रोल पम्प आबंटित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कब तक आवेदन पत्र मांगे जायेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) एटा जिले के "जनपट" नामक किसी भी स्थान का तेल उद्योग को पता नहीं लगा है। इस सम्बन्ध में आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्थान के बारे में और जानकारी अर्थात् तालुक, सड़के, माइलस्टोन आदि की आवश्यकता होगी।

डाक और दूरसंचार विभाग में सरकारी आवासों का आबंटन

3662. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन डाक और तार विभाग में दूरसंचार और डाक विभागों का अपना-अपना आवासीय पूल था और सिविल विंग विशिष्ट कोटे के बिना ही दूरसंचार पूल के अन्तर्गत आता था ;

(ख) क्या डाक और तार विभाग के दूरसंचार विभाग में विभाजित होने के बाद पोस्टल सिविल विंग के कर्मचारी डाक और दूरसंचार दोनों विभागों के आवासीय कोटे के वंचित कर दिये गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) डाक और तार विभाग के विभाजन के बाद पोस्टल सिविल विंग के कर्मचारियों को श्रेणीवार कितने-कितने सरकारी आवास आबंटित किए गए हैं ; और

(ङ) सरकारी आवासों के आबंटन के मामले में पोस्टल सिविल विंग के कर्मचारियों को किस पूल में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ;

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ङ) डाक विभाग के सिविल विंग स्टाफ को क्वार्टरों के आवंटन हेतु डाक पूल में शामिल करने के बारे में पहले ही आदेश जारी कर दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों में गोदामों की स्थापना

3663. **श्री वी. एस. विजयराघवन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विभिन्न राज्यों में और अधिक गोदाम स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो केरल में कितने गोदामों का निर्माण किया जायेगा ; और

(ग) इन गोदामों का निर्माण किन स्थानों पर किया जायेगा तथा इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का केरल में निम्नलिखित केन्द्रों में खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए गोदामों का निर्माण करने का विचार है :—

1. थिक्कोडी
2. नीलेश्वर
3. मवेलीकारा
4. करुणागापल्ली
5. त्रिचूर
6. तिरूर
7. तिरूवल्ला
8. शेरतलाई

इन गोदामों को पूरा क... के लिए समय सूची कुछेक केन्द्रों में उपयुक्त भूमि की उपलब्धता और वर्तमान सूखे की स्थिति की दृष्टि में सरकार द्वारा नये कार्यों को शुरू करने के लिए लगाए गए प्रतिबन्धों को हटाने पर निर्भर करेगी।

टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने में समय लगना

3664. **श्री पी. जे. कुरियन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इस समय किसी व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने में औसतन कितना समय लगता है ;

(ख) क्या भविष्य में आवेदन करने की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर टेलीफ़ोन कनेक्शन उपलब्ध कराना सम्भव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) एक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में औसतन दो से तीन वर्ष का समय लग जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में स्थापित किये गये भारी उद्योग

3665. **श्री चरणजीत सिंह वालिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1947 से अब तक, राज्यवार, कितने भारी उद्योग एककों की स्थापना की गई है ;

(ख) वर्ष 1947 से अब तक पंजाब में कितने भारी उद्योग एकक स्थापित किये गये हैं ;

(ग) पंजाब में ये एकक कम संख्या में स्थापित किये जाने के क्या कारण है ; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा पंजाब में प्रस्तावित एककों की स्थापना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास के विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) मार्च; 1986 के अन्त तक पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में कुल ब्लाकों के रूप में केन्द्रीय निवेशों की राशि को दर्शाने वाला **एक विवरण संलग्न है** ताकि निवेशों की मात्रा और वितरण तथा उसमें हुई वृद्धि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके। वर्ष 1947 से अब तक निवेशों के सम्बन्ध में राज्य-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। केन्द्र सरकार के उद्यमों के स्थापना-स्थल का निर्णय करते समय क्षेत्रों के पिछड़ेपन पर यथोचित विचार किया जाता है। तथापि, यह तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता की सर्वोपरि विचारणाओं के अधीन है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कुल ब्लाक (करोड़ रु० में) 1985-86
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5270.50
2.	असम	3011.03
3.	बिहार	6308.84
4.	गुजरात	2400.29
5.	हरियाणा	542 69
6.	हिमाचल प्रदेश	326.16
7.	जम्मू और कश्मीर	83.73

1	2	3
8.	कर्नाटक	1542.14
9.	केरल	920.48
10.	मध्य प्रदेश	6833.06
11.	महाराष्ट्र	8961.26
12.	मणिपुर	137.61
13.	मेघालय	2.66
14.	नागालैण्ड	75.92
15.	उड़ीसा	4070.72
16.	पंजाब	594.46
17.	राजस्थान	715.44
18.	तमिलनाडु	2943.45
19.	त्रिपुरा	123.73
20.	उत्तर प्रदेश	3192 14
21.	पश्चिम बंगाल	3691.96
22.	अण्डमान और निकोबार	12.18
23.	चण्डीगढ़	30.63
24.	दिल्ली	1537.81
25.	गोवा	27.50
26.	पाण्डिचेरी	5.93
27.	अन्य और असंगृहीत	2933.08
	योग :	56865.30

उत्तर प्रदेश में विद्युत संयंत्रों की क्षमता

3666. **श्री सलीम आई. शेरवानी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थित परमाणु पन बिजली और ताप विद्युत संयंत्रों सहित विभिन्न विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या इन सभी संयंत्रों में पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन हो रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन विद्युत संयंत्रों में पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन किया जाये क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) प्रदेश में प्रचालनाधीन विद्युत केन्द्रों के नाम व उनकी क्षमता संलग्न विवरण I में दिए गये हैं।

(ख) और (ग) जल विद्युत केन्द्रों से विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अप्रैल से अक्तूबर, 1987 के दौरान उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात संलग्न विवरण II में दिया गया है। ताप विद्युत केन्द्रों का समुपयोजन विभिन्न पहलुओं यथा जबरन बन्दी तथा नियोजित अनुरक्षण के कारण संयंत्र का उपलब्ध न होना, प्रणालीगत भार सम्बन्धी परिस्थितियाँ, यूनिट की आयु आदि पर निर्भर करता है।

(घ) उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिये उठाए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं; पनकी, ओबरा तथा हरदुआगंज ताप विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, बेहतर संयंत्र सम्बन्धी कार्यक्रमों के साथ-साथ फुटकर पुर्जे प्राप्त करने में राज्य बिजली बोर्ड की सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला कोयला पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना आदि।

विवरण I

24-11-1987 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के विद्युत उत्पादन यूनिटों के नाम तथा उनकी क्षमता

केन्द्र	क्षमता (मेगावाट)
ताप विद्युत	
ओबरा	1550·0
पनकी	284·0
आर. पी. एच. (कानपुर)	65.0
हरदुआगंज "क"	90.0
हरदुआगंज "ख"	450.0
परीछा	220.0
अनपारा	420.0
अन्य	33.5
जोड़ उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (ताप विद्युत)	3112.5
सिंगरौली (रा. ता. वि. नि.)	2050.0
जोड़ उत्तर प्रदेश (ताप विद्युत)	5162.5
जल विद्युत :	
रिहन्द	300.0
ओबरा	99.0
राम गंगा	198.0

केन्द्र	क्षमता (मेगावाट)
माताटीला	30.0
खातिमा	41.4
गंगा नहर	45.2
धकरानी	33.0
धालीपुर	51.0
कुलहल	30.0
छिबरो	240.0
खोदरी	120.0
चिल्ला	144.0
मुनेरी भाली	90.0
जोड़ उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (जल विद्युत)	1422.4
जोड़ उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (ताप विद्युत+जल विद्युत)	4524.9
जोड़ उत्तर प्रदेश (ताप विद्युत+जल विद्युत)	6584.9

विवरण II

अप्रैल से अक्तूबर, 1987 के दौरान उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात

केन्द्रों का नाम	संयंत्र भार अनुपात (%)
उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड :	
ओबरा	49.6
पनकी	26.7
हरदुआगंज क	37.6
हरदुआगंज ख ब ग	43.1
परीच्छा	26.2
अनपारा	51.0
जोड़ उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	44.5
सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र	78.4
जोड़ उत्तर प्रदेश	55.7

उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस के लिये एजेंसियां

3667 : **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में खाना पकाने की गैस की वर्तमान एजेंसियां पर्याप्त हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो 31 अक्तूबर, 1987 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक जिले में इनकी अपर्याप्तता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हमीरपुर में खाना पकाने की गैस की वर्तमान एजेंसियों की संख्या पर्याप्त होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार का खाना पकाने की गैस की कुछ नई एजेंसियां खोलने का प्रस्ताव है ;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) (क) और (ख) : तेल उद्योग उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए अपनी एल. पी. जी. विपणन योजना बनाने से पूर्व प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध सभाव्यता की समीक्षा करता है और निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप कस्बों/शहरों को अपनी विपणन योजनाओं में शामिल करता है। वर्तमान एल. पी. जी. वितरणशिपों तथा विभिन्न विपणन योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित वितरणशिपों को देखते हुए यह आशा है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में वितरणशिपें पर्याप्त होंगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) से (छ) : हमीरपुर जिले में कार्य कर रही दो एल. पी. जी. वितरणशिपें—एक हमीरपुर में तथा दूसरी रथ में, के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर एल. पी. जी. वितरणशिप खोलने के लिए पर्याप्त तत्व मौजूद नहीं हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये आन्ध्र प्रदेश

दो आसान शर्तों पर ऋण

3668. **श्री एस. पलाकोंड्रायडू :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित दर की दुकानें खोलने के लिए तीन वर्षों के दौरान आसान शर्तों पर कितनी धनराशि के ऋण और अन्य अनुदान दिये गये हैं ;

(ख) क्या आगामी वित्त वर्ष से आसान शर्तों पर दिये जाने वाले ऋणों और अन्य अनुदानों की राशि बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) : गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश को उचित दर की दुकानों के रूप में चलाने के लिए 8 मोबाइल वैनें क्रय करने हेतु 18.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। आगामी वित्तीय वर्ष के

दौरान आन्ध्र प्रदेश को मंजूर किया जाने वाला ऋण राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों तथा धन की उपलभ्यता पर निर्भर करेगा।

आंध्र प्रदेश में चावल की खरीद

3669. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के लिए क्या सामान्य खरीन लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसी अवधि के दौरान इसमें से सार्वजनिक वितरण के लिए उक्त राज्य को कितना चावल जारी किया गया ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) :

(क) विपणन वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर)	वसूल की गई चावल की मात्रा (चावल के हिसाब से धान सहित) (लाख मीटरी टन में)
1984-85	19.89
1985-86	15.73
1986-87	14.68
1987-88 (31-10-87 तक)	0.03

(ख) चावल की वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। केन्द्रीय पूल के लिए राज्य सामान्यता वर्ष में 15 लाख मीटरी टन के आसपास वसूली होने का अनुमान है।

आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय पूल से चावल का आबंटन निम्नानुसार किया गया है :—

वर्ष (पहली नवम्बर से 31 अक्तूबर)	आबंटित किए चावल की मात्रा (लाख मीटरी टन)
1988-45	10.75
1985-86	11.50
1986-87	11.60

कलकत्ता में टेलीफोनों के काम न करने के बारे में शिकायतें

3670. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेली फोन्स के "45" और "49" एक्सचेंज से जुड़े अनेक टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने अपने टेलीफोनों के पिछले दो या तीन महीने से अधिक समय से काम न करने के बारे में कई बार शिकायतें की हैं ?

(ख) क्या एक्सचेंज के टेलीफोन कर्मचारी खराबियों को दूर करने के मामले में कथित रूप से कदाचार में लिप्त हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इन एक्सचेंजों के उन टेलीफोन नम्बरों का ब्यौरा क्या है जो महीने से अधिक समय से खराब है और काम नहीं कर रहे हैं, और

(घ) कलकत्ता टेलीफोन्स के इन एक्सचेंजों की मरम्मत करने और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव : (क) जी नहीं

(ख) जी नहीं

(ग) केवल निम्नलिखित 18 नम्बर खराब हैं :—

(1) 45-3562		(2) 49-2254	
45-6953		49-2977	केवल तीन
45-6042		49-1619	
45-3819			
45-6901			
45-7100			
45-9375			
45-6872			
45-5502			
45-8508			
45-0854			
45-5706			
45-3483	केवल पन्द्रह		
45-7562			
45-0114			

(घ) निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) लम्बे समय से पड़े सभी दोषों को नवम्बर के आखिर तक सुधारने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है।

(2) 45 स्ट्रोजर के स्ट्रोजर डायरेक्टरों को बदलने के लिए अभी हाल ही में 200 इलैक्ट्रानिक डायरेक्टरों की स्थापना की गई है।

(3) 45 स्ट्रोजर (9900 लाइनें) एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने के दूरसंचार बोर्ड ने मंजूरी दे दी है इस पर कार्यवाही की जा रही है।

ब्रिकेटिंग संयन्त्रों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रौद्योगिकी

3671 श्री नरसिंह सूर्य वंशी : ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैरपरम्परागत ऊर्जा स्रोत निदेशालय के अनुरोध पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा देश मे ब्रिकेट यूनिटों के स्तर के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि डिजाइन और ले आउट-प्रणाली का पूरी तरह परीक्षण किये बिना और प्रणाली की यान्त्रिक विश्वसनीयता की समुचित

जांच किये बिना ही लगता है प्रौद्योगिकी का वाणिज्यकरण कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप स्थापित किये गये लगभग 70 संयन्त्रों में से एक भी संयन्त्र निरन्तर अथवा सन्तोषजनक रूप से काम करता नहीं पाया गया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) : जी हां, इसका सम्बन्ध उस प्रौद्योगिकी से है जिसका कि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के हवाले के बिना सीधे ही आई० आई० टी० द्वारा वाणिज्यिक-करण किया गया है ।

(ख) कृषि-अपशिष्टों के प्रयोग के उत्तम तकनीकी विधियों का निर्णय करने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग अन्य तरीकों के अतिरिक्त ब्रिकेटिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसन्धान और विकास प्रायोगिक संयन्त्र की एक कार्यप्रणाली पर कार्य कर रहा है । इस प्रौद्योगिकी के अनुसन्धान तथा विकास प्रायोगिक संयन्त्र की स्थापना का संशोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत निरीक्षण किया जाना है । डिजाइन इंजीनियरिंग, स्थापना शुरू करना तथा मूल्यांकन से सम्बन्धित गतिविधियों को अनुसन्धान तथा विकास प्रायोगिक संयन्त्र के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा ।

सरकारी क्षेत्र के निगमों द्वारा चाय-पान पर व्यय करना

3672. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के नियमों और उपक्रमों द्वारा औपचारिक चाय-पान पर वर्ष 1986-87 के दौरान उपक्रम वार कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) सम्बन्धित मन्त्रियों के निवास पर चाय-पान पर खर्च किया गया धन यदि उपयुंक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यय में शामिल किया गया है तो वह कितना है ;

(ग) ऐसे आयोजनों में चाय-पान पर कितनी धनशाशि खर्च की गई जिन में सम्बन्धित मन्त्री अतिथि थे ; और

(घ) उपयुंक्त भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित व्यय का यूनिट-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) मौजूदा अनुदेशों के अधीन सरकारी उद्यमों को सरकारी आतिथ्य-सत्कार पर खर्च करने के लिये अपने वार्षिक बजट में व्यवस्था करने के लिये प्राधिकृत किया गया है । आतिथ्य-सत्कार पर खर्च करने के नियमों उन अधिकारियों का स्तर, जिन्हें ऐसा खर्च करने की शक्तियां प्राप्त हैं, को भी उनके निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किया जाता है । 1986-87 के दौरान सरकारी उद्यमों द्वारा सरकारी आतिथ्य पर किये गये खर्च, मन्त्रियों आदि के आवास पर आतिथ्य सरकार के खर्च के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । इस जानकारी को एकत्र करने में जितना प्रयास करना होगा; उसकी अपेक्षा प्राप्तव्य परिणाम उसके अनुरूप सिद्ध नहीं होंगे ।

नमक उद्योग में संकट

3673 : **श्री रेणुपददास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अब तक खाये जाने वाले नमक का राज्यवार कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया तथा वितरण किया गया ;

(ख) नमक की उत्पादन लागत, औसत भाड़ा-भार तथा बिक्री मूल्य सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि इस उद्योग में कोई संकट नहीं है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1985, 1986 तथा 1987 (30 सितम्बर तक) के दौरान नमक के उत्पादन तथा खाद्य नमक के वितरण का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः विवरण I तथा II में संलग्न है ।

(ख) नमक की उत्पादन लागत स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न होती है जो कार्य के स्थान तथा नमक की गुणवत्ता पर निर्भर करती है । उदाहरण के तौर पर गुजरात में यह 35 रु० से 50 रु० प्रति मी० टन के बीच में है जबकि पश्चिम बंगाल में यह 160 रु० मी० टन से भी अधिक है । रेल द्वारा औसतन भाड़ा लागत लगभग 250 रु० प्रति मी० टन है । बोरियों की लागत को छोड़कर, कारखाने से निकलते समय, नमक का औसतन रेल भाड़ा मुक्त विक्रय मूल्य 80 रु० प्रति मी० टन है ।

(ग) वर्तमान सूखे की परिस्थितियों के कारण सभी प्रमुख नमक उत्पादन केन्द्रों में अधिक उत्पादन के कारण नमक का स्टाक जमा हो गया है । नमक भण्डारों का कम करने के लिये घरेलू तथा निर्यात मांग को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा किये गये कुछ उपाय, ये हैं :—

(1) सोडा ऐश/कास्टिक सोड़ा के उत्पादन के लिये नये औद्योगिक एककों को लायसेंस दिये गये हैं । नमक की खपत बढ़ाने के लिये विद्यमान एककों को अपना उत्पादन अधिकतम सीमा तक बढ़ाने की सलाह दी गई है ।

(2) नमक निर्माण के लिये भूमि के नये आबंटन को दो वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया है ।

(3) सामान्य नमक के निर्यात का विभागीकरण (डिकेनेलाइज) करके इसे खुले सामान्य लायसेंस के अन्तर्गत लिया गया है ।

विवरण I

(आंकड़े हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य नाम	1985	1986	वर्ष में नमक का उत्पादन (1987 सितम्बर तक)
1.	गुजरात	6281.5	6600.9	6054.7
2.	तमिलनाडु	1558.0	1706.5	1269.8
3.	राजस्थान	1073.8	917.7	647.3
4.	महाराष्ट्र	445.7	384.9	378.4
5.	आन्ध्र प्रदेश	377.3	397.2	361.2
6.	उड़ीसा	86.8	64.4	51.5

7.	कर्नाटक	28.2	24.3	26.1
8.	पश्चिम बंगाल	14.5	13.7	10.1
9.	हिमाचल प्रदेश	4.0	1.7	—
10.	दीव और दमण	4.4	3.9	3.4
11.	पांडिचेरी	0.7	0.3	0.1
	कुल योग	9874.9	10115.5	8802.9
	नमक स्टाक	4744.1	6346.1	9155.1

विवरण II

(आंकड़े हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष के दौरान नमक का विवरण 1985	1986	1987 (सितम्बर तक)	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आन्ध्रप्रदेश	220.9	240.5	158.6	
2.	अंडमान निकोबार	—	0.1	0.1	
3.	असम	156.6	130.2	95.6	
4.	बिहार	503.2	481.0	304.4	
5.	गुजरात	290.8	328.1	394.9	
6.	दिल्ली	159.2	162.6	126.0	
7.	पश्चिमी बंगाल	403.1	425.3	287.3	
8.	गोवा	1.3	1.4	0.6	
9.	केरल	150.9	156.7	89.1	
10.	मध्य प्रदेश	261.5	245.4	152.1	
11.	महाराष्ट्र	347.3	311i0	321.5	
12.	तमिलनाडु	357.5	423.9	282.8	
13.	कर्नाटक	235.6	195.7	152.7	
14.	उड़ीसा	199.6	208.2	138.9	
15.	राजस्थान	126.6	132.2	99.0	
16.	पंजाब	15.7	21.7	21.1	

1	2	3	4	5	6
17.	उत्तर प्रदेश	606.4	670.6	438.4	
18.	हरियाणा	27.5	42.3	28.6	
19.	त्रिपुरा	18.0	16.6	7.8	
20.	मेघालय	9.9	9.0	3.3	
21.	मिजोरम	3.7	—	—	
22.	सिक्किम	3.2	4.6	2.3	
23.	पांडिचेरी	0.7	0.5	0.2	
24.	मणिपुर	6.0	11.8	4.4	
25.	अरुणाचल प्रदेश	4.6	1.7	2.3	
26.	नागालैंड	12.1	4.1	4.4	
27.	जम्मू तथा कश्मीर	5.7	14.4	8.9	
28.	चंडीगढ़	1.5	1.8	3.6	
29.	हिमाचल प्रदेश	7.9	5.0	3.1	
30.	रक्षा	5.8	5.5	6.1	
31.	दादर नगर हवेली	—	—	—	
32.	लक्षदीप	—	—	—	
	योग :	4142.8	4252.0	3138.3	

स्मारक टिकटें जारी करना

3674. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के महान सपूतों अर्थात (एक) श्री सी. वी. रमण, विख्यात वैज्ञानिक (दो) डा० एस. राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति और (तीन) श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मन्त्री की जन्म शताब्दियों के उपलक्ष्य में स्मारक टिकटें जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ये स्मारक टिकटें किन-किन तारीखों को जारी की जायेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई निर्णय लिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सरकार ने श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म शताब्दी के अवसर पर डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। श्री राधाकृष्णन और सी. वी. रमण के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। फिर भी, डा० एस. राधाकृष्णन और डा० सी. वी. रमण पर क्रमशः 15 और 20 पैसे के मूल्य-वर्ग में एक-एक डाक-टिकट 5-9-1967 तथा 21-11-71 को जारी की गई थी।

(ख) और (ग) मौलाना अबुल कलाम आजाद पर एक डाक-टिकट 1988 या 1989 के दौरान जारी करने का प्रस्ताव है।

डा० एस. राधाकृष्णन और डा० सी. वी. रमण के सम्बन्ध में प्रस्ताव फिलैटली सलाहकार समिति के विचारार्थ इसकी आगामी बैठक में रखे जायेंगे।

हिमाचल प्रदेश में चम्बा जिले के किल्लर क्षेत्र को डाक में बांटना

3675. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में चम्बा जिले के किल्लर क्षेत्र में 8 अक्तूबर, 1987 के पश्चात डाक न पहुंचने के कारण एक महीने से डाक नहीं बांटी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि के क्या कारण हैं तथा वहां पर नियमित रूप से डाक वितरण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क)और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करना

3676. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री दूरसंचार में सुधार के लिये योजनाओं के बारे में 25 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1452 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना की आधी अवधि (30 सितम्बर, 1987 तक) में डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली वास्तव में कितने किलोमीटर दूरी तक स्थापित की गई और योजना में प्रस्तावित इकहत्तर हजार लाइनों में से इस अवधि के दौरान डिजीटल एक्सचेंज की कितनी लाइनें चालू की गईं ; और

(ख) 30 सितम्बर, 1987 तक चालू और स्थापित लाइनों का सर्किल-वार ब्यौरा क्या है और योजना की शेष अवधि में लाइनें स्थापित किये जाने और चालू किये जाने के लिये जिन कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है उनकी रूपरेखा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सातवीं योजना के पूर्वार्द्ध के दौरान डिजीटल माइक्रोवेव प्रणाली की 400 रूट कि० मी० चालू हो चुके हैं। उसी अवधि में डिजीटल एक्सचेंजों की 90200 लाइनें भी चालू हो चुकी हैं।

(ख) (i) सातवीं योजना में 30-9-87 तक चालू किए गए डिजीटल माइक्रोवेव रूटों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ii) सातवीं योजना के उत्तरार्द्ध में संस्थापना और चालू करने के लिए स्वीकृत डिजीटल माइक्रोवेव प्रणालियों के ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

(iii) 30-9-87 तक चालू किए गए स्थानीय डिजीटल एक्सचेंजों के ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

(iv) सातवीं योजना के उतरार्द्ध के दौरान चालू किए जाने वाले डिजीटल एक्सचेंजों के ब्यौरे संलग्न विवरण IV में दिए गए हैं।

विवरण I

30-9-1987 तक सातवीं योजना के पूर्वार्द्ध में चालू किए गए माइक्रोवे मार्गों का ब्यौरा :—

	मार्ग	किलोमीटर	दिनांक
1. महाराष्ट्र राज्य			
प्रभादेवी कल्वा	—	31	1-11-1985
न्यू बम्बई	—		
2. कर्नाटक राज्य			
बेंगलूर-हुसन	—	180	20-1-1986
हुसन-चिकमंगलूर	—	60	20-10-1986
3. गुजरात राज्य			
जामनगर-गांधीधाम	—	90	23-3-1987
4. पश्चिम बंगाल राज्य			
कलकत्ता टी. वी.—57	—	7	24-2-1987
कलकत्ता 77—47	—	6	22-7-1987
कलकत्ता 58—52	—	8	22-6-1987
कलकत्ता टीवी—52	—	6	12-6-1986
कलकत्ता 47—72	—	4	25-6-1987
5. दिल्ली राज्य			
लक्ष्मीनगर—नौएडा	—	8	2-9-1987
		400 कि० मी०	

विवरण II

सातवीं योजना के उत्तरार्द्ध में संस्थापना और चालू करने के लिए स्वीकृत डिजीटल माइक्रोवेव योजनाओं का ब्यौरा।

उत्तरी परियोजना सर्किल

1. मनसूरी-देहरादून
2. बैरेली-पीलीभीत-नैनीताल (बदलना)
3. आगरा-फिरोजाबाद
4. " -मैनपुरी
5. जालन्धर-कपूरथला
6. जोधपुर-नागौर
7. शिमला-मन्डी (बदलना)
8. ग्वालियर-मुरैना
9. नई दिल्ली-गुड़गाँवा (बदलना)
10. " -रीवाड़ी (बदलना)

	11. नई दिल्ली-सोनीपत (बदलना)
	12. मसूरी-मुजफ्फर नगर (बदलना)
	13. रीवाड़ी-अलवर (बदलना)
पूर्वी परियोजना क्षेत्र	1. रायपुर-धमतरी-जगदलपुर
	2. राजकोट-मोरवी
	3. अहमदाबाद-गांधीनगर (बदलना)
	4. इन्दौर-उज्जैन
	5. पंजीम-मारगांव "
	6. कादला-भुज "
	7. जबलपुर-नरसिंहपुर
	8. पूना-बारामती-फालटोन
	9. पूना-रतनगिरि
	10. राजकोट-जूनागढ़ मानवदर
	11. भावनगर-वाटोड
	12. बम्बई-पंजीम (चेंनज से जोड़ा गया)
	13. धूलिया-नागपुर (")
	14. नागपुर-रायपुर-सगबलपुर (चेंनल से जोड़ा गया)
	15. रायपुर-दुर्ग. (बदलना)
	16. मानवदर-पोरबन्दर (बदलना)
	17. मानवदर-बरबल (बदलना)
दक्षिणी परियोजना सर्किल	1. चिकमंगलूर-शिमोगा
	2. मंगलौर-बंगलौर
	3. हैदराबाद-वारंगल (बदलना)
	4. कोडियाकनाल-थेनी (बदलना)
	5. विजयवाड़ा-तेनाली (बदलना)
	6. मद्रास-पंजीम (बम्बई) (चेंनल से जोड़ा)
	7. कोयम्बटूर-कोडारकनाल (बदलना)
	8. हसान-अर्सेकेरे
	9. कालीकट-कन्नानोर (बदलना)
	10. वेलगांम-गुन्टेकल
	11. तेनाली-गुन्टूर (बदलना)

12. कालीकट-कोयम्बटूर (बदलना)
13. मसूरी-उटी (बदलना)
14. त्रिरूनेलवेली-कोट्टायाम
15. तडेपालीगुडम-पल्लाडी-भिमावारम.

पूर्वी परियोजना सर्किल :

1. लखनऊ-बाराबंकी—फिरोजाबाद—गोंडा
2. आसनसोल-सिघार्सी
3. कटक-भूनेश्वर
4. दार्जलिंग-गंगटोक
5. बोलानगिरि-संवलपुर
6. संबलपुर-राहुरकेला (बदलना)
7. कालीकट-सम्बलपुर (चेंनल से जोड़ा)
8. सम्बलपुर-नागपुर (चेंनल से जोड़ा)
9. लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद
10. मुजफ्फरपुर-समंस्तीपुर (बदलना)
11. रायगढ़-समबलपुर (बदलना)
12. मुजफ्फरपुर-दरभंगा (बदलना)
13. धनबाद-बोकारो (बदलना)
14. सिलचार-आइजवाल (बदलना)

उत्तरी-पूर्वी परियोजना सर्किल

1. जोरहाट-कोहिमा-इम्फाल
2. जोरहाट-उत्तरी लखीमपुर

जंगशन कार्य के लिए कलकत्ता टेलीफोन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में चालू करने के लिए डिलीटल माइक्रोवेव प्रणालियां।

1. टीवीजैड़-शिवपोर
2. टीवीजैड़-कालीघाट
3. टीवीजैड़-कोसीपोर
4. टी. भावन-कोसीपोर
5. वेहला-ब्रिज-ब्रिज
6. दम-दम-बरसात
7. शिवपोर-अन्दुल
8. शेरामपोर-चिनसूरा
9. टीवीजैड-सेरामपुर

10. चन्दननगर-टी-रिवेनी
11. टी. भावन-एयरपोट
12. टी. बी. जड़ दंम-दंम एक्सचेंज
13. टी. भावन-बल्लीगु ंगे
14. टीवीजेंड़-बल्लीगु ंगे
15. टी. भावन-अलीपोर

जंगशन कार्य के लिए मद्रास टेलीफोन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में चालू करने के लिए डिजीटल माइक्रोवेव प्रणालियां।

1. करोमपेट-अशोकनगर
2. नु ंगामवक्कम-अन्ना नगर
3. " मण्डावेली
4. एवाडी-एक्वेट्टूर
5. अनन्नानगर-एम्बेट्टूर
6. सैम्दूल-अन्नानगर
7. " -मन्डावेली
8. अशोकनगर-नु ंगामवक्कम

जंकशन कार्य के लिए दिल्ली टेलीफोन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में चालू करने के लिए डिजीटल माइक्रोवेव प्रणालियाँ

1. जनपथ-पालम
2. जनपथ-शाहदरा (एस)
3. जनपथ-शक्तिनगर
4. वाडली-शक्तिनगर
5. शक्तिनगर-अलीपुर
6. शक्तिनगर-नरेला
7. जनपथ-राजौरी गार्डन
8. नजफगढ़-राजौरी गार्डन
9. गाजियाबाद-शाहदरा (एस)

बम्बई जंकशन कार्य के लिए बम्बई टेलीफोन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में चालू करने के लिए डिजीटल माइक्रोवेव प्रणालियां

1. प्रभोदेवी-आरेय
2. मलाड-कन्डीवीली

3. आरेय-गोरेगांव

4. आरेय-मलाड

5. बोरीवली-हिल-गोरेगांव

6. आरेय-मुलाड

7. मलावार-हिल-विलपारले

8. मनखुण्ड-मुलुण्ड

9. कोडीवीली-वोरीवली

10. मलावार-हिल-फाउनटेन)

11. मनखुन्ड-तुरभे

12 प्रभादेवी-मनखुण्ड

13. विलपारले-गोरेगांव

विवरण III

30-9-1987 तक चालू किए गये डिजिटल स्थानीय एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	स्टेशन का नाम	लाइनें
1	2	3	4
1.	गुजरात	अहमदाबाद	8000
		अहमदाबाद (रेलवे पुरा)	10000
2.	आंध्र प्रदेश	अरनूर	400
		कोठागुदम	600
		रामचन्द्रपुरम	400
		सिकन्दाबाद	1000
		हैदराबाद (सैफावाद)	10000
3.	कर्नाटक	वाजपे	400
		येलवाल	400
		बेंगलूर (मालेश्वरम्)	4000
4.	मध्य प्रदेश	धार	400
		बालाघाट	600
		गुना	600
		शिवपुरी	600
5.	आसाम	हाफलंग	600
6.	मिजोरम	लुंगलई	400

1	2	3	4
7.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	400
		कुल्लु	600
8.	पंजाब	पठानकोट	3000
9.	उड़ीसा	क्योंझर	600
		धेनकनाल	600
		छत्तरपुर	400
10.	राजस्थान	श्री गंगानगर	3000
		डूंगरपुर	400
		टोंक	400
		झुनझुनू	600
11.	उत्तर प्रदेश	कानपुर (लाजपत नगर)	10000
		पिथौरागढ़	400
		उरई	400
		सुलतान पुर	600
		रानीखेत	400
12.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता सेंट्रल-I	10000
		सेंतिया	400
		कलकत्ता सेंट्रल-II	10000
		कलकत्ता टेलीफोन भवन	10000
13.	केरल	एस. एल. पुरम (वेंकम)	400
		कोचीन	400
		कलपेट्टा	600
		मन्नार	400
14.	तमिलनाडु	ताम्बरम्	400
		मद्रास (फ्लोवर बाजार)	10000
15.	महाराष्ट्र	बम्बई (खार)	5000
		बम्बई (मारोल)	10000
		बम्बई (कूपरेज)	10000
		बम्बई (बडाला)	10000
		बम्बई (वोरली)	10000
		बम्बई (घाटकोपर)	5000

1	2	3	4
16.	दिल्ली	राजौरी गार्डन	12400
		शक्ति नगर	12400
		लक्ष्मीनगर	15000
		ओखला	11000
		नेहरू प्लेस	1000
		इन्दिरा गांधी हवाई अड्डा	500

विवरण IV

· सातवीं योजना के शेष आधी अवधि के दौरान चालू किए जाने वाले डिजीटल एक्सचेंजों का ब्योरा।

क्र० सं०		स्टेशन	लाइनें
1.	आंध्र प्रदेश	भद्राचलम	500
		टाडीपाटसी	700
		हैदराबाद (सिकन्दराबाद-4)	90000
		हैदराबाद (सरफाबाद एक्सपन)	6000
		हैदराबाद (सिकन्दराबाद) आर. एल. यू. एट. जीडीनेटला	1000
		विशाखापत्तनम	5000
2.	बिहार	गुलाब बाग	400
		सीतामाढ़ी	800
		डुमका	400
		हाजीपुर	400
		मधुबनी	400
		नवादा	400
		पूर्णिया	600
3.	कर्नाटक	जामखंडी	500
		कुमता	500
		टाइस्टर	1000
		(बंगलौर (मालेश्वरम-2	6000

क्रम संख्या		स्टेशन	लाइनें
		बंगलौर (मालेश्वरम-एक्सपन)	3000
		बंगलौर शहर-1	10000
		बंगलौर-उलसूर	4000
4.	मध्य प्रदेश	झाबुआ	400
		रीवा	1200
		सिधी	400
		पेठामपुर (धार)	400
		छिंदवाड़ा	1000
		जगदलपुर	800
		बेतुल	400
		डाटिया	400
		खारगोन	400
		मांडला	400
		शाजापुर	400
		टिकमगढ़	400
		अंबिकापुर	600
		भिंड	600
		भोपाल	4000
		भोपाल एक्सपेंशन	4000
		रायपुर	3000
		रायपुर एक्सपेंशन	3000
5.	महाराष्ट्र	परवानगर	400
		माहद	500
		मानमंद	600
		धातव	400
		गढ़चिरोली	400
		पुने महज्जिद शिंदे	6000
		पुने-हदप्सार	4000

क्रम संख्या		स्टेशन	लाइनें
6.	मिजोरम	आइजोल	1500
7.	आसाम	करीमगंज	1000
		हेलकंडी	400
		डिफु	400
8.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	400
9.	हरियाणा	बदरपुर	2000
		पलवल	900
		समालखा	700
10.	पंजाब	साहनेवाल	500
		गोराया	700
		अमृतसर (अल्वर्ट रोड़)	5000
11.	हिमाचल प्रदेश	विलासपुर	400
		नाहन	400
		ऊना	400
		चम्बा	600
12.	राजस्थान	मकराना	1100
		नाहौर	900
		जालौर	400
		जैसलमेर	400
		झालावार	400
		सवाई माधोपुर	400
		सिरोही	400
		बुन्दी	600
13.	तमिलनाडू	गुडडालोर	400
		गुमीडिपूंडी	600
		मारायमलीन नगर	400
		रानीपेठ	600
		टूटीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट	400

क्रम संख्या		स्टेशन	लाइनें
		शिवगंगा	400
		मद्रास फूल बाजार	5000
		मद्रास हर्बर-2	10000
14.	उत्तर प्रदेश	बड़ौत	900
		खुर्जा	1000
		फतेहपुर	400
		सिकन्दराबाद	500
		गाजीपुर	400
		ललितपुर	400
		पौड़ी	400
		बांदा	600
		नौएडा (सुरजपुर)	400
		गाजियाबाद-3	4000
		कानपुर (लाजपत नगर एक्सपेंशन)	5000
		नौएडा	4000
15.	गुजरात	कोदिनार (खेरा)	400
		अहमदाबाद (39)	8000
		अहमदाबाद (नारनपुरा)	7000
16.	जम्मू व कश्मीर	कठुआ	400
17.	केरल	अर्नाकुलम	3000
18.	उड़ीसा	कोरापुट	400
		फूलदानी	400
		सुन्दरगढ़	400
		बारीपाड़ा	600
		भुवनेश्वर	4000

क्रम संख्या		स्टेशन	लाइनें
19.	पश्चिमी बंगाल	अलीपुरद्वारा	600
		फाल्टा	400
		कलकत्ता (शिवपुर)	4000
		कलकत्ता (कालीघाट)	10000
		कलकत्ता (जादवपुर)	10000

"क्वालिटी सर्किल"

3677. **श्री पी० पेंचालैया : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या क्वालिटी सर्किलों" का क्या सन्तोषजनक है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हाँ ।

(ख) योजना का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जो सदन के पटल पर रखा गया है ।

विवरण

विषय :— गुणता सर्किलों का गठन :

सभी कार्यालयों अथवा कार्यालय समूहों में एक गुणता सर्किल का गठन किया जाएगा जिसका राजपत्रित ग्रुप "ख" या इससे उच्च स्तर का अधिकारी होगा जैसे एक सहायक इंजीनियर एक उप मण्डल अधिकारी, एक तार परियात अधीक्षक, एक लेख अधिकारी आदि । इसके अन्तर्गत सभी शाखाओं के कार्यालय होंगे जैसे तार परियात, टेलीफोन एक्सचेंज, ट्रंक एक्सचेंज, टैलेक्स एक्सचेंज ट्रांसमिशन स्टेशन और प्रशासनिक कार्यों और दूरसंचार विभाग में अन्य ऐसी ही यूनिटें ।

ऐसी ही यूनिटों में बाद में भी गुणता सर्किलों का गठन किया जा सकता है जिसका अध्यक्ष ग्रुप "ग" में पर्यवेक्षकीय ग्रेडों का एक अधिकारी होगा जैसे कनिष्ठ इंजीनियर, सहायक अधीक्षक तार परियात, कनिष्ठ लेखा अधिकारी आदि ।

2 गुणता सर्किलों का उद्देश्य :—

गुणता सर्किलों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना तथा कर्मचारियों में अधिक कार्य सन्तुष्टि को प्रोत्साहन देना है ।

3. गुणता सर्किल के कार्य :

गुणता सर्किलों के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवा की गुणता की सभी दृष्टि से पुनरीक्षा करना, अर्थात्

—दोष दर

—काल सफलता दर

—दोष दूर करने में लगने वाला समय।

—ट्रंक कालों में विलम्ब

—विभिन्न मार्गों पर ट्रंक प्रभावी प्रतिशतता

—आटो मैनुअल सेवाओं का उत्तर देने में समय

—बिल बनाने में विलम्ब।

और गुणता में सुधार लाने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करना।

(ii) जन शिकायतों की पुनरीक्षा करना और विश्लेषण करना तथा उनको दूर करने के लिए हल ढूंढना।

(iii) यूनिटों के वित्तीय कार्यकरण की पुनरीक्षा करना और राजस्व अर्जित करने वाले प्रयास में वृद्धि करके तथा लागत में कमी करके उसमें सुधार लाने के लिए कार्यवाई योजना करना।

(iv) उच्च उत्पादकता की पुनरीक्षा करना और उसको प्रोत्साहन देना, अनुपस्थिति को दूर करना और मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग करना।

(v) प्रबन्ध मण्डल और कर्मचारियों के बीच पर्याप्त रूप से दो मार्गीय संचार सुनिश्चित करना, विशेष रूप से उत्पादन के लक्ष्यों, कार्य—निष्पादन और कार्य की गुणता के लक्ष्य निर्धारित करते हुए यह कार्यवाई सुनिश्चित करना।

(vi) प्रशिक्षण के जरिए व्यक्तिगत प्रतियोगिता में बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रों का चयन करना; और

(vii) कार्यनिष्पादन के सुधार को प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं पर विचार करना और बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करना।

(viii) गुणता सर्किल कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्याओं को निपटाने के लिए मंच का काम नहीं करेंगे और न ही स्टाफ/प्रबन्ध मण्डल समस्याओं को निपटाने के लिए निर्धारित अन्य सांविधिक संघों/जे. सी. एम. बैठकों का स्थान लेंगी।

4. गुणता सर्किलों में प्रतिनिधियों का नामांकन

प्रत्येक गुणता सर्किल में 10 सदस्य होंगे जिनमें से यूनिट के अध्यक्ष सहित 3 सदस्य प्रबन्ध मंडल से और 7 मजदूरों से होंगे।

5. प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधियों का नामांकन यूनिट के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। मजदूर

प्रतिनिधियों का चयन विभिन्न दलों जैसे तकनीकी इण्डोर, तकनीकी आउटडोर, प्रचालन/परियात, प्रशासन लेखा आदि से किया जाएगा जो यूनिट की प्रकृति और विभिन्न श्रेणियों में लगे कर्मचारियों पर निर्भर करता है। ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" में पर्यवेक्षकीय और प्रचालन ग्रेडों के बीच वह प्रतिनिधित्व उपयुक्त, अभगत में विभाजित किया जाएगा।

6. विभिन्न श्रेणियों से स्टाफ का प्रतिनिधित्व का वितरण और संम्बचन क्षेत्रों के अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित यूनिट के अध्यक्ष से परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा।

7. कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व यूनिट के अध्यक्ष और सम्बन्धित ग्रुपों के बीच आम सहमति के जरिए विभिन्न श्रेणियों से लिया जाएगा। आम सहमति न होने पर स्टाफ की सम्बन्धित श्रेणियों के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा कर्मचारी के प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाएगा।

8. यूनिट के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होंगे।

9. कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में से एक उपाध्यक्ष होगा जिसका चयन स्टाफ प्रतिनिधियों में से ही किया जाएगा।

10. यूनिट के अध्यक्ष को छोड़कर प्रबन्ध के प्रतिनिधियों में से प्रतिनिधि का नामांकन बतौर सचिव किया जाएगा जो कि बैठकों का आयोजन करेगा तथा आवश्यक रिकार्ड रखेगा।

11. **सदस्यता की शर्तें :**

यूनिट परिषद का गठन होने के पश्चात् उसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा। आकस्मिक तौर पर स्थान खाली होने पर गुणवत्ता सर्किल में मध्यावधि के दौरान किसी सदस्य के नामित अथवा चुने जाने पर सर्किल के शेष कार्यकाल तक बतौर सदस्य बना रहेगा।

12. **बैठकें तथा निर्णय :**

(एक) गुणवत्ता सर्किल की बैठकें आवश्यकतानुसार अक्सर आयोजित की जाएंगी परन्तु महीने में एक बार।

(दो) सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाएंगे न कि मतदान के माध्यम से।

(तीन) सभी निर्णय सम्बन्धित पार्टियों द्वारा एक महीने की अवधि के दौरान जब तक कि निर्णय में स्वयं उल्लेख न किया गया हो, कार्यान्वयन किया जाएगा।

(चार) बैठकों के कार्यवृत्त का रिकार्ड रखने तथा अनुरक्षण के लिए समुचित व्यवस्था प्रबन्ध मण्डल द्वारा की जाएगी तथा प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि को सचिव नियुक्त किया जाएगा जो कि गुणवत्ता सर्किल की बाद में हुई बैठकों के निर्णयों पर की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी देंगे।

(पाँच) उस स्थिति में यदि असहमति अथवा लाभकर सुझाव जिनको कि अन्य यूनिटों में लागू किया जाना हो, गुणवत्ता सर्किल की बैठकों की कार्यवाही की जाएगी। सम्बन्धित दूरसंचार सर्किलों के अध्यक्षों (जिला दूरसंचार इंजीनियर, जिला प्रबन्धक अथवा महाप्रबन्धक, जैसी स्थिति हो) को भी प्रदान की जाएगी।

(छः) सर्किलों के अध्यक्ष अपनी मासिक रिपोर्ट में एक पैराग्राफ शामिल करेंगे जिसमें गुणवत्ता सर्किलों में उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत, लिए गए लाभकर अथवा महत्त्वपूर्ण निर्णयों का सारांश देंगे बशर्ते कि वे अखिल भारतीय उपयोगिता अथवा प्रभाव के होंगे।

तेल क्षेत्र के स्वदेशीकरण के प्रति प्रतिक्रिया

3678. **डा० बी० एल० शैलेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आरम्भ किये गये स्वदेशीकरण अभियान की प्रतिक्रिया में सरकार को गवेषण, छिद्रण और उत्पादन कार्य कलापों को सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल करने वाले संयुक्त उद्यम एवं तकनीकी सहयोग के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इनमें से कुछ कार्यक्षम एवं व्यावहारिक प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा संबंधित पार्टियों द्वारा किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) वर्ष 1984 में सरकार को एक प्राइवेट कम्पनी से तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण और विकास सहित पेट्रोलियम के क्षेत्र में विस्तृत कार्य करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस पार्टी ने गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अपनी रुचि दिखाई थी। पार्टी ने, बाद में मध्य ताप्ती और दक्षिणी ताप्ती के गैस क्षेत्रों को विकसित करने का भी प्रस्ताव किया था।

(ग) पार्टी के इस प्रस्ताव को सरकार ने इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वर्तमान नीति के अन्तर्गत सिद्धतटीय और अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण और विकास सम्बन्धी कार्य राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा किये जा रहे हैं। और प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी केवल विशिष्ट तेल क्षेत्र की सेवाओं तक ही सीमित होती है।

खाना पकाने वाली गैस के उपभोक्ताओं के बारे में समिति की रिपोर्ट

3676. **डा० बी० एल० शैलेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री खाना पकाने वाली गैस के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाओं के बारे में 18 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3473 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने वाली गैस के उपभोक्ताओं की समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अगस्त, 1986 में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो विपणन, अनुशासन, मार्गनिर्देश तथा खाना पकाने वाली गैस के डीलर-उपभोक्ता व्यवहार के बारे में इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विभिन्न कदाचारों विशेष रूप से किसी न किसी बहाने उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले भ्रष्ट गैस डीलरों के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) संदर्भित समिति की रिपोर्ट हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है कि उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवा को बेहतर बनाने, आपातकालीन कक्ष और एल. पी. जी. का विपणन किये जा रहे बड़े शहरों में शिकायत कक्ष खोलने, वितरकों के मैकेनिकों, और डिलीवरी मैनों

को संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण देने, ग्राहकों के घरों में स्थापित एल. पी. जी. उपकरणों का नियमित निरीक्षण करने आदि के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों को देखते हुए वर्तमान विपणन अनुशासन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा की जाए। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(घ) तेल कम्पनियों को वितरकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच की जाती है और दोषी वितरकों के विरुद्ध विपणन अनुशासन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार यथावश्यक कार्यवाई (चेतावनी पत्र जारी करने से लेकर किसी मामले में वितरणशिप को समाप्त करने तक की) की जाती है :

दूरसंचार परियोजना के लिए फ्रांस की सरकार से सहायता

3680. **श्री आर० एस० भोये** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली के निर्माण के लिए दूरसंचार परियोजनाओं सहित अनेक परियोजनाओं के लिए फ्रांस की सरकार से सहायता मांगी गई है. और

(ख) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार विभाग ने फ्रांस से निम्नलिखित योजनाओं पर सहायता मांगी थी तथा यह प्राप्त कर ली गई है :

(i) डिजीटल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन स्विचिंग प्रणाली तथा सम्बद्ध सेवाओं की 2 लाख समकक्ष लाइनों की सप्लाई के लिए (एफ एफ 439 मिनियन)

(ii) अनुसन्धान और विकास सहायता की व्यवस्था (एफ एफ 18 मिलियन)

(iii) इलेक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज, टैक्स-कम-उपभोक्ता एक्सचेंज की सप्लाई तथा सम्बद्ध सेवाओं का निष्पादन (एफ एफ 147 मिलियन)

(iv) तकनीकी सहयोग तथा विविध उपस्करों की सप्लाई (एफ एफ 56 मिलियन)

(v) मनकापुर में डिजिटल इलेक्ट्रानिक उपस्कर की 5 लाख लाइनें/वार्षिक उत्पादन (357 मिलियन एफ एफ)

(vi) पालघाट में डिजिटल ट्रंक स्वचल एक्सचेंज उपस्कर की 30000 लाइनें/वार्षिक उत्पादन (एफ एफ 98 मिलियन)

रिफाम्पिसिन उत्पादन की निर्माण क्षमता

3681. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिफाम्पिसिन उत्पादन की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है,

(ख) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान कितना उत्पादन हुआ,

(ग) इन दो वर्षों के दौरान रिफाम्पिसिन की कितनी मात्रा का आयात किया गया, और

(घ) इस अनिवार्य औषधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र

सिंह) : (क) विभिन्न कम्पनियों को आशयपत्रों, लाइसेंस मुक्तिकरण पंजीयनों और डी जी टी डी पंजीयनों के माध्यम से 1231.5 मी० टन की क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है।

(ख) इस मन्त्रालय द्वारा रिफाम्पिसिन का उत्पादन मानीटर नहीं किया जाता है। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1986-87 में 35.97 मी. टन का उत्पादन हुआ था।

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान क्रमशः 70.79 मी. टन और 19.81 मी. टन रिफाम्पिसिन का आयात किया गया था।

(घ) इसके मुख्य कारण हैं (1) रिफाम्पिसिन का उत्पादन पूंजी प्रधान है, (2) गोपनीय प्रौद्योगिकी और (3) पनपने की लम्बी अवधि।

डाक विभाग में कम्प्यूटर का प्रयोग

3682. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डाक विभाग में कम्प्यूटर का प्रयोग करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटर का प्रयोग किस कार्य के लिये करने का विचार है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) डाक कार्यों में डाक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों के अत्यधिक आंकड़ों का प्रयोग करना होता है। सेवा की गुणवत्ता और प्रचालन की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से डाक प्रचालन के चुनिंदा क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें सुधार, उनका विश्लेषण तथा प्रभावकारी प्रयोग सहित डाटा को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद मिल सके।

(ग) विभाग के कुछ सर्किलों में जिन क्षेत्रों के कम्प्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है वे हैं : (क) मनी-आर्डर (ख) बचत बैंक नियन्त्रण और। (ग) डाक जीवन बीमा।

गोआ में टेलीफोन एक्सचेंज

3683. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गोआ में कितने नये टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थापित करने का विचार है और प्रत्येक एक्सचेंजों के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है। आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है,

(ग) क्या गोआ में कई टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें बड़े टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी सुझाव पर विचार करना चाहती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी हां, छोटे एक्सचेंजों का बड़े एक्सचेंजों में दर्जा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि मांग और व्यवहार्यता हो।

विवरण

अनुबन्ध-I

गोआ में 7 वीं योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन

एक्सचेंज का नाम/किस्म	मुख्य/विस्तार की प्रस्तावित क्षमता	प्रगति
1. मडगांव एमएएक्स-I	3000+1000	3000 लाइन (मुख्य) मार्च, 86 में चालू की गई । 1000 लाइनों (3000 से 4000) का विस्तार 1988-89 के दौरन किये जाने की सम्भावना है ।
2. पणजी एन ए एक्स-I	विस्तार (3150-5400) लाइनें	150 लाइनें (3150-3300) 1985-86 में चालू की गई । 3000 लाइनें (3300-3600) 1987-88 में चालू किये जाने की संभावना है। 1988-89 के दौरान 1200 लाइनें (3600-4800) तक 1988-89 में 600 लाइनें (4800-5400) चालू करने की सम्भावना है।
3. विचोलिम एम एक्स-II	300 लाइनें (मुख्य)	1988-89 में चालू किये जाने की संभावना है।
4. पोंडा एमएएक्स-II	600 लाइनें (मुख्य)	1988-89 में चालू किये जाने की संभावना है ।
6. मापुका एमएएक्स-II	200 लाइनें विस्तार (800-1000)	86-88 में चालू की गई ।
6. वासको एमएएक्स-II	200 लाइनें विस्तार (1500-1700)	86-87 में चालू की गई ।
8. पोरवोरिम एमएएक्स-II	400 लाइनें (मुख्य)	87-88 में चालू की गई ।

मौजूदा एम ए, एक्स-III के विस्तार सहित नए एम. ए. एक्स-III एक्सचेंज द्वारा लगभग 1000 लाइनों के विस्तार का प्रस्ताव है ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में यूनीलीवर के शेयर

3684. श्रीमती गीता मुखर्जी : उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में यूनीलीवर के अधिकांश शेयर हैं,

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के निदेशक बोर्ड तथा प्रबन्धकों की नियुक्ति यूनीलीवर द्वारा की जाती है ;

(ग) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रबन्धकों का सभी यूनीलीवर कम्पनियों पर वास्तव में नियन्त्रण है ; और

(घ) क्या सरकार हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को यूनीलीवर के शेयरों का 40 प्रतिशत अथवा इससे भी कम करने जैसा कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है, के लिए करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी हाँ ।

(ख) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के संगम अनुच्छेद के अनुसार यूनीलीवर पी. एल. सी. को कम्पनी के बोर्ड में किसी निदेशक को नामित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है । शेयरधारकों द्वारा सभी निदेशक वार्षिक महासभा की बैठक में निर्वाचित किए जाते हैं ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार यूनीलीवर पी. एल. सी. की भारत में हिन्दुस्तान लीवर लि. के अलावा कोई सहयोगी कम्पनी नहीं है ।

(घ) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सामान्य पैरफिन पर आयात शुल्क में कटौती

3685. **श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—**

(क) क्या सामान्य पैरफिन पर आयात शुल्क 10,0000 रुपये प्रति टन से घटा कर लगभग 2500 रुपये प्रतिटन कर देने से इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, और तमिलनाडु पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड को लाभ होगा,

(ख) क्या इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड और तमिलनाडु पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड मद्रास रिफाइनरी द्वारा सप्लाई किये जाने वाले मिट्टी के तेल को शुद्ध करके लाइनियर एल्काइल बैंजीन बना रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो रिलायेंस इंडस्ट्री लिमिटेड को लाइनियर एल्काइल बैंजीन आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पैट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) इंडियन पेट्रो-केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड और तमिलनाडु पेट्रो-केमिकल कार्पोरेशन लिमिटेड दोनों को एन पैराफिन पर शुल्क में कटौती से, जिस सीमा तक उनके द्वारा एन-पैराफिन का आयात किया जाता है, लाभ मिलेगा ।

(ख) जी हां । किन्तु टी. एन. पी. सी. एल. ने अभी उत्पादन आरम्भ करना है ।

(ग) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लिनियर अल्काइल वेन्जीन का आयात करने की अनुमति नहीं दी गई है ।

साइपरमेथीन की क्षमता में कमी

3686. **श्री सी जंगा रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार द्वारा की गई जांच से सिंथेटिक पायर-

थायड के लिए अतिरिक्त क्षमता का अनुमान लगाया गया था, किन्तु बम्बई स्थित एक मझोले उद्योग के साइपर मेथीन सिंथेटिक पायरथायड के 100 टन लाइसेंस के लिए आवेदन को इस आधार पर ठुकरा दिया गया था कि कोई अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है,

(ख) क्या जबकि इस मझोले उद्योग को इसकी फेनवालेरेट क्षमता में अन्ततः बाध्य होकर 50 टन की कमी करनी पड़ी एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी रैलिस इंडिया लिमिटेड को पहले की इस धारणा के बावजूद कि अतिरिक्त क्षमता में 100 टन का विस्तार करने की अनुमति दी गई,

(ग) एक मझोले उद्योग को इसकी क्षमता में कमी करने के लिए बाध्य करने के क्या कारण हैं जबकि इसी उत्पाद के पर्याप्त विस्तार के लिए एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अनुमानित प्रदान की गई, और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) (क) सन् 1983 में अन्तर विभागीय समिति द्वारा अतिरिक्त क्षमता का पता लगाने के पश्चात उस समय लम्बित आवेदनों के आधार पर सरकार द्वारा पर्याप्त क्षमता स्वीकृत की गई थी। जब बम्बई स्थित मझोले उद्योग के आवेदन पर 1985 में विचार किया गया था तब यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि स्वीकृत क्षमता और अनुमानित मांग के अनुसार, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड के लिए और क्षमता विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इस कम्पनी का आवेदन केवल प्राथमिक आधार पर रद्द किया गया था और उनसे यह अनुरोध किया गया था कि, यदि वे ऐसा चाहें तो, अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और अन्तिम आदेश उनकी सुनवाई के पश्चात् जारी किये जाएंगे। इस पार्टी ने आवेदन किया कि वे सिप्रामैथ्रिन की 50 टन प्रतिवर्ष की क्षमता को उनकी 150 टन की फेननेलरेट की कुल क्षमता के अन्तर्गत, स्वीकार करने को सहमत हैं। इसको सरकार ने स्वीकृत कर दिया था। इसके पश्चात लगभग दो वर्ष बाद उस समय, किये गये मांग और पूर्ति के निर्धारण और अधिक क्षमता की अनुमति देने की सरकार की निश्चित नीति के आधार पर रैलीज इण्डिया को 100 टन तक फेनवेलरेट की उनकी क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दी गई थी।

(घ) इस समय सरकार की नीति सिंथेटिक पायरेथ्रोइडो की क्षमा में चुनींदा आधार पर विस्तार और इस क्षेत्र में ब्राड बैंडिंग की अनुमति भी देने की है ताकि कम्पनियां अपनी स्वीकृत क्षमता के दायरे में एक या दूसरे सिंथेटिक पायरेथ्रोइड का उत्पादन कर सकें।

संचार क्षेत्र में उच्च औद्योगिकी के विकास के लिए नई कम्पनी की स्थापना करना

3687. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा :**

श्री जी० एस० बसवराज : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड संचार क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी के विकास के लिये एक नई कम्पनी स्थापित कर रहा है,

(ख) क्या टेलीकम्युनिकेशन इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा रहा है,

(ग) क्या नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका का साफ्टवेयर की परियोजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए एक अलग साफ्टवेयर कम्पनी खोलने का निर्णय लिया गया, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) दूरसंचार विभाग की टेलीकम्यूनीकेशन्स कंसलटेंट्स इन्डिया लिमिटेड से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी संचार के क्षेत्र में उच्च तकनॉलाजी का विकास करने के लिए टेलीकम्यूनीकेशन्स इन्डिया लिमिटेड एक नई कम्पनी स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है।

(ख) जी हां। कम्पनी ने 1985-86 के दौरान 42.550 मिलियन रुपए की तुलना में 1986-87 के दौरान 53.969 मिलियन कर पूर्व रुपए का लाभ अर्जित किया।

(ग) और (घ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, साफ्टवेयर के लिए पथक कम्पनी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु उद्योगों में कच्चे माल का अभाव

3688. **श्री वाई० एस० महाजन** :

श्री यसवंतराव गडाख पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या टिन और धातु के डिब्बे बनाने वाले उद्योग की, जिसके अधिकांश एक लघु क्षेत्र में हैं, कच्चे माल की भारी कमी के कारण उत्पादन क्षमता बहुत कम रह गया है और वे बन्द होने की स्थिति में हैं ; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने टिन और धातु के डिब्बे बनाने वाले उद्योग को कच्चे माल उपलब्ध कराने के लिये कौन से सुधारात्मक उपाय किये हैं ताकि अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से लोगों को रोजगार देने वाले लघु उद्योग पूरी क्षमता से उत्पादन कर सकें ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी नहीं, लघु टिन और धातु के डिब्बे बनाने वाले उद्योगों को इस समय टिन प्लेटें आसानी से उपलब्ध हैं और देश में टिन प्लेटों पर कोई वितरण नियन्त्रण नहीं है। इसके अलावा, टिन प्लेट प्राइम (ओ. टी. एस. और गैर— ओ. टी. एस. क्वालिटी) का आयात एम. एस. टी. सी. के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है और इसकी वास्तविक प्रयोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है।

लघु टिन और धातु के डिब्बे बनाने वाले उद्योग पूरक लाइसेंसीकरण प्रबन्ध के अधीन टिन प्लेट अपशेष/अवशेष पुराने टी. एम. पी. बी/सभी प्रकार की, पुरानी त्रुटिपूर्ण प्लेट कटिंग्स आदि का सीधे भी आयात कर सकते हैं।

रेलवे सिगनल उपकरणों के निर्माण के लिए जापान से तकनीकी सहयोग

3689. **श्री बी० तुलसीराम** :

चौधरी राम प्रकाश : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सिगनल उपकरणों के निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग हेतु जापान से कोई समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समझौते में किन-किन पहलुओं को शामिल किया गया है ;

(ग) इस परियोजना की अनुमति लागत कितनी है ; और

(घ) क्या निर्माण कारखाना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो किस स्थान पर और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इन्स्ट्रुमेंटिशन लिमिटेड, कोटा और जापान की मैसर्स काइमेंटेस इलैक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के बीच रेलवे के सिग्नल देने वाले उपकरणों के उत्पादन के लिए एक करार हुआ है। इस करार में रेलवे के सिग्नल देने वाले उपकरणों के निर्माण के साथ-साथ प्रणालियों की तकनीकी जानकारी का अन्तरण भी शामिल है ।

(ग) परियोजना की प्रारम्भिक अनुमानित लागत लगभग 1.5 करोड़ रु० है ।

(घ) विविधीकरण योजना के रूप में उपलब्ध सुविधाओं और मानवशक्ति का उपयोग करने हेतु कोटा में स्थित विद्यमान एकक में उत्पादन कार्य को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

खाद्यानों की खरीद हेतु भारत को अमरीका की वित्तीय सहायता

3690. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका का कृषि विभाग, भारत में सूखे के कारण हुई खाद्यान्नों की कमी को देखते हुए, खाद्यानों की खरीद हेतु भारत को वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अमरीका द्वारा कितनी सहायता दी गई है और कितना खाद्यान्न खरीदा गया है ;

(ग) क्या अमरीका भारत को खाद्यानों की सप्लाई करने को भी सहमत हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो खाद्यानों की कुल कितनी मात्रा सप्लाई करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के एल० भगत) : (क) से (घ) 29 सितम्बर, 1987 को यू. एस. ऐड एवं कमाडिटी क्रेडिट कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय डेरी निगम के बीच 5200 मीटरी टन बटर आयल की आपूर्ति करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं । इस बटर आयल का मूल्य 8-10 करोड़ रुपये के रेंज में होने का अनुमान है। हमारे सूखा राहत कार्यक्रम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से प्राप्त हुई सहायता की पेशकश के विवरणों को अन्तिम रूप देने लिए भी सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

राज्य को त्रैमासिक आधार पर चीनी का कोटा जारी करना

3691. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी का मासिक कोटा जारी करने के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कम से कम 15-2-02 मिलियन टन चीनी का न्यूनतम राष्ट्रीय रक्षित भन्डार रखने के लिए राज्य को त्रैमासिक आधार पर चीनी का कोटा जारी करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) किसी भी राज्य सरकार ने लेवी चीनी की वर्तमान मासिक नियुक्ति के कोटे के बारे में कोई शिकायत नहीं की है। लेवी चीनी का मासिक कोटा इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली सलाहकार परिषद की 8वीं बैठक की सिफारिशों के आधार पर आवंटित किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारी

3692. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नारियल-जटा बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का मासिक वेतन मात्र 265 रुपये है और उनसे दिन में कार्यालय का काम लिया जाता है और रात में चौकीदार का काम लिया जाता है लेकिन उनकी सेवाओं को 1974 से आज तक नियमित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में और अन्य स्थानों पर नारियल जटा बोर्ड में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित करने सम्बन्धी नियम और विनियम क्या हैं और उनके लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें वास्तव में क्या वेतन दिया गया ; और

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कैयर बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू वेतन-मानों को अपनाया है। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वित होने पर कुल मिलाकर, कैयर बोर्ड के समूह "घ" कर्मचारियों को 1-1-1986 से 750-940 रु० का वेतनमान दिया गया है। तथापि, कैयर बोर्ड के कुछ शोरूमों तथा बिक्री डिपुओं में चौकीदार के रूप में कुछ नैमित्तिक/तदर्थ समूह "घ" कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कार्य के स्वरूप के अनुसार उन्हें समेकित पारिश्रमिक दिया जाता है। सामान्य प्रक्रिया में बोर्ड नियमों के अनुसार तदर्थ/नैमित्तिक कर्मचारियों के मामलों की जांच करता है और गुणावगुण के आधार पर उनको नियमित करने का निर्णय लेता है।

[अनुवाद]

विद्युत ऊर्जा शुल्क और मीटर व्यवस्था सम्बन्धी गोष्ठी

3693. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में बंगलौर में आयोजित विद्युत ऊर्जा शुल्क और मीटर व्यवस्था सम्बन्धी गोष्ठी में शुल्क के पुनर्निर्धारण के बारे में दिए गए सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) ऊर्जा के प्रयोग को अधिकाधिक करने और विभिन्न बिजली उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) नवम्बर, 1987 में बंगलौर में हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी टैरिफ एण्ड मीटरिंग से सम्बन्धित सेमिनार में विद्युत ऊर्जा के उपयोग को इष्टतम करने के लिए सुझाए गए उपायों में ये शामिल हैं—टाइम-ऑफ-दी-डे मीटरों का उपयोग करना, विद्युत प्रणालियों की मीटरिंग राष्ट्रीय स्तर पर करना तथा बिजली की एक समान टैरिफ निर्धारित करना और बेची जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि करने हेतु पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना। सेमिनार के आयोजकों द्वारा सेमिनार के निष्कर्षों को राज्य बिजली बोर्डों, अन्य विद्युत यूटिलिटीज ओर विद्युत उपस्कारों के निर्माताओं को परिपत्रित किया जाएगा ।

पूंजीगत वस्तु उद्योग

3694. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल के दस्तावेज के अनुसार पूंजीगत वस्तु का उद्योग को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या उदार आयात नीति के कारण भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग के उत्पादों की मांग में गिरावट आई है ; और

(ग) सरकार इस आधारभूत उद्योग की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में 1985-86 में 10.6 प्रतिशत और 1986-87 में 18.2 प्रतिशत विकास दर रही। यह औद्योगिक क्षेत्र द्वारा दर्ज की गई कुल विकास दर से अधिक है। यह उद्योग सरकार को समय-समय पर अपनी कठिनाइयों और सुझावों के बारे में बताता रहा है, जिन्हें सरकार नीति बनाते समय ध्यान में रखती है ।

(ग) सरकार ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक और राजकोषीय नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की योजनाओं को बढ़ावा देकर और उचित मूल्यों पर निविष्टियों की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सहायता देकर अनेक उपाय किए हैं ।

सरकार ने आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर, चुने हुए पूंजीगत वस्तु उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक आयातित उपकरण पर रियायती शुल्क देकर, 7 वर्ष से अधिक पुरानी मशीनों के आयात को प्रतिबन्धित करके और खुले सामान्य लाइसेंस से कुछ पूंजीगत वस्तुओं को हटाकर स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग को महत्वपूर्ण राहत/संरक्षण दिया है। आवधिक ऋणदायी वित्तीय संस्थानों ने चुने हुए पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में एक विशेष योजना प्रारम्भ की है ।

लकड़ी की लुगदी बनाने वाले कारखानों का बन्द होना

3695. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ती लकड़ी की लुगदी का आयात करने के कारण रेयन और कागज उद्योगों के लिए लकड़ी की लुगदी बनाने वाले कुछ कारखानों को बन्द होने पर मजबूर होना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विदेशों से सस्ती लकड़ी की लुगदी उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय मे औद्योगिक विकास विभाग मे राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कागज उद्योग को खुले सामान्य लायसेंस के अधीन लुग्दी के निःशुल्क आयात की सुविधा प्रदान की गई है जिससे यह उद्योग कच्चे माल की अड़चनों को दूर कर सके और देशी वन्य संसाधनों पर अपनी निर्भरता को भी कम कर सके। यद्यपि रेयन ग्रेड लुग्दी का आयात भी नि:शुल्क है लेकिन इसकी अनुमति सीमित आधार पर देशी उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए दी जाती है। इसलिए, लुग्दी के आयात की निःशुल्क सुविधा से लकड़ी की लुग्दी बनाने वाले कारखानों के बन्द होने की सम्भावना नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना

3696. **प्रो० सैफूद्दीन सोज** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय देश में वर्तमान सूखे और बाढ़ की स्थिति के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए वचनबद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) यद्यपि सात आवश्यक वस्तुओं, अर्थात् गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, साफ्ट कोक, कंट्रोल के कपड़े तथा मिट्टी के तेल की अधिप्राप्ति, भंडारण, आबंटन तथा केन्द्रीय गोदामों को उनकी ढुलाई करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है, तथापि, यह जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है कि वे उनकी ढुलाई तथा उचित दर की दुकानों के अपने तंत्र के जरिए उनके वितरण की व्यवस्था करें। सूखे तथा बाढ़ की स्थितियों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उठाए गए कदमों तथा उनसे प्राप्त परिणाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. सूखा तथा बाढ़ से प्रभावित राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की अधिक मांग को पूरा करने के लिए ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आबंटन किया गया है। जुलाई से नवम्बर, 1987 की अवधि के दौरान चावल का 8.77 लाख मी० टन तथा गेहूं का 1.82 लाख मी० टन अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों का आवंटन जो जुलाई में 70,000 मी० टन था, नवम्बर, 1987 में बढ़ाकर लगभग 2 लाख मी० टन कर दिया गया है।

3. सितम्बर तथा अक्तूबर, 1987 के लिए 8.57 लाख मी० टन चीनी आबंटित की गई है, जबकि अगस्त, 1987 में 7.62 लाख मी० टन चीनी आबंटित की गई थी।

4. राज्यों से कहा गया है कि वे दालों के आयात की व्यवस्था करें, जो कि खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आती हैं।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि उन क्षेत्रों में जहां अभी तक उचित दर की दुकानें नहीं हैं तथा दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोलें और जिन क्षेत्रों में स्थायी उचित दर की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं वहां मोबाइल वैनें काम पर लगाएं। अगस्त, 1987 से, विभिन्न राज्यों में 2961 उचित दर की दुकानें खोली जा चुकी हैं। केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मोबाइल वैनें क्रय करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 182.50 लाख रुपए की राशि भी मंजूर की है।

6. वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन जुलाई, 1987 के 60 प्रतिशत से बढ़ाकर सितम्बर तथा अक्तूबर, 1987 में 85 प्रतिशत कर दिया गया है।

7. बेईमान व्यापारियों को स्टाक छुपाने से रोकने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे अपने प्रवर्तन तंत्र को चुस्त बनाएं और चोरबाजारियों, जमाखोरों आदि के विरुद्ध अभियान चलाएं। अगस्त, 1987 से 24 नवम्बर, 1987 तक 3268 छापे मारे गए, 1487 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 1575.54 लाख रुपए मूल्य का सामान पकड़ा गया।

8. आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता को निरन्तर परिवीक्षा करने के लिए केन्द्रीय नागरिक पूर्ति विभाग में एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है। राज्यों से भी ऐसे नियंत्रण-कक्ष स्थापित करने के लिए कहा गया है।

9. केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित दर की दुकानें खोलने में की गई प्रगति की परिवीक्षा की जा रही है तथा मौके पर स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है।

10. राज्यों को भी सलाह दी गई है कि वे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता पर निगरानी रखने और उनकी परिवीक्षा करने के लिए बातचीत करते रहें।

अपरम्परागत ऊर्जा विकास पर प्रशासनिक व्यय

3697. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के विदेशों में की जाने वाली यात्राओं, गोष्ठियों और सम्मेलनों पर व्यय में मितव्ययता बरतने और इन कार्यकलापों को केवल आवश्यक और उत्पादक कार्यकलापों तक सीमित रखने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों में, जनहित में जब तक खर्च की राशि अत्यधिक आवश्यक प्रतीत न समझी जाए, विदेशी प्रतिनियुक्तियों पर प्रतिबन्ध, गोष्ठियों/सम्मेलनों को जहां तक सम्भव हो स्थगित करना तथा वर्ष की शेष अवधि के दौरान, इस प्रकार की गतिविधियों पर बिल्कुल निम्नतम खर्च करना सम्मिलित हैं।

दूरसंचार नेटवर्क का विकास

3698. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार नेटवर्क के विकास और इसे अन्य विकसित देशों के समान बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) दूरसंचार के उन्नयन में और इसके लिए आधुनिक सुविधा में उपलब्ध कराने में क्या वित्तीय अथवा प्रौद्योगिकीय बाधायें हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) संचारण और स्विचिंग प्रणालियों के लिए नेटवर्क डिजीटल टैक्नालॉजी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) फिलहाल डिजीटल संचारण प्रणाली विनिर्माण देश में नहीं किया जा रहा है। डिजीटल कोएक्सियल, डिजीटल माइक्रोवेव तथा ऑप्टीकल फाइबर के बिलों तथा प्रणालियों का विनिर्माण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र फैक्टरी संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। मैनुअल एक्सचेंजों को बदलने के लिए अपेक्षित मात्रा में कम क्षमता वाले इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय टेलीफोन उद्योग ने कम क्षमता वाले इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों का विनिर्माण करने के लिए बेंगलूर में एक फैक्टरी स्थापित की है। आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सातवीं योजना अवधि में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। सातवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधनों के आबंटन में वृद्धि के लिए इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाया गया है।

(ग) सन् 2000 के लिए भावी योजना तैयार की जा रही है।

बिहार में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करना

3699. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा, भोजपुर, औरंगाबाद, पूर्णिया, खगरिया और सहरसा में अधिक तेजी से और उत्साह के साथ औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने के बारे में बिहार सरकार से प्राप्त ज्ञापन के सम्बन्ध में नियमित और पर्याप्त केन्द्रीय सहायता दिया जाना अभी विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य के लिए कब और कितनी सहायता देगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निम्नलिखित पांच विकास केन्द्रों को अव-

स्थापना सुविधाओं के विकास हेतु मंजूरी दी गई है :

विकास केन्द्र	जिला
आरा	भोजपुर
खगरिया	खगरिया
पुर्णिया	पुर्णिया
नवरबन	नालन्दा
जयसोरिया	औरंगाबाद

सहरसा जिले में प्रस्तावित केन्द्र के सम्बन्ध में वास्तविक आंकड़ों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।

उपर्युक्त 5 विकास केन्द्रों के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा सभी प्रकार से पूर्ण दावों की भी प्रतीक्षा है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की गैस टरबाइन परियोजना के लिए विदेशों से सहयोग

3700. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपनी गैस टरबाइन परियोजना के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों से सहयोग करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किन-किन विदेशी कम्पनियों से सहयोग करने को कहा है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बी० एच० ई० एल० को गैस टरबाइनों के उत्पादन के लिए छ. विदेशी पार्टियों जैसे मैसर्स इन्जरसोल रेंड अलीसन, मैसर्स सोलर, मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक, मेसर्स वेस्टिंग हाउस (सभी यू० एस० ए० के०), मेसर्स बी० बी० सी०, स्विटजरलैंड और जी० ई० सी० आर० जो० टी०, यू० के० से०, सहयोग के लिए उपयुक्त प्रस्ताव हुए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में लघु औद्योगिक एककों की स्थापना

3701. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1990 के अन्त तक 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नये लघु औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इस समय दी जा रही अपर्याप्त धनराशि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मण्डल औद्योगिक केन्द्र के लिए वित्तीय सहायता राशि को 20 लाख रुपए तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में कितने एककों के स्थापित किए जाने की सम्भावना है और इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (घ) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान ग्रामीण और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष वार लक्ष्य इस प्रकार है :—

वर्ष	लक्ष्य (एककों की संख्या)
1985-86	7500
1986-87	8170
1987-88	9200
1988-89	10100
1989-90	11100

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में ऊर्जाग्राम

3702. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में, जिला वार किन-किन गांवों को राज्य सरकार ने ऊर्जा ग्राम बनाने का विचार किया है;

(ख) क्या नगरकुरनूल में ऊर्जा ग्राम स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इसको मंजूरी दिए जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इसके लिए आवश्यक मंजूरी कब तक दे दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आन्ध्र प्रदेश में लगभग 100 गांवों में ऊर्जा सर्वेक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उन गांवों में जोकि ऊर्जा सर्वेक्षणों के आधार पर उपयुक्त पाए जाएंगे, ऊर्जा ग्रामों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पन-बिजली उत्पादन में गिरावट

3703. श्री वी० तुलसी राम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान पन बिजली के उत्पादन में गिरावट आई है और तत्सम्बन्धी वर्षवार और राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इसके कारणों का पता लगाने और इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से आवश्यक आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस अनुरोध पर कब निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) । (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

वर्षवार/बोर्ड/संस्थाएं जिनका 1984-85 से 1986-87 के दौरान जल-विद्युत उत्पादन लक्ष्य की तुलना में कम रहा है

1984-85	1985-86	1986-87
1. भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड	1. जम्मू व कश्मीर	1. हिमाचल रा०बि० बोर्ड
2. हिमाचल प्रदेश रा०बि० बोर्ड	2. बैरास्यूल (रा०ज०वि० निगम)	2. हरियाणा रा०बि० बोर्ड
3. बैरास्यूल (रा०ज०वि० निगम)	3. पंजाब रा०बि० बोर्ड	3. पंजाब रा०बि० बोर्ड
4. गुजरात बिजली बोर्ड	4. उ०प्र०रा०बि० बोर्ड	4. गुजरात बि० बोर्ड
5. महाराष्ट्र रा०बि० बोर्ड	5. गुजरात बि० बोर्ड	5. महाराष्ट्र रा०बि० बोर्ड
6. केरल	6. महाराष्ट्र रा०बि० बोर्ड	6. महाराष्ट्र (निजी)
7. सिक्किम	7. महाराष्ट्र (निजी)	7. आंध्र प्रदेश रा०बि० बोर्ड
8. नीपको	8. मध्य प्रदेश	8. कर्नाटक
9. मणिपुर	9. आंध्र प्रदेश रा०बि० बोर्ड	9. केरल

10. कर्नाटक	10. तमिलनाडु बि० बोर्ड
11. तमिलनाडु बि० बोर्ड	11. प० बंगाल रा० बि० बोर्ड
12. उड़ीसा	12. मेघालय
13. प० बंगाल रा०बि० बोर्ड	13. नीपको
14. मेघालय	14. त्रिपुरा
15. नीपको	15. मणिपुर

दिल्ली में राशन कार्डों पर फोटो लगाना

3704. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने उनके द्वारा जारी किए गये राशन कार्डों पर परिवार के मुखिया का फोटो सत्यापित करके लगवाना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) इस नई अपेक्षा का आधार क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में जनता की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य, मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए, दिल्ली प्रशासन ने 1983 में निर्णय किया था कि खाद्य कार्डों पर परिवार के मुखिया का सत्यापित फोटो लगा होना चाहिए। यह निर्णय दिल्ली के 26 सर्किलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था।

तथापि, आम जनता द्वारा अनुभव की गई असुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा अब यह निर्णय किया गया है कि राशन कार्ड पर परिवार के मुखिया का सत्यापित फोटो लगाना अनिवार्य नहीं होगा।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3705. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड में 31 अक्तूबर, 1987 की स्थिति के अनुसार संवर्गवार और पद वार कितने कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) वहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए संवर्ग वार और पद वार कितने पदों के आरक्षण करने होते हैं;

(ग) कितने आरक्षित पदों पर संवर्ग-वार और पद-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातिय के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है; और

(घ) शेष पदों को न भरने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का वर्गवार रोस्टर 1-1-76 से रखना आरम्भ किया था। 1-1-76 के बाद की गई 712 नियुक्तियों में से 162 पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की इस कोटे के प्रति की गई संवर्गवार तथा पदवार नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 28 पदों को भरा नहीं जा सका, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में 1985 से और भर्ती बन्द कर दी गई है।

विवरण I

31-10-1987 को अखिल भारतीय आधार पर कार्यरत व्यक्तियों के बारे में विवरण

क्र०सं० पदनाम	कार्यरत
1 2	3
(क) **कार्यकारी पद**	
1. प्रबन्ध निदेशक	1
2. मुख्य प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक	5
3. प्रबन्धक	5
4. मुख्य नियन्त्रक, लेखा एवं वित्त	1
5. प्रबन्धक (लेखा)	2
6. उप प्रबन्धक	14
7. हिन्दी अधिकारी	1
8. उप मुख्य नियन्त्रक, लेखा एवं वित्त	1
9. सहायक प्रबन्धक-1	41
10. सहायक प्रबन्धक (लेखा)	16
11. लेखाकार	35
12. सहायक प्रबन्धक-II	34
13. एस० टी० ओ०	1
14. परियोजना अधिकारी	1
कार्यकारी पद (परामर्शदात्री एवं प्रोत्साहन सेल)	

1	2	3	
	15. अपर मुख्य परामर्शदाता	1	
	16. वरिष्ठ परामर्शदाता	6	
	17. परामर्शदाता	8	
	18. वरिष्ठ वास्तुविद	1	
(ख)	गैर कार्यकारी पद		
	19. फील्ड अधिकारी	64	
	20. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी	1	
	21. फील्ड सहायक	50	
	22. उच्च श्रेणी लिपिक	172	
	23. अवर श्रेणी लिपिक	186	
	24. निजी सचिव	1	
	25. वैयक्तिक सहायक	16	
	26. कनिष्ठ आशुलिपिक	29	
	27. वरिष्ठ आशुलिपिक	22	
	28. वरिष्ठ लेखा सहायक	9	
	29. कनिष्ठ लेखा सहायक	12	
	30. वरिष्ठ लेखा लिपिक	66	
	31. कनिष्ठ लेखा लिपिक	28	
	32. ओवरसीयर	1	
	33. सहायक सम्पादक	—	
	34. हिन्दी अनुवादक	1	
	35. टेलीफोन आपरेटर	3	
	36 टेलेक्स आपरेटर	8	
	37. गेस्टेटनर आपरेटर	5	
	38. ड्राइवर	16	
	39. दफ्तरी/पैकर	21	
	40. स्टोर सहायक	15	
	41. रिकार्ड कीपर	5	
	42. चपरासी	149	
	43. टी० ब्वाय	4	
	44. सफाई कर्मचारी	7	
	45. गैस्ट हाउस अटेंडेंट	1	
	46. पर्यवेक्षक	2	
	47. सहायक ओवरसीयर	1	
	48. सहायक फोरमैन	1	
	49. सेमीस्किल्ड आपरेटर	7	904
	कुल योग :		1078

विवरण II

1-1-1976 से 31-10-1987 तक राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की स्थिति

क्र० सं०	श्रेणी	1-1-1976 से 30-10-87 तक की गई नियुक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद	मौजूदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खाली पद
1.	वर्ग I सहायक प्रबन्धक तथा उससे ऊपर	30	7	7	—
2.	वर्ग II फील्ड अधिकारी/फील्ड सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ लेखा लिपिक/वरिष्ठ लेखा लिपिक/खजांची	411	93	70	23 कम
3.	वर्ग III निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक/कनिष्ठ आशुलिपिक/वरिष्ठ आशुलिपिक आदि।	64	15	8	7 कम
4.	वर्ग IV चपरासी/दफ्तरी/स्टोर सहायक आदि	207	47	49	2 अधिक
	योग :	712	162	134	28

सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्रों को एकीकृत डिजिटल नेटवर्क के अन्तर्गत लाना

3706. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री** जिला मुख्यालयों के भीतर एस० टी० डी० सेवा के शुरू करने के बारे में 12 अगस्त, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सोलह सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें एकीकृत डिजिटल नेटवर्क की व्यवस्था उपलब्ध कराने की योजना है और वे किन-किन सर्किलों में स्थित हैं;

(ख) क्या बाद में भी इस प्रयोजन के लिए किन्हीं अन्य सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्रों को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सातवीं योजना में यह प्रणाली लागू करने के लिए प्रत्येक सर्किल में से कम से कम एक सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्र को अवश्य शामिल किया जाए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 16 निर्धारित आई० डी० एन० जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं। (कोर योजना)

(ख) जी, हां।

(ग) संलग्न विवरण में दिए अनुसार कोर योजना निर्धारित 16 आई० डी० एन० जिलों के अलावा, कोर योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन के लिए 4 अन्य जिलों का निर्धारण किया गया है। ये जिले हैं :

1. अम्बाला	—हरियाणा	)
2. भोपाल/	—मध्य प्रदेश	) ये शैल योजना में हैं।
3. सीहोर		)
4. गोंडा	—उत्तर प्रदेश	)
5. सिल्चर (कच्छार)	—असम	)

बाद में, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले को इसमें शामिल किया गया था।

इन योजनाओं का क्रियान्वयन वित्तीय संसाधन और उपस्कर पर निर्भर करेगा।

विवरण

(क) सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्र के जिले का नाम	दूरसंचार जिले का नाम
1	2
1. धर्मपुरी	तमिलनाडु
2. नागौर	राजस्थान
3. संगरुर	उत्तर पश्चिम (अब पंजाब)

1	2
4. खमाम	आन्ध्र प्रदेश
5. मैसूर	कर्नाटक
6. मथुरा	उत्तर प्रदेश
7. नैनीताल	उत्तर प्रदेश
8. बाड़मेर	राजस्थान
9. कोहिमा	उत्तर पूर्व (नागालैण्ड)
10. त्रिचुर	केरल
11. अमरेली	गुजरात
12. कोलाबा (रायगढ़)	महाराष्ट्र
13. कोरापुट	उड़ीसा
14. कटिहार/पूर्णिया	बिहार
15. जोरहाट	उत्तर पूर्व (अब असम में)
16. बांकुरा	पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कानपुर और खलीलाबाद के बीच टेलीफोन लाइन

3707. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कानपुर और बस्ती जिले में खलीलाबाद के बीच एक सीधी टेलीफोन लाइन मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन ने अभी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस लाइन के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

विकसित शहरों को दिल्ली से एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ना

3708. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1987 में देश के विभिन्न शहरों को दिल्ली से सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा से जोड़ने का विचार है;

गैर-लाइसेंस शुदा औषधियों का उत्पादन

3720. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर लाइसेंसशुदा औषधियों के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1987-88 में जिन बल्क औषधियों के उत्पादन पर निगरानी रखी जा रही थी उनके उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े क्या है;

(ग) क्या पिछले दस वर्षों के दौरान बल्क औषधियों के उत्पादन में विदेशी क्षेत्र अर्थात् देश में चल रही अन्तराष्ट्रीय कम्पनियो की तुलना में राष्ट्रीय क्षेत्र में कहीं अधिक ऊंची दर से वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो मूल्य के अनुसार किस दर से वृद्धि हुई है;

(ङ) क्या यह सच है कि मार्जिनल औषधियों के उत्पादन में जीवन रक्षक और आवश्यक औषधियों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो पिछले दशक के दौरान जीवनरक्षक आवश्यक और मार्जिनल औषधियों के मामले में पृथक-पृथक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा मानीटर की जा रही लाइसेंस मुक्त अधिकांश औषधों के उत्पादन में गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है।

(ख) मानीटर की जा रही प्रपुंज औषधों का 1983-84 में उत्पादन इस मन्त्रालय के वित्तीय वर्ष 1986-87 के निष्पादन बजट में, उपलब्ध है. जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। 1987-88 की अवधि के लिए उत्पादन के ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) 1975-76 से 1984-85 की अवधि के दौरान भारतीय क्षेत्र द्वारा प्रपुंज औषधों के उत्पादन का मूल्य नीचे दिया जाता है :—

वर्ष :—	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85
मूल्य करोड़ रुपये में	78	87	उपलब्ध नहीं	144	173	184	217	253	290	309

(ङ) और (च) मेरा मंत्रालय केवल 87 महत्वपूर्ण प्रपुंज औषधों के उत्पादन को मानीटर करता है।

खाना पकाने की गैस की एजेंसियों के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्र

37 1. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल** :

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विवरण

31-3-1987 का स्थिति के अनुसार विभिन्न सर्किलों में दूरसंचार सुविधाओं के सम्बन्ध में षठकोणीय स्थिति

क्र० सं०	सर्किल का नाम	आवासीय षठकोणीय क्षेत्र की संख्या (क)	ट्रंक काल सुविधा काल षठकोणीय क्षेत्र (ख)	1987-88 में जहाँ यह सुविधा प्रदान करना है, उनका कार्यक्रम (ग)	31-3-86 तक समेकित एक्सचेंजों की संख्या (घ)	1987-88 के दौरान जहां यह सुविधा प्रदान किए जाने का कार्यक्रम है उन एक्सचेंजों की सं० (ङ)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4991	4896	10	1642	78
2.	आसाम	1715	441	50	120	—
3.	बिहार	4740	1406	145	233	76
4.	गुजरात	2387	1259	45	569	89
5.	हरियाणा	220	500	30	138	36
6.	हिमाचल प्रदेश	432	220	25	161	74
7.	जम्मू कश्मीर	885	274	25	37	7
8.	कर्नाटक	3648	2325	45	878	89
9.	केरल	546	546	—	515	67
10.	मध्य प्रदेश	6103	3269	170	454	152
11.	महाराष्ट्र	4842	2379	130	894	96
12.	उत्तर-पूर्व	1593	336	50	99	44
13.	उड़ीसा	2110	936	70	212	25
14.	पंजाब	771	400	10	256	36
15.	राजस्थान	6123	1740	240	404	80
16.	तमिलनाडु	1672	1667	—	903	94
17.	उत्तर प्रदेश	4055	2386	75	417	121
18.	प० बंगाल	2777	876	80	294	36
कुल योग		50,280	25,856	1200	8226	1200

माल सूची तथा लागत नियन्त्रण करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा पुनर्प्रशिक्षण दिलानां, प्रबन्ध में श्रमिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सामान्यत: कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों के रूप में स्थापित किया जाता है। संसद के प्रति उनकी जवाबदेही के अनुरूप उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भांति कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता दी जाती है।

हेक्सागन में दूरसंचार की सुविधाएं

3719. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार मण्डलों को मण्डल-वार कितने हेक्सागनों में विभाजित किया गया है;

(ख) 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार लम्बी दूरी वाली ट्रंक काल की सुविधाओं वाले सर्किल-वार कितने हेक्सागन हैं;

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान सर्किल-वार कितने हेक्सागनों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना निर्धारित है;

(घ) 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार सर्किल-वार कितने हेक्सागनों में स्थानीय टेलीफोन सुविधाएं हैं; और

(ङ) वर्ष 1987-88 के दौरान सर्किल-वार कितने हेक्सागनों को स्थानीय टेलीफोन सुविधायें प्रदान करना निर्धारित है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) स्थानीय काल सुविधा सम्बन्धित षठकोणीय क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय एक्सचेजों के जरिए प्रदान की जाती है। सर्किलवार एक्सचेंजों की संख्या संलग्न विवरण के कालम "घ" में दी गई है।

(ङ) 1987 के दौरान प्रदान किए जाने वाले एक्सचेंजों की सर्किलवार संख्या संलग्न विवरण के कालम (ङ) में दी गई है। इसमें स्थानीय काल सुविधा भी शामिल है।

(ख) यदि हां, तो यह मान लेने का क्या आधार है; और

(ग) इस प्रकार के व्यापारिक व्यवहार के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) मैं हिन्दुस्तान लीवर लि० 11-5-84 से मालिक नहीं रहे हैं और मै० लिपटन इंडिया लि० पांच उपक्रमों, जिनमें विशेष कर गाजियाबाद तथा तिरुचिरापल्ली स्थित वनस्पति तथा खाद्य तेलों के कारखाने भी शामिल हैं, के स्वामी तथा मालिक बन गए हैं।

मै० हिन्दुस्तान लीवर लि० ने अपनी बम्बई तथा शामनगर की वनस्पति विनिर्माण क्षमता मै० लिपटन इंडिया लि० को पट्टे पर दी है। इन दोनों एककों में पट्टे सम्बन्धी करार के अनुसार मै० हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा वनस्पति तथा खाद्य तेलों का उत्पादन किया जा रहा है।

संसद सदस्यों द्वारा सुपर बाजार को लिखे गए पत्र

3717. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार को पिछले बारह महीनों के दौरान संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए कितने पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने पत्रों का जवाब दिया जाना बकाया है और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ख) बकाया पत्रों का शीघ्र उत्तर देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि गत बारह महीनों के दौरान उन्हें संसद सदस्यों से 53 पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 का अभी निपटान किया जाना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुशल कार्यकरण के लिए कदम उठाना

3718. **श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य कुशलतापूर्वक, अधिक प्रतियोगितात्मक और लाभप्रद स्थिति से चले;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कार्य संचालन में "गैर-सरकारी संस्कृति" अपनाये जाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि उनमें दक्षता आ सके और वे बाजार में अपने माल के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उनके कार्य-निष्पादन का विभिन्न स्तरों पर गहन रूप से आवधिक परिवीक्षण करने के अलावा, इस प्रयोजन के लिए किए गए सदुपायों में शामिल हैं। संरचनात्मक पुनर्गठन करना, प्रौद्योगिकी, समुन्नत बनाना, संयंत्र एवं उपस्कर का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन करना, बेहतर अनुरक्षण पद्धति अपनाना,

नया औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

3714. **श्री सरफराज अहमद : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक सितम्बर, 1987 इंडियन एक्सप्रेस में न्यू डी० पी० सी० ओ० टू बेनीफिट ट्रेडर्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि व्यापार लाभ कब दिया गया है और व्यापारियों द्वारा बेची जाने वाली बल्क औषधों पर मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी उपबन्ध निकाल दिया गया है और आयातित फार्मूलेशन्स को मूल्य नियन्त्रण आदेश में शामिल नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यापार लाभ में वृद्धि करने का निर्णय उत्पादन के उपरान्त अधिकतम अनुज्ञेय व्यय और सभी सम्बन्धितों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखकर किया गया है। विटामिन प्रपुंज औषध को छोड़कर स्वदेश में ही निर्मित सभी अनुसूचित प्रपुंज औषध मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत हैं और सभी आयातित सूत्रयोग जो श्रेणी—1 और 2 में आते हैं, के भी मूल्य नियन्त्रित हैं।

वक्रेश्वर का ताप विद्युत संयंत्र

3715. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित वक्रेश्वर ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संयंत्र का स्वयं निर्माण करने का प्रस्ताव किया था; और

(ग) यदि हां, तो इसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वक्रेश्वर ताप-विद्युत परियोजना (3 × 210 मेगावाट) के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा खाद्य तेलों का उत्पादन

3716. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान खाद्य तेलों के व्यापार में उत्पादित अपनी समूची टन मात्रा को किसी अन्य कम्पनी के लिए बनाया गया दिखाया है;

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही पैदा नहीं उठते।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उत्पादन

3712. **श्री एस. एम. गुरड्डी :**

श्री जी. एस. बसवराजू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण चहुंमुखी विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान कितना उत्पादन हुआ और यह पिछले वर्षों की तुलना में कितना अधिक था; और

(ग) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उत्पादन में वर्ष 1987 तक विकास दर कितनी थी और मार्च, 1987 के बाद उसकी कितनी विकास दर रही ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां :

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान 440.70 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ जो वर्ष 1985-86 के 299.53 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 141.17 करोड़ रुपए अधिक था।

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान उत्पादन में वृद्धि की दर 1985-86 के उत्पादन से 47.13% ज्यादा थी। चालू वर्ष (1987-88) के दौरान अप्रैल से अक्तूबर, 1987 तक 1986-87 की इसी अवधि के दौरान के 154.13 करोड़ रुपए के उत्पादन के मुकाबले में 212.45 करोड़ रुपए के उपस्करों का उत्पादन हुआ। इस प्रकार इस अवधि में वृद्धि दर 37.84 प्रतिशत हुई।

नैफ्था का मूल्य घटाना

3713. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रो-रसायन उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले नैफ्था का मूल्य कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नैफ्था के मूल्य को युक्तिसंगत बनाने से इस उद्योग को अति आवश्यक प्रोत्साहन मिल पाएगा;

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस निर्णय से कितने उद्योग लाभान्वित होंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पेट्रो-रसायन उद्योग में फीड स्टाक के रूप में प्रयुक्त हो रहे नैफ्था के मूल्यों में कमी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करने और मूल्य स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए कार्यवाही की है।

एक नई दूर संचार नीति तैयार करने के लिए कृतिक बल का गठन

3710. **डा० बी० वेंकटेश :**
श्री भद्रेश्वर तांती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नई दूरसंचार नीति तैयार करने के लिए कोई कृतिक बल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बल ने टेलीफोन उपभोक्ताओं को "क्रेडिट कार्ड" जारी करने सहित कई नए उपायों की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दूरसंचार विभाग द्वारा 3 और 4 फरवरी, 1987 को दूरसंचार मिशन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्राप्त सुझावों के अनुपालन में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर काम करने वाले अनेक कार्य बलों का गठन किया गया था।

(ख) और (ग) इसमें से एक टास्कफोर्स द्वारा फोन उपभोक्ताओं को क्रेडिटकार्ड जारी किए जाने की सिफारिश की गई। टास्कफोर्स ने तीन प्रकार के क्रेडिट-कार्ड की सिफारिश की हैं; अर्थात्

(क) पूर्वदत्त क्रेडिटकार्ड;

(ख) ऐसे क्रेडिकार्ड जिसके लिए प्रयोक्ता को उसके पंजीकृत पते पर बिल भेजे जाएंगे; और

(ग) ऐसे क्रेडिट कार्ड जिसके बिल उपभोक्ता को बैंक खाते के अधीन भेजे जाएंगे।

पश्चिमी क्षेत्र और रेलवे के लिए संचार नेटवर्क

3711. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**
श्री जी० एस० बसवराजू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज पश्चिमी क्षेत्र में सशस्त्र सेनाओं के लिए एक सम्पूर्ण संचार नेटवर्क के निर्माण पर सहमत हो गई है;

(ख) क्या ऐसे ही नेटवर्क का निर्माण रेलवे के लिए भी किया जाएगा;

(ग) क्या उन्हें अगले वर्ष के दौरान पुशबटन टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) रक्षा मन्त्रालय ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (आई० टी० आई०) को पश्चिमी सीमा क्षेत्र के साथ लगते कुछ राज्यों में कुछ दूरसंचार केन्द्रों को स्थापित करने के लिए एक ठेका दिया है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले को दिल्ली से सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा से जोड़ने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बस्ती में 7वीं योजना के अन्त तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा 5 सूत्रीय कार्यवाही योजना का कार्यान्वयन

3709. **डा० बी० वेंकटेश** :

श्री भद्रेश्वर तांती : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे से प्रभावित राज्यों से केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई पांच-सूत्रीय कार्यवाही योजना को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और क्या राज्यों ने इस बारे में अनुवर्ती कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रण में रखने तथा उनकी उपलब्धता में सुधार लाने के लिए खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ-साथ एक पांच-सूत्री कार्यवाही योजना लागू कर रहा है, जो निम्नवत है :—

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत, विशेष रूप से सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में, नए बिक्री केन्द्र खोलना;

(2) आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त आबंटन तथा उचित वितरण करना;

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कारगर परिवीक्षा तथा पर्यवेक्षण करना;

(4) जमाखोरी, कालाबाजारी, सट्टेबाजी आदि को रोकने के लिए कड़ी प्रवर्तन कार्यवाही करना; और

(5) मूल्य स्थिति पर नजर रखना और व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ स्वानुशासन तथा स्वैच्छिक मूल्य नियन्त्रण रखने के लिए बातचीत करना।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो ने आमतौर पर सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नए बिक्री केन्द्र खोलने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कारगर परिवीक्षा तथा पर्यवेक्षण करने तथा आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण करने, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि को

(क) क्या विभिन्न तेल कम्पनियों के पास गुजरात और अन्य राज्यों में तेल के डीलरों, एजेंसियों, वितरकों तथा खाना पकाने की गैस के डीलरों, एजेंटों और वितरकों की नियुक्ति के लिए काफी संख्या में आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, इनमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इन आवेदन पत्रों के कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) 1 जनवरी, 1983 से 31 अक्तूबर, 1987 तक की अवधि के दौरान गुजरात में नियुक्त किये गये तेल, पेट्रोल पम्प और गैस के डीलरों, एजेंसी धारकों और वितरकों के नाम तथा उनका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात तथा अन्य राज्यों में डीलरों/वितरकों की नियुक्ति के लिए अक्तूबर, 1987 में तेल विपणन कम्पनियों की डीलरशिपों/वितरणशिपों की निम्नलिखित संख्या के लिए आवेदन बकाया थे।—

डीलरशिप/वितरणशिप का नाम	लम्बित प्रस्तावों की संख्या गुजरात राज्य	अन्य राज्य
(1) एम० एस०/एच० एस० डी० खुदरा बिक्री केन्द्र	70	610
(2) एल० पी० जी०	46	506
(3) एस० के० ओ०/एल० डी० ओ०	33	281
जोड़ :	149	1397

जुलाई, 1986 के बाद चारों तेल चयन बोर्डों की अवधि समाप्त होने के बाद यह तेल चयन बोर्ड निष्क्रिय हो गये जिस कारण बकाया मामलों में चयन करने में देरी हुई है। मार्च, और सितम्बर, 1987 में इन बोर्डों का पुनर्गठन कर दिया गया है। इन्होंने मामलों को निपटाना आरम्भ कर दिया है। यह बताना सम्भव नहीं होगा कि कब तक सभी मामलों को क्लीयर कर दिया जाएगा।

(ग) 1-1-83 से 31-10-87 तक तेल कम्पनियों ने गुजरात राज्य में 106 मोटर स्प्रिट/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों, 87 एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० डीलरों तथा 114 एल० पी० जी० वितरक नियुक्त किये/नामों तथा अन्य विवरण के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने में लगने वाले निहित प्रयास वांछित प्रयोजन के अनुरूप नहीं होंगे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बिजली की आवश्यकता

3722. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बिजली की आवश्यकता कितनी है;

(ख) सरकार का इसे किस तरह पूरा करने का विचार है, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में बिजली की आवश्यकता पूरी न किए जाने के कारण कृषि और अन्य क्षेत्रों में उत्पादन कम हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो बिजली का उत्पादन बढ़ाने और उपभोक्ताओं की बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1967 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की मांग 13500 मिलियन यूनिट थी जबकि उपलब्धता लगभग 11310 मिलियन यूनिट थी जो कि लगभग 16.7% की कमी का द्योतक है। विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं— निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता का इष्टतम समुपयोजन करना, पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी करना और भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना। जहां तक सम्भव है, सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र की विद्युत के अनाबंटित हिस्से में से भी उत्तर प्रदेश को उसके हिस्से से अधिक सप्लाई की जा रही है।

(ग) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई के बारे में राज्य प्राधिकारियों द्वारा विद्युत की मांग तथा उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। राज्य से अनुरोध किया गया है कि वे कृषि क्षेत्र की विद्युत की मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। इस समय उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को लगभग 10 से 12 घण्टे प्रतिदिन विद्युत की सप्लाई की जा रही है। मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को कम करने के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध लागू किए जाते हैं।

(घ) विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्तर प्रदेश में सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य क्षेत्र में 1794 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता को जोड़े जाने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से भी उत्तर प्रदेश को उसका हिस्सा प्राप्त होगा। पनकी, ओबरा तथा हरदुआगंज ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से इनमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

3723. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग, मंगोलीहाट, मुनस्यारी और कनालोछीना इत्यादि स्थानों पर खाना पकाने की गैस की सुविधा देने के बारे में मन्त्रालय ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब तक प्रदान की गई;

(ग) क्या इन स्थानों पर खाना पकाने की गैस वितरित की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन स्थानों पर तीव्रता से खाना पकाने की गैस वितरित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) कुमायुं मण्डल विकास निगम को बेरीनाग, गंगोलीहाट, मुनस्यारी में एल० पी० जी० का विपणन करने के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन के द्वारा जनवरी, 1987 में अनुमोदन दिया गया था। एल० पी० जी० का विपणन वास्तव में मार्च, 1987 के प्रथम सप्ताह में आरम्भ हुआ था क्योंकि ये स्थल तब तक बर्फ से ढ़के हुए थे। कनालीछीना के सम्बन्ध में आई० ओ० सी० को कुमायुं मण्डल विकास निगम से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, आई० ओ० सी० कुमायुं मण्डल विकास निगम के साथ परामर्श करके एल० पी० जी० बिपणन की व्यवहार्यता की जांच कर रही है।

भारतीय सीमेंट निगम सम्बन्धी विश्वेश्वरैया समिति की रिपोर्ट

3724. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए नियुक्त की गई विश्वेश्वरैया समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशों में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. संगठनात्मक और प्रबन्ध पहलू।
2. वित्तीय और लेखा सम्बन्धी पहलू।
3. तकनीकी और प्रौद्योगिकीय पहलू।
4. परियोजना और प्रबन्ध।
5. क्षमता उपयोग।
6. संयंत्र और उपकरण के रख-रखाव और डाउन टाइम विश्लेषण।
7. वस्तु सूची।
8. उत्पादन की लागत।
9. बिक्री व्यय और
10. साधारण रूप में विपणन, मूल्य निर्धारण आदि।

समिति की सिफारिशों/निष्कर्षों के आधार पर सी० सी० आई० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में श्री ए० पी० माहेश्वरी की सेवाओं को 27-5-86 को समाप्त कर दिया गया था। अन्य सिफारिशों में से अधिकांश सिफारिशों को लागू कर दिया गया है जबकि उनमें से कुछ को निरन्तरता के आधार पर लागू किया जाना है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश

3725. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश में काफी कमी आई है;

(ख) उस राज्य का नाम क्या है जहां गत दो वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है और उसकी प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश करने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) पिछले दो वर्षों के पूंजीगत निवेश के सम्बन्ध में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, आई० डी० बी० आई० और आई० एफ० सी० आई० की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश को स्वीकृत की जाने वाली वित्तीय सहायता का भाग और साथ ही इन दो संस्थानों से अधिकतम सहायता पाने वाले राज्य निम्न प्रकार हैं :—

राज्य	1985-86	1986-87
1. उत्तर प्रदेश	638.3 (13·8)	770.9 (13·9)
2. महाराष्ट्र	673.0 (14·6)	672.3 (12·1)
कुल योग :	4620.7 (100.0)	5558.3 (100.0)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योग की तुलना में प्रतिशत को दर्शाते हैं।

(अवधि : (जुलाई-जून)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 1985-86 के दौरान महाराष्ट्र पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था किन्तु 1986-87 में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से आगे हो गया है।

उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भिकियासेन और थाल में पेट्रोल/डीजल पम्प खोलने के लिए सर्वेक्षण

3726. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भिकियासेर और थाल में पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापित करने सम्बन्धी आवश्यकता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के कब तक कराये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल उद्योग द्वारा भिकियासेन में किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि वहां एक खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप खोलने के लिए निर्धारित मात्रा और दूरी के मानदण्ड पूरे नहीं होते । थाल नामक स्थान को पहले ही खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप खोलने के लिए तेल उद्योग की 1986-87 को विपणन योजना में शामिल कर लिया गया है ।

[अनुवाद]

विद्युत सम्बन्धी राज्याध्यक्ष समिति

3727. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री विजय कुमार यादव : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सात वर्ष पहले विद्युत सम्बन्धी राज्याध्यक्ष समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार द्वारा कोई सिफारिश स्वीकार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके कार्यान्वियन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) विद्युत से सम्बन्धित राजाध्यक्ष समिति द्वारा निम्नलिखित से सम्बन्धित अनेक सिफारिशें की गई हैं— विद्युत क्षेत्र सम्बन्धी आयोजना, परियोजनाओं का संस्मरण तथा कार्यान्वियन, विद्युत संयंत्रों का प्रचालन तथा अनुरक्षण, राज्य बिजली-बोर्डों का वित्तीय कार्य-निष्पादन, ग्राम विद्युतीकरण, अनुसंधान तथा विकास और विद्युत सप्लाई उद्योग का व्यवस्थापन एवं प्रबन्ध । अनेक सिफारिशों पर कार्यान्वियन सम्बन्धी कारंवाई को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों तथा अन्य एजेन्सियों को मार्गदर्शक निदेश जारी कर दिए हैं, अन्य सिफारिशों के कार्यान्वियन के बारे में, जिनमें संस्थागत एवं सांविधिक परिवर्तन अपेक्षित हैं, राज्यों के साथ परामर्श किया जा रहा है । संरचनात्मक परिवर्तनों के कार्यान्वियन से सम्बन्धित समिति की सिफारिशों के बारे में कई राज्यों द्वारा आपत्तियां व्यक्त की गई हैं ।

केरल में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग सुविधा

3728. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 की पहली छमाही के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग सुविधा का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ख) उन स्टेशनों का ब्योरा क्या है जहां इस समय अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में केरल टेलीकाम सर्किल, डिविजन के अन्तर्गत किसी स्टेशन में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग सुविधा आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) (1) 1986-87 के दौरान भारत के 220 नए नगरों को आई० एस० डी० सुविधा में शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। 322 नगरों को आई० एस० डी० सुविधा के साथ जोड़कर यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

(2) 1987-88 के पहले छः महीनों के दौरान 6 नए नगरों को आई० एस० डी० सुविधा के साथ जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया था और आई० एस० डी० सुविधा के साथ 24 नगरों को जोड़कर यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया था।

(ख) उन स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं जहां कि अब अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा सुलभ है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1987-88 के दौरान केरल दूरसंचार सर्किल के 12 नगरों को आई० एस० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है। जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	आगरा
2.	इलाहाबाद
3.	अल्लापाई
4.	अम्बाला
5.	अमृतसर
6.	आसानसोल
7.	अहमदाबाद
8.	अराह
9.	अदीलाबाद
10.	अबोहर
11.	अनाथपुर
12.	अमरवती
13.	अनकापल्ले
14.	आइजोल
15.	अलवेय
16.	अडोनी

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
17.	अंगामल्ली
18.	अजमेर
19.	अलवर
20.	अत्तुर
21.	ओरंगाबाद
22.	अम्वर
23.	अन्डूर
24.	अहमदाबाद
25.	अकोला
26.	अटिंगल
27.	अलगप्पानगर
28.	अमरेली
29.	अरूपुकोटाई
30.	अलमोड़ा
31.	अरकोनाम
32.	अर्नी
33.	अबीनासी
34.	अम्वासुन्दरम
35.	अलीगढ़
36.	ए० एल० टी० टी० (गाजियाबाद)
37.	अगरतला
38.	अल्लापर्थी

क्र० सं०	स्टेशन
1.	बम्बई
2.	भोपाल
3.	बर्नपुर
4.	बहुआ
5.	बाराकर
6.	वेलगांव
7.	भुनेश्वर

क्र० सं०	स्टेशन
8.	बुर्दवान
9.	बंगलोर
10.	भटीन्डा
11.	बड़ौदा
12.	बरेली
13.	वेलारी
14.	भद्रावदी
15.	भिमावरम
16.	भावनगर
17.	बलसार
18.	भागलकोट
19.	विलासपुर
20.	भरतपुर
21.	वेबार
22.	भिवानी
23.	बहरानपुर
24.	भिवानी
25.	भुसवाल
26.	बिडार
27.	बोलेपर
28.	वाडोन
29.	वडागरा
30.	वोडीनायकानोर
31.	बगडोगरा
32.	बटपारा
33.	विल्लीबोरा
34.	बोलपे
35.	बुलन्दशहर मरसद (स्थानीय कलकत्ता) वज वज
36.	बिकानेर भिलाई (स्थानीय दुर्ग) बेलवारी
37.	बेन्टबाल
38.	बोविली

क्र० सं०	स्टेशन
1.	कलकत्ता
2.	कटक
3.	कोयम्बटूर
4.	चण्डीगढ़
5.	छप्परा
6.	चिदम्बरम
7.	चिंगलपुर
8.	चलकुड़ी
9.	चोघाट
10.	चेरपू
11.	गुड्डपा
12.	चित्रदुर्ग
13.	चिनसुरा
14.	चोहवार
15.	कूछवेर
16.	चिंगवनम
17.	चिंगानूर
18.	चिमनाचेरी
19.	चित्तोड़
20.	चिलाकालूरीपेट
21.	चन्द्रपुर
22.	चिकमंगलूर
23.	कन्नानोर
24.	तरंगानोर, छरहटा, चिकलठाना
25.	चुकलबलम्बपुर

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	दिल्ली
2.	धनबाद
3.	दरभंगा

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
4.	दुर्गापुर
5.	धर्मापुरी
6.	देवनगिरि
7.	दीमापुर
8.	दार्जिलिंग
9.	डिंडीगुल
10.	डालमियानगर
11.	दुर्ग
12.	डिब्रूगढ़
13.	धुबरी
14.	धारवाड़
15.	देहरादून
16.	दुगीराला
17.	देवास
18.	धोलका
19.	धरमगंधरा
20.	धौलपुर
21.	धार
22.	द्वारिका
	धुर्वा
	(रांची का स्थानीय क्षेत्र)
	दिसपुर
	(गुवाहाटी का स्थानीय क्षेत्र)
23.	डालटनगंज
24.	डावेलश्वरम

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	एर्नाकुलम
2.	ईरोड
3.	एल्लूरु
4.	एटा

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	फरीदाबाद
2.	फिरोजपुर
3.	फैजाबाद
4.	फोरबेसगंज

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	गाजियाबाद
2.	गांधीनगर
3.	गुन्टूर
4.	गुडीवाड़ा
5.	गांतोक
6.	गोरखपुर
7.	गुन्टकल
8.	गडग
9.	गुड़गांव
10.	गुडूर
11.	ग्वालियर
12.	गुलवर्गा
13.	गोपीचेट्टिपलायम
14.	गया
15.	गुवाहाटी
16.	गांधीधाम
17.	गोधरा
	गुरुवायूर (चौघाट स्थानीय)
	गांधीनगर (कोट्टायम का स्थानीय)
18.	गुलगुबा

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	हैदराबाद
2.	हल्दिया

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
3.	हासुर
4.	हसन
5.	हरीहर
6.	हिसार
7.	हजारीबाग
8.	हापुड़
9.	होसपेट
10.	हेबागुड्डी
	हुबली
	हनुमनकोंडा (वारंगल का स्थानीय)
	होसुर (सिकपोट)

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	इन्दौर
2.	इटानगर
3.	इरांजलकुडा
4.	इदीकी
5.	इम्फाल
	इब्राहीमपट्टनम (विजयवाड़ा का स्थानीय)

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	जमशेदपुर
2.	जालंधर
3.	जमूरीहाट
4.	जम्मू
5.	जबलपुर
6.	जयपुर
7.	जामनगर
8.	जलगांव

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
9.	जबाई
10.	जोधपुर
11.	जूनागढ़
12.	जमखंबलिया
13.	जाबरा
	झरिया
	(धनबाद)
	झालूकुबरी

क्र० सं०	स्थान का नाम
1.	कानपुर
2.	खड़गपुर
3.	कोजीकोडे
4.	काकिनाडा
5.	कोटायम
6.	खमाम
7.	कोशिकला
8.	कोहिमा
9.	कोडिकनाल
10.	कोलहापुर
11.	करनाल
12.	कटिहार
13.	कोटाराकड़ा
14.	कोटा
15.	कोविलपट्टी
16.	कोलमकूलम
17.	खंडवा
18.	करवार
19.	कालिमपंग
20.	कृष्णानगर
21.	काचिपुरम

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
22.	कुञ्जिह्मिपुरई
23.	करईकुड्डी
24.	करीमनगर
25.	कुन्द्रा
26.	कारुर
27.	करनूल
28.	कलपेटा
29.	कम्बाकोनम
30.	कालपकम
31.	कागशिमम
32.	कल्याण
33.	कोठामंगलम
34.	कलोल
35.	किट्टूर
36.	कालमबोली
37.	कल्याणी
38.	कोबूर
39.	खन्ना
40.	कवाली
41.	कन्याकुमारी
42.	कोडगुडेम
43.	कोपल
44.	कुन्डापुर
45.	कोलार
46.	कलाडीह
47.	करईकल
48.	कवरत्ती
49.	काजीपेट
50.	काजीजूही (स्थानीय कोटायम)
51.	कूरिची (स्थानीय कोयमतूर)
52.	कृष्णापुर

क्र० सं०	स्थान का नाम
1.	लखनऊ
2.	लुधीयाणा
3.	लिंगमपल्ली
4.	लिगलेह

क्र० सं०	स्थान का नाम
1	मद्रास
2.	मुजफ्फरपुर
3.	मैसूर
4.	मैंगलोर
5.	मरकारा
6.	मयूरम
7.	मनारगुडी
8.	मदूरे
9.	मुरादनगर
10.	महबूबनगर
11.	लेहसाना
12.	मछलीपटनम
13.	मालापुरम
14.	मनजेरी मावेलीकड़ा
15.	मालदा
16.	मोतीहारी
17.	मेथूपालयम
18.	मिर्जापुर
19.	मेरठ
20.	मुजफ्फरनगर
21.	मेदनापुर
22.	महू
23.	मोरबी
24.	मुवाथूपुजा

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
25.	मोदीनगर
	मोंरार (स्थानीय गोवालियर)
26.	महाबलीपुरम
27.	मुसीबी
28.	मालवीसरम
29.	मारागोवा
30.	महुआ
31.	मुघेर
32.	मथुड़ा
33.	मेनपुरी
34.	मसूरी
	मनचनालुर
	मइलादूकतूरई (स्थानीय मयूरम)
	मधूकरई (स्थानीय कोएम्तूर)
	मोहाली (स्थानीय चण्डीगढ़)
	मैन्डोर (स्थानीय जोधपुर)
	मुरौना

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	नियामतपुर
2.	नारवकल
3.	नागापट्टनम
4.	नाडियाड
5.	नागपुर
6.	नैय्याटिकारा
7.	नालगोंडा
8.	नासिक
9.	नेल्लार

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
10.	नाडियाल
11.	नागरकोइल
12.	नामक्कल
13.	नैनीताल
14.	नइवेली
15.	नन्दीगामा
16.	नवासारा
17.	निजामाबाद
18.	नागपुर
19.	नानजनगुड
	नेलिकुप्पम
	नागामलापुउकोट्टई

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	उदगमंडलम
2.	ओंगले
3.	ओल्लूर
4.	ओरई
	ओलवाकोडे
	(पालघाट स्थानीय)
	उतक्काडल

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	पुणे
2.	पालघाट
3.	पटना
4.	पंजिम
5.	पटियाला
6.	पट्टनचेरु
7.	पालाकोडे
8.	पांडिचेरी
9.	पानीपत
10.	पुडुकोट्टई

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
11.	पुट्टूर
12.	पालाई
13.	पीलीभीत
14.	पोलाची
15.	प्रोद्दत्तूर
16.	पारमाकुडी
17.	पल्लाडाम
18.	पेरम्बूबूर
19.	पोरबन्दर
20.	पोटब्लेयर
21.	पानवेल
22.	पठानकोट
23.	पुरुलिया
24.	पुरुन्दुराई
25.	प्रतापगढ़
26.	पुनालूर
27.	पालनपुर
28.	पुन्नेरी
29.	पठानमथिट्टा पुरांकी (विजयवाड़ा स्थानीय) पेनम्बूर (मेंगलूर स्थानीय) पालयमकोट्टई (तिरुनेलवेली स्थानीय) पेरियानिक्केनपल्लायाम (कोयम्बतूर स्थानी क्षेत्र)
30.	पय्यान्नूर
31.	पेकापुरम (स्टे०)
32.	क्यूलोन

क्र० सं०	स्थान का नाम
1.	रायबरेली
2.	रानीगंज
3.	रांची
4.	रुपनारायणपुर
5.	रायपुर
6.	राजामुन्द्री
7.	राजकोट
8.	राऊकेला
9.	राजापल्लायम
10.	राजपुरा
11.	रामपुर
12.	रोहतक
13.	रशीपुरम
14.	रानीबेनूर
15.	रायचूर
16.	रानीपेठ
17.	रिवाड़ी
18.	रामेश्वरम्
19.	रबेला
20.	रेन्गुन्डा
21.	रिवा
	रानीपेट (शोकपोर्ट)
22.	रायगढ़
23.	रावलपुरम
24.	रामचन्द्रपुरम

क्र० सं०	स्थान का नाम
1.	सूरत
2.	सेलम
3.	शिमला
4.	श्रीनगर

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
5.	हिमोगा
6.	शाहजहांपुर
7.	शिलांग
8.	सतूर
9.	सीतापुर
10.	श्रीकाकलम
11.	सीलीगुड़ी
12.	शांगली
13.	संगरुर
14.	श्रीशाह
15.	शोलापुर
16.	शुड़ी
17.	सोनीपथ
18.	सागर
19.	सेरतलई
20.	सोपोर
21.	सहारनपुर
22.	श्रीशीह
23.	समस्तीपुर
24.	ससराम
25.	संगारेड्डी
26.	सिवान
27.	सावरकुन्डला
28.	शिवकाशी
29.	सेनकोटा
30.	श्रीवगंगा
31.	शंकरनकायल
32.	शिरुकाली
33.	शियोनी

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
34.	सुरेन्दनगर
35.	शकड़ीदुर्ग
36.	सतना
37.	सत्यामंगलम
	सूलूर (स्थानीय कोएमतूर)
	सिलेमान
	श्रीरंगम
38.	सुलतानपुर
39.	सामलकोट
40.	सरथरा

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	त्रिवेन्द्रम
2.	तिमकुर
3.	तिरूवेला
4.	तुरा
5.	थोडूपूजहा
6.	त्रिचूर
7.	त्रिरूपुर
8.	त्रिची
9.	त्रिवारूर
10.	त्रिरूपेट्टी
11.	थेनी
12.	टीटीकोर्न
13.	त्रिरूमंगलम
14.	ताडेपुल्लिगंडम
15.	तिरूनेलवेली
16.	तेनाली
17.	तिरूचेनगोडे
18.	त्रिवेनी

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
19.	त्रिरूवेलोर
20.	त्रिरूवेनमलाई
21.	तर्वे
22.	तनुका
23.	तिरूटोनी
24.	तलोड
25.	थनजोरा
26.	तिरूमल्ला जमसेदपुर का स्थानीय तिरूबरूम्बर त्रिची का स्थानीय त्रिरूपरोथुराई (त्रिची का स्थानीय) तिरूनगर
27.	तिरूर
28.	तालीप्रम्बा
29.	तुनी

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	उन्नाउ
2.	उदमालपेट
3.	उधमपुर
4.	उधीपी
5.	उज्जैन
6.	उदयपुर
7.	उठ्कुली
8.	ऊन्झा
9.	उल्हासनगर उदयमपरूर का स्थानीय उल्लूबेरिया कलकत्ता का स्थानीय

विवरण-II

क्र० सं०	स्टेशन का नाम
1.	तेल्लिचेरी
2.	पेनानी
3.	अलाथुर
4.	मुन्नार
5.	मन्नार
6.	माला
7.	पारूर
8.	कोलनचेरी
9.	कयामकुलम
10.	पांडालम
11.	कनहानगढ़
12.	नीलेश्वर

नर्मदा सागर परियोजना का भूकम्प विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन

3729. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन बिजली परियोजनाओं को अन्तिम रूप से स्वीकृति देने से पूर्व सभी मामलों में भूकम्प विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन किए जाते हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक ने नर्मदा सागर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने का निर्णय लेने से पूर्व उसके सम्बन्ध में और अधिक भूकम्प विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण करने का आग्रह किया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नर्मदा सागर परियोजना के क्षेत्र में और अधिक भूकम्प विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण किया गया था, यदि हां, तो किसके द्वारा किया गया और उसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए; और

(ङ) क्या उक्त परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता उपलब्ध कराई गई थी यदि हां, तो कितनी मात्रा में उपलब्ध कराई गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भूकम्पी इंजीनियरिंग विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा बांध रिव्यू पैनल जिसका गठन

विश्व बैंक की सलाह से किया गया था, की प्रेरणा से आगे भू-कम्पीय सम्बन्धी अध्ययन कार्य किए गए थे। इन अध्ययनों के आधार पर बांध रिव्यू पैनल द्वारा अपनाए जाने के लिए कुछ डिजाइन पैरा-मीटरों का सुझाव दिया गया है जिनको समाविष्ट कर लिया गया है।

(ङ) नर्मदा सागर परियोजना को सहायता के लिए विश्व बैंक के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है लेकिन ऋण सम्बन्धी बातचीत अभी की जानी है।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड में फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के शेयर

3730. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका की फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के अपने शेयरों को बेचने के बारे में की गई पेशकश पर कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले पर कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) भारत सरकार ने कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड में मैसर्स फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के प्रस्तावित शेयरों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता पहले ही व्यक्त कर दी है।

ऊर्जा उत्पादन

3731. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के प्रथम नौ महीनों के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन हुआ; और

(ख) सरकार द्वारा दक्षिणी राज्यों में ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित विशिष्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1987 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन 1481.2 मिलियन यूनिट हुआ था जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 135085 मिलियन यूनिट था।

(ख) दक्षिणी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

दक्षिणी राज्यों में निर्माणाधीन वृहत/मध्यम जल विद्युत परियोजनाओं (यूनिट का आकार 5 मेगावाट से अधिक अथवा बिजलीघर का आकार 15 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता मेगावाट में
1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश		
1.	नागार्जुनसागर दायां तट नहर विस्तार	1×30
2.	नागार्जुनसागर बायां तट नहर विस्तार	2×30
3.	बालीमेला में ए० पी० पावर हाऊस	2×30
4.	पोचमपद	3×9
5.	पोरना अहोबिलम	2×10
6.	अपर सिलेरू चरण-2	2×60
7.	श्रीसैलम बायां तट बिजलीघर	9×110
कर्नाटक		
1.	वराही	2×115+2×4.5
2.	घटाप्रभा	2×16
3.	कालीनदी चरण-दो	2×30+3×40+3×40
4.	गांगावली	2×105
5.	शरावती टेल रेस	4×60
6.	शिवपुर	2×9
केरल		
1.	कक्कड़	2×25
2.	कल्लड़	2×7.5
3.	लोअर पेरियार	3×60
4.	पुयनकुट्टी	2×120
5.	मुवाथुकुझा	1×6
तमिलनाडू		
1.	कदमपराई पी० एस० एस०	4×100
2.	लोअर मैत्तूर	4×2×15
3.	कुंडाह-पांच-अतिरिक्त	1×20
4.	पारसन की घाटी	1×30

विवरण-II

उन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्योरा जिन्हें दक्षिणी क्षेत्र में सातवीं योजना के दौरान और उसके बाद चालू करने का कार्यक्रम है

क्र० सं०	परियोजना का नाम	यूनिट सं०	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	विजयवाड़ा विस्तार	यूनिट-3	210
	(यूनिट-3 और 4)	यूनिट-4	210
कर्नाटक			
1.	रायचूर चरण-1 (यूनिट-2)	यूनिट-2	210
2.	रायचूर यूनिट-3		210
3.	रायचूर यूनिट-4		210
4.	बंगलौर में गैस टर्बाइन		4×30
5.	कोलार, बीडार, जुमखण्डी और इण्डी डीजल जनरेटिंग सेट		12×6.48
तमिलनाडु			
1.	मैतूर चरण-1	यूनिट-1	210
	(यूनिट-1 और 2)	यूनिट-2	210
2.	मैतूर चरण-2	यूनिट-3	210
	(यूनिट-3 और 4)	यूनिट-4	210
3.	तूतीकोरिन चरण-3	यूनिट-4	210
	(यूनिट-4 और 5)	यूनिट-5	210
4.	उत्तरी मद्रास	यूनिट-1	210
	(यूनिट-1, 2 और 3)	यूनिट-2	210
		यूनिट-3	210
नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन			
1.	नेवेली दूसरा माइन कट	यूनिट-3	210
	चरण-1 (यूनिट-3, 2 और 1)	यूनिट-2	210
		यूनिट-1	210
2.	नेवेली दूसरा माइन कट	यूनिट-4	210

1	2	3	4
	चरण-2 (यूनिट-4, 5, 6 और 7)	यूनिट-5	210
		यूनिट-6	210
		यूनिट-7	210
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम			
1.	रामगुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 (यूनिट-4)	यूनिट-4	500
2.	रामगुंडम चरण-1 (यूनिट-5 और 6)	यूनिट-5	500
		यूनिट-6	500

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की लम्बित पड़ी ताप विद्युत परियोजनायें

3732. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कितनी ताप विद्युत परियोजनायें केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या उक्त राज्य को बिजली की सप्लाई की स्थिति 1969-74 के समान रहेगी, जब कोई नई ताप विद्युत परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही थी तथा परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब होने के कारण स्थिति बिगड़ गई थी; और

(ग) यदि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ पन-बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होता है तो उक्त राज्य के लिए कौन सी आकस्मिक योजनायें हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजे गए हैं तथा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा कोयले तथा जल की उपलब्धता के साथ-साथ पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति जैसे सभी आवश्यक निवेश सुनिश्चित कर दिए जाने के बाद इनका तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा सकेगा ।

सातवीं योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश की प्रणाली में कुल लगभग 947 मेगावाट क्षमता जोड़ने का कार्यक्रम है । राज्य की अपनी स्कीमों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड पश्चिमी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से विद्युत का देय हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होगा । राज्य में व्यस्ततमकालीन मांग में मामूली कमी हो सकती है परन्तु सातवीं योजनावधि के अन्त तक यह राज्य ऊर्जा की उपलब्धता की दृष्टि से फालतू ऊर्जा वाला राज्य हो जाने की सम्भावना है ।

नर्मदा सागर और सरदार सरोवर जैसी जल विद्युत परियोजनाएं आठवीं योजना में और उसके बाद भी लाभ देने के लिए परिकल्पित की गई हैं ।

[अनुवाद]

बंगलौर में रस टरबाइन संयंत्र की स्थापना

3733. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत बंगलौर में "गैस टरबाइन" संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस गैस टरबाइन संयंत्र को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये और उसकी क्षमता कितनी है ; और

(ग) इसमें उत्पादन कब तक प्रारम्भ होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) से (ग) बंगलौर में 20 मेगावाट का एक गैस टरबाइन संयंत्र स्थापित करने के संबंध में "सिद्धान्त रूप में" स्वीकृति कर्नाटक बिजली बोर्ड को फरवरी, 1907 में प्रदान कर दी गई थी जिनके द्वारा परियोजना को कार्यान्वित किया जाना है। चालू करने के कार्यक्रम का निर्धारण, मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के लिए आर्डर दे दिए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

"फ्लूइड पावर" उपकरण निर्माण उद्योग के लिए कक्ष

3734. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फ्लूइड पावर" उपकरणों का निर्माण करने वाले उद्योग के लिए अलग एक कक्ष स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कक्ष के मुख्य कार्य क्या हैं ; और

(ग) "फ्लूइड पावर" उपकरणों का निर्माण करने वाले उद्योग के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) इन्जीनियरी उद्योग परिसंघ ने फ्लूइड पावर उपकरण उद्योग के लिए एक पृथक कक्ष स्थापित करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव पर तकनीकी विकास महानिदेशालय में सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फ्लूइड पावर उपकरण उद्योग लगभग केवल 15 एककों वाला एक बहुत ही छोटा उद्योग है, अतः इस उद्योग के लिए अलग से एक कक्ष की स्थापना करना प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव नहीं समझा गया है। इस समय फ्लूइड पावर उपकरण उद्योग का कार्य-निष्पादन संतोषजनक समझा गया है तथा यह उद्योग मूल उपकरण निर्माताओं तथा प्रतिस्थापन बाजार की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

सरकारी क्षेत्र में जनशक्ति का उपयोग

3735. **श्री अनिल बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनशक्ति का उपयोग और मशीनों आदि का पुराना होना सरकारी क्षेत्र के एककों की मुख्य समस्यायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है वे एक उद्यम से दूसरे उद्यम में भिन्न-भिन्न हैं। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों, विशेषकर अधिकार में लिए गए रुग्ण उद्यमों में जनशक्ति का उपयोग तथा मशीनों आदि का पुराना होना ही मुख्य समस्यायें हैं।

(ख) सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सदुपायों में शामिल हैं—संयंत्र तथा उपस्कर का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन, उत्पाद विविधीकरण, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता में कुल मिलाकर सुधार करना, स्वेच्छा सेवा निवृत्ति योजनायें निरूपित करना, जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना, अन्य उद्यमों में कार्य के अतिरिक्त क्षेत्रों जैसे विस्तार, जब कभी ऐसे कार्य हाथ में लिए जायें, तो फालतू जनशक्ति का संविलयन करना।

नागपुर जिले में खाना पकाने की गैस के वितरक

3736. **बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर जिले में विभिन्न तेल कम्पनियों के खाना पकाने की गैस के वितरक उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो नागपुर जिले में खाना पकाने की गैस के कितने वितरकों की आवश्यकता है;

(ग) क्या वितरकों के पास नए गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जबकि जिला नागपुर में मौजूदा उपभोक्ताओं की एलपीजी की आवश्यकताएं वहां काम कर रहे 29 वितरकों द्वारा पूरी की जा रही हैं, फिर भी तेल उद्योग ने बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 7 नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना बनाई है।

(ख) और (ग) एलपीजी और आवश्यक सम्बद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता अधिक होने पर देश में प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों को तेल कम्पनियों द्वारा नये कनेक्शन रिलीज किए जा रहे हैं, और जिला नागपुर में इस समय प्रतीक्षा सूची पर करीब 42,600 व्यक्ति दर्ज हैं।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा विकलांगों के लिए निर्मित कारों की पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध

3737. **श्री एम. बी. पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा विकलांगों के लिए निर्मित कारों की तीन वर्ष के भीतर पुनः बिक्री करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) हैडिकैप कन्ट्रोल कारें, जो शुल्क रहित आयातित आटोमैटिक ट्रांसमिशन और डिसएबिलिटी कन्ट्रोल गजेट्स से युक्त हैं, पर बाजार में प्रीमियम है। इसकी पुन: बिक्री पर इसलिए प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिससे इसका समान रूप से वितरण किया जा सके और उचित मूल्यों पर उसे उपलब्ध कंराया जा सके।

असम सरकार द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से गैस टरबाइनों की खरीद

3738. **प्रो. पराग चालिहा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने असम सरकार को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से गैस टरबाइन खरीदने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर राज्य सरकार ने कोई आपत्ति उठाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन आपत्तियों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंतालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) असम राज्य बिजली बोर्ड में लाक्वा में स्थापना के लिए गैस टरबाइनों के आयात का प्रस्ताव था। क्योंकि उपकरणों का निर्माण स्वदेश में ही किया जा सकता था इसलिए असम राज्य बिजली बोर्ड को बी. एच. ई. एल. को क्रयादेश देने की सलाह दी गई थी। राज्य सरकार/असम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा गुणवत्ता, कार्य-निष्पादन, विनिर्देशों, मूल्य आदि के बारे में उठाए गए विषयों पर उनके साथ विचार-विमर्श किया गया है।

"गैस टरबाइन्स" का आयात करने और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के खरीद करने के तुलनात्मक लाभ

3739. **प्रो. पराग चालिहा :** क्या उद्योग मंत्री यह बथाने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम सरकार के प्रस्ताव के अनुसार चार "गैस टरबाइन्स" आयात करने पर कुल कितनी लागत आयेगी;

(ख) उतने ही गैस-टरबाइन "भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड" से खरीदे जाने पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(ग) "गैस टरबाइन्स" का आयात करने और उन्हें "भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स" से खरीदने के दोनों प्रस्तावों पर तुलनात्मक लाभ कितना होगा?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगलराव) ; (क) से (ग) असम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कुल 60 मे०वा० की प्रस्तावित चार गैस टरबाइनों की आयातित लागत लगभग 61 करोड़ रुपये है जबकि बी. एच. ई. एल. द्वारा प्रस्तावित कुल 60 मे० वा० की बड़ी क्षमता वाली तीन गैस टरबाइनों की लागत लगभग 54 करोड़ रुपये है।

बी.एच.ई.एल. द्वारा प्रस्तावित मूल्य व अन्य शर्तें, असम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तावित आयातित सैटों की उन्हीं शर्तों की तुलना में अनुकूल हैं।

कोयले का गैसीकरण

3740. **श्री बालासाहिब** विखे **पाटिल** :

श्री भद्रेश्वर तांती :

डा. वी. वेंकटेश :

श्री विमल कांति घोष : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की भारी मात्रा में कोयले के गैसीकरण और विद्युत के उत्पादन क्षेत्र में उसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का पता लगाने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न कोयला गैसीकरण प्रक्रियाओं की जांच किए जाने का प्रस्ताव हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसी तकनीक का विकास किया जा सकता है जिससे भारत में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से संभव 100-120 मेगावाट क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा सके।

इंजीनियरी उद्योग द्वारा पांचवीं योजना की समीक्षा

3741. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरी उद्योग संघ ने हाल ही में सातवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गम्भीर भूलों का पता लगाया गया था; और

(ग) क्या इस समीक्षा से यह पता चला है कि पूंजीनिवेश और बचत दर का स्तर लक्ष्य से कम था ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) इन्जीनियरिंग उद्योग संघ, जिसने सातवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया था, ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक उत्पादन सूची की 1970 की शृंखला पर आधारित की है इस शृंखला का संशोधन कर दिया गया है और औद्योगिक उत्पादन सूची की 1980-81 की शृंखला संशोधित निष्कर्षों पर आधारित है और यह पहले से अधिक स्पष्ट है तथा 1970 से औद्योगिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन इसमें शामिल हैं। 1980-81 शृंखला पर आधारित सूचियां ऐसी दरें दर्शाती हैं जो कि सातवीं योजना में निर्धारित समग्र औद्योगिक विकास दर से अधिक हैं और जिन्हें निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :—

अवधि	विकास दर
1985-86	8·7 प्रतिशत
1986-87	8·9 प्रतिशत
(अप्रैल-जून, 1987)	11·5 प्रतिशत

दूरसंचार संबंधी कृतिक बल का गठन

3742. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

श्री विमलकांति घोष : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने इस वर्ष के प्रारम्भ में दूरसंचार सम्बन्धी एक उच्चस्तरीय कृतिक दल का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कृतिक दल ने नए दूरसंचार उपकरणों की जांच करने के लिए एक "अनुमोदन बोर्ड" बनाने के लिए सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दूरसंचार विभाग द्वारा 3 और 4 फरवरी, 1987 को दूरसंचार पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्राप्त सुझावों के अनुपालन में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर काम करने वाले अनेक कार्य दलों का गठन किया गया था ।

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं, विनिर्माण व्यापार आदि के लिए नई नीतियों का कार्य देख रहे टास्क फोर्स ने नए दूरसंचार उपस्कर के अनुमोदन की प्रक्रिया को कारगर एवं सरल बनाने के लिए एक "अनुमोदन बोर्ड" का गठन करने की सिफारिश की है जहां तक उपभोक्ताओं और उनके स्वामित्व में उपस्कर का प्रश्न है, दूरसंचार बोर्ड ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ।

कोयला क्षेत्र में हानि

3743. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले का कम लागत पर उत्पादन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या इन उपायों से कोयला क्षेत्र में भारी हानि को कम किया जा सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कोयला उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें यह बातें शामिल हैं—प्रशासनिक खर्चों में कमी करके प्रचलन कार्यों की कार्यक्षमता में सुधार लाना, जनशक्ति और मशीनरी का बेहतर इस्तेमाल तथा बेहतर प्रबंध-कार्यप्रणालियां और तकनालॉजी का प्रयोग शुरू करना । इस सम्बन्ध में किए जा रहे उपायों से कोयला कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन में सुधार होने की आशा है । परन्तु इनके लाभकारी प्रभाव का परिमाण निश्चित करना कठिन है कि घाटे में कितनी राशि की कमी अथवा लाभ में कितनी बढ़ोतरी होगी क्योंकि इन पर प्रशासित कीमतों, मजदूरी की प्रवृत्तियों तथा उत्पादन-सामग्री की कीमतों का भी प्रभाव पड़ता है ।

सुपर बाजार में कर्मचारियों की संख्या का आवश्यकता से अधिक होना

3744. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार की वस्तुओं के समाचार पत्रों में निरन्तर छप रही दरों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार में कई दालों और अन्य वस्तुओं के मूल्य अपेक्षाकृत अधिक हैं यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मूल्य अधिक होने का एक कारण केन्द्रीय भंडार की तुलना में सुपर बाजार में कर्मचारियों की संख्या का अधिक होना है, यदि हां, तो अतिरिक्त कर्मचारियों को अन्यत्र खपाने और भविष्य में भर्ती पर रोक लगाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी हां।

(ख) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार दोनों के प्रयास हैं कि अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित दरों पर बेची जाएं। सुपर बाजार प्रयोगशाला में परीक्षित दालें बेचता है। सुपर बाजार के अनुसार उनकी दरें बाजार में उपलब्ध तुलनात्मक क्वालिटी के मामले में प्रतिस्पर्द्धात्मक हैं। मूल्यों में कभी-कभी अन्तर होता है, जो दालों तथा अन्य वस्तुओं की क्वालिटी तथा अधिप्राप्ति के समय बाजार में चल रही दरों पर निर्भर करता है।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनके यहां आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नहीं हैं।

उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेलों के छोटे पैकों में सप्लाई

3745. **श्री कमला प्रसाद सिंह :**

श्री मानिक रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पाम" और "रेपसीड" तेल की कालाबाजारी को रोकने और उपभोक्ताओं को इनको आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इनकी 2 से 5 किलोग्राम के छोटे पैकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) आयातित खाद्य तेल पहले से ही 1 कि.ग्रा. 2 व 5 कि.ग्रा. के छोटे पैकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जा रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर में सलाल पन-बिजली परियोजना

3746. **श्री पी. सईद :**

श्री तारिक अनवर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में सलाल पन-बिजली परियोजना का पहला एकक चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे बिजली कब तक उपलब्ध होने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना की कुल क्षमता तथा पहले एकक की क्षमता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस परियोजना की कुल मूल अनुमानित लागत तथा संशोधित लागत दोनों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सलाल जल-विद्युत परियोजना के प्रथम यूनिट से विद्युत उत्पादन 9 नवम्बर, 1907 से आरम्भ हो गया है।

(ग) परियोजना की कुल क्षमता 345 मेगावाट है और प्रथम यूनिट की क्षमता 115 मेगावाट है।

(घ) परियोजना की मूल रूप से स्वीकृत लागत 55.15 करोड़ रुपये थी और इसकी अब तक अनुमानित लागत 503.26 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

"रफ लाइफ इन खादी सैक्टर" शीर्षक से समाचार

3747. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

डा. चिन्ता मोहन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अगस्त, 1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रफ लाइफ इन खादी सैक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के. वी. आई. सी.) से सम्बन्धित महिला विकास अध्ययन केन्द्र द्वारा किये गये एक अध्ययन "रोल आफ दि पब्लिक स्पेशियेलाईज्ड एजेंसीज एज इन्स्ट्रूमेंट आफ वूमेन्ज इक्वेलिटी एण्ड डिवेल्पमेंट" की कुछ मुख्य-मुख्य बातें रफ लाइफ इन खादी सैक्टर शीर्षक के तहत हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी थीं। रिपोर्ट में खादी क्षेत्र में नियुक्त महिलाओं को कम तथा अपर्याप्त पारिश्रमिक दिये जाने, श्रमिक कानूनों का पालन न करने, पेडों आदि में कार्य करने वाली महिलाओं के लिये समर्थित सेवाओं की कमी की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

इस अध्ययन के निष्कर्ष एक नमूने पर आधारित हैं अतः उपलब्धियों तथा कमियों दोनों को ध्यान में रखकर इन्हें सम्पूर्ण खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के समूचे कार्य के संदर्भ में देखा जाना है खादी और ग्रामोद्योग राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थानों आदि को जो खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करते हैं, वित्तीय, तकनीकी और विपणन सम्बन्धी सहायता देता है। पुरुषों और महिलाएं सहित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नियमित कर्मचारी आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए वेतनमानों के अनुसार मासिक वेतन लेते हैं। अंततः खादी और ग्रामोद्योग द्वारा सीधे ही भर्ती की गई महिलाओं को प्रतिभूत न्यूनतम मजदूरी न मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है महिला कर्मचारियों को दिए जा रहे पारिश्रमिक के बारे में यह उल्लेख किया जा सकता है कि जहां तक उत्पादन कार्यकलापों का सम्बन्ध है खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार अधिकांशतः स्वरोजगार हैं। स्व-नियुक्त कारीगरों/कामगारों और उन संस्थाओं/सोसाइटियो के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का सा कोई सम्बन्ध नहीं है जो कि वित्तीय सहायता, अन्तर्वस्तुएं, विपणन सहायता, प्रशिक्षण आदि देकर काम उपलब्ध कराते हैं और निर्धारित पारिश्रमिक के बदले में तैयार माल एकत्र करते हैं। आयोग ने खादी का उत्पादन करने वाले खादी संस्थानों तथा विभागीय एककों द्वारा अपनाये जाने के लिए अलग-अलग दर के आधार पर मजदूरी का भुगतान करने की एक प्रणाली निर्धारित की है। इस प्रयोजन के लिए आयोग से निविष्टियों का लागत उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता धागे की डिजाइन और यहां तक

कि कारीगरों द्वारा प्रयुक्त किए-गए साज-समान के प्रकार को ध्यान में रखकर हर प्रकार के कार्यकलाप हेतु पारिश्रमिक की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए एक विस्तृत लागत सारणी तैयार की है। इस लागत सारणी की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं के लिए मजदूरी संरचना एक समान है और इसमें कोई भेद नहीं हैं।

खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं में श्रम कानून लागू करने के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि श्रम मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया एक अध्ययन दल सभी पक्षों पर विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

पिछड़े क्षेत्रों का उद्योगीकरण

3748. **श्री हरिहर सोरन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों से पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण की वर्तमान प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सुझाव क्या हैं :

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उन सुझावों की जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ.) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) (क) से (ङ.) : उद्योग रहित जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विद्यमान योजना की समीक्षा तथा संशोधन करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति ने राज्य सरकारों से विचार मांगे थे। समिति ने प्राप्त सुझावों जिनमें से अधिकांश सुझाव किसी क्षेत्र के औद्योगिक पिछड़ेपन के मानदण्ड का निर्धारण करने से सम्बन्धित थे, पर विचार करते हुए, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो कि विचाराधीन है।

उद्योगों पर सूखे का प्रभाव

5749. **श्री हरिहर सोरन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों पर सूखे के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या सूखे से औद्योगिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न उद्योगों पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार का इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ङ.) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास के विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) (क) से (ग) : औद्योगिक उत्पादन के नवीनतम उपलब्ध सूचकांक के अनुसार अप्रैल-जून, 1986 की तुलना में अप्रैल-जून, 1987 में औद्योगक विकास दर 11·5 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 6·1 प्रयिशत थी। औद्योगिक विकास पर सूखे का प्रभाव बहुत मामूली होगा।

(घ) और (ङ.) : सरकार ने सामान्य वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करने, रहात कार्यों के माध्यम से सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने तथा कच्चे माल और बिजली की आपूर्ति में सुधार करने जैसे अनेक अभ्युपाय किए हैं।

उड़ीसा के आदीवासी क्षेत्रों के लिये गेहूं और चावल का आवंटन

3750. **श्री हरिहर सोरन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान उड़ीसा को समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं और चावल का कितना आवंटन किया गया,

(ख) क्या गम्भीर सूखे की स्थिति देखते हुए उड़ीसा के लिए आवटंन को बढ़ाने की आवश्यकता है, और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान उड़ीसा को चावल और रियायती खाद्यान्न का कितना अतिरिक्त आवटंन करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) (क) से (ग) : समन्वित आदिवासी विकास परियोजना इलाकों और आदिवासी बहुत राज्यों में विशिष्ट राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल का वितरण करने विषयक योजना के अधीन खाद्यान्नों का निर्गम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटनो में से दिया जाता है। इस प्रयोजना के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किए जाते हैं।

डिटर्जेन्ट उद्योगों में लाइनियर एल्काइल बेंज़ीन का अभाव

3751. **श्री सी. माधव रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में डिटर्जेन्ट उद्योग को, लाइनियर एल्काइल बेंजीन के अभाव में जोकि, इस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है, संकट का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) क्या हाल ही में स्थापित लाइनियर एल्काइल बेंजीन यूनिटों को मिट्टी का तेल सप्लाई न किये जाने के कारण लाइनियर एल्काइल बेंजीन का अत्यधिक अभाव हो गया है ?

उद्योग मंत्रालय मे औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) : जी नहीं, इस समय देश में लाइनियर एल्काइल बेंजीन की कोई कमी नही है और डिटर्जेन्ट उद्योग के लिए पर्याप्त आयातित सामग्री के साथ-साथ स्वदेशी आपूर्ति भी उपलब्ध है।

पोषणभण्डार (फोडस्टाक) के रूप में तेल पर आधारित लाइनियर एल्काइल बेंजीन का उत्पादन करने वाले किसी एकक ने तेल की कमी अथवा आपूर्ति न किए जाने की शिकायत नहीं की है।

व्यापारियों द्वारा रखे जाने वाले आवश्यक वस्तुओं के स्टाक को अधिकतम सीमा निर्धारित करना

3752. **श्री सी. माधव रेड्डी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के रखे जा सकने वाले स्टाक की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की सलाह दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने केन्द्र की सलाह का पालन किया है और किन-किन राज्यों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) (क) से (ख) : केंद्रीय सरकार ने व्यापारियों, आदि द्वारा दालों, खाद्य तिलहनों, खाद्य तेलों, वैक्यूम पैन चीनी

और खांडसारी (ओपन पैन सुगर) के रखे जाने वाले स्टाक की सीमाएं निर्धारित करते हुए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होते हैं। यहां तक गेहूं और चावल का संबंध है, केंद्रीय सरकार का इनकी निश्चित सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, देश में अभूतपूर्व सूखे के कारण, राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे जमाखोरी को रोकने के लिए जहां कहीं और जिस सीमा तक आवश्यक समझें, गेहूं तथा चावल के लिए स्टाक की सीमाएं निर्धारित करें। लेकिन, इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार पूर्णतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सौंपा गया है।

अतिथि नियंत्रण आदेश को पुनः लागू करना

3753. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने फजूल और आडम्बरपूर्ण मनोरंजन आदि पन व्यय को रोकने के लिये अतिथि नियंत्रण आदेश को पुनः लागू किया है ; और

(क) क्या सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि होटलों आदि में परोसे जाने वाले "कोर्स" की संख्या पर रोक लगाने के लिये आदेश लागू करें ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए अनुदेशों के प्रत्युत्तर में, तेरह राज्यों संघ शामिल प्रदेशों ने सूचित किया है कि अतिथि नियंत्रण आदेश लागू है।

(ख) जी, हां।

छिद्रण कार्य के लिये भारतीय और विदेशी कम्पनियों को ठेके

3754. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान निविदाओं पर आधारित तेल छिद्रण कार्यों एवं इंजीनियर सेवाओं के लिए कितनी भारतीय एवं विदेशी कम्पनियों को ठेके दिये गये ; और

(ख) ठेका पाने वाली किन कम्पनियों ने छिद्रण कार्य आरम्भ कर दिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

"एक्सप्रेस डाक सेवा" आरम्भ किया जाना

3755. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पत्रों की शीघ्र डिलीवरी के लिए त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) और सामान्य डाक सेवा के बीच "एक्स प्रेस डाक सेवा" शुरू करने का विचार है, और

(ख) क्या सरकार का देश के महत्वपूर्ण शहरों के बीच "एक्सप्रेस डाक सेवा" शुरू करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को विशेष भत्ता

3756. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को, उनकी विकलांगता 40% से अधिक होने पर भी 75/- रुपये प्रति मास का विशेष भत्ता नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज जैसे सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों को जो लकवा, पोलियो आदि से उत्पन्न विकलांगता से ग्रस्त हैं, विशेष भत्ता देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्धों तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सवारी भत्ते से है। यदि ऐसा है, तो सरकारी उद्यम कार्यालय ने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए हैं जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दें कि उनके नियमित रूप से सेवारत (कार्य प्रभारित कर्मचारियों सहित) ऐसे कर्मचारियों को सवारी भत्ता लेने की अनुमति दी जाय जो या तो अन्धे हों अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हों बशर्ते कि कर्मचारी की या तो ऊपरी या निचले अंगों की स्थायी आंशिक अपंगता न्यूनतम 40% हो अथवा ऊपरी तथा निचले दोनों अंगों की मिलाकर स्थायी आंशिक अपंगता 50% हो। चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा अपंगता का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ विकलांग-विज्ञानवेत्ता चिकित्सकों के लिए स्थायी शारीरिक क्षति का मूल्यांकन करने में विकलांग-विज्ञानवेत्ता शल्य चिकित्सकों की अमरीकी अकादमी द्वारा प्रकाशित तथा आर्टिफीशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा उनकी ओर से प्रकाशित नियमावली में यथा निर्दिष्ट मानकों को ध्यान में रखा जाता है। इस भत्ते की धनराशि जो शुरू में मूल वेतन की 10% तक निर्धारित की गई थी बशर्ते कि यह अधिकतम 50 रुपये प्रति माह हो, को बदलकर मूल वेतन की 5% कर दी गई है बशर्ते यह अधिकतम 100 रु० प्रति माह हो।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और कितनी उपलब्ध हो सकेगी, सभापटल पर रख दी जायेगी।

. डाकघरो के डाक निरीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के वेतनमानों में संशोधन

3757. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों के डाक निरीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के वेतनमानों में चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अभी तक संशोधन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके वेतनमानों में कब तक संशोधन किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) चौथे वेतन आयोग ने डाकघर

निरीक्षक और सहायक अधीक्षकों के लिए क्रमश: 1400-2300 रुपये और 1600-2900 रुपये के वेतनमानों की सिफारिश की है, तथापि आयोग ने कहा है कि इन संवर्गों में सीधी भर्ती की प्रथा शुरू कर दी जाती है तथा निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक डाकघर और रेल डाक सेवा को मिला दिया जाता है तो सरकार यह जांच कर सकती है कि इन पदों के लिए कौन सा वेतनमान उपयुक्त रहेगा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के बाद वेतनमानों में संशोधन के कार्य पर कारंवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान में कुटीर ऊन उद्योग का विकास

3758. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में, जहां बारह महीने सूखे की स्थिति रहती है, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में कुटीर ऊन उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का उक्त जिलों में, जो देश के सूखे से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राजस्थान के अन्य स्वयंसेवी संगठनों को इस वर्ष विशेष सहायता और ऋण देकर लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और ऐसा किस प्रकार करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मुहैया करने के लिए, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अपने सामान्य कार्यक्रमों के अलावा, राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा संस्थाओं को पिछले 2 वर्षों में 2.50 करोड़ रु० की विशेष सहायता दी है। चालू वर्ष के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग 2 करोड़ रु० पर ब्याज के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए सहमत हो गया है जिसे राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने बैंकों से अल्पावधि ऋण सहायता के रूप में लेने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

राजस्थान में खाना पकाने की गैस की सुविधा

3759. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1987 तक राजस्थान में कितने कस्बों और शहरों में खाना पकाने की गैस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या देश में विशेषकर राजस्थान में कई ऐसे कस्बे हैं जो सब-डिवीजन के मुख्यालय हैं परन्तु वहां खाना पकाने की गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान में विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में लगातार सूखे की स्थिति के कारण जलाने की लकड़ी का अभाव है और खाना पकाने की गैस की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार खाना पकाने की गैस की सुविधा के लिए रेगिस्तानी क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 31 अक्तूबर, 1987 की यथास्थिति को राजस्थान में 54 नगरों/शहरों को एल पी जी की विपणन सुविधाएं दी गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राजस्थान में एल पी जी/एस के ओ की सप्लाई के जरिये वनों के संरक्षण के प्रति उपाय सुझाने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर एल पी जी कनेक्शन रिलीज करने में और राज्य सरकार के परामर्श से निर्दिष्ट किए गए राजस्थान के नगरों/शहरों में एल पी जी सुविधा आरम्भ करने में प्राथमिकता दी जा रही है।

राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में एस. टी डी. सेवा

3760. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में एस. टी. डी. सेवा से सम्बन्धित कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सेवा के कब तक चालू होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) आई डी एन योजना के भाग के रूप में बाड़मेर जिले में अंतर-डायलिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापना तथा संचारण माध्यम की व्यवस्था करने का कार्य चल रहा है। जैसलमेर में आटोमैटिक एक्सचेंज के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) चालू योजना अवधि के अन्त तक इन स्थानों पर एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करना संभव हो जाएगा।

राजस्थान को गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल का आबंटन

3761. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को चालू वर्ष के दौरान प्रति मास गेहूं, चावल, खाद्य तेल, चीनी, मिट्टी का तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का कितना आवंटन किया गया ;

(ख) क्या यह आबंटन लोगों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं का पर्याप्त आबंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें वर्ष 1987 के दौरान राजस्थान को गेहूँ, चावल, आयातित खाद्य तेलों, चीनी, मिट्टी के तेल तथा साफ्ट कोक की आबंटित की गई माहवार मात्रा दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) राज्यों को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का आबंटन. स्टॉक की उपलभ्यता, विभिन्न राज्यों की तत्संबंधी मांग बाजार में उनकी उपलभ्यता तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखकर समय-समय पर किया जाता है। इन वस्तुओं में से अधिकांश वस्तुओं का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है, उनकी सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए नहीं।

विवरण

जनवरी, 1987-दिसम्बर, 1987 के दौरान राजस्थान को सात सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन (आंकड़े हजार मी. टन में)

वस्तु	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	कुल
1. चावल	2·0	2.0	2·0	2·0	2·0	2·0	2·0	2·0	2·0	4·0	4·0	4·0	30·0
2. गेहूं	6·0	60·0	60·0	60·0	60·0	60·0	60·0	40·0	40·0	60.0	60.0	60·0	680·0
3. चीनी	15·832	16·914	16·914	16·914	16·914	16·614	16·914	16·914	16·914	16.914	16·914	16·914	201·9
4· खाद्य तेल	0·350	0·350	0·550	0·500	0·500	0·500	0·600	1·400	1·600	4·900	4 900	4·500	20·0
5. मिट्टी का तेल	21·455	19.646	17·260	17·260	17·261	17·261	18·015	18·016	18·016	18·016	20·986	20·986	224.2
6. साफ्ट कोक	3·0	3·0	3·0	3·0	3·0	3·0	3·0	3·0	3·0	4·5	4·5	4·5	40·5
7. कंट्रोल का कपड़ा													

अप्रैल, 1987 से मार्च 1988 की अवधि के लिए (वार्षिक हकदारी)

सूती	पोलिएस्टर कॉटन ब्लेंडिड शर्टिंग
172·0 लाख वर्गमीटर	23·8 लाख मीटर

* राज्य को नियमित मासिक कोटा के अलावा सितम्बर, 1987 तथा अक्तूबर 198, के महिनों के लिए प्रत्येक माह में लेवी चीनी को 2546 मी. टन मात्रा त्योहार कोटा के रूप में आबंटित की गई थी।

पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण

3763. श्री एन. डेनिस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर पिछड़े क्षेत्र में वर्गीकरण करने के बावजूद, उनमें उद्योगों की स्थापना करने में असफल रहने के कारणों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इन क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए क्या विशेष कदम उठायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) औद्योगिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और अपने क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए अवस्थापनापरक सुविधाओं की व्यवस्था करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रोत्साहन रियायतें प्रदान करके, पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक लाइसेंस देने में उच्च प्राथमिकता आदि देकर उनके प्रयासों को बढ़ाती है। इन प्रोत्साहनों ने उद्यमियों को पिछड़े क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया है जैसा कि इन क्षेत्रों को जारी किए गए आशयपत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों, औद्योगिक स्वीकृतियों तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरणों की संख्या से स्पष्ट है :—

वर्ष	आशयपत्र	औ. ला.	औ. स्वी. का पंजीकरण	त. वि. म. नि पंजीकरण
1984	1064 (627)	905 (323)	——	1915 (1144)
1985	1457 (774)	995 (427)	1167 (681)	1961 (1140)
1986	1130 (621)	618 (278)	2387 (1483)	1162 (610)
1987 (अक्तूबर तक)	769 (412)	416 (171)	1478 (871)	*945 (501)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछड़े क्षेत्रों के लिए हैं)

* सितम्बर तक

महाराष्ट्र में चावल तथा गेहूं की अतिरिक्त मांग

3764. प्रो. मधु दंडवते : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य को कुल कितनी मात्रा में चावल तथा गेहूं की प्रतिमाह सप्लाई की जाती है ;

(ख) महाराष्ट्र की चावल तथा गेहूं की मासिक आवश्यकता कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र से इन खाद्यान्नों की अपर्याप्त सप्लाई की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र को इन खाद्यान्नों की कितनी अतिरिक्त मात्रा में सप्लाई किये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय पूल से आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं और केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर आवंटन किए जाते हैं।

विवरण

महाराष्ट्र के सम्बन्ध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1987 के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान

(हजार मीटरी टन में)

मास	चावल			गेहूं		
	मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
जनवरी	75.0	50.0	47.1	60.0	60.0	77.1
फरवरी	50.0	50.0	39.0	80.0	60.0	53.4
मार्च	60.0	60.0	50.0	100.0	100.0	77.0
अप्रैल	60.0	50.0	48.5	100.0	100.0	78.9
मई	60.0	60.0	45.0	100.0	100.0	91.5
जून	60.0	60.0	49.0	100.0	100.0	91.4
जुलाई	60.0	60.0	50.0	90.0	100.0	99.4
अगस्त	60.0	60.0	49.3	90.0	90.0	89.3
सितम्बर	60.0	60.0	59.9	90.9	90.0	99,1
अक्तूबर	75.0	70.0	71.0	100.0	90.0	87.4
नवम्बर	75.0	70.0	उ०न०	100.0	90.0	उ०न०
दिसम्बर	75.0	70.0	उ०न०	100.0	100.0	उ०न०

उ०न०—उपलब्ध नहीं।

असम में तेलशोधक कारखाने की स्थापना

3765. **श्री. अमल दत्त** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में तेलशोधक की स्थापना के संबंध में अध्ययन के बारे में 3 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1964 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) क्या तेलशोधक को चालू करने के लिये कोई तारीख निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने असम समझौते के अधीन असम में स्थापित की जासे वाली नई तेल रिफाइनरी के लिए एक निवेशपूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट असम सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) और (ग) रिफाइनरी के प्रारंमण सहित ब्यौरों के बारे में जानकारी रिफाइनरी की स्थापना के संबंधी में निर्णय लिये जाने के बाद ही मिल सकेगी।

खाना पकाने की गैस का कार इंधन के रूप में प्रयोग

3766. **श्री अमल दत्त :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक देशों में कारों को खाना पकाने की गैस के चलाने के लिये परिवर्तित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जहां यह परिवर्तन संभव हुआ है, यह परिवर्तन किस सीमा तक किया गया है, इससे कितनी किफायत हुई हैं और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में भारत में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (ब्रह्म दत्त) (क) और (ख) :- जी, हां। यूरोप, यू. एस. ए. और जापान के कुछ भागों में एल पी जी का प्रयोग छोटे पेमाने पर कारों में मोटर स्पिरिट के स्थान पर जमा किया जा रहा है।

(ग) इसके वावजूद कि एल पी जी का प्रयोग अनिवार्य रूप से घरेलु इंधन के रूप में किया जाता है, फिर भी तकनीकी आर्थिक व्ययहार्यता स्थापित न होने तक देश में एल पी जी का इंधन के रूप में वाहनों में प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नमक का उत्पादन करने के लिए भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति

3767. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम स्थित हुम्मा एंड बिचानापल्ली साल्ट प्रोड. एंडसेल कोओपरोटिव सोसाइटी ने नमक का उत्पादन करने के लिये भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति के लिये कोई ज्ञापन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) (क) : जी, हां।

(ख) : गंजम साल्ट फैक्टरी में नमक विभाग की भूमियों के वर्तमान लाइसेंसधारी के साथ किए गए पट्टे के करार की शर्तों के अनुसार, इस पट्टे का नवीकरण किया जाना है। सोसाइटी को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

गुजरात से मथुरा तेलशोधक कारखानों को पाइपलाइनें

3768. **श्री डी. पी. जदेजा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जामनगर जिले में बादिनार से कितनी पाइपलाइनें मथुर तेलशोधक कारखाने को जाती है ;

(ख) इस समय कितनी पाइपलाइनों का पूरा उपयोग हो रहा है ; और

(ग) इस समय कितनी पाइपलाइनों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) और (ख) :- मात्र एक ही सलाया-मथुरा पाइपलाइन नामक ऐसी पाइपलाइन है जो वाडीनार से आरम्भ होकर मथुरा तेल शोधनशाला तक जाती है और इसका पूर्ण उपयोग हो रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में "ऊर्जा ग्राम"

3769. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी "ऊर्जा ग्राम" स्थापित किए गए हैं ;

(ख) शाहजहांनपुर, बरेली और पीलीभीत में स्थापित किये जा रहे "ऊर्जा ग्रामों" की वर्तमान स्थिति क्या है और उनके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक पर अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) उत्तर प्रदेश में 19 ऊर्जाग्राम स्थापित किए गए हैं ।

(ख) और (ग) बरेली जिले बुखारा गांव में ऊर्जा ग्राम परियोजना पूर्ण हो चुकी है ; शाहजहांपुर जिले के सिगराहा गांव की परियोजना कार्यान्वियन के अधीन है ; तथा एक परियोजना पीलीभीत जिले के रुरा-रामनगर गांव में स्थापित करने की योजना बनाई गई है ।

पहली दो परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई राशि क्रमश: 2,24,250 रु. तथा 2,14,950 रुपये है । जबकि बरेली की परियोजना में सारी राशिव्यय हो चुकी है, शाहजहांपुर की परियोजना में अब तक 12,500 रुपये व्यय किए गए हैं ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

3770. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश सर्किल में कितने नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग की गई तथा इसे किस प्रकार पूरा किया गया है ; और

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान कितने नये टेलीफोन कनेक्शनों की कितनी मांग होगी तथा इसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल में कानपुर सहित, 1.4.85 एवं 1.4.86 को नए कनेक्शनों की मांग (प्रतीक्षा सूची) क्रमश: 42,343 एवं 48,019 थी । उपर्युक्त मांग को पूरा करने के लिए 1985-86 तथा 1986-87 में टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता में 28,565 तथा 18,115 लाइनों की वृद्धि की गई ।

(ख) 1.4.87 को 51,904 आवेदक सूची में थे और उम्मीद है कि 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान प्रत्येक वर्ष 73,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा सकेंगे । 1987-90 वर्ष के दौरान लगभग 70,000 लाइनों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों और तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हों ।

शाहजहांपुर में डीजल/पेट्रोल पम्पों, खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों/एजेंसियों की मांग

3772. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में डीजल/पेट्रोल पम्पों, खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों/एजेंसियों की कितनी मांग हैं ; और

(ख) उक्त मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) शाहजांपुर जिले (उत्तर प्रदेश) में पेट्रोल और डीजल, जो मुख्य बिक्री के उत्पाद हैं कि वर्तमान मांग को वहां कार्यरत 24 खुदरा बिक्री केन्द्रों के द्वारा पर्याप्त रूप में पूरा किया जा रहा है। मात्रा और दूरी के मापमण्डों को ध्यान में रखते हुए इस जिले में चार और खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का तेल उद्योग का प्रस्ताव है।

एल पी जी के संबंध में तेल उद्योग 20,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले कस्बों को जहां एल पी जी के विपणन के लिए पर्याप्त रूप से तत्व मौजूद हैं को चरणबद्ध रूप से कवर कर रहा है। शाह जहांपुर जिले में पहले ही शाहजहांपुर कस्बे में दो एल पी जी वितरणशिपें खोली गयी हैं एक और एल पी जी वितरणशिप तिलहर में स्थापित की जा रही है।

इन दो स्थानों के अतिरिक्त जिले के अन्य स्थानों में एल पी जी व्यवहार्य विपणन के लिए पर्याप्त तत्व मौजूद नहीं है।

साबुन के अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम

3773. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व, भारत में पंजीकृत साबुन के अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों का, विदेशी सहायक कम्पनियों द्वारा भारतीय उद्योगों का अनुचित लाभ उठाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अभी भी प्रयोग किया जा रहा है ; और

(क) यदि हां, तो सरकार कास्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) व्यापार तथा पण्यवस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अधीन पंजीकृत व्यापार चिन्हों का प्रयोग संबद्ध वस्तुओं पर पंजीकृत मालिकों/प्रयोक्ताओं द्वारा किया जाता है।

व्यापार तथा पण्यवस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 के अधीन व्यापार चिन्ह का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। किसी भी व्यापार चिन्ह का प्रयोग पंजीकरण के बगैर या पंजीकरण से पहले या समाप्ति के पश्चात अधिनियम द्वारा प्रदत्त संरक्षण के बगैर किया जा सकता है। इस समय, सरकार विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों में एक शर्त लगाती है जिसके अनुसार आंतरिक बिक्री के लिये उत्पादों पर विदेशी ब्रान्ड के नामों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की श्रेणी-ई-1 से ई-7 में पदोन्नति

3774. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में श्रेणी ई-1 से श्रेणी ई-7 में पदोन्नति करने के लिये

1986 और 1987 के दौरान निगम की विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कोई प्रतिनिधि नियुक्त किये गये थे ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।

(ग) वर्तमान विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी नियुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 1986 और 1987 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति के लिए सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों के बारे में विचार किया गया था ;

(ड.) प्रत्येक श्रेणी में सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार पदोन्नत किये गये थे ;

(च) यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी पदोन्नत नहीं किया गया था तो इसके क्या कारण है ;

(छ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्सीदवार के लिये विशेष प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया था और यदि हां, तो प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के नाम क्या हैं ;

(ज) क्या कर्मकारों/पर्यवेक्षकों/कार्यपालकों की श्रेणी-वार विभागीय पदोन्नति के मामले में रोस्टर प्रणाली अपनायी जाती है ; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में ई-I ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति में वर्ष 1906 दोनों बार एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शामिल किया गया था। ई-I से ऊपर के ग्रेडों में पदोन्नति के लिए 1906 तथा 1907 में गठित निगम पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शामिल नहीं किया जा सका, क्योंकि निगम में अपेक्षित स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी उपलब्ध नहीं थे। निगम पदोन्नति समितियों में सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु उपयुक्त स्तर तथा उपयुक्त पृष्ठभूमि रखने वाले अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से सहायता का अनुरोध किया है।

(घ) से (च) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(छ) जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अधिकारियों के लिए अलग से किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी, उनके प्रशिक्षण के बारे में अन्य अधिकारियों के साथ ही विचार किया गया था।

(ज) और (झ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सभी प्रचालनाधीन यूनिटों में ई-I ग्रेड सहित कर्मचारियों तथा सुपरवाइजरी श्रेणियों में पदोन्नति के संबंध में रोस्टरों की व्यवस्था है।

विवरण

1986-87 के दौरान कार्यपालकों की पदोन्नति

स्तर	जिनके बारे में विचार किया गया			पदोन्नत किए गए		
	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1986						
ई—1	81	—	—	41	—	—
ई—2	266	1	—	186	1	—
ई—3	187	5	2	121	3	2
ई—4	92	4	—	58	2	—
ई—5	23	3	—	15	1	—
ई—6	35	1	—	9	—	—
1987						
ई—1	137	1	1	82	1	—
ई—2	385	17	1	272	11	1
ई—3	273	16	1	189	8	—
ई—4	182	8	2	123	6	—
ई—5	58	1	—	25+1*	0+1*	—
ई—6	43	3	—	13	0	—

विदेशी ट्रेड मार्कों का प्रयोग

3775. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औद्योगिक लाइसेंस जारी करते समय अथवा विदेशी सहयोगों की स्वीकृति देते समय विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से अनेक कम्पनियां विदेशी ट्रेड मार्कों का प्रयोग कर रही हैं, जबकि उन्हें इसका प्रयोग करने की विशेष रूप से मनाही है ; और

(ग) विदेशी ट्रेड मार्कों का प्रयोग न किये जाने की शर्तों के पालन पर निगरानी रखने के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई है और दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ?

* निगम पदोन्नति समिति द्वारा 1986 में विचार किया गया परन्तु 1986 में रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति को 1997 में लागू किया गया।

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) विदेशी सहयोगों की स्वीकृति देते समय एक शर्त लगाई जाती है कि आंतरिक बिक्री के उत्पादों पर विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

(ख) और (ग) विद्यमान कानून के अधीन, विदेशी व्यापार चिन्हों के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है बशर्ते कि इसमें कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा निहित न हो। पंजीकरण अथवा पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से पूर्व या पश्चात तथा व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम द्वारा किए जाने वाले संरक्षण के बिना किसी भी व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है।

सरकारी उपक्रमों का गैर-सरकारीकरण

3776. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री एस. बी. सिदनाल क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकारी अधिकारियों ने सरकारी उपक्रमों के गैर-सरकारीकरण किए जाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थायी सम्मेलन ने सरकारी उपक्रमों के बारे में कई सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्यों का आशय चुनींदा सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों द्वारा तैयार किये गये श्वेत पत्र के मसौदे से है। इस पर सचिवों की अर्न्तमंत्रालयीन समिति द्वारा विचार किया गया है तथा उचित कारंवाई करने के बाद इसे अन्ततोगत्वा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। ईसलिये, इस स्थिति मे श्वेत पत्र के मसौदे की विषय-वस्तु नहीं बनाई जा सकती है।

औषधियों का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां

3777. **श्री प्रकाश वी. पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियां उत्पाद करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन का क्या प्रतिमान (पैटर्न) रहा है,

(ख) क्या ये कंपनियां जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन कर रही हैं, यदि हां, तो कंपनियों द्वारा उत्पादित दर्द निबारक औषधियां (पेन किलर्स) आदि जैसी अन्य औषधियों की तुलना में ऐसी औषधियों का अनुपात क्या है, और

(ग) इन कंपनियों के लाभ में गत तीन वर्षों के दौरान कितनो वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) फैरा कंपनियां, एण्टीबायटिक्स, सल्फा औषधें, विटामिन, एनाल्जेसिक्स व एण्टिपायरेटिक्स कार्टिको स्टीयोराइड्स, टी बी-रोधक औषधों आदि जैसी अनेक आवश्यक औषधों सहित अनेक प्रकार के भेषजों का निर्माण कर रही हैं। यह मंत्रालय केवल 87 महत्वपूर्ण प्रपुंज औषधों के उत्पादन को मानीटर करता है।

(ग) भेषज कंपनियों द्वारा कमाये गए लाभ को इस मंत्रालय द्वारा मानीटर नहीं किया जाता है।

मारुति के अतिरिक्त पुर्जों का देश के भीतर उत्पादन :

3778. **डा. ए. के पटेल** : क्या उद्योग मंत्री 5 सितम्बर, 1987 के इण्डियन नेशन, पटना में प्रकाशित अपने वक्तव्य के संदर्भ में, कि मारुति के अतिरिक्त पुर्जों का देश के भीतर उत्पादन की प्रतिशतता बढ़ायी जा रही है तथा कार की कीमतों में कमी की जायेगी, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष देश के भीतर कितने प्रतिशत पुर्जों का उत्पादन किया गया था तथा अब क्या लक्ष्य रखा गया है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में मारुति के विभिन्न माडलों की क्या कीमतें रही हैं तथा प्रत्येक बार इसकी कीमतों में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगलराव) : (क) मारुति कारों स्वदेशीकरण के प्रतिशत में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है और पिछले तीन वर्षों में मापा गया औसत स्वदेशीकरण निम्नप्रकार है :—

1984-85	19.4%
1985-86	30.36%
1986-87	46.05%
1987-88 (लक्ष्य)	65185%

मूल्यों का निर्धारण कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक तथ्यों के आधार पर किया जाता है।

(ख) भिन्न-भिन्न तिथियों को कारखाने से निकलते समय विभिन्न मारुसि वाहनों के मूल्यों में हुई वृद्धि निम्नप्रकार से है :—

(रुपयों में)

वाहन प्रारम्भिक मूल	कारखाने से निकलते समय मूल्य में वृद्धि (उत्पाद-शुल्क एवं डीलरों की कमीशन सहित)					चालू मूल्य*
	1-4-85	28-3-86	4-6-86	14-3-87	14-18-87	
कार स्टेण्डर्ड 47,500						
नीली और सफेद	2,450	7,150	6,800	7,650	1,000	72'550
लाल भूरी तथा सफेद	3,200	7,150	6,050	7,650	1,000	72,550
कार डीलक्स	450	5.550	8,800	8,850	1,325	103,975
कार ए. सी, 62,200	—	6,800	9,500	8,250	1,325	88,075
सपाट छत वाली वैन 47,500						
नीली और सफेद	7,000	7,000	6,000	4,950	1,000	73,450
लाल, भूरी और हरी	7,750	7,000	5,250	4,950	1,000	73,450
ऊंची छत वाली वैन 49,250						
नीली और सफेद	7,000	6,750	5,800	5,550	1,000	75,450
लाल, हरी तथा भूरी	7,750	6,850	5,050	5,550	1,000	75,·50
जिप्सी 83,900	—	3,100	7,900	6,650	1,500	103,050

*कारखाने से निकलते समय मूल्य (उत्पाद-शुल्क और डीलरों की कमीशन सहित)

[हिन्दी]

केन्द्रीय दल द्वारा उत्तर प्रदेश का दौरा

3779. **चौधरी अख्तर हसन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री उत्तर प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के बारे में 31 मार्च, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 484 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल ने क्या मूल्यांकन किया है ; और

(क) इस दल के निष्कर्षों पर केंद्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री. के. एल. भगत) (क) और (ख) उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता का मौके पर जायजा लेने के लिए एक केंद्रीय दल ने उत्तर प्रदेश के गौंडा तथा मुजफ्फर नगर जिलों का पहली और 6 जुलाई, 1987 को दौरा किया था। दल के दौरे के दौरान यह देखा गया कि उचित दर की दुकानों के माध्यम से चीनी, कंट्रोल में कपड़े, मिट्टी का तेल तथा आयातित खाद्य तेलों का वितरण किया जा रहा था। चावल तथा गेहूं का वितरण उनकी मांग के आधार पर किया जा रहा था। केन्द्रीय दल ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के संबंध में श्वेत पत्र

3780. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री बसुदेव आचार्य :

डा. चिन्ता मोहन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति को सरकारी क्षेत्रों के कार्यकरण के संबंध में श्वेत पत्र तैयार करने का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ; और

(ग) यह श्वेत पत्र कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों सम्बन्धी श्वेत पत्र के प्रारूप को अन्तिम रूप देने के लिए सचिवों की एक अन्तमंत्रालयन समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अब तक 13 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(ग) श्वेत पत्र का प्रारूप तैयार किया गया है जिसे अन्तिम रूप से संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व विभिन्न अवस्थाओं में से होकर गुजरना है। संसद के समक्ष श्वेत पत्र प्रस्तुत करने के लिये निश्चित समय सीमा सूचित नहीं की जा सकती है।

साफ्ट कोक पर मूल्य नियंत्रण

डा. चिन्ता मोहन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि साफ्ट कोक पर से मूल्य नियंत्रण

हटाया जाना चाहिए और इसका उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक आधार पर किया जाना चाहिए।

(ख) क्या सपाट कोक का उत्पादन बढ़ा कर इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा ताकि वनों से प्राप्त इंधन की लकड़ी का कम से कम उपयोग किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) हां। ऊर्जा पर सलाहकार बोर्ड की सिफारिशो में साफ्ट कोक की खान मुहाना कीमतों पर से नियंत्रण हटाना और साफ्ट कोक उत्पादन के लिए मशीनीकृत संयंत्रों की स्थापना हेतु गैर-सरकारी पार्टियों को प्रोत्साहन देना शामिल है।

(ख) से (घ) कोयला कंपनियों को साफ्ट कोक का उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्देस दिए जा रहे हैं ताकि राज्यों को अधिक मात्रा से साफ्ट कोक उपलब्ध कराया जा सके। साफ्ट कोक के उपयोग को प्रोत्साहन देने और इसकी उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए कोल इण्डिया लि. की सहायक कंपनी; केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. रांची ने धुंआ रहित ठोस इंधन के उत्पादन हेतु एक नई तकनालॉजी का विकास किया है। इसके लिए संयंत्रों की स्थापना लघु उद्योग क्षेत्र में की जा सकती है। इस तकनालॉजी द्वारा उप-उत्पादन भी प्राप्त किये जा सकते हैं जो वर्तमान प्रक्रिया में व्यर्थ चले जाते हैं। ऊर्जा पर सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर समुचित फोरमों में विचार किया जाएगा तथा एक नीति बनाई जाएगी जिसके तहत घरेलू ईधन के रूप में साफ्ट कोक के उपयोग की सम्भाव्यता एवं सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा।

[अनुवाद]

पणजी, गोवा में टेलीफोन अदालत

3782. **श्री शांताराम नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग के महाराष्ट्र सर्किल ने पणजी, गोवा में टेलीफोन अदालत का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसका आयोजन कब किया गया था ;

(ग) कितनी तथा किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई तथा क्या राहत प्रदान की गई ;

(घ) क्या यह अदालत प्रयोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने में सफल रही थी ;

(ङ) क्या टेलीफोन परामर्शदात्री समिति के सदस्य अथवा चुने हुये जन प्रतिनिधि इस अदालत से संबद्ध थे ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) यह 19 अक्तूबर 1987 को आयोजित हुई थी।

(ग) नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई थी :—

ज्यादा राशि के विल—	7
कनेक्शन प्रभार की वापसी	1

नस टेलीफोन कनेक्शनों की मांग 5

टेलीफोनों का दोषयुक्त कार्य 5

उपर्युक्त सभी शिकायतों पर विचार विमर्श किया गया और भाग लेने वाले संबंधित व्यक्तियों की संतुष्टि के अनुरूप निर्णय लिए गए।

(घ) जी हां,।

(ड) चूंकि मामलों के ब्यौरे स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर मंगाए जाते हैं और निश्चित दिन को उपभोक्ता के साथ उन पर चर्चा की जाती है, अतः इस प्रयोजन के लिये टेलीफोन अदालन में टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों या चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

(च) उपर्युक्त भाग (ड·) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता

पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में छिद्रण-कार्य

3783. **श्री अमल दत्त :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त रिगों तथा अन्य उपकरण और सामग्री की उपलब्धता के मामले में विभिन्न कठिनाइयों के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में छिद्रण कार्य मे प्रगति नहीं हो रही है ;

यदि हां, तो उस क्षेत्र में छिद्रण कार्य की सफलता पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(ग) सफल छिद्रण कार्यों के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक क्या विभिन्न कदम उठाये गये हैं उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) :- प्रश्न ही नहीं उठते।

सेवा पेपर मिल्स, उड़ीसा द्वारा पुरानी मशीनों का आयात

3784. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या उद्योगमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में जेपोर स्थित सेवा पेपर मिल ने पुरानी आयातित परितयुक्त मशीनें खरीदी थीं और उन्हें स्थापित किया था ;

(ख) उक्त मशीन किस देश से आयात की गई थी और उस पर कितना शुल्क दिया गया था ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि जनता का यह आरोप है कि वित्तीय संगठन के इंजीनियरों ने उद्यमकर्त्ताओं के साथ सांठगांठ करके प्रमाणित किया है कि ये मशीनें प्रचालन योग्य हैं किन्तु मिल को बन्द करना पड़ा है ;

(घ) उड़ीसा सरकार ने इस मिल को कच्चे माल जैसे बांस आदि प्राप्त करने के लिए कितनी वनभूमि पट्टे पर दी थी और इस भूमि पर कितने पेड़ थे और इसका बाजार मूल्य कितना है ?

उद्योग मंत्रालज में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) (क) और (ख) में. सेवा पेपर मिल्स ने निम्नलिखित पुरानी मशीनें आयात और आधिष्ठापित की थीं :

(1) नार्वे/स्वीडन से एम. एफ. पेपर मशीन

(2) स्वीडन से रिकवरी बॉयलर

(3) स्वीडन से बेक प्रेशर टर्बाईन

कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सीमा-शुल्क के रूप में 154. 34 लाख रु. की राशि का भुगतान किया गया है।

(ग) निर्माण वर्ष, मशीन की हालत, इसके शेष कार्यजीवन आदि के सम्बन्ध में चार्टर्ड इन्जीनियर के प्रमाणपत्र को ध्यान में रखते हुए पुरानी मशीनों के आयात की अनुमति इसके लिये तैयार की गई प्रणाली के अनुसार दी जाती है। वित्तीय संस्थानों ने बताया है कि पुरानी पेपर मशीन के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है।

(घ) उड़ीसा सरकार ने कम्पनी को 25, 250 हैक्टेयर वन्य भूमि का आवंटन किया है। खड़े हुए पेड़ों तथा बाजार में उनके मूल्य के बारे में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ;

उद्योगों का पता लगाया जाना

3785. **श्री एस. एम. गुरड्डी :**

श्री जी एस. बसवराजू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के अधिकारियों के एक कार्यबल से ऐसे उद्योगों के बारे में पता लगाने को कहा गया है जिनके उत्पादों की देश के बाजारों में मांग कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यदल ने अपनी योजना प्रस्तुत कर दो है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। फिर भी भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के औद्योगिक क्षेत्र पर सूखे के प्रभाव के संबंध में एक अध्ययन किया है। यह अध्ययन केवल 16 उद्योगों के बारे में किया गया है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 28 प्रतिशत प्रभाव है। इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि औद्योगिक विकास पर सूखे का नाममात्र प्रभाव पड़ेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय श्रमिकों संघों द्वारा हड़ताल

3786. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए 23 नवम्बर, 1987 को हड़ताल करने का निर्णय लिया है ?

(ख) यदि हां, उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने इस हड़ताल को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी हां। केन्द्रीय श्रमिक संघों ने हड़ताल स्थगित कर दी है।

(ख) पश्चिम बंगाल में इन्जीनियरी पटसन तथा कपड़ा क्षेत्रों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिये अन्तरिम राहत की मांग करते हुये हड़ताल का आह्वान किया गया था। इन एककों में अन्तरिम राहत प्रदान नहीं की गई थी क्योंकि इन क्षेत्रों में गैर-सरकारी तथा सरकारी उद्यमों दोनों के लिये समान मजूरी समझौते सम्पन्न किए जाते हैं।

(ग) उद्योग मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री महोदय को स्पष्ट करते हुये पत्र लिखा है कि इन एककों में अन्तरिम राहत का भुगतान क्यों नहीं किया जा सकता है। उन्होंने उसने हड़ताल रोकने के लिये अपने पद का सदुपयोग करने का भी अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय जल-विद्युत डिजाइन और अनुसंधान संस्थान की स्थापना

3787. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऋषिकेश (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय जल-विद्युत डिजाइन और अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह संस्थान कब तक स्थापित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) से (ग) निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ऋषिकेश (उत्तर प्रदेश) में "राष्ट्रीय जल विद्युत अनुसंधान और विकास संस्थान" स्थापित करेगा तथा जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइनों, निर्माण तकनीकों एवं पर्यावरण संबंधी पहलुओं के बारे में अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों के कार्य और इनसे संबंधित समन्वय कार्य भी करेगा। संस्थान को स्थापित करने सहित इससे संबंधित कार्यक्रम के ब्यौरे को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेलों का आयात

3788. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस वर्ष के आरंभ में वनस्पति उद्योग को खाद्य तेलों की सप्लाई बंद कर दी थी ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) राज्य व्यापार निगम ने वनस्पति निर्माताओं को आयातित खाद्य तेलों को पुनः सप्लाई किन कारणों से की ; और

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई बंद करने से पूर्व सरकार द्वारा उनका निर्गम मूल्य क्या निर्धारित किया गया था और वर्तमान निर्गम मूल्य क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ग) प्रशासनिक अपेक्षाओ के कारण आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति कुछ समय से लिए स्थगित कर दी गई थी।

(घ) वनस्पति उद्योग के लिए 1. 8. 1987 से पहले और इसके बाद के निर्गम मूल्य निम्नवत हैं :—

1.8.87 से पहले के निर्गम मूल्य	1.8.87 के बाद के निर्गम मूल्य
11,500/-रुपये प्रति मी. टन (सामान्य दर)	15000/-रुपये प्रति मी. टन (समान्य दर)
13000/-रुपये प्रति मी. टन (वाणिज्यिक दर)	18000/-रुपये प्रति मी. टन (अतिक्ति आबंटन)

ऊर्जा बचत उपकर

3789. **डा. बी. एल. शैलेश : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उद्योगों पर प्रस्तावित ऊर्जा बचत उपकर लगाने का विचार त्याग दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) ऊर्जा संरक्षण निधि को सृजित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि ऊर्जा संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वियन उपलब्ध बजट प्रावधानों में से किया जाए ताकि इन कार्यान्वयन सबंधी कार्य तत्काल आरंभ किया जा सके।

———

11.59 म. प.

[अनुवाद]

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय मैं एक बहुत ही गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज तेज हो गया।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : मंत्रीमंडल स्तर के मंत्री, श्री शिव शंकर ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया है कि उच्चतम न्यायालय में तस्करों का स्वर्ग है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, हमने नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दिए हुए हैं ··

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृतांत मे सम्मिलित नही किया गया।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, आप हमें संरक्षण प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको संरक्षण प्रदान करूंगा। मुझे केवल यह सुनिश्चित करना है कि···

प्रो. मधु दण्डवते : मैंने आपको समाचार पत्र की कतरने भेजी थीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है।

(व्यवधान)* *

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब कृपया सुनिये। मुझे आपका नोटिस मिल चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। मुझे प्रोफेसर साहब को उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठहरिए जरा, देखिए तो सही, मैं आपकी भी बात सुनूंगा। शांत रहिए घबराइये नहीं मैं आपकी बात सुनूंगा। चिन्ता मत कीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : कृपया हमारी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा परन्तु पहले मुझे यह सुनिश्चित करना है कि जो समाचारपत्रों में छपा है। वह सही है अथवा नहीं और उसके अनुसार में कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हैदराबाद में उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह अपमानजनक है तथा देश के उच्चतम न्यायालय को बदनाम करता है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई किसी के बारे में कुछ भी लिख दे, मैं भी वहां पर मौजूद था।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : समाचारपत्र में विस्तृत समाचार आया है कि सर्वोच्च न्यायालय तस्करों का शरणस्थल है। (व्यवधान) वह अभूतपूर्व विधिमंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह अभी भी विधि मंत्री हैं।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : अब वह एक केन्द्रीय मंत्री हैं। **(व्यवधान)** वह उच्चतम न्यायालय को तस्करों का शरणस्थल कहने की धृष्टता करते हैं। **(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह पता लगाना है कि सन्दर्भ क्या है? आप वह मुझे दे दें तो मैं उत्तर मंगा लूंगा।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। (व्यवधान) मुझे आशा है कि मैंने जो कतरन भेजी थी वह आपने देख ली होगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट आपकी बात भी सुनता हूं, पहले मुझे इनका जवाब तो दे लेने दीजिए, इसके बाद आपको भी आराम से सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले एक बात का जवाब तो देने दो।

[अनुवाद]

मैं किसी बात का उत्तर देने के लिए खड़ा हूं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मुझे इनका जवाब नहीं देने देंगे तो फिर मैं बोलूंगा कैसे?

[अनुवाद]

मैं यह कह रहा हूं कि मुझे यह सुनिश्चित करना है कि ये शब्द उनके हैं या नहीं तथा उन्होंने क्या कहा है। आपने केवल स्थगन प्रस्ताव भेजा है। आप कुछ और बतलाइये तब मैं इसे आगे और बढ़ाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : विधि मंत्री उच्चतम न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक शब्द नहीं कह सकते हैं। आपको श्री शिवशंकर से इसकी पुष्टि करा लेनी चाहिए थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके पास भी आ रहा हूं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, आपकी बात भी सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अकेले आपकी बात सुनता हूं तब भी नहीं सुनने देते और सबकी एक साथ बात सुनी नहीं जा सकती।

(व्यवधान)

श्री तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, जब सुप्रीम कोर्ट को ला मिनिस्टर ऐसा कहता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए है···।

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी, कल को कोई कह दे कि आपने कत्ल किया है तो क्या आपसे पूछे बिना फांसी लगा दी जाएगी।

श्री वी. तुलसी राम (नगरकुरनूल) : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर यह क्या बात हुई, इसको देखना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह सुनिश्चित करना होगा···

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यह लिखित वक्तव्य का अंश था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं।

श्री पी. कुलनवईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : श्रीलंका में काफी गम्भीर स्थिति बनी हुई है। आज भी यह खबर छपी है कि 12 आई पी. के. एफ. मारे गए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बेकार की बात है।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : हमने एन. टी. रामाराव के खिलाफ पांच दिन पहले नियम 193 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था। आपने उसके बारे में क्या किया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस सभा के सदस्य हैं। इसलिए आपके सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न आंध्र प्रदेश अथवा महाराष्ट्र की राज्य विधानसभाओं में नहीं उठाया जा सकता है।

श्री शांताराम नायक : श्री अंतुले पर चर्चा हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं वह श्री अंतुले पर नहीं थी कुछ और ही बात थी। हमें सन्दर्भ का पता लगाना पड़ेगा तथा किस शीर्ष और किस नियम के अन्तर्गत मैं यह कर सकता हूं मैं उसका पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : हमने एक नोटिस दिया है। श्री अंतुले के मामले पर यहां दोनों ही सभाओं से चर्चा हुई थी। (व्यवधान) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रथमदृष्टया मामले से संतुष्ट होकर केन्द्र सरकार से पूछा··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शोर मत करिए, आप शोर क्यों करते हैं, इतना जोर क्यों लगाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए ऐसा है मैं तो कह रहा हूं आपको, लेकिन आप सुनते नही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो एक बात आपको कह रहा हूं कि अगर कोई बात होगी तो कानून के या रूल के अधीन अवश्य डिसकस होगी।

[अनुवाद]

मैं इस बारे में पता लगा रहा हूं। मैंने आपको उसी दिन बताया था और वही मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि मुझे पहले इसका पता लगाना होगा तथा संतुष्ट होना होगा कि मैं कुछ कर भी सकता हूं या नहीं।

(व्यवधान)

श्री पी. कुलनदईवेलू : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम श्रीलंका की समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

श्री पी. कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं पहले ही नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दे चुका हूं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : दूरदर्शन के गलत प्रयोग के सम्बन्ध में मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ···

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आपको मालूम है यह स्थगन प्रस्ताव के विषय का प्रश्न नहीं है। आप मुझे एक प्रश्न भेज सकते हैं और मैं उसका उत्तर दिलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। आप मेरे सामने कुछ और प्रस्ताव रखिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब इसका कोई मतलब नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : महोदय, मैंने श्री शिवशंकर के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ हाल ही में निन्दाजनक तथा तिरस्कारपूर्ण शब्द कहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं। मुझे कितनी बार यह कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं, मैंने माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दी क्योंकि मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि मैं केवल सुनी सुनाई बात या समाचारपत्र में छपी खबर के आधार पर ही कार्यवाही नहीं कर सकता, मुझे इस बारे में पता लगाना पड़ेगा।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

फिर वही बात करते हैं, समझदार आदमी होकर मेरे साथ जिद क्यों करते हैं।

[अनुवाद]

यदि कोई आपके खिलाफ बात करे तो।

[हिन्दी]

आप कैसे करोगे।

[अनुवाद]

क्या आप उसे स्पष्ट करेंगे या नहीं।

[हिन्दी]

गलत बात क्यों करते हैं।

[अनुवाद]

आप बिना बात ऐसा क्यों करते हैं।

डा. दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं पहले ही आपको स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे चुका हूं। सो से अधिक मिलें बन्द है। हजारों कामगार भूखे मर रहे हैं। स्थान मिल्स, माडर्न मिल्स और कई अन्य मिलें कपड़ा नीति के कारण बन्द हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तांती

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सामंत मैंने श्री तांती को अनुमति दी हुई है। उन्हें बोलने का अवसर दिया गया है आपको नहीं।

श्री भद्रेश्वर तांती (कलिया बोर) : मैंने नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा का नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। इसमें कोई तुक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : श्रीलंका की स्थिति के बारे में मैंने कल भी निवेदन किया था··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज मुझे विश्वास दिलाया गया है। मुझे सूचना मिली है कि मुझे आज उत्तर मिल जाएगा।

[अनुवाद]

डा. दत्ता सामंत : मैं पहले ही स्थगन प्रस्ताव दे चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। हम पहले ही उस विषय पर चर्चा कर चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष जी, किशनगढ़ में भयंकर रेल दुर्घटना हुई है। रेल विभाग ने पांच-सात हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने के लिए कहा है। इन्सान की जिन्दगी की कीमत क्या पांच हजार रुपये है। पूरा मुआवजा मिलना चाहिए।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज स्टेटमेंट आ रहा है।

···(व्यवधान)

———

12.07 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स की 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा संबंधी विवरण

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे तो :—

(क) (एक) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 5134/87]

(ख) (एक) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत पम्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 5135/87]

(ग) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 5136/87]

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संसद कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : श्री एच. के. एल. भगत की ओर से मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखती हू :

(एक) दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1987, जो 18 सितम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 833 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1987, जो 12 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 983 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1987, जो 18 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 992 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 5137/87]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (यात्रा भत्ता) संशोधन विनियमन 1985 और इसे सभापटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब को वर्शाने वाला विवरण इत्यादि

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 32 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (यात्रा भत्ता) संशोधन विनियम, 1985, जो 27 जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 17 (49)/83-रेग० में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सं. एल. टी. 5138/87]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिए सं. एल. टी. 3139/86]

(ख) (एक) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए सं. एल. टी. 5140/87]

(ग) (एक) आयल इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए सं. एल. टी. 5141/87]

(घ) (एक) आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता तथा इसकी सहायक कम्पनी, अर्थात्, मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की समीक्षा।

(दो) आई०बी०पी० कम्पनी लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनी, अर्थात्, मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए सं. एल. टी. 5142/87]

(ङ) (एक) बीको लॉरी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लॉरी लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए सं. एल. टी. 5143/87]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 601 (अ), जो 10 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या 263/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 9 की प्रविष्टि में मदों की सूची को बढ़ाया जा सके जिससे सांचों, डाई और उपकरणों का सीमा-शुल्क मुक्त आयात करने के लिए अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 902 (अ), जो 10 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, 16 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या 262/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 9 की प्रविष्टि में मदों की सूची को बढ़ाया जा सके, जिससे सांचों, डाई और उपकरणों का सीमा-शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 903(अ), जो 10 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 340/86 सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 9 की प्रविष्टि में मदों की सूची को बढ़ाया जा सके जिससे सांचों, डाई और उपकरणों का सीमा-शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 904(अ), जो 10 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 नवम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 339/85-सी० शु० म कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 9 की प्रविष्टि में मदों की सूची को बढ़ाया जा सके जिससे सांचों, डाई और उपकरणों का सीमा-शुल्क मुक्त आयात करने के लिए अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं. एल. टी. 5144/87]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) स० का० नि० 883(अ), जो 30 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 175/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, ताकि यह व्यवस्था की जाए कि लघु इकाइयों के पंजीकरण की शर्तों में छूट, जो कतिपय वर्ग की इकाइयों को अब तक उपलब्ध थीं, को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पंजीकृत कारखानों के संबंध में वापिस ले लिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 884(अ), जो 30 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 जून, 1984 की अधिसूचमा संख्या 147/84-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, ताकि मूल अधिसूचना में हुई मुद्रण संबंधी भूल को सुधारा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 886(अ), जो 2 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या 172/84-के०उ०शु०, 178/84-के०उ०शु० 182/84-के०उ०शु० तथा 186/84-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, ताकि यह व्यवस्था की जाए कि अलौह धातुओं के अपशिष्ट और स्क्रैप को छूट केवल उस स्थिति में दी जाए यदि उस निविष्टि के संबंध में कोई क्रेडिट नहीं लिया गया है जिससे ऐसा स्क्रैप उत्पन्न होता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं. 5145/87]

पेट्रोलियम अधिनियम, 934 के अन्तर्गत अधिसूचना और राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी महासंघ के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा संबंधी विवरण

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पेट्रोलियम

(संशोधन) नियम, 1987, जो 22 जून, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 590 (अ) में प्रकाशित हुए थे की, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं. एल. टी. 5146/87]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 868 (अ), जो 29 सितम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति तथा प्लाइवुड लिमिटेड के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं. एल. टी.5147/87]

(3) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी महासंघ सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी महासंघ सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के लेखा-परीक्षित लेखाओं को सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये सं. एल. टी. 5148/47]

स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के जयचन्द्र सिंह) : मैं सभापटल पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं. एल. टी. 5149/87]

———

12.09 म.प.

[अनुवाद]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने दिनांक 30 नवम्बर, 1987 को सभा में पेश किये गये अपने दसवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है:

(1) श्री गंगाधर एस. कुचन — 10 से 28 अगस्त, 1987।

(2) श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	—	3 से 25 अगस्त, 1987।
(3) श्री ए. आर मुरूगई	—	1 से 28 अगस्त, 1987।
(4) श्री एस. एस. रामास्वामी पदायाची	—	(एक) 8 से 12 मई, 1987।
		(दो) 27 जुलाई से 28 अगस्त, 1987।
		(तीन) 6 से 29 नवम्बर, 1987।
(5) श्री सुनील दत्त	—	27 अप्रैल से 12 मई, 1987।
	—	27 जुलाई से 24 अगस्त, 1987।
(6) डा. ए. कलानिधि	—	6 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 1987।
(7) श्री खुर्शीद आलम खां	—	18 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1987।
(8) श्री मार्तण्ड सिंह	—	8 से 30 नवम्बर, 1987।
(9) श्री वी. एन. गाडगिल	—	16 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 1987।

क्या सभा चाहती है कि समिति द्वारा सिफारिश की गई अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये ?

माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की गई है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

———

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि जब श्री शिव शंकर ने इसका उल्लेख किया तब आप उस बैठक में ही उपस्थित थे। आप वहीं पर ही थे। आपने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा कहा था। यही तो कहा था मैंने। मैं वहां था।

[हिन्दी]

जिस कांटेक्स्ट में कहा गया है वह क्या है, वह क्या है, यह देखने की बात है।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : एक तस्कर किसी भी संदर्भ में तस्कर ही रहेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किस कांटेक्स्ट में कहा गया है जब आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तब आपको पता चलेगा।

[अनुवाद]

वह इतने भोले-भाले तो नहीं हैं कि ऐसी टिप्पणी कर दें।

———

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

———

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत (चितौड़गढ़) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से संबंधित बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

———

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। उत्तर प्रदेश में दो तरह का गन्ने का दाम रखा गया है।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है। आप क्या करते हैं, कोई बात हो तो कीजिए।

29 नवम्बर, 1987 को डाऊन अजमेर-दिल्ली तीव्र यात्री गाडी के डिब्बे में आग लगने की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया : श्रीमन् मुझे बड़े दुख के साथ पश्चिम रेवले के जयपुर मंडल में 14 डाउन अजमेर दिल्ली मीटर लाइन फास्ट पैसेंजर में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बारे में सदन को सूचित करना पड़ रहा है। 29.11.87 को लगभग 16.15 बजे जब यह गाड़ी अजमेर-फुलेरा मीटर लाइन खंड पर किशनगढ़ और मंडावरिया के बीच चल रही थी, गाड़ी के इंजन से सातवें सवारी डिब्बे में जो दूसरे दर्जे का एक 3-टियर शयनयान था, आग लग गयी। इस गाड़ी में 12 सवारी डिब्बे लगे थे और यह भाप इन्जन से चलायी जा रही थी। प्रभावित डिब्बे तथा साथ के डिब्बों से खतरे की जंजीर खींचे जाने पर गाड़ी रोक दी गयी थी। तथापि, मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप 2 व्यक्ति गंभीर रूप से और 15 मामूली रूप से घायल हुए हैं तथा 24 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है।

2. घायलों को किशन गढ़ और अजमेर के सिविल अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

3. अजमेर और फुलेरा से रेलवे के चिकित्सा यान तत्काल कर दिये गये थे। रेलवे डाक्टर एम्बूलेंस गाड़ियों सहित सड़क मार्ग से दुर्घटना स्थल को रवाना हो गये थे। किशन गढ़ और अजमेर से दमकलें तुरन्त रवाना कर दी गयी थीं। यद्यपि दुर्घटना स्थल जयपुर मंडल के अधिकार-क्षेत्र में पड़ता है, तथापि अजमेर से भी मंडल रेल प्रबन्धक तथा अन्य अधिकारी दुर्घटनास्थल के लिए तत्काल रवनाा हो गये थे तथा दोनों मंडल मिलकर राहत कार्यों में लगे हैं। पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक और अन्य अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये। दिल्ली से रेलवे बोर्ड के सर्दस्य, यातायात और सदस्य, यांत्रिक भी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये थे।

सूचना पाते ही, मैं भी किशनगढ़ और अजमेर के लिए रवाना हो गया और मैंने कुछ शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदन व्यक्त की तथा अस्पतालों में जाकर घायल व्यक्तियों को देखा।

घायलों तथा अब तक पहचाने गये मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है।

4. रेल संरक्षा आयुक्त इस दुर्घटना की सांविधिक जांच करेंगे। प्रथमदृष्ट्या, ऐसी प्रतीत

होता है कि प्रभावित सवारी डिब्बे में किसी यात्री द्वारा ले जाये जा रहे किसी ज्वलनशील पदार्थ से आग लगनी शुरू हुई थी।

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर) : मैं आपसे इस पर चर्चा करवाने के लिए अनुरोध करता हूं। जो अनुग्रह राशि दी गई है वह काफी कम है। यह अधिक दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका अधिकार है यह तो, मैं देखूंगा।

श्री रामधन (लालगंज): इस प्रकार दुर्घटनाएं हो रही हैं

श्री राजकुमार राय (कोसी): रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। केवल रेज करने या डिसकशन करने से कुछ नहीं होगा।

श्री रामधन: रेल दुर्घटनायें हो रही हैं, माधवराय सिंधिया को इस्तीफा देना चाहिए। स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्रीजी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस्तीफा देकर एक उदाहरण पेश किया था।

———

11.10. म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में सीमित बाल विकास परियोजाओं के विस्तार की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : बाज विकास के क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित सर्वाधिक महत्व की जो स्कीम है वह है समन्वित बाल विकास योजना। इस स्कीम का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में 0-6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता और सुपोषन करना है। समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत बिभिन्न सेवाओं में रोगों से प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रत्यावर्ती सेवाएं सुपोषन, स्वास्थ्य शिक्षा और स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा आते हैं। उड़ीसा में इस समय 84 समन्वित बाल विकास योजनाएं चल रही हैं जिनमें से 35 ग्रामीण क्षेत्र में हैं, 48 जनजाति उपयोजना में और 1 योजना शहरी गन्दी बस्ती क्षेत्र में चल रही है। उपन्योजना क्षेत्रों मे 118 जनजाति विकास खण्डों में से 70 खण्डों को इस योजना के अन्तर्गत अभी तक नहीं लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को 36 और खण्डों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने की सिफारिश की है। राज्य में 314 खण्डों में से 230 खण्डों को इस कार्यक्रमों के अन्यगंत नहीं लाया गया है जिनमें 96 खण्डों में जनजातियों की जनसंख्या काफी अधिक है।

12. 12 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में इस योजना का बच्चों और गर्भवती महिलओं के स्वास्थ्य-पोषण स्तर के सुधार में बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में भी इसका प्रसार करने की आवश्यकता है।

इस वर्ष के भयंकर सूखे, राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन और जनजाती तथा अनुसूचित जाती की जनसंख्या का संकेंद्रण देखते हुए मेरा सुझाव है कि उड़ीसा में समन्वित बाल विकास योजना को

चरणों में प्रसारित किया जाए ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जन-जाति खण्डों और अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति बहुत खण्डों को पूरी तरह से लाया जा सके।

(दो) गोवा राज्य के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रथम संवर्ग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : आज केन्द्रीय और राज्य सरकारों में शीर्ष स्थानों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बोल बाला है। नीति-निर्धारण और इसके क्रिया-वचन में ये लोग विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की सहायता करते हैं।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, प्रत्येक राज्य में तैनात लगभग 50 प्रतिशत प्रशासनिक सेवा अधिकारी उसी राज्य के होते हैं और बाकी अन्य राज्यों के होते हैं। उन अधिकारियों, जो अन्य राज्यों के होते हैं, से यह अपेक्षित है कि वे उस राज्य की भाषा में दक्षता प्राप्त करें जो राज्य उन्हें दिया गया है। उद्देश्य यह है कि प्रशासन का लोकतन्त्रीकरण, और प्रशासन का स्थानीय भाषा में चलाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा उद्देश्य है राज्य में विकास नीतियों के निर्धारण करते समय स्थानीय संस्कृति इतिहास और लोकाचार को ध्यान मे रखा जा सके।

गोवा ने हाल ही में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अभी भी गोवा में शीर्ष प्रशासनिक पद संघराज्य संवर्ग के अधिकारियों के पास ही हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में गोवा के बहुत कम प्रशासनिक अधिकाकी हैं। इन अधिकारियों को पहले ही विभिन्न राज्य संवर्ग दिए हुए हैं। गोवा को इसकी धरती के सपूतों की सेवाएँ मिलें, अतः गोवा के प्रशासनिक सेवा के इन वरिष्ठ अधिकारियों को, जो इस समय विभिन्न राज्यों में सेवारत हैं, गोवा के नये संवर्ग में शामिल होने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि सरकार गोवा को अन्य संघराज्यों के अन्डमान और निकोबार, पाँडिचेरी, दिल्ली की तरह अन्य संघराज्य के साथ सयुक्त संवर्ग में घोषित करे तो गोवा राज्य के रूप भी संघराज्य से बेहतर नही होगा। गोवा वरिष्ठ स्तर पर गोवा के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवाओं से वंचित रहेगा। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरका में सेवारत्त गोवा के लोगों को इस क्षेत्र की पूर्ण हितों के साथ सेवा करने का पूरा अवसर देते हुए गोवा के लिए एक स्वतन्त्र राज्य संवर्ग बनाया जाना चाहिए।

(तीन) बलरामपुर, गोंडा, उत्तर प्रदेश में एक दूरदर्शन टावर स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दीप नारायण वन (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चहाता हूं कि गोंडा जनपद में कोईटी.वी. टावर नहीं है। यह जनता की पुरानी और आवश्यक मांग है। एक टी. वी. टावर का बलरामपुर (गोंडा) में लगाया जाना जनता के हित में है इसके अभाव में टी. वी. उपभोक्ताओं को बड़ा कष्ट होता है और रिसेप्शन भी समुचित नहीं होता। एन्टीना की ऊंचाई कम से कम 50 फीट रखनी पड़ती है। यह नेपाल सीमा से मिला है। आबादी लगभग 30 लाख है। यह जिला सब प्रकार से भरा पूरा होकर भी पिछड़ा है क्योंकि एक अति आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। टी.वी. शिक्षा का अच्छा माध्यम है। गोंडा अधिकतर ग्रामीण इलाके का जनपद है जहां थारू (जनजाति) के लोग बहुतायत में बसते है। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गोंडा में शीघ्र ही टी. वी. टॉवर की स्वीकृति दी जावे।

(चार) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और भदोई क्षेत्रों में गलीचा बनाने के काम में लगे लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, में नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर-भदोही कालीन उत्पादन तथा कालीन निर्यात का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ओसत प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये का कालीन हाथ से बनाया जाता है तथा पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता है। इस निर्यात से पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और अगभग छः लाख लोगों को जो कि गांवों और कस्बों में बसे हैं, तथा गरीब हैं, को रोजगार मिलता है। इस क्षेत्रों के लगभग 70 प्रतिशत कस्बों और शहरों में तथा 75 प्रतिशत गांवों में कालीन का काम किया जाता है। कालीन उद्योग एक गृह और ग्राम उद्योग है। इसका सीधा सम्बन्ध गृहों तथा गांवों से है। इस क्षेत्र के इस निर्यातपरक तथा रोजगार-परक उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इसके सर्वांगीण विकास की नितान्त आवश्यकता है परन्तु इस क्षेत्र को आवश्यकतानुसार बिजल, पेयजल, सड़क, चिकित्सा और विद्यालय इत्यादि नहीं मुहैया किए जा रहे हैं।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि मिर्जापुर-भदोही क्षेत्र के कालीन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता देकर इस क्षेत्र को उक्त सुविधायें उपलब्ध करायी जायें, जिससे इस क्षेत्र के कालीन उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सके।

(पांच) सामान की बुकिंग और उतराई पर प्रतिबन्ध लगाने वाले आदेशों को वापस लेने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जैना (बालासौर) : श्रीमान, हाल ही में रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र जारी किया था कि स्थानान्तरण रेलवे स्टेशन से 25 कि.मी. के अन्दर स्थित रेलवे स्टेशनें किसी भी सामान को चाहे वह शिखर प्रकृति का हो या सामान्य किस्म का तो बुक कर सकते हैं और न उतार सकते है, जिससे किसानों, व्यापारियों और औद्योगिकों सहित सभी प्रकार के लोगों को असंख्य कठिनाईयां तथा बहुत नुकसान होता है। इस प्रतिबंध को हटाने के लिए देश के विभिन्न भाग से कई वाणिज्य मण्डलों ने सम्बन्धित रेलवे प्राधिकारियों तथा मंत्रालय के समक्ष अभिवेदन दिये हैं किन्तु अब तक इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। इस अयुक्ति युक्त प्रतिबन्ध के फलस्वरूप व केवल रेलवे को नुकसान ही हो रहा है बलिक इससे आवश्यक वस्तुओं सहित विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि भी हो रही है। इसलिए, मैं, माननीय रेल मंत्री जी से आदेश वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

(छः) नेशनल फेडरेशन आफ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न हथकरघा समितियों को देय बकाया राशि का भुगतान किये जाने की आवश्यकता

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटक) : महोदय, राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संघ लि.— जो राष्ट्रीय स्तर का शीर्षस्थ निकाय है— और जो उद्योग मंत्रालय का प्रायोजित संगठन है और कारीगरों के उत्पादों के विपणन के लिए उन्नायक संगठन है; ने पश्चिम बंगाल के एक शीर्षस्थ निकाय सहित पश्चिम बंगाल की विभिन्न हथकरघा समितियों को देय 27 लाख रु. का भुगतान नहीं किया है। जिससे हजारों कारीगर व्यवसाय रहित हो गए।

राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संघ के निर्वाचित बोर्ड का निर्वाचित सभी निदेशकों के विरुद्ध

कानूनी कार्यवाही करने से अतिक्रमण हो गया। सोवियत संघ में संघ का निर्यात बाजार समाप्त हो गया है और वह निजी व्यापारियों के हाथ में चला गया है।

आन्तरिक विपणन भी निराधार हो गया है और संघ मुकदमें बाजियों आदि में पड़ा हुआ है किन्तु इसका काम कुछ नहीं है। मंत्रालय ने संघ के पुनरुज्जीवन के लिए कुछ नहीं किया।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे विभिन्न हथकरघा समितियों को राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संघ के सभी देयों का निपटान करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें और उनके पुनरुज्जीवन में सहायता पहुचायें।

(सात) असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए अल्पावधि दीर्घावधि योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता

श्री अब्दुल हमीद (धुबरी) : ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में लगातार पाँच बार भयंकर बाढ़ आने से असम में भारी तबाही हुई है। क्षरण के कारण कई गाँव बह गये हजारों गाँवों में बुरी तरह विनाश हुआ, करोड़ों रु० की फसल नष्ट हो गयी, हजारों घरेलू पशु बह गये, हजारों लोग बेघर हो गए और उन्होंने अस्थायी कैम्पों और तटों पर आश्रय पर लिया। भारत सरकार ने राहत कार्यों के लिए 27 करोड़ रु० की मंजूरी दी। किन्तु जिन अल्प संख्यकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्यों वे सामान्यतः ऐसी जगहों पर रहते हैं और जहाँ बाढ़ आती रहती है। बचाव कार्य के दौरान अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों को बहुत नजर अन्दाज किया गया जिसके परिणामस्वरूप कई जीवनों की रक्षा नहीं की जा सकी। इसलिए केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की जाती है कि वे बाढ़ पीड़ितों को हुई वास्तविक हानि का अनुमान लगाने के लिए एक उच्चशक्ति केंद्रीय समिति की स्थापना करने की मेहर-बानी करें और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए अल्प तथा दीर्घ कालिक योजनायें बनायें तथा उसका कार्यान्वयन करें।

(आठ) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महान क्रांतिकारी सुभाष चन्द्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं जो भारत के गौरव हैं भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आई. एन. ए. के साथ अंग्रेजों से लड़ाई की। वे दो बार इण्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसीडेंट बने। उनका जन्म 23 जनवरी, 1887 को कटक में हुआ था। 'नेताजी' नाम का मान उन्हें राष्ट्रपिता, गाँधी जी की तरफ से दिया गया था। लम्बे अरसे से भारत की जनता की यह माँग रही है कि उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की जाये।

मैं सरकार से कह अनुरोध करती हूँ कि वे इस देश के महान बेटे को मान देने की लोगों की उचित माँग को पूरा करें।

12.23 म.प.

[अनुवाद]

रेल दावा अधिकरण विधेयक जारी और भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) संशोधन विधेयक जारी

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यसूची के अनुसार अब हम मद सं. 12 और 13 पर एक साथ विचार करेंगे अर्थात रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल दावा अधिकरण विधेयक, और भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण)

संशोधन विधेयक पर और आगे चर्चा करेंगे। श्री तांती को अपना भाषण जारी रखना था किन्तु मैं समझता हूं वे यहां नहीं है। इसके पश्चात् श्री नारायण चौबे भी यहां नहीं हैं। इसलिए श्री पीयूष तिरकी बोलें।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : श्रीमान्, रेलमन्त्री ने दावों के शीघ्र न्यायनिर्णयन के लिए रेल दावा अधिकरण की स्थापना करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है। महोदय, यह देखने में तो ठीक लगता है किन्तु मैं नहीं समझता कि इससे कुछ बेहतर हो सकेगा। दावा आयुक्त के समक्ष कई मामले पहले से ही लम्बित पड़े हैं। दावेदार मारे-मारे फिर रहे हैं और सबके द्वार खटखटा रहे हैं लेकिन मुकद्दमबाजी के कारण कोई फायदा नहीं। भुगतान के मामले में भी यही बात हो रही है। उन्हें उस राशि से कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा जो उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगा।

महोदय, अधिकरण में एक चेयरमैन, एक वाईस चेयरमैन और 33 सदस्य होंगे, यदि मुझे ठीक से याद है तो, और दावा अधिकरण के चेयरमैन और सदस्यों की शक्तियां और स्थिति और सेवा की शर्तें विधेयक में ही परिभाषित हैं। किन्तु, महोदय, विधेयक में लिखा है कि एक अधिकरण होगा जो देश के विभिन्न भागों में 19 शाखाओं में कार्य करेगा। मैं नहीं जानता इसका वित्तीय प्रभाव क्य होंगे, इन सभी 19 शाखाओं में चेयरमैन उपस्थित होगा या उस अधिकरण का कोई प्रत्यायोजित सदस्य वहां जायेगा या कोई अन्य व्यक्ति इन 19 शाखाओं में नियुक्त किया जायेगा। अब तक मन्त्री जी ने इस पर प्रकाश नहीं डाला। वे अपील की अवधि 19 दिन बताते हैं। और यदि दावा अधिकरण सिविल न्यायालय के समकक्ष गठित नहीं है। अतः दावा अधिकरण सभी कार्यवाहियों और जांच से प्राप्त जानकारी को सिविल न्यायालय के समक्ष रखने का प्रयास करता है। दावा अधिकरण का फैसला सिविल न्यायालय के फैसले के बराबर माना जाना चाहिए। केवल तभी दावेदार बाद में, यदि वह चाहे तो, अपील कर सकता है।

महोदय, 19 खण्डों में निर्मित होने वाली समितियों में कौन-से व्यक्ति होंगे, इस सम्बन्ध में विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। क्या इन समितियों में रेल कर्मचारी होंगे जो विभिन्न शाखाओं में गठित अधिकरण में होंगे या विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापार समुदायों और अन्य सरकारी संगठनों के उपयोक्ता होंगे जो विभिन्न शाखाओं में गठित अधिकरण में होंगे और यह कि क्या वे सरकारी कर्मचारी होंगे, यह उसमें उल्लिखित नहीं है।

महोदय, जिन व्यक्तियों के साथ दुर्घटना हुई या रेलवे में कोई और बात हुई ऐसे लोगों के दावों को निपटाने के लिए एक समानान्तर न्यायपालिका की स्थापना की जा रही है। महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रक्रिया भी काफी लम्बी होगी क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि दावे किसे लिखे जाएंगे केवल एक आवेदन देना होगा किन्तु यह आवेदन किसे सम्बोधित किया जायेगा, दावेदार चेयरमैन को लिखे या किसी सदस्य या क्षेत्रीय शाखाओं को लिखे जो बनायी जा रही हैं—यह भी स्पष्ट नहीं है।

महोदय, मेरा सुझाव है कि विद्यमान रेलवे समितियां डी० आर० यू० सी० सी०, जेड० आर० यू० सी० सी०, एन० आर० यू० सी० सी० की शाखायें गठित करनी चाहिए। यहां, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस समिति से भी अधिकरण के अन्तर्गत दावा पीठ बनेगी। क्योंकि इसमें भारत की जनता की सभी समितियों और संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। अब हमारी सरकार है और यदि रेलवे कोई उपयुक्त विचार करता तो इतने अधिक मामले लम्बित नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि

जब किसी मामले पर निर्णय लिया जाता है तो बहुत बार प्रबन्धकों को ही भुगतान करना पड़ता है। परन्तु मैं नहीं सोचता कि स्वयं विभाग में ऐसे किसी प्रकार के विचार की कमी है। वे गरीब लोगों के कष्टों को समझ सकते थे तथा तत्काल निर्णय ले सकते थे और ऐसी स्थिति में वहां बिल्कुल कोई भी मामले नहीं होते। यदि वहां कुछ मामले हैं जिनका निर्णय किया जाना है, जैसे कि कुछ मामले हैं जिनका निर्णय विधि विभाग से परामर्श के बाद किया जाना है अथवा विधि विभाग को पूछा जाना है अथवा कुछ अन्य कार्य किया जाना है तो आप भी वह निर्णय कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से कौन लोग रेल में यात्रा करते हैं? स्पष्ट है गरीब लोग रेलों में यात्रा करते हैं। वे लोग जो हवाई जहाज से यात्रा का खर्चा नहीं उठा सकते अथवा कुछ वे लोग जो द्रुतगति के वाहन में यात्रा नहीं कर सकते रेल से यात्रा करने को विवश होते हैं। रेल विभाग जानबूझकर कोई प्रतिपूर्ति करना नहीं चाहता। जब तक कि उन पर कोई दबाव नहीं डालता, वे भुगतान नहीं करते। केवल तभी जब रेलवे पर दबाव डाला जाता है तभी प्रतिपूर्ति करने को तैयार होता है। अतः ऐसा लगता है जैसे भारत से बाहर कोई अन्य व्यक्ति इसके अपने लोगों की परवाह किये बिना इस विभाग पर शासन कर रहा है तथा इस विभाग का प्रबन्ध देख रहा है। लोग क्यों बाहर से किसी अधिकरण के या किसी अन्य के आने की प्रतीक्षा करें वह आये तथा हस्तक्षेप करे और केवल तभी उन्हें कुछ मिल पायेगा। मैं सुझाव देता हूँ कि रेलवे हमारा विभाग है ओर हमारे लोग रेलों में यात्रा कर रहे हैं, उनमें अधिकांश गरीब हैं। यदि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो नियमों में जो कुछ भी है, वह उन्हें दिया जाना चाहिए। उन्हें गरीबों को राहत देने के लिए कुछ अवश्य देना चाहिए। उनका जो भी नुकसाम हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति अवश्य की जानी चाहिए। केवल तभी ऐसे मामलों की संख्या में कमी की जा सकती है।

प्रत्येक मामले में, चाहे वह रेलवे है या अन्य कोई विभाग, कमजोर वर्गों को जिनके पास कोई पैसा नहीं है तथा गरीब लोगों को ही परेशान किया जाता है। उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। श्री माधवराव सिंधिया यहां हैं। वे एक युवा व्यक्ति हैं तथा हम उनसे किसी क्रांतिकारी कार्यवाही की आशा कर सकते हैं। लोगों को क्यों इतने लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़े? वे सब हमारे ही लोग हैं। यदि यह दया की भावना इस विभाग में होती, रेलवे के प्रबन्धक-वर्ग के होती लोग परेशान नहीं होते तथा वे किसी अधिकरण के पास जाने के लिए भी बाध्य नहीं होते। केवल तभी वहीं के वहीं उनकी हानियों की क्षतिपूर्ति हो सकती है।

यद्यपि इस विधेयक का आशय, जैसाकि उन्होंने सोचा है, विलंबित पड़े सभी मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाना है परन्तु शायद इससे प्रयोजन सिद्ध न हो। खण्ड 24 विलंबित मामलों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में है। संसद सदस्य होने के नाते मुझे भी यह अनुभव हुआ है। स्वयं रेल भवन में एक छोटे से भी आवेदन पत्र को एक मेज से दूसरी तक जाने में महीनों लग जाते हैं और अन्तिम रूप से निपटाने में तो शायद वर्षों बीत जाते हैं। खण्ड 24 में विलंबित मामलों के हस्तान्तरण की बात कही गई है। इसका अर्थ है कि मामले पहले से ही दावा आयुक्त के पास बकाया पड़े हैं। किसी मामले को हस्तान्तरित करने में कम से कम 6 माह लगे तथा उस मामले को निपटाने में भी समय लगेगा। यही वह पद्धति है जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। हस्तांतरण में भी अपना समय लगता है। खण्ड 25 दावा अधिकरण के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में है। यहां तक कि दावेदार को दावा अधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय का जो न्यायिक गतिविधियों का परिणाम है की प्रतीक्षा करनी होती है और यदि वह संतुष्ट नहीं होता है, तो केवल तभी वह अगले न्यायालयों में जा सकता है।

यह विधेयक अच्छा है। माननीय मन्त्री ने अभी तक सोचा था कि अच्छा रहेगा। परन्तु मैं

इसका विरोध करता हूं क्योंकि इसमें धन, समय तथा मामले को हस्तांतरण करने तथा इसमें शामिल प्रत्येक स्थान पर प्रादेशिक अधिकरण तथा कार्यालय स्थापित करने सम्बन्धी कई जटिलताएं हैं। उन्हें कहां से सामग्री तथा टंकण यन्त्र प्राप्त होंगे तथा इनके स्टाफ में सरकारी कर्मचारी होंगे अथवा रेलवे के कर्मचारी होंगे तथा उन्हें कौन नियुक्त करेगा, यह सब स्पष्ट नहीं है। मैं सभी कुछ स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा।

श्री बृज मोहन महंती (पुरी) : महोदय, मैं रेल मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने रेल दावा अधिकरण सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करके एक बहुत ही निर्भिक कदम उठाया है। बहुत लम्बे समय से ऐसे अधिकरण की स्थापना की मांग की जा रही थी तथा अन्त में यह मांग पूरी कर ही दी गई है जिसके लिए हम सब माननीय मन्त्री महोदय के कृतज्ञ हैं।

जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मुझे इस विधेयक की कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाये जाने की अनुमति दी जाये। मैं आपका ध्यान धारा 6 के खंड दो की ओर दिलाऊंगा :

> "6(2) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, ऐसा उपाध्यक्ष जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना, इस निमित्त प्राधिकृत करें, उस तारीख तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है।"

यह एक कमी है। कुछ मामलों में हो सकता है कि केन्द्र सरकार किसी तकनीकी सदस्य को नामांकित करना चाहे जो कि इस विधेयक की भावना के अनुरूप नहीं है।

जहाँ तक इस अधिकरण में न्यायिक-कल्प तत्व का सम्बन्ध है, किसी तकनीकी सदस्य को उसका चेयरमैन नियुक्त किये जाने पर वह नष्ट हो जायेगा। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जैसाकि खण्ड 10 में है :

> "(ख) उपाध्यक्ष इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पात्र होगा।"

अन्य उपबन्ध यह है कि उस व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त किया जायेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रह चुका हो।

मेरा सुझाव है कि उस पृष्ठभूमि में इसे विधेयक की अन्य धाराओं के समान बनाया जाना चाहिए।

जहाँ तक अधिकरणों का सम्बन्ध है, वे 19 न्यायपीठ स्थापित करने जा रहे हैं। स्वयं विधेयक में ही कुछ सिद्धान्तों को परिभाषित किया जाना चाहिए कि ये न्यायपीठ कहाँ स्थापित किये जायेंगे। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश तथा प्रत्येक राज्य के मुख्यालय में एक न्यायपीठ होना चाहिए जिससे कि जनता की अपनी समस्याएँ अधिकरण के समक्ष रखने में सुविधा हो।

रेल कर्मियों को बीमा परिक्षेत्र में अवश्य लिया जाना चाहिए। रेलवे अभिसमय समिति ने बताया है कि रेल दुर्घटना के पीड़ितों तथा उनके उत्तराधिकारियों को प्रतिपूर्ति का भुगतान करने वाली वर्तमान प्रणाली बहुत ही विलम्बकारी तथा साथ ही भेदभाव पूर्ण है। यह भी प्रस्ताव किया गया कि मोटर-कारें (अन्य बातों के साथ-साथ थर्ड पार्टी रिस्क तीसरा व्यक्ति जोखिम के मुकाबले) पहले ही सरकारी उद्यमों, साधारण बीमा निगम द्वारा बीमाकृत हैं, अतः रेल यात्री सेवाएँ भी बीमाकृत की जा सकती हैं। समिति ने इस प्रस्ताव में कुछ गुण पाये हैं तथा वह चाहती है कि रेल मन्त्रालय एक

बीमा योजना तैयार करे तथा वित्त मन्त्रालय से परामर्श करके उसका साधारण बीमा निगम को सौंपे जाने की सम्भावना का पता लगाए। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने होंगे। जहाँ तक प्रतिपूर्ति राशि का सम्बन्ध है, वह साधारण बीमा निगम द्वारा दी जानी चाहिए तथा इस प्रकार रेल विभाग एक बहुत बड़े खर्च के बोझ से बच जायेगा और इस दिशा में यह एक बहुत ही कदम होगा।

एक अन्य बात जो मैं बताना चाहूंगा वह भारतीय खाद्य निगम तथा रेल विभाग के बीच विवाद के सम्बन्ध में है। यह एक बहुत ही खतरनाक बात है। वास्तव में लोक लेखा समिति ने गंभीरता-पूर्वक मामले की जांच की है तथा आप पायेंगे कि 1967 से वर्ष 1983-84 तक 19716 बैगन लापता थे, अर्थात् ढूंढे नहीं जा सके; 17352 वैगन असम्बद्ध पड़े थे तथा उनका पता नहीं लगाया जा सका था। यह तो स्थिति है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि वहां अवश्य कोई संशोधित तंत्र होना चाहिए जो तत्काल खोये हुए तथा असम्बद्ध वैगनों का पता लगा सके।

एक अन्य बात खाद्यानों के पारगमन की हानि से सम्बन्धित है। 1977 से 1985 तक, खाद्यानों में पारगमन की हानि—खोये हुए वैगनों को छोड़कर—20 लाख टन तक आती है, जिसका मूल्य 500 करोड़ रुपये हैं। कई बार, वैगन जानबूझकर दूसरे स्थान पर भेज दिये जाते हैं और तब उनके चोरी होने की सम्भावना होती है तथा ऐसा करना सरल भी होता है। अतः, इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दावों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा। कि 1977 से 1985 तक—लगभग 8 वर्ष की अवधि में—भारतीय खाद्यान्न निगम ने रेल विभाग से लगभग 48.70 करोड़ रु० का दावा किया है तथा 16.30 करोड़ रु० अस्वीकृत कर दिये गये हैं। तथापि इसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि रेलवे ने ढुलाई और लदान संचालनों का निरीक्षण नहीं किया है। मुद्दा है कि दोनों ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। दोनों के बीच अनावश्यक विवाद चल रहा है। इसी कारण मैं सुझाव देता हूं कि कोई ऐसी बात लागू की जानी चाहिए जिससे कि यह यह अनावश्यक विवाद चलता न रहे तथा फिर से उत्पन्न न हो।

मैं माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा कि यद्यपि इस विधेयक का प्रयोजन विवाद को शीघ्रता से निपटाना है परन्तु सरकार ऐसे विवादों को अधिक संख्या में हाथ में न ले, जिनकी भविष्य में आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए, कि स्टाफ तथा 19 न्यायपीठ जिनका प्रस्ताव किया गया है इस प्रयोजन के लिए प्रर्याप्त नहीं हैं। उन्हें आपेक्षित संख्या में स्टाफ दिया जाना चाहिए।

महोदय, वित्तीय ज्ञापन के पैरा 3 में, माननीय मन्त्री महोदय चेयरमैन, तथा वाइस चेयरमैन तथा सदस्य के वेतन के सम्बन्ध में कुछ ब्यौरे दिये है। मैं नहीं जानता कि इन्हें प्रभावी बनाया जायेगा या नहीं। उसमें इन्होंने बताया है कि चेयरमैन का निर्धारित वेतन 8,000 रु० है, तथा वाइस-चेयरमैन तथा सदस्य का वेतन 7300-7600 रु०। विधेयक के अधीन नियम बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास है। मैं नहीं जानता कि यह 8000 रु० आदि की संख्या कहाँ से आई। यह प्रयोगात्मक संख्या हो सकती है। किन्तु यहाँ ऐसा नहीं बताया गया है। मेरा अनुरोध है कि जहाँ तक अधिकरणों का सम्बन्ध है, उन्हें इस प्रकार हल्के ढ़ंग से नहीं लेना चाहिए तथा उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए सभी आवश्यक चीजें प्रदान की जानी चाहिए।

श्री एन. सुन्दरराजन (शिवकाशी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेलमन्त्री श्री माधवराव सिंधिया द्वारा पेश किए गए दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 सरकार को भूमिगत सर्कुलर रेल व्यवस्था को शीघ्र पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तीव्र करने की शक्ति प्रदान करता है। मैं कलकत्ता गया था और वहां मुझे कुछ ही महीने पूर्व प्राक्कलन समिति के मेरे सहयोगियों के साथ भूमिगत रेलों में यात्रा करने का अवसर मिला। कलकत्ता में भूमिगत रेल व्यवस्था सुचारु ढंग से कार्य कर रही हैं। इसका रखरखाव भी बहुत अच्छा है। इसके लिए रेल मन्त्री और अधिकारी गण मुबारकबाद के पात्र हैं। हमारे साथ डिवीजनल इंजीनियर भी थे जो उस भूमिगत रेल व्यवस्था के प्रभारी है। उन्होंने इस व्यवस्था के कार्यकरण एवं रखरखाव की प्रणाली से हमें अवगत कराया। कलकत्ता की भूमिगत रेल व्यवस्था भारतीय रेलवे के कार्मिकों की कार्यकुशलता का प्रमाण है तथा यह इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय रेलवे विश्व की किसी अन्य रेलवे से कम नहीं है।

जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने 1983 में मद्रास में बीच से लूज सर्कुलर रेलवे की मंजूरी दी थी। परियोजना का मूल लागत अनुमान 53.46 करोड़ रु० था और इसे चार या पांच वर्षों में पूरा किया जाना है। मंजूरी के समय परियोजना की अनुमानित लागत 65.45 करोड़ रु० थी। परन्तु प्राक्कलन में संशोधन कर 100 करोड़ रु० कर दिया गया है 1986-87 में उन्होंने केवल 8 करोड़ रु० आवंटित किए थे और 1987-88 में केवल 4 करोड़ रु०। इस प्रकार उन्होंने केवल 12 करोड़ रु० आवंटित किए हैं परन्तु लागत बढ़ कर 100 करोड़ रु० हो गई है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि रेल मन्त्रालय इस परियोजना को उपेक्षित ढंग से ले रहा है। मैं रेल मन्त्री से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मद्रास सर्कुलर रेल व्यवस्था कब पूरी हो जाएगी। यदि धनराशि का आवंटन इस प्रकार होता है तो इस परियोजना के पूरा होने में दशकों लग जाएंगे। मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वे इस परियोजना को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाएँ। न केवल यही बल्कि रेल मन्त्री ने अब राज्य सरकार से कहा है कि वह इस परियोजना का आधा खर्च उठाए। मैं इसका कोई औचित्य नहीं समझता कि राज्य सरकार को इस परियोजना का आधा खर्च वहन करने के लिए कहा जाए। रेलवे केन्द्र का विषय है और मैं नहीं जानता कि रेल मन्त्री को इस परियोजना लागत में अंशदान देने के लिए क्यों कहना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने लगभग 50 करोड़ रुपये की जमीन आवंटित की है। मैं रेल मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि वह राज्य सरकार से और क्या चाहते हैं जिसके पास इस परियोजना को पूरा करने के लिए सीमित साधन हैं। अतः मैं रेल मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वह इस परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय मैं माननीय रेल मन्त्री द्वारा पेश किए गए दोनों विधेयक का समर्थन करती हूं। मैं भूमिगत रेल (सकर्म सन्निर्माण) संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं क्योंकि मैं यह देखने में रुचि रखती हूं कि कलकत्ता भूमिगत रेलवे का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं भूमिगत रेलवे के बारे में अपने विचार पेश करना चाहूँगी। इंग्लैंड में जब लन्दन शहर की जनसंख्या 2.82 मिलीयन थी उन्होंने भूमिगत रेलवे का निर्माण किया और यह कार्य 1863 में हुआ था। अमरीका तथा यूरोप के दूसरे देशों में भी भूमिगत रेलवे 1935 में शुरू हो गई थी आज विश्व के लगभग 75 देशों में भूमिगत रेलवे है। हमारे देश में भूमिगत रेलवे की शुरुआत 1973

में कलकत्ता से शुरू हुई थी। 1981 की जनगणना के अनुसार कलकत्ता की जनसंख्या 9.16 मिलियन है। मैं रेलमन्त्री और उनके विभाग को भी मुबारकबाद देती हूँ क्योंकि कलकत्ता निवासी के रूप में मुझे कलकत्ता में भूमिगत रेलवे होने पर गर्व है। रेलमन्त्री द्वारा किया गया यह एक श्रेष्ठ प्रयास है और प्रत्येक को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। रेल मन्त्रालय की यह एक विरल सफलता है। कलकत्ता की भूमिगत रेल व्यवस्था के रखरखाव की प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा करेगा। मुझे याद है, जब कुछ महापौर कलकत्ता में महापौर सम्मेलन में भाग लेने आए तो उन्होंने भूमिगत रेलवे से यात्रा की और उन्होंने कहा, "कलकत्ता के निवासी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि वहाँ भूमिगत रेलवे है।" हमें देश के दूसरे हिस्सों में भी विशेष तौर पर बम्बई में भूमिगत रेलवे की आवश्यकता है। बम्बई की जनसंख्या 8.70 मिलियन है और दिल्ली की 6.4 मिलियन तथा बम्बई की भी जनसंख्या बहुत अधिक है। हम कलकत्ता निवासी इस बात को देखने में दिलचस्पी रखते हैं कि न केवल कलकत्ता के लिए बल्कि देश के दूसरे भागों के लिए भी और अधिक भूमिगत रेलवे के निर्माण की आवश्यकता है ताकि परिवहन समस्या का समाधान किया जा सके। यह सच है। मैं रेलमन्त्री और भूमिगत रेलवे के प्राधिकारियों को भी मुबारकबाद देती हूं कि जब मेरे राज्य की सरकार बड़े उद्योगपतियों को बाग और पार्क बेच रही थी तब भी हमने भूमिगत रेलवे के निर्माण से हरियाली, पार्क और बाग रख पाए। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ।

महोदय, मुझे बड़े दुख से बताना पड़ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि दमदम से टालीगंज तक भूमिगत रेलवे कब पूरी होगी। इसमें कहीं कोई गलती हुई है और जहाँ तक मुझे मालूम है केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच सम्पर्क की कमी रही है। मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि वास्तव में शुरू में मेरे राज्य की सरकार ने इस परियोजना का विरोध किया था। हमारे मन्त्री ने हमारे मुख्यमन्त्री को अनेक पत्र लिखे। ये पत्र 30 जुलाई, 1986, 3 दिसम्बर, 1986, 27 जनवरी 1984, 14 अप्रैल, 1987, 7 मई, 1987, 6 अगस्त, 1987 को लिखे गए थे और अन्तिम पत्र 17 अगस्त 1987 को लिखा गया। परन्तु मैं नहीं जानती कि कोई सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे या नहीं। मेरे विचार में यह विभाजन का या राजनैतिक मामला नहीं है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सुनिश्चित करें कि भूमिगत रेलवे का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो जाए। मुझे वास्तव में यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मेरे राज्य की सरकार कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। मैं नहीं जानती कि जब देश के दूसरे राज्य अपने क्षेत्रों में भूमिगत रेल शुरू करने दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे राज्य की सरकार की इसमें रुचि क्यों नहीं है। दमदम से टालीगंज तक भूमिगत रेलवे बनाने की परियोजना में विलम्ब राज्य सरकार के कारण हुआ है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि दमदम से टालीगंज तक भूमिगत रेलवे बनाने की परियोजना को शुरू किया जाए। इस सम्बन्ध में, मैंने योजना आयोग से कई बार सम्पर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि इस रेलवे लाइन को टालीगंज से बढ़ा कर गुरिया तक किया जाए क्योंकि यहां की जनसंख्या बहुत अधिक है।

हाल ही में, जापान सरकार ने पश्चिम बंगाल में भूमिगत रेलवे और एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए रेलपथ का निर्माण किए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की थी। मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि यदि जापान सरकार की इस कार्य में दिलचस्पी है तो हमारी सरकार को भी देखना चाहिए कि······ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक वक्ता हैं जो भूमिग त रेलवे विषय पर बोलना चाहते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : परन्तु महोदय, मैं कलकत्ता निवासी हूँ और मुझे कलकत्ता का अनुभव है।

पुनर्वास तथा मुआवजे की प्रणाली भी दोषयुक्त है। यह सच है कि भूमिगत रेलवे के निर्माण के लिए रेल प्राधिकारियों को कई इमारतों और बहुत सी भूमि का अधिगृहण करना पड़ता है। इसके लिए भूमिगत रेलवे संकर्म सन्निर्माण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण प्रक्रियां शुरू करनी होती है। मैं जानती हूँ कि अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार इस भूमि का अधिग्रहण करेगी। होता यह है कि जिन लोगों ने 70-80 वर्ष पहले अपनी इमारतें बनाई थीं, रेल अधिकारी उनसे कहते हैं कि उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाएगा। इससे भू-स्वामियों, दुकानदारों और व्यापारियों पर प्रभाव पड़ेगा। वे राज्य सरकार के अधिकारियों, रेल अधिकारियों और संसद सदस्यों से भी कई बार मिले हैं। परन्तु हम उनके लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। मैं आपसे कहूँगी कि मन्त्रालय को इन लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए जिन्होंने 80 वर्ष पूर्व अपने मकान बनाए थे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुख्यमन्त्री या राज्य सरकार के किसी अन्य मन्त्री तथा प्रभावित लोगों की एक बैठक बुला कर कोई सौहर्दपूर्ण समाधान कराइए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन निष्कासित लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विधि के अधीन राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण और आवश्यक कार्यवाही करेगी। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इस सम्बन्ध में मेरी राज्य सरकार रूचि को नहीं ले रही है तो मेरे राज्य के लोगों की देखभाल का कुछ दायित्व केन्द्र सरकार का भी है। इसीलिए मैं इन लोगों की समस्याओं के निदान के लिए आपसे अनुरोध कर रही हूँ।

राज्य सरकार की भूमिगत रेलवे के लिए भूमि का अधिग्रहण करने में रूचि नहीं है। मैं आपको एक दस्तावेज दे रही हूँ। यह 4 अक्तूबर, 1987 के 'टेलीग्राफ' अखबार में प्रकाशित हुआ था— तत्कालीन केन्द्रीय रेल मन्त्री श्री बन्सीलाल ने अप्रैल 1985 में मुख्यमन्त्री श्री ज्योति वसु को ऐसी ही शिकायत भेजी थी। पत्र संख्या 85/डब्लू दो/एल एम/14/22 है। उन्होंने विशेष रूप से रेलवे भूमि पर अवैध कब्जे के दो मामलों का उल्लेख किया था**

उन्होंने लिखा था कि दोनों मामलों में स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा रेलवे की भूमि का आवासीय क्वाटरों के निर्माण के लिए अनधिकृत रूप से आबंटन किया गया था। जिन अधिकारियों ने रेलवे की भूमि का अधिकृत कब्जा दिलाया था उनके विरुद्ध उन्होंने कठोर कार्यवाही करने का सुझाव दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

कुमारी ममता बनर्जी : यह भी एक आरोप है, मुझे इसे पूरा करना है।

मन्त्री महोदय, मैं यह जाना चाहती हूँ कि जब राज्य सकार भूमिगत रेलवे के लिए भूमि का अधिग्रहण करने में रूचि नहीं ले रही है तो, राज्य सरकार किस प्रकार**

श्री बंसीलाल ने मुख्य मन्त्री को पहले ही पत्र लिख दिया था परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। मैं इस दस्तावेज को आपको सौपूंगी। मैं आपसे किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रेलवे की भूमि पर अनधिकृत कब्जा नहीं किया जाना चाहिए, इस बात पर निगरानी रखने और इस लात को स्पष्ट करने

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

का अनुरोध करती हूँ। निहित स्वार्थ वाले लोगों के लिए नहीं, अपितु जनहित में आप इस भूमि को रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी आरोप को शामिल नहीं किया जायेगा। सदन में राज्य और केन्द्र सरकार के बीच हुए पत्राचार को बिना आज्ञा के नहीं पढ़ा जा सकता है।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने केवल पत्र संख्या का उल्लेख किया है। यह उस प्रकार के आरोप जैसा कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हार्ट) : जब वह राज्य सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रही थी तब आपने उन्हें नहीं रोका। आपने उन्हें जो चाहा वह कहने दिया। वह सारे मामले को राजनैतिक रंग दे रही हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई आरोप लगाया गया है तो, मैं उन्हें कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने केवल पत्र संख्या का उल्लेख किया है। रेलवे लाइन कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है। यह तो जन मुद्दा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, जहां तक रेलवे क्लेम्ज का ताल्लुक है, मैं इसका वेलकम करता हूं क्योंकि ये देश के लिए निहायत जरूरी है।

आज हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत से क्लेम्ज पड़े हैं और इन क्लेम्ज को जो देखते हैं उनके पास काम इतना है कि वे जल्दी से फैसला नहीं कर पाते। इसलिए जो आनुरेबल मिनिस्टर का ख्याल है, उनके बारे में जो राय है वह बहुत दुरुस्त नहीं है। इसमें थोड़ी-सी खामियां है जो कि मैं आपके सामने रखता हूं। उन पर आप गोर करें और जो मुनासिब हों उनको आप ठीक करें।

ये जो चेअरमैन और वाईस चेअरमैन दो मैम्बर है। इनमें से जो चेअरमैन है वह तो टॉप एडमिनिस्ट्रेटर होने से खर्च ज्यादा होगा। चेअरमैन हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होना चाहिए! वह अच्छे स्टेटस का आदमी हो, जुडीशियरी का मेम्बर हो। कम कम से कम रिटायर्ड सेसन जज तो हो। दूसरा टेक्नीकल मेम्बर हो।

सर, आपने फरमाया कि 19 बेंचिज होंगी। इतने बड़े मुल्क के लिए 19 बेंचिज बहुत कम हैं। इतनी कम बेंचिज होने से क्लेम्ज बढ़ने चले जाएंगे। उनका फैसला होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर पाँच जिलों के ऊपर एक बेंच होनी चाहिए। मुल्क में 76 बेंचिज होनी चाहिएं। इनके अन्दर जो मेम्बर आपको लगाने हैं उनमें एक जुडीशियल आफिसर, डिस्ट्रिक्ट सेसन जज की रेंक का होना चाहिए। दूसरा मेम्बर टेक्नीकल हो।

जहाँ तक मियाद का सवाल है, इसके समरी ट्रायल होंगे। मैं खुद बतौर मैजिस्ट्रेट के काम कर

चुका हूं इसलिए मुझे पता है कि बाकायदा मुकद्दमे की सुनवाई होती है जिसमें दो साल, डेढ़ साल निकल जाते हैं। समरी ट्रायल तो एक दिन में ही हो जाता है।

1.00 म० प०

और कई दफा दो दिन ले लेते हैं आपको यह करना चाहिए कि छह महीने के अन्दर जो क्लेम आ गया, उसका फैसला हो जाए। क्लेम में जो पैसे मिलेंगे, वह एक महीने के अन्दर रेलवे ओथारिटीज जमा करवा लेंगे। अगर वह जमा नहीं करवायेंगे तो रेलवे वालों को भी आगे अपील करने का हक नहीं होगा। इसी तरीके से जो मौत के लिए क्लेम है, उसमें कई दफा बहुत थोड़ा देते हैं, कम से कम पचास हजार होना चाहिए। रेलवे के अन्दर एक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें नेगलीजेंस और करप्शन है इसको दूर करना चाहिए। ब्रांच लाईन पर भी सहूलियत बढ़ाई जाए। पब्लिक सोचती है कि बड़ी लाइनों पर पैसा खर्च होता है और सहूलियतें बढ़ती हैं और छोटी लाईन पर गौर नहीं होता। इसलिए, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। इन लफ्जों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.04 म. प. पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

रेल दावा अधिकरण विधेयक और भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

डॉ० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : महोदय, मैं भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) संशोधन विधेयक 1987 का समर्थन करता हूँ। विधेयक के उद्देश्यों को लक्ष्यों और कारणों के विवरण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। सच बात यह है कि भूमिगत रेल के सन्निर्माण के प्रयोजन के लिए भूमि और सम्पत्ति के अधिग्रहण के मार्ग में अनेक बाधाएँ आ रही हैं। भूमि और सम्पत्ति के अधिग्रहण के समय तीन प्रकार के व्यक्ति प्रभावित होते हैं। यह सच है कि भूमिगत रेल के निर्माण के अधिकारियों द्वारा कुछ भवनों और भूमि को अधिग्रहित किया गया है। भूमि और भवन के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप तीन प्रकार के लोग प्रभावित होते हैं।

एक वर्ग तो भूमि मालिकों अथवा भवन मालिकों का है। दूसरा वर्ग छोटे व्यापारिक अथवा दुकानदारों का तथा तीसरा वर्ग किरायेदारों का है जो प्रभावित होता है। पहला वर्ग जो भवन मालिकों का या भूमि मालिकों का है उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए लेकिन मेरे विचार से उन्हें उससे कहीं अधिक क्षतिपूर्ति की जा रही है जितना उन्होंने भवन के निर्माण अथवा भूमि खरीदने के समय निवेश किया था। वे किरायेदार जो छोटे-छोटे व्यापार के लिए स्थान का उपयोग कर रहे बहुत हैं उन्हें ही कम क्षतिपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, फिर से व्यापार शुरू करने के लिए उचित स्थान मिलने में

कठिनाई होती है। अतः वे काफी कठिनाई में हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि आवासीय किरायेदारों के लिए आवास प्राप्त करना भी अति कठिन है। अपने को जीवित रखने के लिए कभी-कभी उन्हें न्यायालय में जाना पड़ता है। सरकार को व्यापारियों और किरायेदारों को क्षतिपूर्ति देने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए तथा पैसा शीघ्रातिशीघ्र दे देना चाहिए और क्षतिपूर्ति करने के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से से अनुरोध करता हूं कि वह सम्बन्धित विभाग को शीघ्रातिशीघ्र पैसा देने तथा महीनों और वर्षों तक उन्हें प्रतीक्षा न करवाने के लिए कहें। इस सम्बन्ध में मैं यह अनुरोध करता हूँ कि यह अधिक बेहतर होगा यदि सरकार छोटे व्यापारियों को व्यापार के लिए कुछ स्थान देने की योजना बनाए। जब उन्हें उनके स्थान से हटा दिया जाता है तो वे परेशान हो जाते हैं और वे कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि क्योंकि भूमिगत रेल के निर्माण कार्य को जितनी जल्दी संभव हो सके पूरा किया जाना चाहिए। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि भूमिगत रेल का कार्य वर्ष 1978 में शुरू किया गया था। मुझे प्रसन्नता होगी यदि यह शीघ्र पूरा हो जाएगा और लोगों को बेहतर संचार व्यवस्था प्राप्त होगी। वर्ष 1978 में अधिनियम पारित किया गया था और वर्ष 1983 में अनेक संशोधन भी लाए गए थे। इस प्रकार 15 वर्षों के बाद भी यह पूरा नहीं हो पाया है। विलम्ब का अर्थ व्यय में वृद्धि और आम आदमी को कष्ट। जो भी कोई कलकत्ता गया होगा उसने यह नोट किया होगा कि अनेक मुख्य सड़कें खराब स्थिति में हैं। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। अधिकतर मामलों में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेने के कारण ऐसा है। परिणामस्वरूप न केवल स्थानीय लोग परेशान हैं बल्कि कलकत्ता के अधिकांश लोग और वो लोग कलकत्ता आते हैं वे कष्ट में हैं। मैं भूमिगत रेल अधिकारियों की कठिनाई को समझता हूं कि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण विलम्ब हुआ है लेकिन मुझे आशा है कि इस संशोधन के पारित होने के वाद परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो जाएगी।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री महोदय और भूमिगत रेल प्राधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि भूमिगत रेल को एक तरफ गौरिया तक तथा दूसरी ओर दमदम तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एन० बी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मद्रास में मैट्रोस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम सम्बन्धी (एम. आर. टी. एम.) कार्य में काफी विलम्ब हो रहा है। मद्रास शहर में यातायात की गंभीर समस्या का उल्लेख करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। शहर के यात्रियों को जो यातनाएं सहनी पड़ती हैं, वह अवर्णनीय है। मद्रास शहर में रोजाना कई दुर्घनाएं होती हैं जिसमें लोगों की जानें चली जाती हैं। एम. आर. टी. एस. से योजना मद्रास की जनता को कुछ आशा बंधी थी परन्तु योजना के निष्पादन में हुए असाधारण विलम्ब से निराशा होने लगी है। ऐसा लगता है कि रेलमन्त्री का यह आग्रह है कि तमिलनाडु परियोजना कीलागत का दो तिहाई खर्चा दे। महोदय, यह रेलवे परियोजना है तथा जब रेलवे अन्य मदों पर करोड़ों रुपए व्यय कर रहा है तब वह राज्य से हिस्सा लेने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं। रेलवे पर केन्द्र सरकार का पूरा नियन्त्रण है। ऐसे मामले में उनका मूल कर्त्तव्य है कि मद्रास जैसे पुराने शहर में एम. आर. टी. एस. का प्रबन्ध करें। दूसरे राज्य द्वारा हिस्सा देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि 1983-84 में जब रेलवे ने इस परियोजना को तब मंजूरी दी थी, तब ऐसी बात नहीं कही गई थी। रेलवे की यह धारणा है कि महानगरीय

उपनगरीय योजनाओं की लागत में रेलवे और राज्य का हिस्सा 67.33 होना चाहिए, अभी हाल में ही बनी है तथा इसे उस परियोजना के लिए भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए जिसके कार्य-निष्पादन का जिम्मा रेलवे ने लिया था।

महोदय, एम. आर. टी. एस. योजना का 1983-84 में मंजूरी दी गई थी तथा अब 1987 तक परियोजना पूरी नहीं हो पाई हैं। चार वर्ष पहले इसका प्राक्कलन 53 करोड़ रु० था अब मूल्यों में वृद्धि के कारण इसका प्राक्कलन 105 करोड़ रु० हो गया है। चार वर्षों में लागत दुगनी हो गई है। यदि सरकार ने इसमें और विलम्ब किया तो इसका प्राक्कलन किसी भी स्तर तक पहुँच सकता है। कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमन्त्री ने बम्बई शहर के निवास के लिए 100 करोड़ रु० का अनुदान दिया था। मैं इसका स्वागत करता हूं तथा इसकी सराहना करता हूं। महोदय आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि वह एम. आर. टी. एस. के लिए मद्रास शहर को भी निधियां प्रदान करें। यह बहुत तात्कालिक और महत्वपूर्ण समस्या है। एम. आर. टी. एस. छठी पंचवर्षीय योजना की परियोजना है जिसके लिए रेलवे तथा योजना आयोग दोनों ही वचनबद्ध हैं। इसलिए लागत में हिस्सेदारी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दूसरे यदि केन्द्र सरकार चाहे कि राज्य सरकार हिस्सा दे तो भी दोनों जगह के सत्तारूढ़ दल सहायक मूड में हैं। मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री राज्य सरकार को किसी भी तरह मना लें। मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि एम. आर. टी. एस. योजना को तुरन्त पूरा करें।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : किसी भी तरह नहीं ऐसे ही।

श्री एन. वी. एन. सोमू : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं तथा हमें भी इसकी चिन्ता है। ६ काफी समय से लम्बित पड़ी है। महोदय, योजना के 1991 तक पूरा हो जाने की संभावना है। परन्तु अब इसमें संदेह है कि यह संभावित समय में पूरी हो पाएगी अथवा नहीं। अब तो इसकी गति काफी धीमी हो गई है। परन्तु साथ ही मैं रेल अधिकारियों की भी सराहना करूंगा। वह काफी लाभदायक रूप से राशि व्यय कर रहे हैं। यदि उन्हें आवश्यक निधियां आवंटित कर दी गई तो एम. आर. टी. एस. शीघ्र ही पूरी हो जाएगी।

जहां तक मद्रास उत्तर में रायापुरम रेलवे स्टेशन पुल के नीचे सड़क बनाने का सम्बन्ध है मैं इस सम्मानित सभा तथा जोनल परामर्शदात्री समिति में यह मुद्दा कई बार उठा चुका हूं। रेल राज्य मन्त्री श्री माधवराव सिंधिया ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया तथा 30 अप्रैल, 1986 को मुझे पत्र लिखा जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

"9-8-85 को दक्षिण रेलवे मंडल की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति की बैठक में आपने रायापुरम में ओवर ब्रिज बनाने का मामला उठाया था।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि तमिलनाडु राज्य सरकार से ब्योरे को अन्तिम रूप देने के बाद रेलवे ने वर्ष 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम में मद्रास क्षेत्र में वाशरमास्पेट और रायापुरम स्टेशनों के बीच मोनागर चौल्ट्री रोड पर 2/3-4 कि०मी० पर स्पेशल क्लास लेवल क्रासिंग के स्थान पर पुल के नीचे सड़क बनाने के निर्माण कार्य की सहमति दे दी है। ओवर ब्रिज सड़क के निर्माण पर लगभग 1.75 करोड़ रु० की लागत आएगी तथा जिसमें रेलवे का हिस्सा 98 लाख रु० का है। पुल पर कार्य रेलवे द्वारा किया जाएगा तथा पहुंच मार्गों पर कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस

कार्य के लिए योजना के ब्यौरों तथा प्राक्कलन पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।"

मैं वस्तुतः मंत्री महोदय, श्री सिंधिया के प्रति इस अनुरोध को स्वीकार करने के लिए आभार प्रकट करता हूं। मद्रास उत्तर की जनता की ओर से भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परन्तु 19 महीने बीत जाने के बाद भी योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। यातायात की समस्या बराबर बनी हुई है तथा जिन व्यक्तियों को रायापुरम स्थित गवर्नमेंट स्टेनले अस्पताल जाना पड़ता है उन्हें लेवल क्रासिंग बन्द होने के कारण चार या पांच घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। रोगियों को अस्पताल में दाखिल होने से पहले लेवल क्रासिंग पर धीरज से प्रतीक्षा करनी होती है। पुल के नीचे बनने वाली सड़क पर लगभग 1.75 करोड़ रु० की लागत आएगी। माननीय मन्त्री ने पत्र में यह लिखा था कि पुल पर कार्य रेलवे द्वारा किया जाएगा तथा पहुंच मार्ग पर राज्य सरकार कार्य करेगी। यद्यपि डेढ़ वर्ष बीत गया है परन्तु योजना पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इसमें तुरन्त हस्तक्षेप करें तथा यह देखें कि योजना का कार्य तत्काल पूरा हो जाए।

मैं उत्तर मद्रास क्षेत्र में कोसक्कूपेट स्थित लेवल क्रासिंग के बारे में बार-बार अनुरोध करता रहा हूं। यहां लेवल क्रासिंग छः से सात घंटे बन्द रहती है जिससे यातायात की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तर मद्रास क्षेत्र में कई कारखाने विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के कारखाने स्थित हैं। इसीलिए अब समय आ गया है जब रेलवे को कोरुक्कुपेट रेलवे स्टेशन पर एक भूमिगत पारपथ बनाना चाहिए।

7 नवम्बर को तमिलनाडु एक्सप्रेस का नागपुर के पास दुर्घटना हो गई। रेलवे मन्त्री ने 9 नवम्बर का राज्यसभा में बताया कि इसमें स्पष्ट रूप से तोड़-फोड़ किए जाने की सम्भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया राज्य सभा का हवाला यहां न दें।

श्री एन. वी. एन. सोमू : दुर्घटना रेल पथ पर तोड़-फोड़ के कारण हुई है। यही माननीय मन्त्री ने कहा था। रेलवे सुरक्षा आयोग तथा सिविल अधिकारियों की जांच से पता चला है कि स्थल पर 200 मीटर तक ट्रैक कीज गायब थीं। परन्तु अगले दिन ही जी. आर. पी. अधीक्षक ने समाचार-पत्रों में वक्तव्य दिया कि तोड़-फोड़ नहीं हुई थी। मेरे विचार से केवल माननीय मन्त्री ही स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : श्रीमान्, रेल सुरक्षा आयुक्त ने केवल अपनी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रेल सुरक्षा आयोग एक स्वतन्त्र प्राधिकरण है जो नागर विमान मंत्रालय के अन्तर्गत है। यह हमारे अधीन नहीं है अपनी प्राथमिक जांच में उन्होंने यह भी कहा है कि—ये संकेत स्पष्ट थे कि यह तोड़-फोड़ का मामला था।

श्री एन. वी. एन. सोमू : मैंने राज्य सभा में माननीय मन्त्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विश्वास किया।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं नवीनतम स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं, हमें यह केवल दो-तीन दिन पहले ही पता चला है।

श्री एन. वी. एन. सोमू : निश्चय ही अगले ही दिन एक रेल अधिकारी ने इसका खण्डन भी किया था।

संक्षेप में मैं माननीय मन्त्री जी से एम. आर. टी. एस. और रायापुरम सड़क के नीचे पुल पर कार्य को शीघ्र निपटाने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कम्मोदीलाल जाटव (मुरैना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मन्त्री महोदय ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) संशोधन विधेयक का भी समर्थन करता हूं। रेलगाड़ियों में व्यापारी जो अपना माल ले जाते थे उसमें कई जगह से उन व्यापारियों का माल गायब हो जाता था जिसके दावे अदालत में चलने से उनको काफी परेशानी होती थी और नुकसान उठाना पड़ता था, इन संशोधनों के द्वारा उसमें कुछ कमी आएगी और उन्हें परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। इसलिए में सिंधिया जी को बधाई देता हूं।

मैं माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं जैसे व्यापारी अपना कोई सामान रेल से मंगाते हैं और यदि वह सामान उनका समय पर न पहुंचे या लेट पहुंचे, तो व्यापारियों को इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती जितनी कि यदि भैंस, गाय या बकरी का व्यापारी इनको रेल से कहीं ले जाए, और वह समय पर नहीं पहुंचे, तो इससे इन व्यापारियों को ज्यादा परेशानी होती है और काफी नुकसान भैंस, गाय और बकरियों को ले जाने वाले व्यापारी को उठाना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे उन्हें नुकसान व परेशानी न हो। इस सम्बन्ध में, मैं हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों का उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे यदि कोई हवाई उड़ान लेट हो जाती है, तो उसके यात्रियों को विमान वाले जिस प्रकार से होटल इत्यादि में ठहराते हैं और उनके खाने इत्यादि का खर्च स्वयं वहन करते हैं। इसी प्रकार की कोई व्यवस्था इन भैंस, गाय या बकरी ले जाने वाले व्यापारियों के लिए भी होनी चाहिए। लोग कलकत्ता या बम्बई जैसी जगहों पर इन जानवरों को ले जाते हैं और यदि वे समय पर नहीं पहुंचते हैं और लेट पहुंचते हैं तो उससे होने वाले नुकसान को और उनके व्यय को रेल विभाग वहन करे, ऐसी व्यवस्था आप करें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गुना और इटावा में जो रेलवे लाइन बननी है, मैं तीन साल से देख रहा हूं कि उस पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है है कि इस पर अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है और इसके लिए कितनी राशि रखी हुई है? इटावा के पास चम्बल नदी पर एक पुल बनना है, पुल के निर्माण में काफी समय लगेगा लेकिन वहां पुल के निर्माण के लिए शुरुआत नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि इटावा और गुना रेलवे लाइन को जल्द से जल्द बनाया जाये।

इसके साथ-साथ हमारे मुरैना क्षेत्र का माल गोदाम बहुत छोटा है। हमारे यहां से गेहूं और सरसों कलकत्ता और बम्बई वगैरह कई इलाकों में जाती हैं। हम चाहते हैं कि वहां एक बड़ा माल

गोदाम बनाया जाये जिससे व्यापारियों का माल वहां रखा जाये। अभी बरसात में गल्ला भीग जाता है और इससे व्यापारियों का बड़ा नुकसान होता है।

हमारे क्षेत्र में शौपुर कलां एक स्टेशन है, मैं चाहता हूं कि वहां भी एक माल गोदाम बनाया जाये क्योंकि यहां बड़ी भारी मंडी है।

मुरैना स्टेशन पर व्यापारी और मजदूर दिन-रात काम करते हैं, वहां कम-से-कम पानी वगैरह की व्यवस्था की जाये। वहां जो प्लेटफार्म है, जहां से माल लोडिंग होता है, वह कम पड़ता है इसलिए एक प्लेटफार्म दूसरा बनाया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो समय दिया गया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

(श्री माधव राव सिंधिया) : चूंकि श्री सोमू ने यह बात उठायी है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि—30 नवम्बर, अर्थात् कल महाप्रबन्धक (मध्य रेलवे) को आयुक्त (रेल सुरक्षा) से एक रिपोर्ट मिली थी। मध्य रेलवे के नागपुर प्रभाग के कटोल और मेटपंजरा स्टेशनों के बीच 7-11-1925 को 122 डाउन नई दिल्ली-मद्रास तमिल नाडु एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में सी. आर. एस. सेंट्रल सर्किल की अन्तिम जांच—वे कहते हैं, मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि वे एक स्वतन्त्र अधिकारी हैं जो रेल मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं आते। तथ्यात्मक सामग्री और उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 7-11-87 को 13 33 बजे मध्य रेलवे के नागपुर प्रभाग के अमला-नागपुर सिंगल लाईन बड़ी लाईन (बी. जी.) गैर इलेक्ट्रिफाईड खण्ड में कटोला और मेटपंजरा स्टेशनों के बीच 122 डाऊन नई दिल्ली मद्रास सेंट्रल, तमिलनाडु एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने का कारण फिशप्लेट के जोड़ को तोड़-फोड़ करना था।

दुर्घटना को "तोड़-फोड़" श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, इस रेल दावा अधिकरण विधेयक, 1987 को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय राज्य मन्त्री महोदय को बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह अधिनियमन पहले ही बनाया जाना चाहिए था। कुछ भी विद्यमान विधेयक निश्चय ही उन लोगों को राहत देगा जिनके दावे रेलवे के पास लम्बित पड़े हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि इस विधेयक में समाविष्ट किये जाने चाहियें। में केवल उन्हीं मुद्दों की चर्चा करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। मेरे विचार से इस विधेयक का प्रयोजन बहुत अच्छा है, इसको दोहरा प्रयोजन है अर्थात् मामले की जांच करना तथा उस पर निर्णय देना रेलवे द्वारा ढोये जाने वाले पशुओं या सामान सुपुर्दगी न देने अथवा प्रभाव अथवा परिसम्पत्तियों की वापसी आदि अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आयेंगे। एक विद्वान् सदस्य ने पहले ही उल्लेख किया है और मैं स्वयं समझता हूँ कि यदि किसी गाड़ी में विलम्ब हो जाता है तो आप किसी व्यक्ति को क्या राहत या प्रतिपूर्ति देंगे। मान लो कि कोई व्यक्ति किसी मरीज को कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है। गाड़ी के पहुंचने में 3 घंटे का विलम्ब हो जाता है तो मरीज को नुकसान होगा। क्योंकि वह इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आता वह अधिकरण के समक्ष जाकर दावा नहीं कर सकता। इसी तरह एक गाड़ी में कुछ जीवन रक्षक औषधियां ले जायी जा रही हों —कोई उन्हें ले जा रहा हो। मैं भारतीय रेल पर दोष नहीं लगा रहा। इसमें निश्चय ही सुधार आया है; मन्त्री जी

को इसके लिए धन्यवाद है। किन्तु ऐसा होता है—वर्तमान चर्चा के लिए यह बात मायने नहीं रखती या बहुत संगत नहीं है —किन्तु ऐसा मामला हावड़ा और दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस में होता है। यह प्रतिदिन कम से कम दो या तीन घंटे देर से पहुंचती है। आमतौर पर किसी बहुत महत्त्वपूर्ण मामले में मरीज को तीव्र गति वाली गाड़ी से ले जाया जाता है ताकि उसे समय से अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। हानिपूर्ति कौन करता है? ऐसा उपबन्ध कहां है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

इसमें बहुत से खण्ड हैं। मैं खण्डवार चर्चा नहीं करना चाहता। पर मुझे दो या तीन चीजें दिखाई दी हैं। मैंने देखा है कि—विद्यमान विधेयक सिविल प्रोसीजर कोड के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यह बहुत अच्छा है। माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। अन्यथा काफी लम्बे समय तक मुकद्दमेबाजी होती रहती। ऐसा दावों को शीघ्र निपटान के लिए किया गया है। मैं इसे समझता हूं। किन्तु समय क्यों न विनिर्दिष्ट हो? विधेयक में ही कम से कम कोई समय तो विनिर्दिष्ट होना चाहिए। जैसे अधिकरण दावा याचिका को अमुक समय तक निपटा दे। आप पर्याप्त छूट देते रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह बहुत कठिन है। किन्तु जब इसे सिविल प्रोसीजर कोड के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तो यह अन्त सिविल म.मलों की तरह नहीं है। मैं नहीं समझता कि दावा याचिकाओं को समय से निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने में कोई कठिनाई है। अन्यथा जब तक दावा याचिका निपटायी जाती है तो हो सकता है तब तक दावेदार इस दुनिया में ही न रहे। यह हमारा आम अनुभव है।

अब मैं खण्ड 7 के बारे में कहूंगा। मैंने देखा कि चेयरमैन और वाईस चेयरमैन का कार्यकाल पांच वर्ष है मैं समझता हूं कि यह बहुत थोड़ी अवधि है। मान लीजिए कि कोई मामला चेयरमैन के पास लम्बित पड़ा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष है, जो बहुत कम है। यह सम्भव है कि इन पांच वर्षों में दावा याचिकायें निपटायी न जा सकें। फिर कोई और चेयरमेन आ जायेगा, और इस नए व्यक्ति को पूरा मामला नये सिरे से सुनना पड़ेगा। इसलिए यह पांच वर्ष की अवधि बहुत कम है। मन्त्री जी इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे।

लम्बित मामलों के बारे में, मैंने देखा कि विधेयक के खण्ड 15 में व्यवस्था है :—

> "निर्धारित दिन की और से, कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकरण, धारा 13 की उपधारा (1) में संदर्भित मामलों के सम्बन्ध में किसी अधिकारित, शक्ति या प्राधिकार का अधिकारी नहीं होगा।"

मान लीजिए विभिन्न मामले अब विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। विधेयक का यह मत है कि—निश्चित किए गए दिन के बाद यदि—लम्बित सभी मामलों को भूतलती रूप से प्रभावी बनाते हुए अन्तरित कर दिया जायेगा फिर भी वही समस्या आयेगी।' पैसे वाले लोग और व्यय कर सकते हैं। अधिकरण के पास आगे मुकद्दमा करने के लिए वे कुछ भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लोग क्या करेंगे? जिनके छोटे दावों की याचिकायें छोटे न्यायालय या उच्च न्यायालय या रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य अदालत के पास लम्बित पड़ी हैं? उन्हें अधिकरण के समक्ष फिर से आना पड़ेगा। इसलिए कुछ मार्गनिर्देश होने चाहिएं। उन लम्बित मामलों को तुरन्त अन्तरित नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, भूमिगत रेलवे के बारे में मैं केवल 2 या 3 सुझाव दूंगा। मैं इस संशोधन कारी विधेयक को पूर्ण समर्थन देता हूँ, और इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मन्त्री जी को फिर से बधाई देता हूँ। भूमिगत रेलवे का सारा प्रयोजन तीव्र यात्रा प्रणाली प्रदान करना है। इसलिए क्या मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध कर सकता हूँ कि कम से कम कलकत्ता का भूमिगत रेलवे लक्षित समय अर्थात् 1992 तक पूरा हो जाए? दूसरे विद्यमान योजना के अनुसार भूमिगत रेलवे का दमदम तक विस्तार किया जायेगा। इसका विस्तार दमदम से आगे भी किया जा सकता है यदि ऐसा हो जाता है तो भूमिगत रेलवे का क्षेत्रविस्तार से सम्बन्धित प्रयोजन हल हो जायेगा क्योंकि कलकत्ता भूमिगत रेलवे का प्रयोजन सभी वर्गों के लोगों को तीव्र यात्रा प्रणाली प्रदान करना है।

अतः जो लोग कलकत्ता के बाहर से आ रहे है, उन्हें लाभ मिलना चाहिए। कलकत्ता में काफी लोग प्रतिदिन आने और जाने वाले होते हैं। कलकत्ता में 40 लाख से अधिक लोग उपनगरीय क्षेत्रों से आते हैं। यदि भूमिगत रेलों को बेलगोरिया तक जोड़ा जा सके तो पूरे उत्तरी 24 परगना को भूमिगत रेल का लाभ मिल सकता है।

कलकत्ता में इसके दूसरे हिस्से भूमिगत रेल के लाभ से एकदम वंचित हैं; उस पर विचार करना होगा। माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार करें कि क्या भूमिगत रेलों का पूर्वी कलकत्ता तक विस्तार किया जा सकता है अथवा नहीं।

जहाँ तक क्षतिपूर्ति का सम्बन्ध है, इस सभा में विभिन्न बातें कही गई हैं। जबकि मैं इस बात को सराहता हूँ कि मुआवजा केवल मकान मालिकों को ही नहीं दिया जाना चाहिए था; यह केवल किरायेदारों को ही दिया जाना चाहिए था। लेकिन उन किराएदारों को, जिनके पास कतिपय आवास प्रयोजनार्थ सम्पत्ति है, उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए न कि हमेशा व्यापारियों को, भूमिगत रेल वालों को मुआवजा देने के समय सावधान होना पड़ता है; अधिक मुआवजा उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्हें उनके घरों से निष्कासित किया गया है और फिर किराएदारों को। आजकल वैकल्पिक आवास प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अतः उन्हें अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए और छोटे व्यापारियों की भी क्षति पूर्ति की जानी चाहिए। मैं उन बड़े-बड़े व्यापारियों की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ जिन्हें उनके व्यापारिक स्थलों से बाहर निकाल फेंका गया है।

दूसरा, वर्ष 1970 से अब तक कलकत्ता की सड़कें पूरी तरह भीड़ वाली हो गई हैं और पूर्ण रूप गड़बड़ हो गई है जिसके फलस्वरूप विभिन्न कारणों से अक्सर यातायात में व्यावहारिक रूप से बाधा पड़ जाती है; निश्चित रूप से यह है जिससे भूमिगत रेलें अपना काम निर्धारित समय में पूरा नहीं कर रही हैं। अतः पुनः मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि—यद्यपि यह वर्तमान विधेयक की विषय वस्तु तो नहीं है—कि यह सुनिश्चित किया जाये कि इस कार्य को निर्धारित तिथि अर्थात् 1992 के अन्दर ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी को वर्तमान अधिनियम में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए संशोधन विधेयक लाने के लिए पुनः बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : श्रीमन्, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन इसलिए करता हूं कि यह परियोजना चालू हो गई है और इसमें करोड़ो रुपये खर्च किये जा चुके हैं नहीं तो मेरा विचार है कि

भविष्य में कुछ काल के लिए ऐसी भारी परियोजनाओं से मन्त्री जी परहेज करें और इस पैसे को बचाकर देश के उन क्षेत्रों में रेल मार्ग का विस्तार करें जहां के लोगों ने 40 वर्षों की आजादी के बाद भी आज तक रेल का मुंह नहीं देखा है। इससे देश का समुचित विकास होगा और देश के बड़े-बड़े शहरों में अबाध गति से जो लोग आते हैं रोजी और रोटी की खोज में उस पर रोक लगेगी जैसे मेरे हजारीबाग है। 40 वर्षों से हजारीबाग में रेल मार्ग का विस्तार करने की मांग की जा रही है लेकिन उनकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है उसी तरह से गंगा नदी पर पहलेजा और दीघा घाट के बीच में रेल पुल की मांग वर्षों से चली आ रही है लेकिन उसकी ओर भी मन्त्री जी की कोई रुचि नहीं है। जब इस तरह की बातें उठती हैं तो कहते हैं कि खजाने में पैसे का अभाव है और जब पैसा उपलब्ध होगा तो सोचा जायेगा, यह नहीं कि पैसे की उपलब्धि के बाद उस काम को लिया जायेगा, कराया जायेगा बल्कि पैसा उपलब्ध होगा तो इसके बारे में सोचा जायेगा।

मैंट्रो रेल परियोजना को तो इसलिए पूरा कर रहे हैं कि मेरा कमिटमैण्ट है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या छिकोनी घाट पर रेल पुल बनाने लिए कमिटमैण्ट नहीं है, समस्तीपुर से दरभंगा तक आसान परिवर्तन के लिए कमिटमैण्ट नहीं है, या छपरा कचहरी जंक्शन के बीच में समपार बनाने के लिए कमिटमैण्ट नही है? कमिटमैण्ट है लेकिन कमिटमैण्ट है या नहीं है इसकी बात नहीं है। जहां आपकी रुचि होती है वहां के लिए आपके पास पैसा है और जहां रुचि नहीं है, जहां के लोगों की उपेक्षा करने की बात आपके मन में है वहां के लिए पैसा नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कमिटमैण्ट और नाकमिटमैण्ट की वात को छोड़कर जहां आवश्यकता है वहां पैसे खर्च कीजिए और रेल मार्ग का विस्तार कीजिए।

मैंने इसलिए कहा कि जब आपकी रुचि होती है, जब आपकी इच्छा होती है तो वहां काम शुरू कर देते हैं, काम करने के लिए जहां कोई मापदण्ड नहीं है, जहां काम करने का कोई औचित्य नहीं है वहां भी काम शुरू हो जाता है। आपने निर्णय लिया है कि सारे देश में कुछ आदर्श स्टेशन बनाएंगे और आदर्श कहां स्टेशन बनाया जायेगा, इसके लिए नार्म्स तय किये हैं, कुछ मापदण्ड तय किये हैं। लेकिन इन सभी चीजों को ताक पर रखकर, जहां आपकी इच्छा होती है, वहीं पर आदर्श स्टेशन बनाने का काम शुरू करवाते हैं।

मेरे यहां वाराणसी डिविजन में एक सीवान स्टेशन है। जहां सम्पूर्ण डिविजन में सब से ज्यादा रेल को आमदनी होती है। रेल के तमाम अधिकारियों ने लिखा कि सीवान को आदर्श स्टेशन बनाया जाना चाहिए लेकिन उसको न बना करके आपने इलाहाबाद सिटी को बना दिया। जब वह बन जाएगा तो इलाहाबाद की कोई वक्त नहीं रहे जाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि जहां आपकी रूचि होती है, वहीं आप काम करते हैं। इस तरह से जब आप करते हैं तो बिहार के लोग यह समझते हैं कि हम लोगों की उपेक्षा हो रही है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। अगर आप बिहार की उपेक्षा करेंगे तो वहां असन्तोष फैलेगा और असन्तोष का जो नतीजा होता है, उसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।

आज आपने जो बिल पेश किया है, यह 1978 में कानून बना था। पांच साल के बाद 1983 में इसमें संशोधन हुआ। फिर अब 4 साल के बाद, 1987 में पुनः इसमें संशोधन करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब मस्विदा तैयार होता है तो मस्विदा तैयार करने वाले लोग गंभीरता से, दूर दृष्टि से मस्विदा तैयार नहीं करते। यदि वे गंभीरता से और दूरदृष्टि को सामने रखकर मस्विदा तैयार

करते तो बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक्ट में बार-बार संशोधन करने का कुपरिणाम यह होता है कि निर्धारित समय के अन्दर परियोजनाएं पूरी नहीं होतीं। इससे सरकार का खर्चा बढ़ता है और हम लोग जो बहस करते हैं, उसका भी खर्चा बढ़ता है। अन्त में पुन: आपसे निवेदन करूंगा कि आप पिछड़े हुए क्षेत्र में रेल मार्ग का विस्तार कीजिए जिसकी कि मैंने चर्चा की।

साथ-साथ मैं यह निवेदन भी करूंगा कि जब कभी भविष्य में आप विधेयक पेश करें तो काफी गंभीरता से विचार करके पेश करें जिससे कि निकट भविष्य में इस तरह के संशोधन करने की जरूरत न पड़े।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय अध्यक्ष जी अभी जो मैट्रो रेल बिल पेश है, इसमें एक साल देने के बजाए समय देने की व्यवस्था है। इसका समर्थन करना ही पड़ेगा। मैं इसलिए भी इसका समर्थन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इसको नहीं कर पा रहे हैं।

लैंड एक्वीजीशन अफसर क्या करता है। नोटिफिकेशन करता है लेकिन एक साल के अन्दर कम्पेनसेशन नहीं देता। उससे यह होता है कि लोग कोर्ट में जाते हैं। आप लैंड एक्वीजीशन एक्ट को कम से कम एक साल के बजाए दो साल का करो। उसमें यह न होने से लोग अपने अपने छोटे-छोटे मकान के लिए, बिल्डिंग के लिए, अपने अपने छोटे-छोटे या बड़े घर के लिए कोर्ट में जाते हैं और अपने मकान की या घर की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। वे यह चाहते हैं कि समाज में उनके पास मकान है, घर है, जमीन है वह उनके हाथ से न जाए। इस प्रकार की भावनाएं लोगों के मन में हैं।

मगर आप इस बात काभी ख्याल रखिये कि उनकी जमीन, उनका मकान, उनकी दुकान लेने के बाद आप उन्हें जो कम्पेनसेशन दे रहे हैं वह पर्याप्त है या नहीं। इस प्रकार से भी हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचते हैं तो जनरल्ली जिसकी जमीन जाती है वह कोर्ट में जाता है। एक्वीजीशन एक्ट में एक आदमी को नुकसान होता है तो दो आदमियों को फायदा होता है। इस दृष्टि से तो यह ठीक है। लेकिन छोटे लोगों का या कम तनख्वाह वालों को जो नुकसान उठाना पड़ता है उसको सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें।

अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि जहां पर कुछ करने की सरकार रुचि रखती है वहीं पर कुछ होता है। हैदराबाद में सरकुलर रेलवे की जरूरत है। दिल्ली की हालत यह है कि एक सड़क से दूसरी सड़क पर पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। इतना ट्रैफिक बढ़ गया है। इसलिए यहां भी मेट्रो रेल की जरूरत है और उसके लिए धन की जरूरत है। बोम्बे में भी यह चाहिए। साथ ही साथ हैदराबाद में भी सरकुलर ट्रेन की जरूरत है। उसके लिये आपको जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आन्ध्रप्रदेश में एक अदीलाबाद रेलवे स्टेशन है। मगर वहां तक कोई हैदराबाद से रेल में बैठ कर नहीं जाता है। हैदराबाद से वह सात सौ किलोमीटर दूर है लेकिन उसमें 24 घंटे लगते हैं क्योंकि वह मेन लाईन से दूर है। इसलिए उसे दिल्ली-काजीपेट या दिल्ली-मद्रास लाईन पर लाने की अत्यन्त आवश्यकता है। बीबीनगर नड़गुड़ी रेलवे लाइन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसके बारे में भी बताइए कि कब तक यह काम पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि 40 वर्ष की आजादी के बाद आपने आंध्रप्रदेश में कितनी नई रेल लाइन बनाई है और कितनी रेल लाइनों को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में कन्वर्ट किया है।

कम्पसेशन का जहां तक सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पैसंजिर लेट होता तो है उसका कितना नुकसान होता है। आन्ध्रप्रदेश से नागपुर जो लोग टमाटर और सब्जी वगैरह लेकर जाते हैं, ट्रेन लेट होने की वजह से सब्जी सड़ जाती हैं, उसका जो नुकसान होता है उसको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए और इन बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसी तरह से इलाहाबाद रेलवे लाइन पास की सौ से अधिक एकड़ जमीन लोगों ने अवैध कब्जा करके बेच दी है, इसके बारे में मैं तीन साल से तीन पत्र विभाग को लिख चुका हूं और नियम 377 के अन्तर्गत भी मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर चुका हू लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं हुई है और मुझे भी इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इस तरह से मेरा कहना है कि जहां-जहां भी एन्क्रोवमेंट होता है, उसको खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसी तरह से वैगन्स में से जो चोरी होती है, उसको रोकने के लिए और उसका कम्पसेशन देने के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री माधव राव सिंधिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के सभी पक्षों के सदस्यों के प्रति अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस सभा में प्रस्तुत किये गये इन दोनों विधेयकों का उदारतापूर्वक खोल कर और उत्साहपूर्वक समर्थन किया है। मेरे विचार से मुझे उन उद्देश्यों की स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है जिन्हें हम प्राप्त करने के लिए आशान्वित हैं, क्योंकि स्पष्टतय: इन्हें अच्छी प्रकार से भलीभांति ज्ञात समझ लिया गया है और सामान्यत: सिद्धान्त रूप से सभा के सभी पक्षों के सदस्यों ने इनका स्वागत किया है। अत: मैं कुछ उन प्रश्नों के ही उत्तर दूंगा जो इन दो विधेयकों के सम्बन्ध में पूछे गए हैं।

महोदय, शुरू में मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य प्रत्यक्षत: रेलों पर किये गये दावों के शीघ्र निपटान का है। यह उद्देश्य रेल उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाओं के प्रदान करने का है चाहे ये उपभोक्ता यात्री गाड़ियों के यात्री हों अथवा ये माल भार सुविधाओं के उपभोक्ता हों। जैसे-तैसे गत एक या डेढ़ वर्ष से हम इस विधान के बारे में विचार कर रहे हैं और इस विधेयक के पारित होने से पूर्व ही हमने श्री बन्सीलाल के समय से ही ये अनुदेश जारी कर दिए थे कि दावों को तत्काल निपटा दिया जाना चाहिए। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि न केवल बकाया पड़े दावे के मामलों को हम शीघ्रता से निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं बल्कि हम प्रारम्भ से ही सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से विचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि प्रस्तुत किये जाने वाले नये मामलों की संख्या में कमी की जा सके मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि वर्ष 19°4-85 में 4.55 लाख नये दावे प्रस्तुत किये गये हैं वर्ष 1985-86 में 6.8 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 1986-87 में 6.8 प्रतिशत की कमी आई। पिछले वर्ष के प्रथम 6 माह की तुलना में इस वर्ष के प्रथम 6 माह में दावों की संख्या में 20.3 प्रतिशत की कमी आई। दावे के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। वर्ष 1984-85 के अन्त में बकाया पड़े दावे के मामलों की संख्या 84,919 थी। वर्ष 1985-86 में हम इसे 41,000 तक ले आये, अर्थात् 51 प्रतिशत मामले कम हो गये। वर्ष 1985-86 में 57 प्रतिशत नये मामले निपटाये गये। वर्ष 1686-87 में बकाया पड़े मामलों में हमने 30 प्रतिशत की और कमी की अब इनकी संख्या 28,865 है। रेलवे द्वारा उचित प्रकार से तथा शीघ्रता से मामलों को निपटाये जाने के परिणामस्वरूप, मुकदमेबाजी में भी कमी आई है। वर्ष 1984-85 में 29,000 मामले थे। वर्ष 1985-86 में इनमें 10.5 प्रतिशत कमी आई। वर्ष 1886-87 में इनमें और 19.7 प्रतिशत की

कमी आई। पिछले वर्ष के 5 माह की अवधि की तुलना में इस वर्ष के 5 माह की अवधि में दायर किये गये मामलों की संख्या में 35 3 प्रतिशत की गिरावट आई है। किन्तु न्यायलयों में अभी भी बकाया पड़े मामलों की संख्या बहुत अधिक है। इस विधेयक की सहायता के बिना हम मामले के इस पहलू से नहीं सुलझा सकते थे। इसी कारण यह विधेयक लाया गया है। न्यायालयों में बकाया पड़े मामलों की संख्या अधिक से अधिक 58,500 है तथा जिनमें 25,000 मामले 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इस विधेयक का लक्ष्य है कि इन्हें भी शीघ्रता से निपटाया जा सके।

प्रस्तुत किये गये तथ्य न्यायसंगत पाये गये मामलों के सम्बन्ध में हम प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। प्रति पूर्ति की राशि यातायात में वृद्धि होने के कारण बढ़ गई है। कुल राशि बढ़ी है किन्तु भाड़े से प्राप्त यातायात से आय बहुत बढ़ी हुई है की तुलना में प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई निवल राशि की प्रतिशतता घटकर 0.51 प्रतिशत रह गयी है, जिसे हम आगे और कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिसका अर्थ पिछले दो वर्षों में कम से कम 32 से 35 प्रतिशत तक कमी लाना है।

इस विधेयक को पारित किए जाने के पश्चात् दुर्घटना के दावे के मामलों का शीघ्रता से निपटारा हो सकेगा। दुर्घटना के दावे के मामलों को निपटाने में औसतन 1 से 1½ वर्ष का समय लगता है। यह बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से मामलों में रेल विभाग को राज्य सरकार को बार-बार याद दिलाना पड़ता है कि वह तदर्थ दावा आयुक्तों के नाम दें। आज सुबह जब मैं राजस्थान में हाल ही में हुई आग दुर्घटना के सम्बन्ध में विवरण पढ़ रहा था तो पाया कि माननीय सदस्य श्री नवल किशोर शर्मा तथा गिरधारी लाल व्यास ने कहा है कि दुर्घटना पीड़ितों को केवल 5,000 रु० दिये जा रहे हैं, ये बहुत ही कम हैं, रेल विभाग से इस राशि को बढ़ाये जाने के लिये कहा जाना चाहिए। मैंने पिछले 3 वर्षों में इस सदन में तथा राज्य सभा में भी न जाने कितनी ही बार यह कहा है कि इस अनुग्रह राशि को प्रतिपूर्ति राशि के साथ नहीं मिलाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : (भीलवाड़ा) : कन्फ्यूज नहीं हो रहे हैं, पांच हजार की बजाय पचास हजार रुपया दिया जाना चाहिए।

(अनुवाद)

श्री माधव राव सिंधिया : कृपया मेरी बात सुन लीजिए।.5,000 रु० की राशि तत्काल खर्चों के लिए दी गई है। हम इतनी राशि देना चाहते हैं जिसमें तत्काल आवश्यकताएँ पूरी हो जायें। मेरे विचार से डेढ़ वर्ष पूर्व यह राशि केवल 2,000 रु० हुआ करती थी तथा अब हमने इसे बढ़ा कर 5,000 रु० कर दिया है। मैं इससे अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता। यह एक अर्ध न्यायिक मामला है। तदर्थ दावा आयुक्त को निर्णय करना है कि उत्तराधिकारी कौन है तथा तब प्रतिपूर्ति की राशि उत्तराधिकारी को दी जायेगी। यदि रेल विभाग किसी ऐसे व्यक्ति को एक बहुत बड़ी राशि का भुगतान करता है जो भविष्य में उत्तराधिकारी सिद्ध नहीं होता, हम मुकदमे में हार जायेंगे। अतः तत्काल खर्चों के लिए राशि का भुगतान किया जाता है तथा राज्य सरकार के परामर्श से तदर्थ दावा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है।

तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा निर्णय देने के बाद कि इस इस मृतक विशेष का उत्तराधिकारी अमुक व्यक्ति है, मृतक के मामले में एक लाख रुपये की मुआवजा राशि तदर्थ दावा आयुक्त के निर्णय

के अनुसार उत्तराधिकारी को दे दी जाती है ताकि किसी प्रकार की मुकदमेबाजी न हो । इसका यह उद्देश्य है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : 5,000 रु० की राशि मुआवजा नहीं है ।

श्री माधवराव सिंधिया : यह अनुग्रह राशि है । मुआवजे की राशि, जैसा कि माननीय दण्डवते जी अच्छी तरह जानते हैं; एक लाख रुपये है । मेरे विचार से दो या तीन वर्ष पूर्व इसे भी बढ़ाया जा चुका है······ **(व्यवधान)**

श्री वृद्धि चन्द जैन : (बाड़ामेर) व्यास जी चिन्तित हैं क्योंकि इन मामलों को तत्काल नहीं निपटाया जाता ।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, जहाँ तक अनुग्रह राशि का सम्बन्ध है, इसका भुगतान तत्काल कर दिया जाता है । वास्तव में, कल की दुर्घटना में, जिन व्यक्तियों की पहचान हो गई थी उन्हें राशि का तत्काल भुगतान कर दिया गया है । जहाँ तक मुआवजे की राशि का सम्बन्ध है; दुर्भाग्यवश विलम्ब होता है क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा है, बहुत से मामलों में हम राज्य सरकारों को अनुस्मारक भेजते रहते हैं और उनसे सही उत्तर प्राप्त होने तक, तदर्थ दावा आयोग द्वारा मामलों में निर्णय किये जाने तक हम कुछ नहीं कर सकते । इसीलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक का यह लक्ष्य है । इस विधेयक का उद्देश्य मामलों को जल्दी निपटना है क्योंकि उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण न केवल दुर्घटना के समय बल्कि बाद में भी सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए । चाहे कुछ भी हो शोकसन्तप्त परिवारों को आघात तो लगा ही है । हमारा यह प्रयास है कि हम न केवल भावनात्मक दृष्टि से बल्कि कार्यात्मक दृष्टि से भी अपनी सहानुभूति दिखाएँ । यह विधेयक इस प्रकार होने वाले विलम्ब को दूर करेगा ।

अब मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा की गई कुछ आपत्तियों को लेता हूँ । उन्होंने अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं । वर्तमान विधेयक का उद्देश्य विलम्ब के कारण रेल प्रयोक्ताओं को होने वाली कठिनाई को कम करना है । इससे रेल विधेयक के स्थायी कानूनी उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए संयुक्त समिति द्वारा इसकी विस्तृत जाँच की आवश्यकता नहीं है जैसा कि एक या दो सदस्यों ने सुझाव दिया था । इसके अतिरिक्त, संयुक्त समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बहुत समय लग सकता है । इस विधेयक के पारित होने के बाद भी, जैसा कि माननीय सदस्यों ने इसे पारित करने का मन बना लिया है, ऐसे दावा न्यायधिकरणों के गठन में लगभग छः से आठ माह का समय लगेगा । प्रशासनिक दृष्टि से हमें इतना समय तो लगेगा ही । यदि हम संयुक्त समिति की प्रतीक्षा करें, जिसकी रिपोर्ट आने में छः माह से डेढ़ वर्ष का समय लग सकता है, तो इसका अभिप्राय हुआ कि हम इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में दो वर्ष का विलम्ब कर रहे हैं । इसीलिए हम यह विधेयक अलग से प्रस्तुत कर रहे हैं । परन्तु बाद में यदि माननीय सदस्य महसूस करें तो इसका विलय किया जा सकता है । उस विधेयक विशेष के उपबन्धों का इस विधेयक में विलय किया जा सकता है ।

जहां तक खण्डपीठों की संख्या का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, हम लगभग 19 खण्डपीठों की सोच रहे हैं । परन्तु विधेयक में व्यवस्था है कि आवश्यकतानुसार यह संख्या कुछ भी हो सकती है । हम कार्यभार के आधार पर इसका निर्धारण करेंगे । फिलहाल तीन या चार डिवीजनों में एक खण्डपीठ स्थापित की जायेगी । ये खण्डपीठ चलती-फिरती इकाई के रूप में कार्य करेंगी । हम

अपने अनुभव से देखेंगे। यदि हम महसूस करेंगे कि 19 की संख्या अधिक है तो हम संख्या कम कर देंगे और यदि हम महसूस करेंगे कि 19 खण्डपीठ कम हैं तो संख्या बढ़ाने का कार्य सरकार पर है। अत: विधेयक में यह विकल्प रखा गया है।

दुर्घटना दावों के मामले में कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। माल की क्षति और गुम हो जाने और किराया-भाड़ा की वापसी से सम्बन्धित मामलों में यथामूल्य शुल्क लिया जाएगा, परन्तु यह राशि वर्तमान न्यायालय शुल्क से अधिक नहीं होगी। अत: एक प्रकार दावे करना शायद सस्ता हो जाए। विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार खण्डपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने महसूस किया कि तकनीकी सदस्य का होना अनिवार्य नहीं है। हो सकता है वह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। परन्तु यह बिल्कुल सीधा शुल्क और उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण अपीलीय न्यायाधिकरण तथा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन की भांति है। मेरे विचार में इन मामलों में तकनीकी सदस्य बहुत सहायक है और इससे मामलों को शीघ्र निपटाने में मदद मिलेगी क्योंकि उसे तकनीकी ज्ञान और अनुभव प्राप्त है।

मेरे विचार में, मैं माननीय श्री शरद दिघे द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों का उत्तर दे चुका हूँ। हम यह प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि न्यायाधिकरण इन मामलों को जल्दी से निपटाए। एक समय-सीमा निर्धारित करने का भी उल्लेख था। हमारे लिए यह सही नहीं है कि न्यायाधिकरण के संचालन एवं कार्यकरण पर कोई सीमा रखें। मुझे विश्वास है कि न्यायाधिकरण दावों को शीघ्रता से निपटाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा।

श्री कृष्णा अय्यर ने भी इसका उल्लेख किया है। तत्पश्चात् उन्होंने भारतीय रेल में दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या के बारे में विचार व्यक्त किए। हमारा यह निरन्तर प्रयास है कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आए। पहले वर्ष में इनमें 11% और फिर 10 प्रतिशत की कमी हुई और मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि गत वर्ष रेल दुर्घटनाएँ जिनमें एक रिकार्ड कमी हुई थी, की अपेक्षा इस वर्ष और 20 प्रतिशत की कमी आई। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे संतुष्ट हैं। हम इस दिशा में सुधार के लिए प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने रेल कर्मचारियों की असफलता के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या का भी उल्लेख किया है। यह प्रतिशतता 67 से घटकर 61 हो गई है। परन्तु रेलवे प्रणाली में जो आज भी कई क्षेत्रों में मानव चालन पर आधारित है, ऐसा होना स्वाभाविक है। हमने अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विषय-परिचायक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं और इनका अच्छा प्रभाव हुआ है। रेल कर्मचारियों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है और इस सम्बन्ध में उनकी अच्छी प्रक्रिया रही है। फिर भी हम इस मामले में भी सुधार करने का प्रयास करेंगे।

श्री कृष्ण अय्यर ने यह भी कहा कि 1981-82 में केवल 46 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था जबकि दुर्घटनाओं में 465 व्यक्ति मरे और 717 घायल हुए थे। उन्होंने 1981-82 के आँकड़ों का जिक्र किया और कहा कि मुआवजे की राशि उस वर्ष विशेष में दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों के अनुरूप नहीं थी। महोदय, वर्ष विशेष में दिए गए मुआवजे की राशि का उस वर्ष विशेष में मरे लोगों की संख्या से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह निपटाए गये उन मामलों से सम्बन्धित है जिनके लिये उस वर्ष विशेष में भुगतान किया जा सका। लम्बित मामलों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है।

मेरे विचार में, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये सभी ठोस मुद्दों का उचित उत्तर दिया जा चुका है।

अब हम कलकत्ता भूमिगत रेलवे के बारे में चर्चा करेंगे। अनेक लोगों ने कलकत्ता भूमिगत रेलवे के निर्माण में हुये विलम्ब के बारे में कहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यह परियोजना 1972 में मंजूर की गई थी। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस परियोजना विशेष के लिये धन राशि का आवंटन मुख्यत: 1980-81 के बाद किया गया। हम गत तीन वर्षों से प्रतिवर्ष औसतन 75 और 85 करोड़ रु० के बीच आवंटन कर रहे हैं और हमने 1980-81 के बाद सभी निर्धारित लक्ष्य पूरे किये हैं और हमने भूमिगत रेलवे के उस सेक्शन का निर्माण कार्य समय पर पूरा किया। अब हमारा लक्ष्य बेलगचिया और एस्पलेन्ड के बीच शेष अन्तिम सेक्सन में भूमिगत रेलवे के निर्माण कार्य को 1990-91 पूरा करना है। परन्तु यह राज्य सरकार के सहयोग पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। कु० ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे का उल्लेख किया था। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री को अनेक पत्र लिखता रहा हूं। वास्तव में मैंने उन्हें उन 22 प्लॉटों को, जो विशेष सेक्शन के लिये महत्वपूर्ण हैं और जिन पर हम कार्य कर रहे हैं, शीघ्र सौंपने का अनुरोध करते हुए 6 बार पत्र लिखे हैं। 22 में से । प्लॉट सौंप दिए गए हैं लेकिन 12 प्लॉट अभी सौंपे जाने हैं और पश्चिम बंगाल के सदस्यों से तथा सभा के सभी पक्षों की ओर से अनुरोध करता हूँ वे कि पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमन्त्री से शीघ्रातिशीघ्र प्लॉट देने का अनुरोध करें ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

जहाँ तक क्षतिपूर्ति की राशि का सम्बन्ध है, इसका निर्धारण भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा किया जाता है और यदि क्षतिपूर्ति बहुत कम हो तो, जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा है, निर्णय लेना उस पर निर्भर करता है और हम पूरी राशि का भुगतान कर देते हैं। भुगतान में कोई विलम्ब नहीं होगा। कुछ पैसा उसके पास पहले ही जमा किया हुआ है। इसलिए मेरे विचार से शिकायतें तथा अपीलें भूमि अर्जन अधिकारी को सम्बोधित की जानी चाहिए। इस अवसर पर भूमिगत रेल के कार्यकरण की प्रशंसा करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

3.00 म० प०

मैं कलकत्ता भूमिगत रेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने महान् कार्य किया है। लेकिन, महोदय, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कलकत्ता के लोगों से जो महान् सहयोग हमें मिला है यदि वह न मिलता तो हम अपना काम करने में सफल नहीं हो पाते। वे अपनी भूमिगत रेल के प्रति बड़ा गर्व महसूस करते हैं और केवल उनके पूरे सहयोग से ही हम उसे इस तरह रख तथा चला पाए हैं। जहाँ हमने बड़ी प्रशंसा की है, वहां मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि भूमिगत रेल परियोजना को सफल बनाने में यदि अधिक नहीं तो कलकत्ता के लोगों की उचित प्रशंसा तो की ही जानी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : विशेष रूप से भूमिगत कार्यों के लिए।

(व्यवधान)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : भूमिगत रेल का क्षमता उपयोग कितना है? क्या यह 1 प्रतिशत है?

श्री माधवराव सिंधिया : भूमिगत रेल की उपयोगिता के बारे में, चूंकि बेलगेचिया और एस्पलैण्ड के बीच का भाग तैयार नहीं है, इसलिए पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम

सेवाएँ चला रहे हैं। मैं आपको सही आंकड़े नहीं दे सकता हूं लेकिन हम पूरी आवश्यकताएँ की पूर्ति कर रहे हैं। जब एस्पलेंड से बेलगेचिया तक कार्य पूरा हो जाएगा केवल तब कलकत्ता के लोगों को महसूस होगा कि भूमिगत रेल का पूरा लाभ मिल रहा है और हमारे पास निर्धारित तिथि के भीतर विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी कार्यक्रम हैं और हम देखेंगे कि वर्ष 1 90-91 तक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोलिंग स्टॉक की कमी न हो जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि श्री ज्योति बसु और पश्चिम बंगाल सरकार कितनी जल्दी भूमि के वह 12 महत्वपूर्ण प्लॉट हमें सौंपती है जो कि अभी तक हमें नहीं दिए गए हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि जहाँ तक कलकत्ता भूमिगत रेल का सम्बन्ध है निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक प्रतिष्ठापूर्ण परियोजना है। हम कलकत्ता के लोगों की आवश्यकताओं को समझते हैं, न केवल कलकत्ता के लोगों को बल्कि पूरे देश के महानगरों के लोगों की आवश्यकताओं को भी समझते हैं, और इसी कारण से ही हम यह महसूस करते हैं कि यह केवल वाद-विवाद का ही विषय नहीं रहना चाहिए जिसमें दोनों पक्ष अपने-अपने विचार प्रकट करते रहें बल्कि हम दोनों को ही मिलकर प्रयास करना चाहिएँ ताकि हम मद्रास, दिल्ली, बंगलौर, सिकंदराबाद तथा लखनऊ जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में नई सुविधाएं देने के लिए कुछ कर सकें। लेकिन इसके लिए हमें राज्य सरकारों का भी सहयोग चाहिए।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि उपनगरीय परिवहन से सम्बन्धित मन्त्रालय शहरी, विकास मन्त्रालय होगा और विश्व में कहीं भी उपनगरीय रेल परियोजना चलाने और उसे वित्त देने का दायित्व केवल रेल विभाग का ही नहीं है, इसलिए मैं विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य मन्त्रालयों से केवल इस कारण से नहीं कि हम अपना धन कम खर्च करना चाहते हैं। मिलकर कार्य करने की अपील करता हूँ क्योंकि हमारे पास धन और संसाधनों की अवश्य ही कमी है तथा मुझे भय है कि हम देश के उपनगरीय परिवहन के लिए उतना धन दे पायेंगे जितना दिया जाना चाहिए। इसीलिए हम देश की इस तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई उपाय ढूंढ़ रहे हैं और इसी कारण से मैंने राज्य सरकारों तथा अन्य मन्त्रालयों से मिलकर कार्य करने की अपील की है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले बहुत ही ठोस रूप से आगे आई है। हम दोनों संयुक्त रूप से मेनखुर्द-बेलापुर सम्पर्क पर कार्य कर रहें जो कि बम्बई की भीड़-भाड़ के सम्बन्ध में एक अति महत्वपूर्ण निर्गम-मार्ग होगा। इसी प्रकार दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में लाइट रेल परिवहन के प्रति बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाया है ओर शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा कार्य बल स्थापित किए गए हैं। कार्य बल ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा कार्य बल की रिपोर्ट में दिल्ली उपनगरीय प्रणाली को वित्त देने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं जिसकी छानबीन, जांच और इसके सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। महोदय, इसी प्रकार मैंने तमिलनाडु के माननीय मुख्य मन्त्री को अनेक पत्र लिखे हैं क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने मद्रास में वाहनों की परिवहन प्रणाली की समस्या को उठाया है और हम चाहते हैं···

श्री पी. कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : जहाँ तक मद्रास तीव्र परिवहन प्रणाली का सम्बन्ध है, यहाँ तक कि मूल लागत ही 50 करोड़ रुपये आई है। अब इसे संशोधित करके 107 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राज्य सभा में पहले ही इसका उल्लेख कर दिया गया है। आप कुछ अंश राज्य सरकार से भी चाहते हैं। किन्तु वास्तव में मूल प्रक्कलन में ऐसा नहीं था।

श्री माधवराव सिंधिया : जैसा कि मैंने कहा है, दूसरे पर आक्षेप लगाने का कोई लाभ नहीं है। मैं भी ऐसा कह सकता हूं कि ठीक है मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैं ऐसा कह सकता हूं। परन्तु इससे हमें मिलता क्या है?

श्री पी० कुलनवईवेलू : यह उपनगरीय परिवहन बजट पूर्णतः रेल विभाग के अधीन है। यहां तक कि महाराष्ट्र में भी, जिसका कि आपने उल्लेख किया है हमारे प्रधानमन्त्री महोदय, ने महानगर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इतनी ही राशि अब मद्रास को भी दी जायेगी।

श्री उत्तम राजेड (हिंगोली) : यह शहर के लिए नहीं है। यह राज्य के विकास के लिए है।

श्री एन० वी० एन० सोमू : प्रधानमन्त्री महोदय तमिलनाडु में भी इस प्रकार का कार्य क्यों नहीं करते हैं?··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिये।

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। परन्तु हम इससे फिर रहे हैं। हम यह आशा कर रहे हैं कि राज्य सरकार को भी परियोजना लागत में अपना अंश देना चाहिए। हमने मद्रास को मूलतः किये जाने वाले आवंटन में लगभग 4 या 5 करोड़ रु० की वृद्धि की है, चूंकि मेरे विचार से हमने इसमें 4 करोड़ रुपए और जोड़े हैं इस प्रकार इस वर्ष हमने कुल 9 करोड़ रुपए दिए हैं। परन्तु मेरे विचार से यदि हमें इसमें वास्तव में ही पर्याप्त प्रगति करनी है तो यह सहकारिता के रूप में हो सकता है तथा हमें सहकारिता की ओर अभिमुख होना होगा और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए ताकि परियोजना को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सके। मेरा राज्य सरकारों से यही केवल मात्र निवेदन है। मुझे विश्वास है कि वे निश्चित रूप से मेरी अपील पर ध्यान देंगे तथा उस पर विचार करेंगे।

मैं सभी माननीय सदस्यों को रेल दावा अधिकरण विधेयक तथा भूमिगत रेल (संकर्म सनिर्माण) विधेयक पर हुए विचार-विमर्श में भाग लेने तथा अच्छे सुझाव देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री एन० वी० एन० सोमू : मैं जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री पी. कुलनवईवेलू : हमारे पास निधियों की कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रेल दावा अधिकरण विधेयक को मतदान के लिए रखेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि रेल प्रशासन को, रेल द्वारा वहन के लिए सुपुर्द किए गए पशु या माल की हानि, विनाश, क्षति, क्षय या अपरिदान के लिए या संदत्त किराए या भाड़े के प्रतिदाय के लिए या रेल दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप यात्रियों की मृत्यु या उनको होने वाली क्षति के लिए रेल प्रशासन के विरुद्ध दावों की जांच और उनका अवधारण करने के लिए रेल दावा अधिकरण की स्थापना करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 2 से 38 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 38 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) संशोधन विधेयक जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विधेयक अर्थात् रेल (संकर्म सन्निर्माण) संशोधन विधेयक पर विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम 1978 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अब इस विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए

श्री माधव राव सिंधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.10 म० प०

प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से सूखा, बाढ़ तथा तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद अर्थात् श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा 24 नवम्बर, 1987 को आरम्भ की गई प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर सूखा, बाढ तथा तूफान से उत्पन्न स्थिति पर आगे चर्चा करेंगे। श्री विजयकुमार यादव, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : मन्त्री महोदय उत्तर कब देंगे? हमारी समिति की कुछ बैठकें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय 5.30 बजे के आस-पास उत्तर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि पांच-पांच मिनट का समय लेते हुए अपनी बात संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस साल की बाढ़ और सुखाड़ ने पहले के तमाम जो सुखाड़ और बाढ़ के रिकार्ड थे, उनको तोड़ डाला है। देश के जिन हिस्सों में बाढ़ आई और सुखाड़ पड़ा, उन सब ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर काफी जबर्दस्त असर डाला है। इसके द्वारा जो कुछ भी नुकसान हुआ उसका अन्दाजा लगाना काफी मुश्किल है। बिहार और असम में आई बाढ़ ने तो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है और इस नुकसान ने देश के विकास को बहुत पीछे छोड़ दिया है।

3.11 म० प०

(श्री जैनुल बशीर पीठासीन हुए)

सरकार ने जो भी घोषणायें कृषि के मामले में और आर्थिक तरक्की के मामले में की थीं, वे सब खटाई में पड़ गईं। इस बाढ़ और सुखाड़ से जो परिस्थिति पैदा हुई है वह इस बात को साबित करती है कि सरकार का जो कुछ भी इस बारे में दावा था वह एक खोखला था। चूंकि एक साल की बाढ़

और सुखाड़ ने सरकार को इस बात के लिये मजबूर किया है कि वह विदेशों से अन्न का आयात करे। जबकि इसके पहले सरकार यह दावा करती थी कि अन्न का भंडार हमारे देश में काफी है। वैसे अभी भी घोषणाओं के जरिये सरकार यह कहती है कि वह किसी को भूखा मरने नहीं देगी। एक साल की बाढ़ और सुखाड़ ने नई योजनाओं को लेने के मामले में सरकार के सामने समस्या पैदा कर दी है। अब यह बात कही जा रही है कि देश मे नई योजनाओं को नहीं लिया जायेगा और पुरानी जो चालू योजनायें हैं उनमें से भी बहुत सारी योजनाओं की कटौती होगी।

सभापति जी, यह बाढ़ और सुखाड़ केवल इस साल नहीं आया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है और देश के किसी न किसी हिस्से में सुखाड़ की समस्या बनी रहती है। अगर सरकार इसको पहले ही गम्भीरता से लेती तो जाहिर बात है कि बाढ़ आने के बाद जो भी नुकसान आज हुआ है वह नुकसान न होता और सुखाड़ का मुकाबला सफलतापूर्वक किया जा सकता था। इस नुकसान से चाहे व्यक्ति का नुकसान हुआ हो, चाहे जानवरों का नुकसान हुआ हो, चाहे फसलों का नुकसान हुआ हो या कोई दूसरा नुकसान हुआ हो, उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता था। इसके लिये दीर्घकालीन योजनायें या शार्ट-टर्म प्रोग्राम जो लेना चाहिए था आम तौर पर दोनों में से किसी भी योजना को सरकार ने गम्भीरता से नहीं लिया और इसको पूरे देश के पैमाने पर भी नहीं लिया। इन्हीं सब कारणों से आज ये संकट हमारे सामने हैं।

अजीब दुर्भाग्य की बात यह है कि देश का एक कोना जहां पानी से प्लावित हो जाता है तो दूसरा कोना सुखाड़ की चपेट में आ जाता है। पार्लियामेंट के अन्दर यह बात जरूर की जाती रही है कि जहां पानी ज्यादा होता है और जहां पानी कम होता है उन दोनों को मिलाया जाये। ज्यादा पानी वाले हिस्से से पानी की मात्रा ऐसे इलाके में ले जाई जाये जहां पानी कम होता है या जहां सुखाड़ की सम्भावना रहती है।

अभी सभापति जी ने घंटी बजा दी। इसलिये मैं ज्यादा दूसरी बातों पर नहीं बोलूंगा। मैं आज केवल अपने बिहार प्रान्त के बारे में कुछ बातों को कहना चाहता हूँ। सभापति जी, बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है, वह इस बार भयंकर बाढ़ की चपेट में आया और शायद अगर यू. पी. में सुखाड़ नहीं आया होता तो मेरी और बिहारवासियों की समझ यह है कि पूरा उत्तरी बिहार बरबाद हो जाता। और बहुत काफी नुकसान हुआ है लेकिन हमारे यहाँ और भी कई गुना नुकसान होता। मैं यह नहीं कहता कि यू. पी. में सुखाड़ होना कोई अच्छी बात है लेकिन उस परिस्थिति को भी सामने रखते हुए जो आगे की योजनायें बनें उनमें इस बात का ध्यान रखा जाय। हमारे यहां बहुत सारी योजनायें लम्बित हैं, कुछ काम हुआ है, ज्यादातर काम बाकी है, चाहे वह गण्डक की योजना हो या कोसी की योजना हो, यह मांग बराबर पार्लियामेन्ट के अन्दर की जाती रही है कि और नेपाल सरकार से बात की जाए और नेपाल सरकार से मिलकर ऐसी योजनाएं बनायी जायें जिनमें बाढ़ से जो नुकसान बिहार को होता है उससे हम मुकाबला कर सकें।

गंगा नदी के पानी को उत्तर से दक्षिण की ओर नालों और दूसरे जरियों से ले जाया जाय जिससे जिन इलाकों में सुखाड़ होता है उसकी व्यवस्था की जा सके और वहाँ पानी पहुंचाया जा सके। मेरी खुद की कान्सटीट्वेंसी और हमारा जिला नालन्दा कभी बाढ़ की चपेट में इस तरह नहीं आता था जैसा इस बार आया, इनका कारण पता लगाने की जरूरत है, वैसे कहा जाता है कि पटना को बचाने के लिए पानी को काटा गया और उसका असर नालन्दा और दूसरे जिलों पर पड़ा,

अगर ऐसी बात सही है तो मैं समझता हूं कि पटना को बचाने की बात की जाय, चूंकि वह राजधानी है। किसी भी इलाके की बात की जाय लेकिन दूसरे इलाके की कीमत पर इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए और हम यह चाहेंगे कि इस पर सरकार विचार करे और ऐसी योजना बनायें, ऐसी योजनाओं को टेक-अप करे जिसमें कि बाढ़ की विभीषिका से बिहार को बचाया जा सके और ऐसी बहुत सारी योजनाओं की स्तुति की गई है, पार्लियामेंट में भी कहा गया है। इससे बिजली भी पैदा की जा सकती है, बाढ़ के पानी को भी रोका जा सकता है और सिंचाई की व्यवस्था भी की जा सकती है।

इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री कमला प्रसाद सिंह (जौनपुर) : माननीय सभापति जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सूखे और बाढ़ पर बहस में बोलने का अवसर दिया।

आज पूरे देश में सूखे की स्थिति बहुत ही भयावह है और उसी क्रम में हमारा जनपद बहुत ही सूखे से त्रस्त है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पानी का अभाव और अकाल सा पड़ गया है, लोगों को पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है। मनियाऊ तहसील एक ऐसी तहसील है जिसको बार-बार सदन में जब भी सूखे की चर्चा या पानी की चर्चा हुई है तो मैंने निश्चित रूप से वहां की बातों को कहा है। वहां पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि निश्चित रूप से अगर बाल्टी कुएं में डाली जाती है तो उसमें पानी नहीं आता, केवल उसमें कीचड़ आता है। आज हैण्ड पम्प के माध्यम से सरकार द्वारा पानी देने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन जितने हैण्ड पाइप लगाये जा रहे हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। वह जनसंख्या के आधार पर नहीं हैं और अभाव के क्षेत्रों में जितना पानी चाहिए उसके अनुकूल नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि जनसंख्या के आधार पर जहां पानी का अभाव है वहां पर इंडिया मार्क सैकेण्ड हैण्ड पम्प लगाये जाने चाहिए और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से टंकियां बनाकर गांवों में पाइप लाइन बिछाकर पानी दिया जाता था इस समय उस तरह से पानी देना बन्द कर दिया गया है तो मैं चाहता हूं कि टंकियों को पुनः बनाया जाना सरकार को प्रारम्भ कर देना चाहिए।

आज सूखे की वजह से पूरा जनपद त्रस्त है और वहीं पर ट्यूबवैल की इस तरह की स्थिति है कि 80 परसेण्ट से कम हमारे जनपद और हमारे निर्वाचत क्षेत्र मे ट्यूबवैल नहीं खराब हैं। 80 परसेन्ट ट्यूबवैल्स अगर खराब होंगे तो आप भी सोच सकते हैं कि उसमें किसानों का कितना भला हो सकता है तो आज मैं इस बात को आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि यह जो की ट्यूबवैल की स्थिति है, अगर ट्यूबवैल्स ही ठीक चलते रहे तो निश्चित रूप से निपटा जा सूखे से सकता है। वहां पर पशुओं के पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या हो जाती है। अगर ट्यूबवैल चलते रहते हैं तो तालाबों और टैंकों में पानी भर दिया जाता है, वहां पर पशु पानी पी सकते हैं। चारे की भी भयावह स्थिति है, चारा नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को पशुओं के चारे की और पानी की व्यवस्था शीघ्र करनी चाहिए।

सूखे के साथ-साथ बाढ़ की भी बड़ी भयावह स्थिति है, सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जौनपुर जनपद में किस तरह से भयानक बाढ़ आती है और पूरा शहर और देहात का इलाका जलमग्न हो जाता है। सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं और बहुत नुकसान होता है। इस नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा साढ़े 22 करोड़ रुपए की एक तटबन्ध बनाने की योजना मंजूर की गई है,

इसको तुरन्त शुरू करवाया जाए, ताकि इस क्षेत्र को भयानक बाढ़ से बचाया जा सके। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान देंगे और हमारे यहां को जौनपुर जनपद की सूखे और बाढ़ की स्थिति से वहां की जनता को छुटकारा दिलाएंगे और इससे वहां के गरीब किसान, गिरिजन तथा तमाम लोगों को लाभ हो सकेगा। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आज सारे देश में बड़ा भारी सूखा पड़ा है और हिमाचल-प्रदेश, कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में देखने पर पता चलता है कि घास नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है और बारिश की वजह से फसलें भी खराब हुई हैं। पहले बारिश अधिक हुई, उससे भी नुकसान हुआ। इससे वहां के लोगों में बड़ी मायूसी है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के इलाके में एक पुल के उद्घाटन के सिलसिले में गए थे, पैट्रोलियम मन्त्री, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री भी वहाँ पर थे, वहाँ पर पता कि चला उस जनजातीय क्षेत्र में राशन की उचित व्यवस्था नहीं है। उनको राशन सबसीडाइज्ड रेट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, वह भी उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि देहरादून और जौनसार के जनजातीय क्षेत्र में सबसीडाइज्ड रेट पर राशन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए।

इसी तरह से सिंचाई की योजनाओं के बारे में कहा गया, मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बिजली के बिना कुछ नहीं हो सकता, बिजसी से ही प्रदेश की तरक्की हो सकती है। वहां पर भाखड़ा और पौंग डैमा से लोगों की बहुत बरबादी हुई है, उनको अभी तक ठीक ढंग से मुआवजा नहीं मिला है, इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे लोग अपना गुजर-बसर ठीक तरह से कर सकें। इसी तरह से वहां के लोगों की अलीगढ़ के पुल की मांग है, जहां पर एक बार स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी गई थीं और वहां के लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वह पुल तैयार नहीं हुआ है। इस पुल को जल्दी से जल्दी से जल्दी तैयार करवाया जाए। इसी तरह जो हमारे प्रदेश की सिंचाई योजनाएं हैं, वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। उसके लिए पूरा धन नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से कम्पलीट नहीं हो सकती। राजीव जी ने बड़ी भारी कृपा की जिससे हिमालय प्रदेश के लोगों को 27 हजार टन अनाज मिला और जिसकी कीमत सात करोड़ के करीब बनी। जब वे कुल्लू और शिमला गए तो वहां के हालात देखकर के हमें मदद दी। कृषि मन्त्री जी ने सबसीडाइज्ड रेट पर पंजाब में जिनकी फसलें बरबाद हुई, उनको कंपनसेशन दिया। काश्मीर में भी यह कम्पनसेशन दिया गया लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह कम्पनसेशन नहीं मिला है। मैं माननीय कृषि मन्त्री जी का मश्कूर हूं क्योंकि जब भी ये हिमाचल प्रदेश गए तो कुछ न कुछ राहत इन्होंने दी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो दूर-दराज के इलाके हैं जैसे हमारे नामग्याल जी का लद्दाख हमारे यहां लाहौल-स्पीति व किन्नौर, भरमौर आदि ऐसी जगह हैं जहां पर बकरीयों पर अनाज ले जाना पड़ता है। जरूरतें पूरी करने के लिए अनाज पहुंचाना पड़ता है।······ [व्यवधान] मुझे बोलने दीजिए, मैं तो बहुत कम बोलता हूँ और कभी-कभी बोलता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो टीम यहां से गई, उसने 36 करोड़ रुपए का अन्दाजा लगाया,

लेकिन हमको मिला सिर्फ 18 करोड़ रुपया। पर राज्य को पूरा हिस्सा मिले तो हिमाचल प्रदेश को भी सूखा-राहत के लिए 36 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। हमारा इलाका हरियाणा, पंजाब व काश्मीर से लगा हुआ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे के हालात भी ठीक नहीं लगते हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा धन देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। माननीय प्रधानमन्त्री जी भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मदद हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए। मैं, माननीय कृषि मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो टीम यहाँ से भेजी गई थी और उसने जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार को मदद दी जानी चाहिए मैं आपका मश्कूर हूं कि आपने मुझे चन्द शब्द बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : माननीय सभापति जी, प्रत्येक सत्र में यह सभा किसी न किसी तरह की प्राकृतिक विपत्ति-आपदा के सम्बन्ध में चर्चा करती है। पिछले सत्र में तीन दिनों तक हमने अपने देश की सूखा-स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की और पुनः इस सत्र में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक विपत्ति से लोग यथापूर्व पीड़ित है।

महोदय, हमारे देश के लाखों लोगों को प्रति वर्ष बाढ़ और सूखे की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये करोडों रुपये की फसल नष्ट कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एक अध्ययन के मूल्यांकन के अनुसार भारत प्राकृतिक विपत्तियों से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है और अध्ययन से पता चलता है कि विश्व में प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित लोगों में तीन-चौथाई लोग हमारे देश के ही होते हैं। यह बहुत दुखद स्थिति है। समूचे देश में विशेषकर गुजरात और राजस्थान में पेय जल की भारी कमी है। दूसरे पक्ष के लोग भी मानेंगे कि पशु मर रहे हैं और चारे की भारी कमी है और कीमतें पहले ही आकाश छू रही हैं।

यह अनुमान है कि हमारी मुद्रा-स्फीति दो अंकों में प्रवेश कर रही है। उस दिन मंत्री महोदय ने भी माना है कि ऐसी स्थिति आ सकती है।

इस सूखा-स्थिति का मुकाबला करने में सरकार की कामयाबी का मूल्यांकन इससे किया जाए कि क्या सरकार सूखे से पीड़ित लोगों को पेय जल उपलब्ध कराने में कामयाब रही है, कि क्या सरकार सूखे से पीड़ित पशुओं को चारा उपलब्ध कराने में कामयाब रही है और यह कि क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को काबू में करने में कामयाब रही हैं। इन सभी बातों का उत्तर नहीं में है। इसीलिए हमें पुनः इस सभा में इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। और पूरे देश की खबरें भी यही बताती हैं।

दिन प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह की स्थिति से निपटने हेतु सरकार क्या कदम उठाना चाहती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह नाकाम रही है। सरकार को कम से कम सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों से आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने हेतु शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि सबसे बुरी बात तो यह है कि केन्द्रीय सरकार सारे मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयत्न कर रही है। चाहे वह श्री पुजारी के कर्नाटक यात्रा के दौरान जाकर राज्य को सूखे के लिए आबंटित निधियों के गलत उपयोग के बारे में सरकार पर लांछन लगाने की बात हो अथवा श्री अरुणाचलम जो दक्षिण राज्यों में सूखा राहत कार्य के समन्वयकर्त्ता हैं, केरल

सरकार पर निधियों के गलत उपयोग का गलत आरोप लगाने की बात है, हम इसमें एक हो समान सकते हैं। स्वयं प्रधानमन्त्री ने पश्चिमी बंगाल की अपनी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार पर यह आरोप लगाने का दुःसाहस किया है कि उसने उस बाढ़ राहत के लिए दी गई निधियों का सही उपयोग नहीं किया है।

वास्तविकता तो यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को बाढ़ राहत कार्य के लिए केवल 44 करोड़ रु० दिये गये थे जिसमें से 11 75 करोड़ अतिरिक्त राशि के रूप में दिये गये 20 तथा 10 करोड़ रु० अग्रिम ऋण के रूप में दिये गये। अतः पश्चिम बंगाल सरकार को बाढ़ राहत कार्यों के लिए दी गई धन राशि केवल 22 करोड़ रु० ही बनती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को व्यय का ब्यौरा दे दिया था। जहाँ तक मैं समझता हूँ केन्द्रीय दल के अनुमानों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार की केन्द्र सरकार द्वारा 70 करोड़ रु० तत्काल अन्तरिम राहत के रूप में दिया जाना चाहिए था तथा केन्द्र सरकार ने नहीं उसे यह धन राशि नहीं दी है। तथा प्रधानमन्त्री पश्चिम बंगाल जाकर यह वक्तव्य देते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने निधियों का सही उपयोग नहीं किया है।

मैं केन्द्र सरकार के उन व्यक्तियों को चुनौती देता हूं कि वे राज्य सरकार के विरुद्ध एक भी ऐसा प्रमाण दे कि उसने केन्द्र सरकार द्वारा दी गई निधियों का दुर्पोयोग है। जहाँ तक केरल का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा सूखा राहत कार्य के लिए 29.28 करोड़ रु० दिये गये हैं। किन्तु महोदय, केरल में बहुत ही विलक्षण स्थिति है। वहां 5-6 वर्षों से सूखे की स्थिति है क्योंकि हमारी मुख्य फसलें नारियल इलायची तथा काली मिर्च आदि हैं। ये नकदी फसलें हैं। धान के मामले में यदि पहले सूखा है और उसके पश्चात् वर्षा ऋतु है तो आपको उसकी अच्छी फसल मिलती है किन्तु नारियल, इलायची, काली मिर्च, रबड़ आदि के मामले में ऐसा नहीं है। उसका प्रभाव अगले 5-6 वर्षों से भी अधिक समय तक महसूस किया जाता है। केरल सरकार ने अनुमान लगाया है कि केरल में 2.54 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं।

प्रो० एन. जी. रंगा (गुंटूर) : केरल की कुल जनसंख्या कितनी है?

श्री सुरेश कुरुप : मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 125.17 करोड़ रु० की धान की फसल क्षतिग्रस्त हुई है को 47.18 करोड़ रु० की काली मिर्च का नुकसान हुआ है। केरल सरकार द्वारा आंका गया कुल घारा 730.99 करोड़ रु० का है, इसमें से केरल सरकार ने 604.46 करोड़ रु० की माँग की है तथा केन्द्र सरकार द्वारा 29.28 करोड़ रु० दिया गया है। केन्द्रीय दल केरल में आये थे तथा कृषि मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे हमें इन केन्द्रीय दलों की सिफारिशों का ब्यौरा दें। इन दलों ने वास्तव में क्या सिफारिशें की हैं? केरल से सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि दिल्ली आए थे तथा प्रधानमन्त्री व कृषि मन्त्री से मिले थे और उनसे 201 करोड़ रु० की अन्तरिम सहायता मांगी थी। केरल की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा वहां नकदी फसलों के बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के कारण—ये नकदी फसलें हमारे देश के लिए हमें अमूल्य विदेशी मुद्रा प्रदान करती हैं तथा इससे हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है—मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह तत्काल केन्द्रीय सहायता केवल 29.28 करोड़ रु० की ही न दे अपितु केरल के सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कुछ और राशि भी प्रदान करें। राहत उपायों के रूप में केरल में लोगों को पीने का पानी युद्ध स्तर पर दिया गया तथा केरल सरकार ने धान की फसल को 225 रु० प्रति क्विन्टल लेने का निर्णय किया है। हमें यह कहते हुए गर्व है कि केरल सरकार ने धान की फसल 225 रु० प्रति क्विन्टल लेने का निर्णय किया है।

श्री वी. एस. विजयराघवन (पाल घाट) : कितने क्विन्टल की अधि प्राप्ति की जा चुकी है।

श्री सुरेश कुरुप : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। आप केरल सरकार से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारे यहां अत्यधिक प्रभावी लोक वितरण प्रणाली है। इन सब तत्वों पर विचार करते हुए मैं पुनः सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धन राशि प्रदान करें।

जैसा कि इस सदन में सभी दलों के माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है, सरकार को सूखे की स्थिति की सामना करने के लिए दीर्घावधि उपाय करने चाहिएं। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में सूखे के सम्बन्ध में तथा उसके परिणामस्वरूप हुए घाटे के अनुमानित आंकड़े दिये हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने राहत उपायों के लिए कदम उठाये हैं, किन्तु स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुए कि हमारा देश प्राकृतिक आपदाओं की ओर प्रवृत्त है, सरकार को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तत्काल दीर्घावधि उपाय करने चाहिएं।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ चौधरी (बलिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यन्त ही आभारी हूँ कि आपने मुझे सूखा और बाढ़ जैसी विषय परिस्थितियों के ऊपर विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष एक साथ ही पूरे देश में सूखा पड़ा और सारे देश के लोग सूखे से तबाह हो गये। दो-तीन प्रदेश ऐसे बचे जिनमें सूखे के बजाय नदियों में भीषण बाढ़ आई। इस प्रकार से सूखे और बाढ़ से पूरा देश तबाह हो गया। यह हमारे लोगो के लिए और हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। किन्तु मुझे खुशी है कि हमारी सरकार सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए जोरों से प्रयत्न कर रही है और इसमें कुछ हद तक सफलता भी हासिल की है। लेकिन आज लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

मैं जिस जिले से आता हूँ दुर्भाग्य से वह बलिया जिला उत्तर-प्रदेश के पूर्वी छोर पर पड़ता है। यह जिला गंगा और घागरा दोनों नदियों से दबा है और बीच में टोंस नदी है। ये तीनों नदियाँ समय-समय पर प्रतिवर्ष बाढ़ से पूरे जिले को तबाह कर देती हैं और प्रतिवर्ष बलिया जिला इन नदियों की बाढ़ के कारण विषय परिस्थिति में आ जाता है। इस वर्ष तो सूखे से दबा रहा और ऊपर की जितनी भी फसल रही वह सब सूखे से मर गई। तुर्तीपार कैनाल एक छोटी-सी कैनाल है जिसके माध्यम से टोटल आबादी के मात्र 1/4 हिस्से में ही सिंचाई का पानी मिल पाता है और 3/4 हिस्सा जमीन असिंचित रह जाती है। जहाँ कहीं ट्यूबवैल हैं वे पूर्णरूप से खराब पड़े हुए हैं और उनसे कोई लाभ नहीं हो सकता है। बलिया जिले की 3/4 भूमि जो असिंचित रह जाती है, उसको सिंचित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई और उसके अन्तर्गत शारदा कैनाल का निर्माण कार्य 1976 में आरम्भ कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि 11-12 वर्ष बीत गए अभी तक शारदा कैनाल पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाई है और अभी तक 3/4 भाग असिंचित पड़ा रहता है। मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। यदि सूखा पड़ता है तो उसका जवाब मजबूती के साथ दिया जाना चाहिए। मैंने इस सम्बन्ध में अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया कि सरकार द्वारा सूखा राहत कार्य में मिट्टी का काम करने के लिए जो धन दिया जा

रहा है, तो उसके अन्तर्गत ही शारदा कैनाल को पूरा करने के लिए पूरा-पूरा धन दें। ताकि मजदूरों को मिट्टी का काम करने के लिए मिले और शारदा कैनाल पूरी हो जाये, जिससे हम भविष्य में सूखे की चपेट में न आ सकें। लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है कि उसमें से भी कम धन उन्होंने दिया है जिससे शारदा कैनाल पूरी नहीं हो पायेगी।

मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री को यह आदेश दिया जाये कि सूखा राहत कोष से पूर्ण रूप से धन देकर शारदा कैनाल को तैयार करवा दें जिससे हम भविष्य में उससे लाभ उठा सकें।

माननीय मुख्यमन्त्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि सूखे के अवसर पर उन्होंने किसानों का लगान माफ कर दिया, लेकिन विद्यार्थियों की फीस माफ नहीं की जिससे विद्यार्थियों के दिल में बड़ी नाराजी है कि किसानों की खरीफ का लगान तो माफ कर दिया लेकिन हम बच्चों की फीस माफ नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि बलिया जिले के विद्यार्थियों की फीस माफ की जाये।

बलिया जिले में बड़े-बड़े तालाब हैं जिनमें अतिवृष्टि के कारण जल जमाव हो जाता है। पूरे साल सूखे से सारी फसल जल गई। जो तालाब में कुछ नमी थी, वहाँ पर कुछ धान की फसल दिखलाई दे रही थी लेकिन आखिर में जब अतिवृष्टि हुई तो वह तालाब की फसल भी डूबकर बर्बाद हो गयी। इस तरह बलिया जिले की सम्पूर्ण फसल चौपट हो गयी। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि बलिया जिले के किसानों, मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल रूप से सरकार को कुछ सोचना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों का कल्याण हो सके।

जैसा कि एक मित्र ने बताया कि वहां के सारे ट्यूबवैल खराब पड़े हुए हैं जिनसे इस सूखे के समय में कोई लाभ नहीं लिया जा सका, जबकि मुख्यमन्त्री के बयान बराबर आते रहे हैं कि हम सारे ट्यूबवैल को जल देंगे, लेकिन जब वह समय पर पानी नहीं दे सके तो—क्या वरसा जब कृषि सुखावन। आपके ट्यूबवैल किस काम के हैं जब मौके पर काम न आ सके।

मैं चाहूंगा कि बरसाती पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था की जाये। सूखे से पीड़ित किसान का लगान आपने माफ कर दिया है, मैं चाहूँगा कि रवी की फसल के लिए जिस पर हम मुनहक्सेर करते हैं, वहाँ के किसानों को खाद में छूट दीजिए और उनको प्रोत्साहित कीजिए ताकि वह रवी की पैदावार को बढ़ा सकें। रवी के लिए बिजली और पानी की दर में कमी की जाये ताकि किसान कुछ प्रोत्साहित होकर अपनी पैदावार को बढ़ा सके। यह सरकार से मेरी अपील है, मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे और किसानों के कल्याण के लिए यह काम करे तो बहुत ही उचित होगा।

सूखे से पीड़ित लोगों की राहत के लिए बलिया में मात्र 50 लाख रुपये दो किश्तों में अभी तक सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है जो कि "ऊंट के मुंह में जीरा" जैसा है। 50 लाख रुपये से बलिया जिले में मजदूरों का क्या भला हो सकता है ? यदि वास्तव में आप बलिया में मजदूरों और किसानों का कल्याण करना चाहते हैं तो कम से कम केन्द्रीय सरकार स्पेशल रूप से बलिया जिले के बाढ़ पीड़तों के लिए 5 करोड़ रुपये की सहायता दे जिससे वहां के मजदूरों और किसानों का कल्याण हो सके।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं जानता हूं कि सरकार इससे वाकिफ है कि बलिया उत्तर प्रदेश की पूर्वी छोर का जिला है जहां से आखिर में बिहार पड़ता है। कोई भी आपके

मन्त्रिगण वहां नहीं पहुंचते हैं जिससे वहां की स्थिति को देख सकें। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की स्थिति है। मैं चाहूंगा कि बलिया जिले के किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए आप खाद में छूट करावें, बिजली और पानी की दरों में कमी करावें और वहां के कल्याण के लिए कम-से-कम 5 करोड़ की सहायता भेजें।

कृषि मन्त्री (डा०जी० एस० ढिल्लो) : बलिया टाउन है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी : बलिया जिला है। बलिया जिले के किसान और मजदूरों के कल्याण के लिए बड़े संयोग से मन्त्री महोदय ने छेड़ा है तो मेरा निवेदन है कि 5 करोड़ की सहायता वहां पर पहुंचावें जिससे वहां के लोगों का भला हो सके।

माननीय मन्त्री जी यहां मौजूद हैं, मैं तीन वर्ष से इस बात का प्रयोग कर रहा हूं कि बलिया के किसानों के कल्याण के लिए बलिया में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलें। आपने मुझे आश्वासन दिया कि बलिया को हमने नम्बर 1 पर रखा है। लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नम्बर एक पर कब आयेगा। मेरे ख्याल में सरकार पैसे के अभाव में यह काम नहीं कर पाई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार आपको इस काम के लिए और पैसा दे।

डा० जी० एस० ढिल्लो : जब सब कोटा खत्म हो गया तो यह इसे नम्बर एक पर रख रहे हैं। अब यह इन्तजार कर रहे हैं कि कहीं से पैसा आये तो नम्बर एक पर इसकी बारी आये।

श्री जगन्नाथ चौधरी : मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने बलिया जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए इसे नम्बर एक पर रखा। लेकिन मैं संसदीय कार्य मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वह माननीय प्रधानमन्त्री जी से आग्रह करके कृषि विभाग को रुपया दिलवायें ताकि उस रुपये से नम्बर एक लाभ उठाया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं और आपको इस बात के लिए शुक्रिया देना चाहता हूं कि आपने बाढ़ से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज हाऊस में बाढ़ और सूखा पर चर्चा हो रही है। मैं इसका स्वागत करता हूं। वैसे पिछले सैशन में भी इस पर काफी चर्चा हुई थी। इस साल हमारे देश में जो सूखा पड़ा है उसने पिछले सब रिकार्डों को तोड़ दिया है। इस बार के सूखे ने हम सबके लिए बहुत कठिनाई भी पैदा की है। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने देश के सूखा और बाढ़ वाले इलाकों का दौरा किया और देखा कि पीड़ित लोगों को राहत सामग्री पहुंचायी जा रही है या नहीं। उन्होंने यह सहायता लोन के माध्यम से और मवेशियों को चारा आदि पहुंचा कर भी दी। इसके अलावा किसानों की फसल बोने और उगाने के समय भी काफी मदद की। मेरे पास जी० आर० की कापी है। इसमें यह बताया गया है कि किन-किन नियमों के द्वारा भिन्न-भिन्न किसानों को क्या सहायता पहुंचायी जा सकती है? मैं इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नाबार्ड के तहत और वित्त मंत्रालय की सूचना के अनुसार जो जनरल रूल्स निकाले हैं उन पर अमल भी किया जाये। जब कहीं सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है तो उस समय किसान ऋण अदा नहीं कर पाता है। ऋण अदा न करने पर वह डिफाल्टर बन जाता है। डिफाल्टर बन जाने के बाद

री-शेड्यूलिंग करने का जो तरीका है वह बिल्कुल बन्द है। लेकिन जो डिफाल्टर नहीं होता है उसके लिए यह सब सुविधा विद्यमान रहती है। इसके द्वारा आप उनके ऋणों को शार्ट-टर्म से मीडियम टर्म और मीडियम टर्म से लॉग-टर्म में करते हैं। बाढ़ और सूखा पड़ने के कारण किसान अपने ऋणों को कैसे अदा कर पायेगा यह सोचने की आपने कभी कोशिश नहीं की है। इस कारण मेरा आपसे यह निवेदन है कि सूखा और बाढ़ आने के कारण जो किसान डिफाल्टर हैं उनको थोड़ा राहत पहुंचाने के लिए आप उनके शार्ट टर्म ऋणों को मीडियम टर्म और मिडियम टर्म से लॉग-टर्म में कनवर्ट कर दीजिए। ऐसा होने से किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा।

अब मैं क्रॉप इंश्योरेन्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मेरे पास इसकी एक किताब है जिसमें कि विस्तार से सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन मैं इसकी डिटेल्ड में जाना नहीं चाहुंगा। देखने में यह आया है कि इसके कोई अच्छे परिणाम नहीं निकल रहे हैं। यह इंश्योरेन्स का पैसा अलग-अलग जगहों में अलग-अलग पैमाने पर मिलता है। पहले भी इस विषय पर मैं काफी चर्चा कर चुका हूं। इसमें मेरा एक सुझाव यह है कि रैवन्यू सर्कल के अन्दर जितने गांव आते हैं उन सबको इकट्ठा किया जाये और सब गाँवों में उसका एक ही रेट रखा जाये। देखने में यह आया है कि कुछ तहसीलों में 10 परसेन्ट इण्टरैस्ट का पैसा मिलता है और कुछ में 20 परसेन्ट मिलता है। जो किसान बाढ़ और सूखे से बिल्कुल नाकाम हो गये हैं उनको भी इंश्योरेंस का उतना ही पैसा मिलता है। अतः इसमें सुधार अवश्य किया जाना चाहिए। जब हम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के पास जाकर इसकी शिकायत करते हैं तो वह हमसे यह कहते हैं कि एक ही ब्लाक एक ही तहसील और एक ही एरिया पकड़ने के कारण यह कठिनाई पैदा होती है।

जहाँ तक मानिटरिंग का सवाल है जनरल इंश्योरेंस कम्पनी मानिटरिंग नहीं करती। मेरे ख्याल में कोई गवर्नमेंट एजेंसी इसको मॉनिटर करती है। अगर क्रोप इंश्योरेंस स्कीम को सही तरीके से लागू किया जाये तो यह सूखा पीडित इलाकों में बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसमें जहाँ भी आपको कोई गलती दिखाई दे, उसमें आप सुधार करें और ब्रॉच या तहसील के अलावा रेवेन्यू सर्कल की हद तक ही एरिया सीमित हो। तीसरा मेरा सुझाव यह रहेगा कि अभी 3 साल से अकाल होने के कारण कम से कम 435.79 लाख हैक्टेयर खेती में कुछ न तो बो पाये हैं, न उसमें कोई बुवाई हुई है और बिल्कुल सूखा रहने के कारण आमदनी भी हमारे देश के अन्दर कम हो रही है। इसके कारण हमारा जो नुकसान हो रहा है और जो किसान बिल्कुल पीड़ित हो गये, मुझे तो यह अनुभव हो रहा है कि अकाल के कारण बंधुआ मजदूरों की संख्या भी बढ़ रही है, इसका कारण रिलीफ वर्क्स जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। महाराष्ट्र में तो हम एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम चलाते हैं, वहाँ राहत कार्य की कोई कमी नहीं है लेकिन देश के अन्दर मैं जब कुछ राज्यों में देखता हूं तो पाता हूं कि बन्धुआ मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। उसमें हम क्या कर सकते हैं और जब हमेशा अकाल होता है तो उसमें मेरा तीसरा सुझाव है कि जहां लगातार 3 साल अकाल होता है तो उनके किसान को लोन का ब्याज कम से कम सरकार को माफ करना जरूरी है, खाली ऋण का ब्याज ही हम माफ करना चाहते हैं, पूरा ऋण नहीं, जहाँ दो साल अकाल हो वहाँ 75 परसेण्ट इण्टरैस्ट माफ कीजिए और जहाँ एक साल अकाल होता है वहां 50 परसेण्ट तक ब्याज हमें माफ करना चाहिए और जहां का इलाका हमेशा सूखे की चपेट में आता है, जो जिले आते हैं और तहसीलें आती हैं वहां इण्टरैस्ट का रेट भी कम हो, 6 परसेन्ट से ज्यादा नहीं हो। तो किसान को राहत मिलेगी।

हम 10 साल से, 6 साल से सुन रहे हैं, हाउस में भी कई बार चर्चा हुई, छोटे या बाकी किसानों के ऊपर 6 या 4 परसेंट तक रेट आफ इण्टरैस्ट होना चाहिए। धान के लिए कुछ न कुछ ऋण आप देते हैं लेकिन ऋण का इण्टरैस्ट बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है और किसान को बोझ बढ़ रहा है उसमें आपके द्वारा कुछ सुधार करना आवश्यक है।

चौथी बात मैं ड्राउट एरिया के लिए कहूंगा, जो ड्रिप्ट इर्रीगेशन का सिस्टम है, जिसमें वाटर पालिसी का भी सवाल है लेकिन जो ड्रिप्ट इर्रीगेशन की सब्सिडी है, जहां हमेशा अकाल होता है, जहां हमेशा सूखा होता है, वहां सूखे के कारण छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को हमें 100 परसेण्ट सब्सिडी देनी चाहिए और बाकी किसानों को 75 परसेण्ट तक सब्सिडी देनी चाहिए नहीं तो ड्रिप्ट इर्रीगेशन, जो नई टैक्नोलोजी है, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा और अच्छे किसान उसका फायदा उठायेंगे और सूखे से पीड़ित किसान उसका कोई फायदा नहीं उठायेंगे और जो कम पानी से ज्यादा भूमि सिंचित करना चाहते हैं वह कम पानी से भूमि सिंचित नहीं कर पायेंगे, इसलिए मैं दो सुझाव और देकर चन्द शब्दों में खत्म करूंगा। थोड़ा-सा, दो मिनट के लिए मैं आपसे समय मांगता हूं।

चौथा सुझाव जो लैण्ड डबलपमैण्ट बैंक है, उसके रिकवरी नार्म्स को आपने अभी सस्पैण्ड नहीं किया, माइनर इर्रीगेशन स्कीम का जहां तक सवाल है उसमें रिकवरी नार्म्स आप जब तक सस्पैण्ड नहीं करेंगे, खासकर इस साल के लिए, तब तक किसान को जो कोई भी कुए के लिए ऋण नहीं मिलता है, न ड्रिप्ट इर्रीगेशन के लिए और न किसी के लिए मिलेगा तो खाली हम एनाउन्स करते हैं, रेडियो पर देते हैं, दूरदर्शन पर कहते हैं लेकिन खासकर इस साल के लिए जब तक हम रिकवरी नार्म्स सस्पैण्ड नहीं करेंगे तो उसका फायदा किसान को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने महाराष्ट्र लैण्ड डबलपमैण्ट बैंक की पूरी देखभाल की और समझने की पूरी कोशिश की तो मुझे यह अनुभव हुआ कि नार्म्स सस्पैण्ड करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है।

पांचवी बात मैं यह कहूंगा कि नेशनल सीड पोलिसी हो, मैं यह चाहूंगा कि अकाल के कारण नेशनल सीड पालिसी होनी जरूरी है।

बहुत हो गया।

आपकी रिसर्च इन्सटीट्यूट, यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमैण्ट का इतना कोआर्डीनेशन नहीं होता और हमारी जितनी हाई ईल्डिंग वैरायटीज है उसमें ज्यादा पानी लगता है तो हम ऐसा कैसे सोचें कि कम पानी से ड्राई फार्मिंग हो और सूखे या कम मोएस्चर के लिए हम ऐसा सीड पैदा करें जिसके कारण उसकी बुवाई हो जाय और कुछ-न-कुछ किसान को उसमें फायदा मिले, नहीं तो यह नेशनल सीड बैंक भी बना, रीजनल सीड बैंक बनाना आवश्यक है क्योंकि जो ड्राउट कण्डीशंस हैं उसके साथ ही साथ 100 परसेंट सीड (बीज) रिप्लेसमैंट आफ सीड की जहां तक बात है वह भी कभी-कभी करना पड़ता है और 100 परसेन्ट रिप्लेसमैंट जब सीड का आता है तो किसान बड़ी मुसीबत में आता है और कुछ बो नहीं सकता अकाल, सूखा, बाढ़ के कारण उसके पास कुछ नहीं रहता है और इसके लिए मैं नेशनल सीड पालिसी बनाने और रिसर्च का कोआर्डीनेशन करने का आग्रह करूंगा। इसका होना बहुत जरूरी है और आखिरी बात मैं यह कहूंगा कि सूखे के दिन तो सब होगा लेकिन हमारे महाराष्ट्र में एम्पलायमैंट गारण्टी स्कीम जो चल रही है, इस एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम के कारण हम जो रिलीफ वर्क्स लेते हैं वह ऐसे होते हैं जो उत्पादक हों, जिससे भूमि सिंचित हो सके और जिससे पानी ठहरने

के लिए तालाब बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए हम कामयाब हों और जो प्लान एक्सपेंडीचर हम वहां लगाते हैं, प्लान के अलावा रिलीफ वर्क्स का भी पैसा वहीं लग जाए तो वहां पैसे की बचत होगी, लोगों को भी रिलीफ मिलेगा और उत्पादन क्षमता किसानों की भी बढ़ेगी, जमीन की भी बढ़ेगी। कुछ न कुछ किसानों को मिलता रहेगा और देश का उत्पादन भी बढ़ेगा और अधिक न कहते हुए पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि लैण्ड डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में आपको रिकवरी सस्पेंड करने के लिए जरूर सोचना चाहिए तथा नेशनल सीड पालिसी के बारे में भी विचार करना चाहिए।

4.00 म० प०

इस साल जिस लगन से आपने काम किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए में समाप्त करता हूं।

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : सभापति महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपको मालूम ही है कि खासकर पूर्वी और उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं वे भीषण बाढ़ के शिकार हैं। आपको यह भी जानकारी है कि उत्तर भारत की सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। ये नदियां जिन-जिन राज्यों से होकर जाती हैं, यदि बाढ़ न आए तो बहुत अच्छी बात है, उनसे सिंचाई का काम लिया जाता है लेकिन आप देखेंगे कि खासकर बिहार में लगातार तीन चार सालों से बाढ़ आ रही है। बिहार में आपको मालूम है कि गंगा, सोन, कोसी, गण्डक, महानंदा—ये जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं इन्होंने इस बार अत्यन्त ही भीषण बाढ़ से न केवल सम्पूर्ण बिहार राज्य को प्रभावित किया बल्कि बंगाल और असम को भी प्रभावित किया। बिहार में तो ऐसी बाढ़ पूर्व में कभी भी नहीं आई, पिछले इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है और जो पुराने लोग अभी जीवित हैं उन्होंने भी कभी ऐसी बाढ़ अपने जीवन में वहां पर नहीं देखी है। आज यदि हम बाढ़ को राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दें कि वे बाढ़ पर नियन्त्रण करेंगे तो यह सम्भव नहीं है।

4.02 म० प०

(श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए।)

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि भारत सरकार एक आयोग बनाए। आप जानते ही हैं हिमालय से नेपाल होकर नदियां बिहार में आती हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में भी आती हैं। भारत के अलावा बंगलादेश भी इन बाढ़ों से बहुत प्रभावित होता है। यदि आप यह सोचें कि केवल राज्य सरकारें ही बाढ़ को नियन्त्रित करें तो यह सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में आपको नेपाल सरकार से भी बातचीत करनी होगी। जब तक नेपाल सरकार आपका साथ नहीं देगी, आप इस मामले में सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे सुझाव है कि जो भी देश इस मामले में सम्बन्धित हैं उन सभी देशों से बातचीत करके आप कोई आयोग या अभिकरण बनायें जिससे कि इस बाढ़ की समस्या को नियन्त्रित किया जा सके।

होता यह है कि पहले इन नदियों की गहराई ज्यादा थी लेकिन ऊपर से जो मिट्टी बहकर आती है उसके कारण धीरे-धीरे नदियों का तल सतह भरता जाता है। फलस्वरूप नदियों में पानी रखने की जो कैपेसिटी थी वह समाप्त होती जाती है। नतीजा यह है कि बारिस का पानी भी नदियों में आता है तो वह पानी भी बाढ़ के रूप में अगल-बगल के क्षेत्रों को डुबा देता है। भारत में नदियों के

अन्दर जो मिट्टी का जमाव होता है उसकी सफाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि विदेशों में ऐसी व्यवस्था रहती है। परन्तु हमारे यहां इसका कोई उपाय नहीं है। आप तटबन्ध बनाते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही दशा हो जाती है। आपको यह देखना होगा कि बार-बार यह जो बाढ़ आती है और उससे सडकें, फसलें तथा मकान नष्ट होते हैं, लोगों को इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, इसके कारणों को देखना होगा। ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनकी बाढ़ और सूखे की वजह से कमर टूट जाती है, उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम में जो सड़कें बनाई गई थीं, जिनके जरिए अब लोगों तक रिलीफ पहुंचाया जा सकता था, वे सड़कें टूट गई हैं, इन सब कार्यों को करने के लिए राज्य सरकारें समर्थ नहीं हैं, उनको केन्द्र की तरफ से पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए। तटबन्ध जो टूट गए हैं, उनको बनाने के लिए भी सहायता दी जानी चाहिए। एन. आर. पी. का काम शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। इसके तहत जो सड़कें बनाई गई थीं और गांव-गांव को आपस में जोड़ा गया था, वे भी टूट गई हैं, उनको बनाने के लिए भी मदद देनी होगी।

क्राप इंश्योरेंस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें एक कमी है। इसमें यह प्रावधान है कि जब तक एक प्रखंड में कम से कम 50 परसेन्ट किसान क्षतिग्रस्त न हो जाएं तब तक क्राप इंश्योरेंस के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता। अगर गांव का गांव बह जाए, तब भी वहां के किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एन. आर. पी. का काम भी जल्दी से शुरू करवाइए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मजदूरों को फसल की कटाई में काम मिलता था लेकिन फसल न होने की वजह से वे बेरोजगार हैं। बुआई का सीजन भी खत्म हो रहा है, बीज तो उपलब्ध है लेकिन बुवाई के बाद सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तटबन्ध टूट चुके हैं और उनकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई है। इसलिए मेरा कहना है कि ट्यूबवैल्स के लिए निःशुल्क बिजली की व्यवस्था की जाए, ताकि किसान जो फसल बोए, उसका भरपूर लाभ उसको मिल सके। आप कितनी भी इमदाद दीजिए, जब तक किसान की फसल नहीं होगी और उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा, तब तक उसको राहत नहीं मिल सकती। आपने जो भी व्यवस्था की है, उसको त्वरित गति से उस तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

इस बारे में एक बात और कहना चाहता हूं, बैंकों के जरिए जो किसानों को लोन देने की व्यवस्था की गई है, उसमें यह व्यवस्था रख दी गई है कि जिनके ऊपर पिछले लोन बकाया हैं, वे नए लोन के लिए हकदार नहीं होंगे। इसके लिए उनको छूट दी जानी चाहिए। ताकि विषम परिस्थिति में उन्हें वंचित नहीं होना पड़े।

मैंने जो सुझाव दिए हैं, आशा है मन्त्री महोदय उन पर ध्यान देंगे और राहत पहुंचाएंगे, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी। सिर्फ राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, केन्द्रीय सरकार की तरफ से उनको मदद पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकारों ने जो सहायता मांगी है, कम से कम इतनी सहायता तो उनको दी जाए कि जो भीषण परिस्थिति पैदा हो गई है, उस पर वे नियंत्रण रख सकें। इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

[अनुवाद]

*श्री एस तंगराजु (पेरम्बलूर) : अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम दल की ओर से मैं नियम 193 के अधीन सूखे की स्थिति पर चल रहे इस वाद-विवाद में भाग लेते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं।

सूखे और बाढ़ के कारण भुखमरी और बीमारियां भारतीय उप-महाद्वीप के लिए नई नहीं हैं। भारतीय उप-महाद्वीप लगातार बाढ़ से प्रभावित रहता है और सूखे से क्षति होती है। यह एक असाधारण प्राकृतिक घटना है। जबकि इस वर्ष बाढ़ के कारण कम क्षति हुई है लेकिन वर्षा न होने के कारण चल रही सूखे की स्थिति से अधिक क्षति हुई है। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी कहा है कि हाल के इतिहास में किसी ने भी वर्तमान सूखे जैसी स्थिति नहीं देखी है।

जैसाकि मैंने पहले ही बताया था कि वर्तमान सूखे की स्थिति से जितनी क्षति हुई है वह पहले कभी नहीं हुई, जहां तक भारतीय उप-महाद्वीप का सम्बन्ध है, सूखा पड़ना सतत तथा आम बात है। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है।

वर्ष 1960 में, भारत में 155 लाख व्यक्ति सूखे से प्रभावित हुए थे। गत वर्ष इसमें 1910 लाख तक की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। यह भारत में सूखे की स्थिति की भीषणता तथा सतता के बारे में संकेत करता है। आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस वर्ष 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश सूखे से भीषण रूप से प्रभावित हुए हैं। 75% कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य कुप्रभावित हुआ। इससे देश के कुल अनाज उत्पादन में 12% तक की खड़ी गिरावट आई। अनाज के उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। सूखे के कारण उत्पादन में कमी हुई जिसके कारण उपभोक्ता कीमत सूचकांक में 14-15% वृद्धि हुई। जब तक सूखे की सतत् समस्या का स्थायी समाधान नहीं ढूंढ लिया जाता, तब तक मुझे सन्देह है कि हम आने वाले कुछ वर्षों में इस कृषि प्रधान देश के लाखों ही लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सफल होंगे।

निस्सन्देह दूसरे राज्य भी सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लेकिन तमिलनाडु में निरन्तर दक्षिण-पश्चिम मानसून के न आने के कारण सूखे की भीषणता और भी अधिक हो गई है। कावेरी के मुहाने के क्षेत्र तथा अन्य नदियों और नालों से सिंचित क्षेत्र से प्रति वर्ष दो फसलें होती थीं। लेकिन आज, सूखे की भीषण स्थिति के कारण, कृषक एक भी फसल नहीं ले पाए हैं। इन डेल्टा क्षेत्रों में कृषकों ने बुआई इस आशा से शुरू कर दी थी कि जब तक पौधे अंकुरित होंगे तब तक वर्षा आ जाएगी। लेकिन उनकी आशाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि वर्षा नहीं हुई। कृषकों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। त्रिची और थंजावूर जिलों में लगभग 6 लाख बेरोजगार हो गए हैं। यद्यपि इन कृषक मजदूरों के पुनर्वास का दायित्व राज्य सरकार पर है, लेकिन केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के दायित्व से नहीं बच सकती है। ये कृषक मजदूर पूर्णतः कृषि पर निर्भर हैं। यह कृषि योग्य भूमि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है और वर्षा लगातार नहीं हो रही है। ये मजदूर अभावों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए इन बेरोजगार भूमिहीन मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। तथापि राष्ट्रीय ग्रामीण

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रमों के अधीन उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। सूखे की भीषणता के कारण राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से 391 करोड़ रु० की सहायता की मांग की ताकि राहत कार्य शीघ्रता से किए जा सकें। केन्द्र सरकार ने केवल 28 करोड़ रु० दिए हैं।

केन्द्रीय सूखा राहत आकलन समिति सभी सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा करती है। सम्बद्ध राज्य सरकारें वास्तविक आंकड़े बताती हैं और समिति से आवश्यक वित्तीय सहायता देने का अनुरोध करती है। तथापि इसके बदले में समिति के परामर्श से, केन्द्र सरकार ने न के बराबर राशि प्रदान की। सूखा राहत उपायों की यह सर्वोच्च त्रासदी है। व्यापत सूखे की स्थिति को देखते हुए केन्द्र को राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग को पूरा करना चाहिए।

अगला मुद्दा पन-बिजली उत्पादन के बारे में है। यदि वर्षा नहीं होती है तो पन-बिजली उत्पादन में कमी होगी। कम वर्षा होने के कारण इस वर्ष तमिलनाडु में 4384 मी० यूनिट क्षमता के विरुद्ध केवल मे1370 मी० यूनिट पन-बिजली पैदा होगी। इसका अर्थ है कि पन-बिजली उत्पान में 75% कमी आएगी। औद्योगिक एककों को बिजली की सप्लाई पर बुरा असर हो रहा है। सिंचाई प्रयोजनों के लिए बिजली की सप्लाई पर भी प्रभाव पड़ा है। बिजली उत्पादन में कमी के कारण सिचाई में उपयोग में लाए जाने वाले मोटर-पम्पों को नये बिजली कनेक्शन नहीं दिए गये हैं।

जैसा कि मैंने कहा है प्रति वर्ष सूखा घोर विनाश के रूप में आता है। इस समस्या का स्थायी समाधान ढूढ़ना चाहिए। यद्यपि हमने इस माननीय सदन में पहले भी बहुत बार आग्रह किया है कि कावेरी को गंगा से जोड़कर एक स्थायी समाधान ढूंढ़ा जाए, परन्तु इस बारे में अभी तक कोई प्रगति नहीं की गई है। इस प्रस्ताव को उठाकर ताक में रख दिया गया है। गंगा को कावेरी से जोड़ने के लिए एक योजना बनाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने चाहिएं। यहां तक कि अनेक अप्रवासी भारतीय भी इस गंगा-कावेरी लिंक परियोजना में पैसा लगाने को तैयार हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है। यदि इस योजना के लिए अप्रवासी भारतीयों से पूंजी मिल रही है तो सरकार को परियोजना में अप्रवासी भारतीयों के निवेश की जाँच करनी चाहिए।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में उन सभी व्यक्तियों पर 5% अधिशुल्क लगाया है जिनकी आय 50,000 रु० से अधिक है। मैं इस कार्यवाही का स्वागत करता हूं।

बाढ़ से हुई हानि की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत से वर्षों की मेहनत के बाद राज्य सरकार ने अनेक सड़कें और पुल बनाए हैं। तथापि अधिक बाढ़ इन सड़कों को भारी हानि पहुंचाती है और पुलों में दरारें डाल देती है। इन सड़कों और पुलों के पुर्ननिर्माण तथा मरम्त की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। क्योंकि लोगों और माल के आवागमन के लिए इनकी मरम्मत की तत्काल आवश्यकता होती है। इसमें राज्य सरकार के दुलर्भ संसाधनों का लगभग 3/4 भाग खप जाता है। ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार को तत्काल कार्यवाही करके आगे आना चाहिए तथा राज्य सरकार के संसाधनों की कमी को पूरी करने के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए। इन प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति को संभालने के उद्देश्य से एक आरक्षित कोष भी बनाया जाना चाहिए।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहण्डी) : सभापति महोदय, इस देश में सूखा कोई एकाकी परिघटना नहीं है। यह तो मौसम के विश्वव्यापी परिवर्तन का एक हिस्सा है। अतः हमें इसको सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा इसके लिए हमें मामले को कुलमिला कर देखना होगा और सूखे के मुकाबले के

लिए व्यापक समन्वित और सुविचारित रण नीति अपनानी होगी और मैं यह अपील करता हूँ कि मौजूदा सूखे को सुअवसर में बदलने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता है।

इस सूखे के कारण हमारे अन्न-उत्पादन में कमी आएगी, अर्थात् वर्ष 1987-88 के 1350 से 1400 लाख टन के हमारे लक्ष्य और आशा से यह 100 से 120 लाख टन कम रहेगा, जोकि 7.9 प्रतिशत कम होगा। लेकिन हमारे पास 230 लाख टन का सुरक्षित भण्डार है। यदि हम रबी फसल को प्रोत्साहन दें और सभी राजसहायता तथा भारी मात्रा में उर्वरक प्रदान करें तो यह कमी काफी हद तक कर ली जाएगी। और पूरी कमी तो खाद्य तेलों और दालों की भी होगी। इस कारण से बिजली तथा कृषि आधारित कच्चे माल की भी कमी हो सकती है और संकट आने की एक आशंका अथवा प्रवृति दिखती है। विदेशी मुद्रा पर भी दबाव होगा क्योंकि हमें तेल पैट्रोल, डीजल का तथा पेय जल उपलब्ध कराने हेतु अत्याधुनिक साज-सामान का आयात करना पड़ेगा।

उद्योगों पर भी असर पड़ेगा और नलकूप, उर्वक आदि बनाने वाले कुछ उद्योगों के उत्पादन में भी कमी आएगी। स्थानापन्न कार्य तथा कुओं की खुदाई को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विशेश रूप से निर्यातोन्मुखी उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से इस प्रक्रिया में हम अधिक रोजगार पैदा कर सकते हैं।

महोदय, मुझे प्रधानमन्त्री जी और इस सभा को बधाई देनी चाहिए कि अपनी प्रयोजन-निष्ठा अपने सीधे-सच्चेपन के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था की अन्तर्निहित शक्ति और सूखे की तरफ सरकार और संसद के अपेक्षया शीघ्र ध्यान देने के कारण ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था उतनी अधिक छिन्न-भिन्न नहीं होगी जितनी की शुरू में आशंका थी।

योजना में भी कांट-छांट नहीं की गई है और सिंचाई के लिए आंवटित राशि बढ़ाकर 260 करोड़ रु० कर दी गई है। व्यापक सूखा राहत कार्य से भी ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी ताकि उद्योगों की मन्दी को कम से कम किया जा सके।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, उन राज्यों को जो सूखे की चपेट में हैं, पूरी योजना सहायता सौ प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए। उड़ीसा जैसे राज्यों के साथ असम अथवा जम्मूकश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों जैसा व्यवहार भी किया जाना चाहिए। अन्यथा उड़ीसा राज्य राष्ट्रीय मुख्यधारा में कभी भी शामिल नहीं हो सकता।

इसी के साथ-साथ कुछ सुनिश्चित मजदूरी और सुनिश्चित नौकरियां होनी चाहिएं।

जब वर्षा नहीं होती, अथवा केवल फसल की सामान्य अवधि तक के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष को ही सूखा काल घोषित करना भी सहायक होगा।

राजसहायता प्राप्त बीज, उर्वरक, बिजली आदि की पर्याप्त सप्लाई की जानी चाहिए। उन किसानों को जो पिछले पांच से 10 वर्षों से सूखे की चपेट में हैं कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप या ऋण के रूप में धन देना भी एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है।

उदाहरणार्थ, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र कालाहन्डी में किसान ऋणों की अदायगी नहीं कर पाते और इसी कारण वे बाकीदार हैं और वे कोई अन्य वित्तीय सहायता भी नहीं ले सकते हैं। अतः इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, हमें उन्हें उदार ऋण देकर समुचित सहायता देनी होगी। इस प्रकार हमें

उन्हें वित्तीय सहायता और ऋण देने होंगे। अन्यथा वे कभी नहीं सुधर सकते हैं तथा वे कभी भी मुसीबतों से छुटकारा नहीं पा सकेंगे।

सभी विलास की वस्तुएं प्रतिबन्धित होनी चाहिएं और उन पर पाबन्दी होना चाहिए। पैट्रोल, डीजल और बिजली पूरी तरह कृषि कार्योन्मुखी होने चाहिएं।

जहां तक हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, इसमें और अधिक वस्तुएं शामिल करने तथा इसके क्षेत्रविस्तार को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और हमें काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। हमने चलती-फिरती दुकान-गाडियों और व्यापक स्तर पर बिक्री के ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हमें इन उपायों को अधिक महत्त्व देना चाहिए और आवंटन राशि भी अधिक दी जानी चाहिए। सभी आइ. टी. डी. सी. खण्डों में हम चावल के लिए 1.85 रुपये और गेहूं के लिए 1.55 रु० दे रहे हैं। केवल आइ. टी. डी. सी. खण्ड ही होने चाहिएं। जो क्षेत्र सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं तथा जहां पर निम्न आय और मध्यम आय वाले लोग रहते हैं, वहां पर यह योजना अपनाई जानी चाहिए।

और फिर, फसल बीमा योजना का समुचित क्रियान्वयन किया जाना चाहिये। पानी के सभी स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए।

जहां तक सूखी कृषि प्रणाली का सम्बन्ध है, उसमें आधुनिक प्रौयोगिकी के उपयोग को महत्त्व दिया जाना चाहिए। शुष्क खेती, सामाजिक नमी परिरक्षण, पशुधन विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए और जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी और समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्रों को लाया जाना चाहिए। इसी के साथ ही साथ, हमें चारे को भी अधिक महत्त्व देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसका आयात भी करना होगा क्योंकि हम नैतिक रूप से इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। पेय जल उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयत्न किए जाने चाहिएं। इस मुद्दे पर कोई समझोता नहीं होना चाहिए। एक और भी मुद्दा है, वह है भूमि सुधार। यदि हम भूमि सुधार के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम हम गरीब लोगों के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे और इस स्थिति का मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

यह सुनिश्चित करने हेतु कि एक वित्तीय अनुशान और वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था हो, एक एजेन्सी बना देने के लिए मैं अपने प्रधानमन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं सभी सदस्यों से भावपूर्ण अपील करता हूं कि प्राकृतिक आपदा के नाम पर कोई राजनैतिक हित प्रयोजन नहीं सिद्ध किया जाना चाहिए इस मामले पर हमारा दृष्टिकोण निरपेक्ष और मानवतावादी होना चाहिए।

अन्त में यह कहना है कि जो सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र हैं जिनमें कालाहान्डी जैसे जिले सम्मिलित हैं, वहां 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर और जिला स्तर पर योजना बनाई जानी चाहिए, एक विशेष विकास मण्डल होना चाहिए और राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों को ही इस मण्डल का वित्तभार उठाना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि एक राष्ट्रीय सूखा नीति बनाई जानी चाहिए जिसका उद्देश्य पानी चारा, नौकरी उपलब्ध कराना, पर्यावरण सन्तुलन कायम करना सामाजिक वानिकी, बिजली परिरक्षण और कुशल जल प्रबन्ध कार्य में तीव्रता लाना हो। धन्यवाद !

श्रीमती डी. के भण्डारी (सिक्किम) : आज की चर्चा हम सूखा बाढ़ और तूफान के विशेष सन्दर्भ में कर रहे हैं। इन आपदाओं के कराण पैदा हुई स्थिति से हम बहुत ज्यादा चिन्तित हैं।

महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहूँगी कि क्या सरकार की कोई ऐसी एजेन्सी है, जो न केवल इन आपदाओं के कारण और स्वरूप का अध्ययन ही करती है, बल्कि लोगों को भारी कष्ट और हानि से बचाने के लिए ऐसी आपदाओं से निपटने हेतु सरकार को पहले ही बता देती है। सूखा और बाढ़ के अलावा हमारे यहाँ भू-स्खलन और तूफान आते रहते हैं। भू-स्खलन भी समान रूप से विनाशकारी होता है। यह देश के पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देता है। सिक्किम समेत उत्तर-पूर्वी राज्यों पर मानसून का बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन सिक्किम इस संकट से सर्वाधिक पीड़ित राज्य है। यद्यपि मेघालय के चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है लेकिन सिक्किम अपनी भू आकृति और भू-गर्भीय-स्थिति के कारण भू-स्खलन से सर्वाधिक पीड़ित है क्योंकि भू-वैज्ञानिकों का मानना है कि सिक्किम के पहाड हाल ही के हैं, और ये अभी स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं। कभी कभी पहाड का कोई हिस्सा, पलक झपकते ही नीचे आ गिरता है और सड़कों, गाँवों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों को अपनी चपेट में ले लेता है। यह अपनी चपेट में कृषि-भूमि को भी ले लेता है, जोकि पहाड़ी क्षेत्रों में एक बहु-मूल्य वस्तु है। पहाडी क्षेत्रों में सड़क बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक ही मिनट में पूरी की पूरी सडक पट्टी भू-स्खलन से नष्ट हो जाती है जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में बेहद कठिनाई होती है। इस वर्ष दक्षिण सिक्किम को इससे बहुत ज्यादा हानि हुई, और सिक्किम के बहुत से हिस्से इसकी राजधानी से अलग थलग रहे तथा पूरा राज्य देश के बाकी हिस्सों से अलग पड़ा रहा। मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि दिल्ली में बैठे लोग विशेष रूप से हमारे योजनाकार भू-स्खलन से पैदा हुई हमारी समस्याओं को नहीं समझ सकते। हाल ही में जल-भूतल मंत्री श्री पायलट ने सिक्किम का दौरा किया और उन्हें उन समस्याओं का समाधान करना पड़ा जिन्हें हम प्रतिदिन सह रहे हैं। सडक मार्ग से थोड़ी सी दूरी तय करने में उन्हें 8½ घंटे लग गए। बागडोगरा से सिक्किम तक 3½ घन्टे लगते हैं, लेकिन भू-स्खलन के कारण उन्हें सिक्किम पहुँचने में 9 घन्टे लगे। मुझे आशा है कि उन्होंने अपने अनुभव सम्बद्ध मन्त्री को बताए होंगे।

मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार भू-स्खलनों के कारणों का अध्ययन करने हेतु किसी प्रकार का कोई संस्थान बनाए, क्योंकि जो लोग सीमा सड़क संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य प्रशंसनीय है, उनके अनुसार बहुत भारी भू-स्खलन प्रत्येक पाँच वर्ष बाद होते हैं। यदि यह तथ्य है तो इस दावे का अध्ययन करने के कुछ अनुसंधान किया जाए और इसे रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिएं।

सिक्किम के लिए न केवल भू-स्खलन रोकने के लिए बल्कि मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए भी वन लगाने हेतु अधिक धन का आंवटन किया जाना चाहिए।

जहाँ तक पिछली मानसून-वर्षा से हुए नुकसान का सम्बन्ध है, सिक्किम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया था और अनुरोध किया था कि क्षतिग्रस्त सड़कों और सरकारी प्रतिष्ठानों के पुर्ननिर्माण हेतु, इसे 22 करोड रु० का अनुदान मिलना चाहिए, लेकिन केवल 4.5 करोड रु० की राशि ही रिलीज की गई है।

मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पर पुर्नविचार करें तथा और अधिक निधियाँ

प्रदान करें ताकि राज्य सरकार की अपने प्रतिष्ठानों और सड़क संचार को पुन: बहाल करने में सहायता की जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। एक तो मैं सी० पी० आई० (मार्क्सवादी) दल के अपने माननीय मित्र की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार इस लम्बे सूखे और बार-बार आने वाली बाढ़ की चुनौती का सामना करने में असफल रही है। किसी अन्य देश में यदि लम्बी अवधि तक ऐसे संकट का सामना करना पड़े, तो हमारी सरकार द्वारा कलकत्ता में 1943 में भूख के कारण मोतों की पुनरावृत्ति को रोकने की उपलब्धि को एक अनुष्ठान माना जाना चाहिए। से हमें बचा रही है। सौभाग्यवश हमारी जनता जिसे कुछ इलाकों में बाढ़ का और कुछ इलाकों में सूखे का सामना करना पड़ा, को भूख से मृत्यु अथवा अधिक पैमाने पर तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा। बेमौसम और अप्रत्याशित मानसून आने का दोष हमारा और किसी का नहीं है केवल उनका ही हो सकता है जिनके पास आणविक शक्ति, परमाणु शस्त्र हैं तथा जो इनका परीक्षण करते रहते हैं तथा जिसके कारण बादलो का वातावरण बिगड़ जाता है। परन्तु अन्यथा यह प्रकृति ही है। जिसने हमें सताया है फिर वह भी एक वर्ष से ही नहीं कई वर्षों से कुपित है बाढ़ तो बराबर आती जाती रही हैं, परन्तु इतने लम्बे समय तक सूखा काफी समय से नहीं पड़ा था लेकिन उनका सामना हमें अब करना पड़ा है। क्या सरकार ने इस चुनौती का सामना करने का प्रयत्न किया अथवा नहीं? मेरे विचार से सरकार ने भरसक प्रयत्न किया है तथा आधे से अधिक इस चुनौती को झेला है और उन्होंने राज्य सरकारों तथा स्वयं की भी सहायता की है। अपने आप भी उन्होंने कार्यक्रम बनाए है जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किए गए गरीबी हटाओ अभियान के बाद बनाए गए।

परन्तु इसके साथ ही क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम संतोषपूर्ण ढंग से इस चुनौती का सामना कर सकें तथा अपनी जनता के कष्ट दूर कर सकें। मेरा उत्तर नकारात्मक 'नहीं' में है। मैं काफी समय से इस पर विचार कर रहा हूँ। वर्ष 1972 में ही मैंने संयुक्त राष्ट्र, खाद्य तथा कृषि संगठन तथा उस समय आयोजित किए गए विशेष सम्मेलनों को यह सुझाव देते हुए लिखा था कि पूरे विश्व के लिए एक विश्व सूखा एवं बाढ़ बीमा निधि होनी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक देशों से समय-समय पर वार्षिक योगदान लिया जाए विशेषकर जिन देशों की वित्तीय स्थिति कुछ अच्छी है, जब किसी देश अथवा कई देशों में भयंकर प्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो तब उस निधि से योगदान दिया जा सकता है परन्तु उस समय दुनियां और न ही एफ. ए. ओ. तथा यहाँ तक कि भारत सरकार भी इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार नहीं थी। उस समय मेरे मित्र श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तथा उन्हें अपने कृषि मन्त्री के ऊपर बहुत भरोसा था जो मेरे भी परम मित्र थे।

उनका यही कहना था कि वे अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारियों के समक्ष इसे नहीं रख पाएंगे। केवल यही नहीं उन्होंने इस भय से इसका विरोध किया कि अन्य देश हमारे आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू कर देंगे। परन्तु अब समय आ गया है जब सरकार को इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा तथा मैं बहुत खुश हूं कि वर्तमान कृषि मन्त्री सरदार ढिल्लो महोदय के पास इतनी नैतिक और राजनीतिक हिम्मत है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर एक बीमा संगठन की चर्चा कर सकें। वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आखिरकार सरकार के एक मन्त्री ने औपचारिक रूप से यह सुझाव

प्रस्तुत दिया—यह सुझाव मैंने कई वर्ष पहले दिया था तथा हमारे देश के अनेक किसान मित्रों ने इसका समर्थन किया था। मेरे मित्र श्री एच. एम. पटेल यहाँ नहीं हैं उस समय जब मैंने यह प्रस्ताव किया तब वह भी मेरी तरह एक गैर सरकारी सदस्य थे। भारत सरकार में उन्हें इतना अधिक अनुभव होने के बावजूद भी उन्होंने इस सुझाव का पूरा समर्थन किया था। परन्तु दुर्भाग्यवश जब वह शक्तिशाली मन्त्री बन गए तो उनका अपना मन्त्रिमण्डल भी इसका समर्थन करने को तैयार नहीं था। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कृषि मन्त्री, केन्द्रीय मन्त्री और वरिष्ठ मन्त्रियों को इस प्रस्ताव को अन्तर्राष्ट्रीय मन्च के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी। जिस तरीके से इसे संगठित किया जाना है, इसका वित्तपोषण, तथा प्राकृतिक विपत्तियों से घिरे देशों द्वारा जिस प्रकार वित्त का उपयोग किया जाना है, यह सब विवरण बहुत महत्त्वपूर्ण है जिन पर बाद में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मन्चों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना है। परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बात है सरकार ने इस प्रस्ताव को दोबारा उठा कर इसे फिर जीवनदान दिया है तथा अपने विशेषज्ञों द्वारा एफ. ए. ओ. विश्व बैंक तथा अन्य अधिकारों के समक्ष इसे रखा है। तब भारत जैसे बड़े देशों को उन देशों से समर्थन प्राप्त हो सकता है जो कि अधिक भाग्यशाली हैं, ताकि वह अपने संसाधनों को अन्य देशों के संसाधनों के साथ मिला सकें।

मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा। एक तो मेरे किसान मित्र श्री पटेल ने कहा है, ऋण से तो आप हमेशा अवगत रहते हैं क्योंकि आप भी एक किसान हैं। पिछले तीन वर्षों में हमारे किसानों ने अनेक बार ऋण लिया है। इन सभी ऋणों पर जुर्माने की दरें भी जुड़ गई हैं। इस समस्या को दूर करना है। कुछ उपाय तो किए जाने चाहिएं कुछ योजना शीघ्र बनाई जानी चाहिए ताकि किसानों को ऋण के भार से कुछ मुक्ति मिले। इसके अलावा सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी यह प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वे किसानों को निधियां प्रदान करें ताकि वे उर्वरक तथा अन्य सामग्री खरीद सकें, तथा विद्यमान तथा अगले वर्ष के कृषि कार्यों का भी वित्तपोषण कर सकें। जब तक शीघ्र ही इस दिशा में कदम नहीं उठाए जाते तब तक अगले एक या दो वर्षों में हम कृषि के उत्पादन की जिस मात्रा का अनुमान लगा रहे हैं उसमें हमें असफलता ही मिलेगी। भारत इस मामले में आत्म-सन्तुष्टि से काम नहीं ले सकता। भगवान न करे यदि अगले एक या दो वर्षों में ऐसी ही विपदा हमारे ऊपर आ पड़ी तो हमारे देश का क्या होगा ? जब तक हम अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके कृषि कार्यों के लिए वित्तपोषण करके पूर्ण सहायता नहीं देते हैं—तब तक क्या भुखमरी जैसी आपदा के आने पर हमारे देश के देशवासियों का उस ढंग से भरण-पोषण करना, उन्हें भुखमरी से बचाना सम्भव होगा जिस ढंग से हम ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में इस प्रकार के प्रबन्ध करते रहे हैं। अन्ततः मूल्यों के सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए। जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, उपभोक्ता और उत्पादक की तरह उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए. उचित दामों पर आदान उनको उपलब्ध कराये जाने चाहिएं और मैं प्रसन्न हूं कि सरकार उर्वरकों के लिये 2,350 करोड रु० तक की आर्थिक सहायता देने हेतु कई हजार करोड़ रुपये की राशी के अनुदान की अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गई हैं। अन्य दिशाओं में भी इसी प्रकार के उपाय करने होंगे।

मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का साथ देने और सहायता करने के लिए समान रूप से सरकार और योजना आयोग दूरदृष्टि और नैतिक उत्साह और ग्रामीणों के प्रति विशेष ध्यान रखेगी।

* *श्री वी. एस. विजयराघवन (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, देश इस शतक के सबसे गम्भीर सूखे का सामना कर रहा है। इससे फसल को अत्यधिक नुकसान हुआ है और पेयजल में गम्भीर कमी आई है। प्रभावित लोगों को तुरन्त सहायता देने के लिए माननीय प्रधानमन्त्री ने कई उपाय किए हैं और मैं खुले दिल से उनका स्वागत करता हूं। सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है 550 करोड़ रु० की राशी जुटाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था। इस राशि को राहत कार्य पर खर्च किया जाना है। इसी प्रकार सूखाग्रस्त लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए रक्षा विभाग सहित कई विभागों का व्यय कम कर दिया गया है।

महोदय, आंकड़ों के अनुसार 265 जिलों में सूखा पड़ा है और इससे 28.54 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 454.20 लाख हेक्टर भूमि की फसल प्रभावित हुई है। इस प्रकार कुल हानि बहुत अधिक है और इसलिए हमें युद्ध स्तर पर इससे निपटना चाहिए। सरकार ने 1987-88 के व्यय की सीमा 820.046 करोड़ रुपये तक निर्धारित कर दी है। किन्तु इस राशि से आप सूखे की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सूखे के सम्बन्ध में किए जाने वाले व्यय की सीमा को काफी बढ़ाया जाना चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार कई करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय करती रही है। एक प्राक्कलन के अनुसार छटी योजना के दौरान सूखे से राहत पहुंचाने के लिए 2800 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। इसी प्रकार 7वीं योजना के पहले 2½ वर्षों के दौरान 1300 करोड़ रुपये राहत कार्य पर लगाये गए। आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि 7वी योजना के अन्त तक केवल सूखे से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये ही हम 4500 करोड़ रुपये व्यय कर चुके होंगे। आपको याद होगा कि यह पूरी राशि केवल अस्थायी राहत पहुंचाने के लिए व्यय की गयी थी। सत्य यह है कि अब तक कोई स्थायी समाधान नही मिल सका। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि 7वीं योजना में उन योजनाओं को भी शामिल किया जाये जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को स्थायी राहत पहुंचा सकें।

कई माननीय सदस्यों ने सूखे के आम पहलूओं के बारे में कहा है और मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इस अवसर पर मैं अपने राज्य केरल में अनुभव की जाने वाली कुछ समस्याओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य में 14 जिले हैं और सभी सूखे से प्रभावित हैं। राज्य में 1450 गांव सूखे से प्रभावित हैं। 2.54 करोड़ लोग राज्य में सूखे के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों के अनुसार धान की फसल में 125.17 करोड़ रु० की हानि हुई थी। नारियल की फसल की 266.53 करोड़ रु० की हानि हुई थी और काली मिर्च में 47.18 करोड़ रु०,ही हानि हुई। फसलों पर होने वाली कुल हानि का अनुमान 730.99 करोड़ रु० लगाया गया है। केवल सरकार ने 604.46 करोड़ रु० की मांग की है। केन्द्रीय अध्ययन दल की रिपोर्ट और राहतार्थ उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने केरल के लिए 29.28 करोड रु० तक सीमा निर्धारित की है। इसके अलावा केन्द्र ने सब्जी का उत्पादन बढ़ाने के लिए 10.50 लाख रु० और चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए

* *मूलतः मलियालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

2.75 करोड़ रु० निर्धारित किए हैं। किन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यह राशि काफी कम है। इस राशि से लोगों को पूरी राहत नहीं दी जा सकती। केरल के सभी जिलों में फसल की हानि तथा पानी की कमी अनुभव हो रही है। नकदी फसल की स्थिति काफी चौंकाने वाली है। नकदी फसल को दोबारा रोपने तथा फसल उगाने में काफी समय लगता है और इन नकदी फसलों को बढ़ने और उत्पादन में कई साल लग जाते हैं। नारियल और रबर के मामले में उत्पादकों को उत्पादन के लिए 6 से 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। जिन किसानों को इन फसलों की हानि हुई है उनकी जीविका का एकमात्र साधन ही समाप्त हो गया और उन्हें काफी समय तक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनकी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दें।

महोदय, केरल के प्रभावित 14 जिलों में से पालघाट सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। पालघाट को केरल का अन्नागार कहा जाता है। किन्तु इस जिले में धान की फसल का अत्यधिक नुकसान हुआ है। इस जिले में पिछले 3 या 4 वर्षों से लगातार जबरदस्त सूखे की स्थिति बनी हुई है। इस वर्ष के आरम्भ में पालघाट जिले में 11 गांवों को सूखा ग्रस्त घोषित किया गया था जो बाद में 131 हो गए और अब 155 गांवों को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। जिले के अहापदी और कोल्ली जम्पारा क्षेत्रों में स्थिति विशेष रूप से गम्भीर है अहापदी आदिवासी क्षेत्र है। जिले में सूखे से कुल मिलाकर 69 करोड़ रु० की हानि हुई। 1986 में जब प्रधानमन्त्री केरल गए थे, उन्हें पालघाट की विशेष कठिनाइयों से अवगत कराया गया था। जब त्रिचुर में उन्होंने सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि पालघाट की कुछ खास समस्यायें हैं और केन्द्र सरकार उन पर ध्यान देगी। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार प्रधानमन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को निभायेगी। मैं इस चर्चा में राजनीति नहीं लाना चाहता। किन्तु राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केरल सरकार क्या कर रही है; इस विषय में कहे बिना नहीं रह सकता। महोदय, केरल में मार्क्सवादी सरकार है जो लोगों को राहत पहुंचाने में कम रूचि रखती है और केन्द्र पर दोषारोपण करके लोगों के कष्टों से लाभ कमाने में अधिक रूचि रखती है। उन्होंने राज्य में सूखे के बारे में सही तथ्यों से केन्द्रीय अध्ययन दल को अवगत नहीं कराया। अध्ययन दल को जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसी प्रकार दल को जिले के सबसे अधिक प्रभावित गांवों में नहीं ले जाया गया था। इसके पीछे क्या प्रयोजन था? प्रयोजन यह था कि बिना पूरे तथ्यों को बताये ही दल को वापिस भेज दिया जाये। तब वे उपयुक्त सहायता न देने के लिए केन्द्र को दोषी ठहरा सकेंगे। प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत हमारे प्रधानमन्त्री ने पालघाट में पेय जल की चिरस्थायी कमी को दूर करने के लिए 4 करोड़ रु० स्वीकार किए थे। राज्य सरकार इस राशि को भी ठीक से व्यय नहीं कर सकी। श्री अरुणाचलम दक्षिण में सूखे से राहत कार्य के प्रभारी राज्य मन्त्री ने स्वयं केरल की स्थिति को देखा था जब वे राज्य के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां पर राहत कार्य का प्रभावी ढंग से निरीक्षण किया। मैं मानता हूं कि सूखे से राहत के लिए राज्य को और धनराशि दी जानी चाहिए। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि राज्य सरकार ईमानदारी नहीं बरत रही क्योंकि वह केन्द्र द्वारा दी गयी राशि का व्यय नहीं करती और स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाती है।

महोदय, पालघाट के किसान बहुत दयनीय स्थिति में हैं। वे ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, उनकी जीविका के मुख्य साधन नहीं रहे और उनके समक्ष जीवन एक प्रश्न बन कर रह गया है। इसलिए में यह मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार कृषिगत ऋण के भुगतान को स्थगित घोषित कर दे।

कृषि से सम्बन्धित श्रमिकों की भी यही स्थिति है जिनके पास कोई काम नहीं है। वे वास्तव में भुखमरी का सामना कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह उन्हें स्थायी कार्य दे और जब तक वह ऐसा नहीं करती, उन्हें मुफ्त राशन मिलना चाहिए। जिले के कई भागों में दूषित जल पीने से हुए हैजे के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। उन परिवारों को प्रति पूर्ति की जानी चाहिए जिनके सदस्यों की हैजे के कारण मृत्यु हो गई। पेय जल प्रदान करने के लिए स्थायी आधार पर व्यवस्था की जानी चाहिए। पेय जल की कमी जिले की चिरस्थायी समस्या है। हमें इसका स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। अट्टापट्टी के आदिवासियों को स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में यह सुझाव दूंगा कि—खादी और ग्राम-उद्योग आयोग इस प्रयोजन के लिए ग्राम उद्योगों की स्थापना करे। अन्ततः मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा। दी गयी राशि को राज्य ठीक ढंग से व्यय कर रहा है या नहीं यह देखने के लिए केन्द्र सरकार को एक निगरानी कक्ष की स्थापना करनी चाहिए। हमारा यह अनुभव रहा है कि यदि समस्याओं को राज्यों पर छोड़ दिया जाता है तो समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसलिए केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में स्वयं उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं धान की खरीद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री सुरेश कुरूप जिसका उल्लेख किया है। महोदय, मैं सभा को बताना चाहूंगा कि केरल में नाम-मात्र को भी खरीद नहीं हो रही है। यह एक बहुत बड़ा मजाक है। केरल सकार द्वारा निर्धारित मूल्य इतने कम हैं कि किसान इस मूल्य पर धान बेच ही नहीं सकते। इसलिए खरीद के बारे में केरल सरकार का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है।

मैं माननीय मन्त्री जी को अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर पूरा ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्रीराम नारायण सिंह (भिवानी) : सभापति महोदय, सुबह से डिसकस हो रहा है कि हिन्दुस्तान के काफी हिस्सों में कहत पड़ा हुआ है और लोगों की बहुत ही खराब हालत हो गयी है। हरियाणा के तीन जिले जो राजस्थान से मिलते हैं, इनमें सबसे ज्यादा कहत है। मैं यह अर्ज करूंगा कि चालीस साल आजादी को हो गये लेकिन पक्का हल इसके लिये नहीं कर सके हैं। पंजाब के एक एग्रीकल्चर साइन्टिस्ट श्री एम० एस० रन्धावा, पुराने आइ० सी० एस० भी थे और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तथा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी थे। वे फरमाते थे कि फ्लड और कहत से निजात मिल सकता है, अगर सरकार दिलचस्पी ले। एक तो नदियों पर डैम बनाए जायें ताकि नहर से पानी सब किसानों को मिल जाये और दूसरा यह कि जहां पानी नहीं चढ़ सकता वहां बिजली पैदा की जाये और ट्यूबवैल्स को बिजली दी जाए। जहा नीची जमीन पानी से भरी रहती है, उसके लिए ड्रेन निकाली जाए। रन्धावा साहब के मुताबिक अगर सरकार काम करती तो फ्लड और ड्रॉट का सवाल ही नही होता। सरकार ने लापरवाही से काम किया और ड्रॉट तथा फ्लड पर पिछले चालीस साल में कई हजार करोड़ रुपये खर्च हो गये। अगर एसवाइएल कैनाल पूरी हो जाती तो हरियाणा के ऊपर ड्रॉट का कोई असर नही होता, अब आठ जिलों में सूखा है। पंजाब के साथ-साथ एसवाइएल कैनाल हरियाणा के अपने ज्यूरीसडीक्शन के अन्दर दस साल पहले पुख्ता बन चुकी थी। लेकिन पंजाब की हद में पूरी नहीं हुई। पंजाब के अन्दर वायदा करते थे कि इस साल बन जायेगी। लेकिन चीफ

इंजीनियर गिल साहब गलत वायदे करते हैं। पिछली दफा अकाली सरकार आई तब वे रिटायर हो रहे थे। दो दफा एक्सटेंशन दे दी गई। अब गवर्नर रूल है। यह हिदायत दी जाये कि उनको तो रिटायर कर दे। दूसरे एनर्जेटीक इंजीनियर लगाये या आप सेन्ट्रल एजेंसी को दे ताकि अच्छी तरह से उसको उसको पूरा कर सकें और और एसवाइएल कैनाल बन जाये और आपका पंजाब एकोर्ड भी लागू हो सकता है।······(व्यवधान)

डा० जी० एस० ढिल्लो : आज आपने अखबार पढ़ा है। पंजाब सरकार ने कहा कि मार्च एण्ड तक बना देंगे।······(व्यवधान)

श्री राम नारायण सिंह : मैं कई दफा पढ़ चुका हूं। पिछली दफा कहते थे कि 31 मार्च 1987 तक बना देंगे। अब कहते हैं कि 31 मार्च 88 तक बना देंगे। जो इंजीनियर साहब सरसा नदी पर एक्वाडक्ट (जलसेतु) बना रहे हैं वे कहते हैं 31 मार्च 89 तक बनायेंगे।······(व्यवधान)

डा० जी० एस० ढिल्लो : चौधरी देवीलाल का पुराना दोस्त कब आ रहा है। ···(व्यवधान)

श्री राम नारायण सिंह : आप जल्दी से जल्दी बनवादेंगे तो आपसे कोई मदद नहीं मागेंगे। जैसा कि प्रोफेसर रंगा साहब ने फरमाया कि जो छोटे किसान, छोटे दुकानदार और छोटे दस्तकार हैं, इनमें कर्जा उतारने की हिम्मत नहीं होती इसलिये कुछ किया जाये। हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर चौधरी देवीलाल जी ने छोटे किसानों, छोटे मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिये 227 करोड़ रुपया माफ कर दिया है। अब वे लोग आराम से साँस ले रहे हैं। गवर्नमेंट के फण्ड से कर दिया है। अगर गवर्नमेंट की सलाह हो तो सब कुछ हो सकता है।

5.00 म० प०

जो बैंक डेट के आधार पर यह कर्ज नहीं दे सकते, तीन सौ करोड़ रुपये आप माफ कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे मजदूर और दुकानदार हैं उनके क्यों नहीं माफ किये जा सकते। इसलिये आजादी के चालीस साल बाद तक लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हो गये, अगर रावी-व्यास नदी पर बांध बन जाता तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा सभी को फायदा होता। आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। लेकिन कल्चर एक्टिविटी के नाम पर फ्रांस, रूस, अमरीका और इंग्लैण्ड में फैस्टिवल हो रहे हैं, लाखों रुपये इसमें खर्च हो गये, उधर गरीब देश के लोग भूखे मर रहे हैं और मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा है। आपने लखऊ के नवाब को मात कर दिया कल्चर एक्टिविटी के लिये। जो अकाल चल रहा है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, प्रधानमन्त्रीजी को चाहिये कि वह उत्सवों आदि पर पाबन्दी लगायें और खर्च में कुछ कटौती होनी चाहिये। दो साल के बाद चुनाव आने वाले हैं। किस मुंह से उनसे वोट मांगने जायेंगे। मवेशियों के लिये चारा उपलब्ध नहीं हुआ तो वह मरते जायेंगे, फिर क्या होगा। इसलिये मेरी ढिल्लो साहब से यह अर्ज है कि यह नहर 31 मार्च, 1988 तक खुदवा दें तो हरियाणा का काफी भला हो जायेगा।

दूसरी बात यह है कि किसान जो काश्त करता है, एक एकड़ में 200 रुपये लगते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान को इससे एक रुपया भी नहीं मिलेगा, अगर 100 रुपये भी दे दें तो ठीक रहेगा और भारत सरकार उनको ग्रांट दे दे तो वह आपको दुआयें देंगे। वह बड़ी मुसीबत में हैं। इसलिये आप सेन्ट्रल ग्रांट देने की व्यवस्था करें। हरियाणा की आबादी एक करोड़ चालीस लाख है

उसके लिये आपने छत्तीस करोड़ रुपये दिये, लेकिन नागालैण्ड की आबादी आठ लाख है और उसको बहुत ज्यादा दिया । इसलिये ढिल्लो साहब आपको तो मैं 20 साल से जानता हूं आप हमारी तरफ जरूर ध्यान देकर मदद करेंगे ।

[अनुवाद]

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर) : महोदय, मैं आदरपूर्वक आपसे असहमति प्रकट करता हूं। मैं नवल किशोरी शर्मा नहीं हूं वरन नवल किशोर शर्मा हूं ।

[हिन्दी]

आज देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो गम्भीर स्थिति पैदा हुई है उस विषय पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे देश में प्राकृतिक आपदायें कभी सूखे, कभी अकाल या बाढ़ के रूप में रहती हैं । लेकिन इस शताब्दी की सबसे बड़ी विपत्ति और आपदा इस साल इस देश में प्राकृतिक आक्रोष के कारण पैदा हुई है । इसमें सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये और तुरन्त कदम उठाने चाहियें । मुझे खेद है कि प्रधानमन्त्रीजी की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी तन्त्र जिस रफ्तार से चल रहा है उसी रफ्तार से चला आ रहा है । उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है । राजस्थान के बारे में मैं थोड़ा ज्यादा कहना चाहूंगा । राजस्थान भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है । राजस्थान का 2/3 हिस्सा ऐरिड जोन और बाकी 1/3 हिस्सा सैमी ऐरिड जोन है । राजस्थान राजाओं का राज्य रहा है । वहां राजा हुए हैं, जागीरदार रहे हैं इसलिए आजादी के पहले विकास का काम वहां पर नहीं हुआ, उन्होंने इसको नहीं देखा, कांग्रेस की सरकारों ने राजस्थान में आने के बाद काफी विकास के काम किये । यह राजस्थान का सौभाग्य है लेकिन गुजरात का मुकाबला हम नहीं कर सकते । दुर्भाग्य से पिछले 4 सालों से लगातार रजस्थान में अकाल पड़ रहा है और इस साल का अकाल तो सबसे भयंकर अकाल है । मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उनके 9 नवम्बर को इसी सदन में दिये स्टेटमेंट की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने श्री कमला प्रसाद रावत के प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिया था । उस स्टेटमेंट में मैं आपने "क्रोप एरिया डैमेज्ड" के आंकड़े दिये हैं । उनके मुताबिक राजस्थान में सबसे ज्यादा 108.53 लाख हैक्टेयर एरिया क्रोप डैमेज्ड हुआ बताया गया है । इससे ज्यादा डैमेज्ड हिन्दुस्तान के किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ । दूसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है जहां 102.28 लाख हैक्टेयर एरिया पर खड़ी फसलें डैमेज्ड हुई और तीसरा नम्बर गुजरात का आता है जहाँ 71.00 लाख हैक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल को क्षति पहुंची । परन्तु इसे हमारा दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि जब हम आपके "पैटर्न ऑफ एसिस्टेंस को देखते हैं तो उसमें हमारी स्थिति बड़ी अजीब सी नजर आती है । यदि आप उसी 9 तारीख के स्टेटमैन्ट की ओर फिर से दृष्टिपात करें तो आपने कहा है कि राजस्थान सरकार ने आपसे 434 करोड़ रुपये की माँग की थी जब कि पिछले साल सापने 147.988 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाये । इस साल आपने 0.98 करोड़ रुपये दिये जबकि दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को आपने 155.736 करोड़ रुपये पिछले साल दिये और इस साल भी 20.206 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये । मैं उत्तर प्रदेश के इस एलोकेशन के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि वह राज्य हमारे देश का सबसे बड़ा प्रान्त है, जहां से 85 संसद-सदस्य चुन कर आते हैं, जाहिर है कि उन का राजनैतिक प्रभाव कुछ ज्यादा है । हमारे राजस्थान से केवल 25 एम० पीज० आते हैं ।

(अनुवाद)

प्रो० एन० जी० रंगा : उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है ?

(हिन्दी)

श्री नवल किशोर शर्मा : पौपूलेशन की बात नहीं है ।

(अनुवाद)

रंगा जी आप ये समझें कि जहां तक सूखा सहायता का सम्बन्ध है, मानदण्ड जनसंख्या नहीं, बल्कि क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र होना चाहिए ।

(हिन्दी)

मैं निवेदन कर रहा था कि आपका "पैटर्न आफ एसिस्टैंस" मेरी समझ में नहीं आया कि उसका आधार क्या है। एक ओर ऐसा राज्य है जिसमें गंगा-यमुना जैसी नदियां बहती हों और दूसरी ओर एक ऐसा राज्य है जिसमें लगातार सूखा पड़ता रहा हो, पिछले चार सालों से भयंकर सूखे की चपेट में हो, तो आपने किस आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी, कृपया उस पैटर्न को स्पष्ट करने का कष्ट करें ।

माननीय मन्त्री जी आप भी राजस्थान गये और आपने सूखा पीड़ित लोगों की दशा को देखा, सूखे की स्थिति को देखा, आपका बहुत शुक्रिया । कुछ अन्य मन्त्रीगण भी गए और सबने जाकर राजस्थान की जनता को आश्वासन दिया कि हम आपकी भरपूर सहायता करेंगे । परन्तु आज हालत यह है कि आपने राजस्थान को सैकेण्ड इण्सटालमैंट आज तक जारी नहीं की । सैकेण्ड इंसटालमैंट जारी करने के अभाव में राजस्थान की जनता मजदूरी पाने के लिये मोहताज है। राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने साधनों से कुछ दे सके क्योंकि उसकी आमदनी के स्त्रोत का 90 प्रतिशत भाग कमिटिड है। आज तो स्थिति यह हो गयी है कि राजस्थान की सरकार को मजबूर होकर जितने डैवलपमैंट के काम हैं, चाहे स्कूल हों, अस्पताल हो, चाहे दूसरे विकास के काम हैं, सोश्यल वैलफेयर प्रोजैक्ट हैं उन सबको बन्द करना पड़ा है । आज तक वे खुले नहीं हैं। ऐसी आर्थिक स्थिति जब राज्य सरकार की हो तब क्या वह विकास के काम कर सकेगी । राजस्थान सरकार ने लोगों को भूखे मरने देना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उसने समझा कि जितने राज्य सरकार के साधन हैं उनको बजाय विकास के कामों के, लोगों को जिन्दा रखने में लगाया जाए ।

माननीय मन्त्री जी, अभी जगन्नाथ पटनायक ने कोट किया कि जिन राज्यों में अकाल बराबर पड़ता रहता है, उन राज्यों को जो दी गई सहायता है, जो प्लान असिस्टेंस है, उसको फुल एक्सटेंड तक सेंटर को बर्दाश्त करना चाहिए। मैं आठवें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो इस बारे में है, उसका रेलेवेण्ट पोरशन पढ़ना चाहता हूँ—

[अनुवाद]

"सातवें वित्त आयोग ने सूखा सम्बन्धी खर्च के लिए यह सिफारिश कि है कि सम्बद्ध राज्य को अपनी योजना से अंशदान करना चाहिए और अंशदान का निर्धारण केन्द्रीय दल तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के सशर्त होना चाहिए । तथापि, ऐसा अंशदान वार्षिक योजना परिव्यय के 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो, और उस राज्य के उस वर्ष के

योजना व्यय से अतिरिक्त माना जाए। राज्य को यह अंशदान करने के सक्षम बनाने के लिए केन्द्र सहायता प्रदान करता है। तथापि, यदि केन्द्रीय दल और राहत सम्बन्धी उच्च-स्तरीय समिति द्वारा आंकी गयी व्यय आवश्यकताएँ योजना परिव्यय के 5 प्रतिशत के अन्दर पूरी न हों, तो अतिरिक्त व्यय को विशेष गम्भीर आपदा विशेष प्रचन्डता का सूचक माना जाता है, जिससे केन्द्रीय सरकार को राज्य के अतिरिक्त व्यय की पूरी भरपाई करनी होगी। यह सहायता आधी अनुदान के रूप में और आधी ऋण रूप में दी जाएगी, जो कि राज्य की योजना सहायता के समायोज्य नहीं होती है।"

(हिन्दी)

ये गाइड लाइन, ये हिदायत आपको आठवें फायनेंस कमीशन ने दी है और इसी के साथ आपका एक सर्कुलर और है। फायनेंस मिनिस्ट्री के जाइंट सैक्रेट्री का सर्कुलर है, इसमें कहा गया है—

(अनुवाद)

"जहाँ पर प्राकृतिक आपदा अपूर्व रूप से प्रचण्ड हो, केन्द्र सरकार के लिए सम्बद्ध राज्य को विनिर्दिष्ट योजना से ईत्तर सहायता प्रदान करना आवश्यक हो सकता है।"

(हिन्दी)

ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हिदायतें हैं। आपके सर्कुलर्स हैं, आठवें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि क्या आप इन हिदायतों का अमल उन राज्यों के हक में करेंगे जैसे गुजरात है, जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उडीसा भी हो सकता है। यहाँ हम सैंट्रल गवर्नमेंट में, लोगों की मदद करने के लिए हैं न कि उनको उनके हाल पर छोड़ देने के लिए।

आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों की परचेजिंग पॉवर नहीं है। आप गेहूं भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गेहूं को खरीदने के लिए लोगों के पास जब तक पैसा नहीं होगा तब तक वे कैसे जिन्दा रह पाएंगे। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत एम्प्लॉयमैंट जनरेट करने की है। आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पैसे की जरूरत है। आज राजस्थान सरकार करीब-करीब दिवालिया सरकार हो गई है। मैं यह कह दूं तो कोई गलत बात नहीं है। आज स्थिति यह है कि पिछले साल के अकाल के पेमेंट मजदूरों को इस साल हुए हैं और अगर यही स्थिति रही और अकाल में काम करने वाले मजदूरों को वक्त पर पेमेंट नहीं मिला, तो अकाल-राहत का मतलब क्या हुआ?

5.14 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आपकी टीमें जाती हैं, उनका लम्बा चौड़ा प्रोसीजर है। आज भी आपकी टीम को गये और रिपोर्ट किये मेरे ख्याल में महीना भर हो गया, लेकिन आज तक कोई निर्णय मेरी जानकारी में नहीं हो सका है कि राजस्थान सरकार को इतना रुपया ड्राउट रिलीफ के लिये हमने दिया। आपने जो पहले दिया वह खत्म हो चुका है।

राजस्थान सरकार ने आपको एडीशनल मैमोरैंडम दिया, उस मैमोरैंडम पर आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। मेरा आपसे दस्तवस्ता निवेदन है कि मेहरबानी करके इन ब्यूरोक्रेटिक हिलैज को

थोड़ा-सा कम कीजिये। मन्त्रालय में ज्यादा अच्छा को-आर्डिनेशन हो। विभिन्न मन्त्रालयों में कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिये, अंडर वन एफ तो नहीं, लेकिन ओवर वन टेवल अगर यह फैसला हो सके तो हम आपके मन्त्री महोदय बहुत शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि जरूरत इस बात की है कि लोगों को राहत मिले।

आपने अब तक जो इंडीकेशन दिया है, उसमें सैंट्रल गवर्नमैंट ने 1111 करोड़ का कमिटमैंट किया है फैमिन रिलीफ के लिये और इस 1111 करोड में 650 करोड़ का तो आपके बजट में प्रावधान है। आपको करीब 500 करोड़ रुपये और नया खर्च करना पड़ेगा। आपने इसके विपरीत करीब-करीब 3000 करोड़ रुपये इक्कट्ठा करने का फैमिन रिलीफ के लिये फैसला किया है।

650 करोड़ की तो खर्च में कमी की है। 550 करोड़ आप नये टैकरोज से वसूल करना चाहते हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूं। कुछ विदेशी सरकारें आपकी मदद कर रही हैं, वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है। कुछ आपको ग्रान्ट मिली है एफ० आर० जी० से, फ्रांस से, यू० एस० ए० से। जापान भी आपको 225 करोड़ रुपये का ऋण दे रहा है। यह सब मिलाकर करीब-करीब 3000 करोड़ रुपये का जुगाड़ कर लिया है। ऐसी स्थिति में जब कि आपने 3 हजार करोड़ रुपये का जुगाड़ कर लिया है तो क्या वजह है कि आप इस सहायता के काम में इतनी देरी करते हैं ?, पैसे की कमी नहीं है, विदेशी सरकारें भी मदद करना चाहती हैं, और मदद कर रही हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी अपने मुक्त हाथ से सहायता करने का फैसला किया है, लेकिन आपका वित्त मन्त्रालय सांप होकर कागजों पर बैठा है।

इसलिये मेहरवानी करके मन्त्री महोदय, थोड़ी-सी व्यवस्था बदलिये ताकि लोगों को राहत मिल सके। जनतन्त्र में अगर लोगों को राहत नहीं मिलती है तो जनता का विश्वास टूट जाता है और राहत मौके पर न मिले, बाद में मिले तो "क्या वर्षा जब कृषि सुखावन" वाली बात होती है। बाद में दी गई राहत बे-मायने होती है। इसलिये निवेदन है कि मेहरबानी करके सहायता जल्दी दीजिये और भरपूर दीजिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। अब तक आप कुछ मैटीरियल कम्पोनेन्ट दिया करते थे। दुर्भाग्य से इस साल आपने फैसला कर लिया है कि फैमिन रिलीफ में मैटीरियल कम्पोनेन्ट नहीं देंगे। अगर मैटीरियल कम्पोनेन्ट नहीं देंगे तो फिर क्या काम होगा ? कहीं पर कच्चे काम होंगे, कुछ सड़कें होंगी। वहाँ सिंचाई के साधन नहीं हैं, जंगलात के एफारेस्टेशन के लिये पानी नहीं है। जब सिंचाई के साधन नहीं हैं, पानी नहीं है तो आप सिंचाई की योजना नहीं बना सकते। मिट्टी की सड़कें बरसों से बनती चली जा रही हैं, तो राजस्थान जैसे राज्य में काम क्या होगा ? उससे भ्रष्टाचार पैदा होगा, हमारी सरकार और जन-प्रतिनिधि बदनाम होंगे। इसलिये जरुरत इस बात की है कि जैसे पिछले 2, 3 साल में राजस्थान में पक्के काम, फिक्स्ड एस्सैट अच्छे बने हैं तो आपको मैटीरियल कम्पोनेन्ट के मामले में विचार करना होगा। आपने आल इंडिया कन्टैक्स्ट में यह फैसला किया है कि मैटीरियल कम्पोनेन्ट नहीं दिया जाना चाहिये, लेकिन एक्सप्शन रिलीफ में हर स्टेज पर हुआ करता है। और राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए वरना जितना भी पैसा है उसमें भ्रष्टाचार की बदबू आयेगी और लोग इल्जाम लगायेंगे। इसके साथ ही जो अच्छा काम होना चाहिए था वह अच्छा काम नहीं हो पायेगा। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप मेहरबानी करके इस मैटीरियल कम्पोनेंट पर पुनर्विचार कीजिए। राजस्थान व गुजरात जैसे राज्यों में जहां कच्चे कामों के लिये कोई गुंजाइश नहीं है वहां पक्के कामों के लिये आप इजाजत दीजिए।

[अनुवाद]

मैं संसद सदस्य के रूप में इस सत्र में पहली बार भाषण दे रहा हूं। अतः कृपया मेरे भाषण में बाधा न डालें।

[हिन्दी]

मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में कुछ माइनर और मीडियम इरिमेशन स्कीमें लम्बित पड़ी हैं।

डा० जी० एम० ढिल्लो : जो कुछ बोलना है अच्छी तरह खुलकर बोलना चाहिए। फिर पता नहीं इधर आना पड़े।

श्री नवल किशोर शर्मा : मुझे इस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करना है। में आपकी राय की कद्र करता हूं। मैं एक निवेदन यह कर रहा था कि राजस्थान में कुछ माइनर और मीडियम इरिमेशन स्कीमें प्लानिंग कमीशन में बहुत लम्बे अर्से से पड़ी हुई हैं। राजस्थान के अकाल का परमानेन्ट इलाज यह है कि इन माइनर और मीडियम इरिमेशन स्कीम्स को जल्दी ही मंजूरी दी जाये और उनमें काम शुरू किया जाये। ऐसी सभी स्कीमों के लिये प्लानिंग कमीशन को आप कहें कि वह जल्दी निर्णय लेकर काम शुरू करा दें।

मुझे आशा है कि राजस्थान की जनता की भलाई के लिये इन स्कीमों को जल्दी मंजूरी दिलायेंगे इससे राजस्थान के लोग आपको दुआयें और आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री दौलत सिंह जी अदेजा (जामनगर) : यह अवसर दिए जाने के लिए मैं आभारी हूं लेकिन मुझे विश्वास है कि यह सभा मुझसे सहमति रखती है कि इतने महत्वपूर्ण विषय को जितना समय दिया गया है। वह हमारी आशा से काफी कम है। हम समय बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध करते हैं। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री नवलकिशोर शर्मा द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का पूरी तरह अनुसमर्थन करता हूं। वह न केवल राजस्थान की तरफ से बोले हैं बल्कि उनका अभिप्राय है कि पड़ोसी राज्य गुजरात में भी यही स्थिति है।

महोदय, मैं सरकार का दूसरे तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक ही राज्य में चाहे वह राजस्थान हो अथवा गुजरात, एक तरफ तो हरे ताजे जंगल हैं तो दूसरी तरफ मरुस्थली क्षेत्र है जहां मानव मात्र कभी नहीं रह सकता। मैं अब गुजरात के सौराष्ट्र हिस्से का जिक्र करना चाहता हूं। अर्थात् जिस हिस्से का मैं हूं। एक समय यह क्षेत्र वनाच्छदित्त क्षेत्र था, बागान तथा पशु होते थे यहां हम नकदी फसल जैसे मूंगफली और कपास उगाते थे। गन्ना भी होता था यहां पर लेकिन अब इनमें से कोई सी भी फसल यहां नहीं होती। मैं इसमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराता। श्री नवल किशोर शर्मा ने कहा कि इन क्षेत्रों, जिन्हें सिचाई के पानी के साथ साथ पेय जल की जरूरत है, की आधारभूत आयोजना में कुछ गलत है, परिणाम यह है कि मेरे अपने गृह जिले, जिला मुख्यालय जामनगर शहर में जिसकी जनसंख्या 3 लाख है, पेय जल का एक ही जलाशय है। आज क्या स्थिति है ? केवल एक जलाशय ही पर्याप्त नहीं है। 60 से 70 मील के क्षेत्र में अब चार और जलाशय हैं तथा जो पानी पहले सिचाई क्यों

के लिए प्रयोग किया जाता था अब शहर में वहाँ के लोगों के पीने के लिये लाया गया है, तथा कृषकों को इससे क्षति पहुँची है। इसीलिए मैं इसे दोषपूर्ण आयोजना कहता हूँ। किन्तु इस वर्ष स्थिति कुछ भिन्न है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राज्य में अलग-अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न स्थिति हैं। मेरा क्षेत्र समुद्री तटीय इलाके में आता है इस क्षेत्र में कोई भी निरन्तर बहने वाली नदी नहीं है। यहाँ कोई झील भी नहीं है, जहाँ से आप पीने का पानी ले सकें। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप मिट्टी में बहुत गहरे खोदकर भूगत जल प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ भूगत-जल है ही नहीं। यदि आप अधिक गहरा खोदेंगे तो वहाँ खारा व नमकीन जल ही प्राप्त होगा। ऐसे क्षेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

मेरे शहर में नगर पालिका प्रतिदिन 3 घंटे के लिए पानी देती है। ऐसा सामान्य वर्षों में हुआ करता था। आज स्थिति यह है कि शहर में एक दिन छोड़कर 15 मिनट के लिए पानी दिया जाता है तथा उसके लिए भी निगम ने कहा है तथा सभी इससे सहमत हैं कि अगले वर्ष जनवरी के अन्त तक शहर में जल स्रोत सूख जायेंगे। आज शहर कुओं तथा हैंड पम्पों पर आश्रित है किन्तु निगम द्वारा उन्हें भी सील कर दिया गया है। अब वहाँ जल का कोई स्रोत नहीं है। फरवरी के आरम्भ होने के बाद जामनगर तथा जिले के सभी ताल्लुक मुख्यालयों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। यह वह क्षेत्र है जहाँ सामान्य वर्षों में ग्रीष्म के पीछले कुछ महीनों में टैंकरों द्वारा पानी लाया जाता था। किन्तु इस वर्ष हमें टैंकरों से पानी प्राप्त नहीं हो पायेगा क्योंकि टैंकरों को पीने का पानी लेने के लिए कई सौ मील दूर जाना पड़ेगा। जामनगर शहर में पाइप लाइन के द्वारा पानी लाने की योजना है तथा उन्होंने कहा है कि अगस्त, 1988 तक जामनगर को इस पाइप लाइन के द्वारा पानी मिल सकेगा। किन्तु क्या यह एक स्थायी हल है ? यह बहुत महंगा है। क्या इस पाइप लाइन से इन क्षेत्रों की समस्या का स्थायी हल हो सकेगा ?

मैंने बार-बार अनुरोध किया है कि सरकार से इन क्षेत्रों को अलग प्रकार से लेना चाहिए; आपको इन क्षेत्रों को राज्य अथवा देश के अन्य क्षेत्रों की भाँति नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में आपको आधुनिक प्रौद्योगिकी लानी चाहिए तथा अपक्षारीकरण एकक लगाने चाहियें मैं जानता हूँ कि यह काफी महंगा है। परन्तु रसाकर्षण प्रक्रिया द्वारा अपक्षारीकरण करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। सौराष्ट्र तथा कच्छ प्रदेशो के लिए केवल यही एक विकल्प है। मैं समुद्र तटीय शहरों तथा गाँवों की बात कर रहा हूँ जिनकी संख्या सौ से अधिक है तथा जहाँ लगभग 15 लाख की आबादी है।

मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि क्या उन्होंने केवल इसी क्षेत्र के लिए किसी अलग योजना पर विचार किया है। मैं पूरे गुजरात अथवा उत्तरी गुजरात के बारे में बात नहीं कर रहा हूं; मैं केवल सौराष्ट्र तथा कच्छ के समुद्र तटीय प्रदेशों के सम्बन्ध में बात कर रहा हूँ। इस वर्ष उन्हें पर्याप्त जल देने के लिए क्या आपके पास कोई विशेष योजना है तथा इस समस्या का स्थायी हल क्या है ?

मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। वहाँ स्थिति बहुत खराब है तथा जहाँ तक पीने के पानी का सम्बन्ध है फरवरी और मार्च तक मानसुन से पहले वहाँ हंगामा होने वाला है। सरकार भले ही कुछ भी कहती रहे उसके बावजूद भी उस स्थिति को कोई भी नियन्त्रित नहीं कर सकेगा। मैं उस क्षेत्र से आया हूँ तथा मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। फरवरी, मार्च तथा उसके बाद लोग एक दूसरे से पानी छीनेंगे तथा पानी की चोरी करेंगे और वहाँ पानी के लिए दंगे होंगे। सरकार के लिए यह ठीक

समय है कि वह सौराष्ट्र तथा कच्छ प्रदेश के इन भागों के लिए किसी विशेष योजना पर विचार करे। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि वह इस पर विचार करेगी ? भूगत-जल निकालने के लिए अथवा समुद्र के अथवा खारे जल को पीने योग्य बनाने के लिए अथवा प्रयोग किये जा चुके जल को पुन: उपयोगी बनाने बहुत सी आधुनिक तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी हैं सरकार एन आर आई को प्रोत्साहन क्यों नहीं देती, हमारे वे मित्र जो इस देश में हमारे भाइयों की सहायता करना चाहते हैं उन्हें इन एककों में आने की अनुमति क्यों नहीं देती ? सरकार केवल सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क पर ही बल दे रही है। ऐसे समय में सरकार को ऐसे प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए कि यदि कोई उपकरण भारत में उपलब्ध नहीं है जैसे कि ड्रिलिंग के लिए उपकरण अथवा समुद्र के जल को ताजे जल में परिवर्तित करने के उपकरण जो कि विदेशी हैं, उन्हें सीमा शुल्क से छूट दी जानी चाहिए।

दूसरी बात जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा, वह है मवेशियों के सम्बन्ध में। आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, चाहे आप कुछ भी कहें तथा जैसाकि कुछ प्राधिकारियों ने कहा है कि कोई मवेशी मरा नहीं है तथा उनकी देख भाल की जा रही है परन्तु मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक मेरे जिले का सम्बन्ध है 50 प्रतिशत मवेशी नष्ट हो गये हैं। मैं नहीं जानता कि वे मर गये हैं, दूसरे स्थान पर भेज दिये गये हैं अथवा वे मवेशी कैम्पों में रह रहे हैं किन्तु 50 प्रतिशत मवेशी हमारे प्रदेश में नहीं हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा। अगले वर्ष खेतों को जोतने के लिए बैल नहीं होंगे। तथा यदि किसी प्रकार किसान खेतों को जोतने का प्रबन्ध कर भी लें तो उनके पास बीज तथा खाद खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा। अत: मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए तथा इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है। मेरे विचार से भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अनुसार प्रत्येक किसान के पास अपनी कुछ भूमि होनी चाहिए। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार अगली फसल के लिए इन किसानों को बीज तथा उर्वरक देने के बारे में सोच रही हैं ?

फिर दूसरी बात जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह तेल मिलों के बारे में है। केवल एक जामनगर जिले में ही करीब 130 तेल मिलें हैं जो पूरी तरह से मूंगफली की फसल पर निर्भर करती हैं पिछले दो वर्षों से उन्हें कच्चा माल नहीं मिल रहा है, ये मिलें बन्द होने वाली हैं या वास्तव में उनमें से कुछ तो पहले ही बन्द हो गयी हैं। मैं मिलों की ओर से बात नहीं कर रहा हूं बल्कि, इन्हीं मिलों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों के बारे में सोचिये। इसलिए, क्या सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र, चाहे वह जामनगर में हो या कच्छ में हो या किसी अन्य स्थान पर हो, में स्थित कम से कम तेल उद्योगों को अच्छी किस्म के आयातित तिलहन प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

अब मैं ग्रामीण लोगों के बारे में बात करूंगा। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो गाँव से 5 से 7 मील दूर जा सकते हैं। किन्तु उन लोगों का क्या होगा जो अपने गाँव छोड़कर बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। यहाँ पर खादी तथा ग्राम उद्योग या लघु उद्योग सामने क्यों नहीं आते ? वे इन लोगों को समर्थन या कुछ अतिरिक्त सहायता क्यों नहीं दे सकते ? उदाहरणार्थ मेरे जिले में, एक खादी उद्योग है तथा एक ग्राम उद्योग है। अब इस समय जब सरकार को इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों को अधिक सहायता देनी चाहिए थी हम देखते हैं कि वे कच्चा माल तक नहीं दे रहे हैं। इन लघु उद्योगों

में उनके द्वारा जो बनाया जा रहा है हम उसे लेने भी नहीं जाते हैं। मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहूंगा यद्यपि—इसका सम्बन्ध एक दूसरे मन्त्रालय से है इसे सूखे से राहत पहुँचाने का एक उपाय माना जा सकता है।

महोदय, हम देखते हैं कि गाँवों में कई असामाजिक तत्त्व सिर उठा रहे हैं। लोगों को लूटा जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। इसलिए क्या सरकार इन ग्रामीणों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए स्वैच्छिक बल या विशिष्ट पुलिस बल लगाने के बारे में सोच रही है ?

महोदय, मुझे विश्वास है कि इन सर्दियों में बीमारी फैलेगी। हमने अभी इसे नहीं समझा है, परन्तु फरवरी के अन्त में और मार्च में जब की कमी होगी और वही समय है जब बीमारी फैलेगी। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। यहाँ मैं सरकार की जानकारी में एक योजना लाना चाहूँगा जिसके द्वारा सोराष्ट्र और कच्छ प्रदेशों में प्रत्येक गाँव और प्रत्येक कस्बे को पेय जल उपलब्ध कराया जा सकता है। 600 करोड़ रु० की यह परियोजना है, जिसे पहले से ही तैयार किया जा चुका है, पूरे सौराष्ट्र और कच्छ की पेय जल की समस्या का समाधान कर देगी। और इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा।

हम इस योजना का स्वागत क्यों नहीं करते और इसे समय पर लागू क्यों नहीं कर सकते ? जैसाकि श्री नवल किशोर शर्मा ने अभी-अभी कहा, यदि हम यह काम आज नहीं करते हैं तो कल कुछ भी करना हमारे लिए व्यर्थ होगा। सरकार को इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कृपया आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली उन योजनाओं को सामने लाना चाहिए जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले; विशेषतया उन लोगों को, जो सूखे से प्रभावित क्षेत्रों और इससे भी अधिक, जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जो सौराष्ट्र तथा कच्छ तटों के पास हैं, को वास्तविक राहत पहुंचायेंगी।

श्री अमर राम प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बहुत ही भयंकर सूखे और बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और केन्द्र सरकार के निष्ठुर और उदासीन व्यवहार के कारण अकाल हमारे देश के द्वार पर दस्तक दे रहा है। क्या हम इस बात से इन्कार कर सकते हैं ? श्रीमान्, जदेज ने अभी-अभी बताया है कि यदि आज नहीं तो कल केवल पेय जल के लिए ही दंगा होगा। आप उस स्थिति का अन्दाजा बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं।

महोदय, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जलस्तर नीचा हो गया है। पिछले सौ साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। दक्षिण-पश्चिमी मानसून जिसके कारण 80 प्रतिशत वर्षा होती है बिना वर्षा के ही पीछे हट कर जा रही है। जलाशय का जलस्तर विशेपतया दक्षिण में, 50 प्रतिशत से भी कम हो गया है। खरीफ की फसल कमोवेश नष्ट ही हो गयी—और मन्त्री महोदय क्या आप मुझसे सहमत होंगे कि—रबी की फसल का भविष्य भी अन्धकारमय है। मौसम विज्ञान सम्बन्धी वेधशाला के अभिमतानुसार भारत में 442 जिलों में से 300 जिले वर्षा की कमी से प्रभावित हैं। शेष जिले भारी वर्षा से बुरी तरह प्रभावित हैं जिसका परिणाम विध्वंसकारी बाढ़ रहा। इन बाढ़ों के कारण फसल, सम्पत्ति, भूमि और यहाँ तक कि मानव जीवन को भी भारी क्षति पहुँची और फिर यदि सर्दियों में भी बरसात

नहीं होती है तो खाद्यान्न की भयजनित जमाखोरी या लाभार्थ जमाखोरी होगी। पूरा देश एक बड़ा कालाहन्डी बन जायेगा।

प्रधानमन्त्री महोदय यहाँ-वहाँ का दौरा करके और कुछ रूखे शब्द कहकर मगरमच्छ के आँसू बहा सकते हैं। परन्तु क्या उससे वास्तव में भुक्तभोगियों को कोई राहत मिल सकती है ?

मुझे वास्तव में हैरानगी होती है कि क्या सरकार बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने के लिए जरा भी गंभीर है। मैं कहता हूं कि केन्द्र सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। बल्कि वे बड़े ही ऐशो-आराम का जीवन जीना चाहेंगे और वे 'अपना उत्सव' और ऐसे ही अन्य त्योहार मनाने में अधिक रूचि रखते हैं।

(व्यवधान)

सरकार पेयजल के लिए पैसा व्यय नहीं कर सकती किन्तु 'अपना उत्सव' पर करोड़ों रुपये व्यय कर सकती है।

मैं यह बात भी ऊँची आवाज में कहूँगा कि केन्द्र सरकार सूखे और बाढ़ के मामले को भी राज-नीतिक रंग दे रही है। 16 नवम्बर, 1987 को हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी फरक्का गए थे और वहाँ उन्होंने एक जनसभा में पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध आरोप लगाये। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम-बंगाल सरकार ने धन का सही उपयोग नहीं किया और यह कि उन्होंने पार्टी के प्रयोजनार्थ धन का दुरुपयोग किया। महोदय, मैं प्रधानमन्त्री के इस वक्तव्य को चुनौती देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में इस बात को आपके माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं और आपको सभा के समक्ष पूरी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमन्त्री जी ने प्रधानमन्त्री के रवैये की निन्दा की है और कहा कि ये सब झूठे आरोप थे। इस सम्बन्ध में सच्चे तथ्य क्या हैं ? मैं स्थिति को स्पष्ट करता हूँ। जुलाई और अगस्त में विध्वंसकारी बाढ़ के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ की चपेट में आ हुए लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए, राहत कार्य के लिए, आवास के लिए, पेय जल के लिए, कृषि-उपकरणों, बीजों और खाद के लिए और भूक्षरण को रोकने आदि कार्यों के लिए 300 करोड़ रु० की सहायता मांगी थी। केन्द्रीय दल ने पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद 67 करोड़ 52 लाख रुपयों की सिफारिश की थी। उसमें से आपने पश्चिम बंगाल को अब तक कितने रुपये दिए हैं? केवल 24 करोड़ रुपये ही दिए हैं। प्रधानमंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि हमने पश्चिम बंगाल को 70 करोड़ रुपये दिए हैं और उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है? हमने धन को किस प्रकार खर्च किया है इस बारे में हमारे पास इसके कागजात बहीखाते सब पहले से ही मौजूद हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं वह किस आधार पर कह रहे हैं ? यदि मुख्यमन्त्री कहते हैं कि प्रधानमन्त्री ने झूठ बोला है, तो इसमें गलत क्या है ? देश में हमारे पास बहुत जमीन है फिर भी हमारे यहाँ गरीबी है। मैं तो कहूँगा कि यह आपकी वजह से है, आपके कार्यकलापों—कांग्रेस सरकार के कार्य-कलापों से हमारा यह हाल हुआ है, स्वतन्त्रता के इन दीर्घ 40 वर्षों में हमने ढेर सारे प्रस्ताव रखे क्या इनमें से एक प्रस्ताव पूरा हुआ ? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा ? क्या आपने वर्षा के पानी की बर्बादी, हिमालय से निकलने वाली नदियों के उस पानी के बारे में जो हमेशा समुद्र में चला जाता है के बारे में कभी विचार किया है ?

श्री ए चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आपकी सरकार क्या कर रही है ?

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : आखिरकार राज्य सरकार परियोजनाओं को केवल उन पर विचार करके सीधे ही शुरू तो नहीं कर सकती है। क्या कभी आपने वर्षा या नदियों के पानी के बारे में सोचा है ? कितने पानी का उपयोग किया जा रहा है ? क्या आपने कभी गंगा-कृष्णा-कावेरी नदी नहर परियोजना पर, जिसका अनेक सदस्यों ने उल्लेख किया है, विचार किया है ? क्या कभी आपने उत्तरी बंगाल और असम से होकर जाने वाली गंगा-ब्रह्मपुत्र सम्पर्क परियोजना के भविष्य पर विचार किया है ? इसे पचासवें दसक में तैयार किया गया था ? वे कहेंगे नहीं। इसे धनाभाव के कारण शुरू नहीं किया जा सकता है। बाढ़ नियन्त्रण और सिंचाई परियोजनाओं के प्रति केन्द्रीय सरकार के व्यवहार अथवा रवैये को देखकर हमें आश्चर्य होता है।

एक परियोजना जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ वह तीस्ता के बारे में है जो सिंचाई और बाढ़ से बचाव के बारे में है। बहुत पहले मानसिंह समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि तीस्ता नदी बाढ़ नियन्त्रण और सिंचाई परियोजना पूरी हो जाती है तो 39,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, सिक्किम, के लिए 600 मेगावाट पन-बिजली उपलब्ध होगी उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिहार बाढ़ के विनाश से बचकर सुरक्षित हो जायेंगे। इतनी अधिक आर्थिक अड़चनों के बावजूद पश्चिम-बंगाल सरकार ने इस परियोजना को निर्धारित समय में पूरा किया। इस परियोजना पर उन्होंने पहले ही 210 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री श्री ढिल्लों से पूछता हूँ कि इस परियोजना पर आपने कितना धन खर्च किया है ? उत्तरी बंगाल एक पिछड़ा क्षेत्र है, एक मात्र यही नदी उस क्षेत्र के लोगों की सहायक है। इस 210 करोड़ रुपये में से आपने केवल 5 करोड़ रुपये खर्च किया है। केन्द्र सरकार का ऐसा तो रवैया है। मेरे विचार से अब यह सम्भव नहीं है। यदि यह सम्भव हुआ तो मैं अपने देशवासियों के प्रति कृतज्ञ रहूंगा।

श्री ए चार्ल्स : क्या आप राजनैतिक भाषण दे रहे हैं ? आप जो भी कह रहे हैं वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अमर राय प्रधान : ये समस्याएं हैं। अब एक बात और कहना चाहूंगा और वह गंगा-कावेरी प्रियोजना के बारे में है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश की पैतृक सम्पत्ति है ? नहीं, लेकिन स्थिति क्या है ? गंगा नदी में गैर-मानसून काल में पानी का कुल बहाव लगभग दो लाख पचपन हजार क्यूसेक है। कलकत्ता के लोगों को पानी की जरूरत केवल 40,000 क्यूसेक है।

डा० जी० एस० ढिल्लो : श्रीमन्, प्रधान मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप कावेरी को गंगा के पास लाना चाहते हैं या गंगा को कावेरी के पास।

श्री अमर राय प्रधान : गंगा को कावेरी के पास, इस परियोजना के बारे में अनेक सदस्य बोल चुके हैं।

गैर-मानसून काल में गंगा नदी का बहाव लगभग 255,000 क्यूसेक है। कलकत्ता को गंगा से केवल 40,000 क्यूसेक पानी की जरूरत है, परन्तु आप केवल 16,000 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। क्यों ? 255,000 क्यूसेक पानी में से, आप कलत्ता और पश्चिम बंगाल के लोगों को जितना उन्हें चाहिए

अर्थात् 40,000 क्यूसेक पानी क्यों नहीं दे रहें हैं ? आप गंगा के पानी को केवल मानसून के दौरान देते हैं वह भी किसी और कारण से नहीं, बल्कि बाढ़ के भय से (व्यवधान)

आप इसे एक राज्य की पैतृक सम्पत्ति बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच में समन्वय होना चाहिए। एक आयोग गठित किया जाये और वह इसका निर्णय करे तथा तीनों राज्यों के बीच पानी का बटवारा करने का यही मार्ग है।

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : मुझे आज की इस महत्त्वपूर्ण समस्या पर चर्चा में भाग लेना का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

वास्तव में, यह पूर्णतः प्राकृतिक आपदाओं का प्रश्न नही है, मेरे पूर्ववक्ता श्री नवल किशोर ने इस स्थिति के लिए अफसरशाही पर आरोप लगाया है। उनकी कुछ सीमाएं हैं। वह शासक दल और एक परिवान, जो इस देश का शासन चला रहे हैं, यह आरोप नहीं लगा सकते। यदि हमने इस समस्या पर पहले से ही विचार किया होता तो यह समस्या इतनी गम्भीर नहीं होती जितनी आज हो गयी है।

हमारे देश में वर्षा के केवल 22 प्रतिशत पानी का उपयोग होता है जबकि इजराइल में वर्षा के 95 प्रतिशत पानी का उपयोग किया जाता है। हमारा उनसे राजनीतिक मतभेद हो सकता है, परन्तु वर्षा के पानी का अधिक उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रोद्योगिकी के सम्बन्ध में उनकी सलाह लेने में हमें शर्म या अपमान अनुभव नहीं करना चाहिए।

मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, मेरा वयक्तव्य राजनैतिक न होकर वैज्ञानिक है। इस वर्ष इस शताब्दि का सर्वाधिक भयंकर सूखा पड़ा है। इसे हर व्यक्ति जानता है, मैं विशेष रूप से अपने राज्य अर्थात् गुजरात के बारे में कहूंगा जहां पर पिछले चार वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। मेरे पूर्व वक्ता श्री जदेजा ने गुजरात की स्थिति का स्पष्ट और सही चित्रण किया है, गुजरात के 19 जिलों की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां पर जानवरों और मानवों के लिए पेय जल उपलब्ध नहीं है, जैसाकि उन्होंने भविष्यवाणी की है आने वाले दिनों में वहां पर दंगे होंगे। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। यदि सरकार आज इसे गम्भीरता से नहीं लेती तो आने वाले दिन गुजरात के लिए और भी अधिक खराब होंगे। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को ठोस उपाय करने चाहिएं। उनको मध्यकालीन और दीर्घकालीन उपाय करने चाहिएं। दीर्घकालीन उपाय करने के रूप में, जैसाकि मैंने कहा है कि गंगा-कावेरी परियोजना देश के लिए सही या एकमात्र उपाय है, हमारे राज्य के लिए नर्मदा योजना गत कई वर्षों से लंम्बित पड़ी हुई है। इसे पूर्ण रूप से राजनैतिक मुद्दा बना दिया गया है। यहां तक कि आज भी केन्द्रीय और राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में गम्भीर नहीं हैं।. इस योजना के बारे में यदि उन्होंने गम्भीरता से सोचा होता, तो गुजरात की स्थिति आज इतनी गम्भीर नहीं होती जितनी आज है, गुजरात में भूतल जल पूर्णतः समाप्त हो गया है और भूमिगत पानी का तल जो पहले 100 से 200 फीट तक गहरा था वह 600 फीट गहरा चला गया है, यहां तक की वह जल भी पीने योग्य नहीं है और यह सिंचाई के प्रयोजन के लिए भी सस्ता नहीं है।

नदी पर नियन्त्रण होना चाहिए ताकि इसमें फैलाव हो जाए तथा नीचे का पानी ऊपर आ जाए।

कच्छ भुज तथा जिला मेहसाना की स्थिति काफी खराब है। कच्छ भुज की समस्या का तुरन्त समाधान सिंध से पानी लेकर किया जा सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब हम पाकिस्तान से मानवीय आधार पर बातचीत करें। यदि पास के क्षेत्र से पानी नहीं आता है तो कच्छ के 15 प्रतिशत जानवरों की समस्या काफी खराब हो जाएगी। 75 प्रतिशत जानवर राज्य से बाहर चले गए हैं तथा कई जानवर मर चुके हैं।

गुजरात की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में भी मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। अभी हाल ही में जूनागढ़ के कलक्टर ने हाल ही में किए गए राहत उपायों का ब्यौरा दिया। वहां जो राहत उपाय किए जा रहे हैं उसमें काफी कुप्रबन्ध है। लगभग 20 प्रतिशत व्यक्तियों के नाम गलत पाए गए। जिन व्यक्तियों ने वहां कार्य नहीं किया उनकों उसके लिए भुगतान किया गया है इस प्रकार उस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। जी. वी. सी. द्वारा आयोजित किए गए पशुओं के एक कैम्प में रिकार्ड के अनुसार 82,000 पशु वहां थे परन्तु गणना के समय केवल 35,000 पशु ही पाए गए। पशुओं के लिए आवंटित पूंजी का इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है तथा यह कार्य गुजरात के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। मेरे जिला मेहसाना में विशेष रूप से कोई सिंचाई योजना नहीं है। कदना एक पुरानी परियोजना है जिसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। यदि उस परियोजना को क्रियान्वित किया गया तभी मेरे राज्य को पानी मिल सकता है। नर्मदा परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार के पास पैसा नहीं है परन्तु यदि इसे शीघ्र कियान्वित किया जाता है तो गुजरात की की जनता ऋण पत्रों को खरीद कर सरकार की सहायता करने को तैयार है उसके लिए यदि सरकार किसानों से पैसा मांगती है तो किसान उधार देने को तैयार हैं यद्यपि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यह गुजरात में सूखे का चौथा वर्ष है। किसानों की स्थिति काफी खराब है। वे सहकारी समितियों और बेंकों के ऋण को वापस करने की स्थिति में नहीं हैं। उसके लिए सरकार को गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। पिछले वर्ष जो धन आवंटित किया गया था वह पर्याप्त नहीं था तथा उसका भी पूरा उपयोग नहीं हुआ था ; 20,000 करोड़ रु. बेकार पड़ा था। इसके लिए उस राज्य के मुख्यमन्त्री जिम्मेदार हैं और उसके वह ही उत्तरदायी हैं।

अहमदाबाद शहर गुजरात का एक बड़ा शहर है। साबरमती नदी पूरी तरह सूख गई है। पहले अहमदाबाद में सूखे तथा कम वर्षा के कारण जलाशय से पानी मिल रहा था। वह जलाशय अहमदाबाद के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा अहमदाबाद के लिए आगे के दिन काफी खराब होंगे, सबसे नजदीकी नहर नादियाड में है जो वहां से 50 कि. मी. दूर है। यदि समय रहते यह उपाय नहीं किए गए तो अहमदाबाद की जनता की स्थिति काफी बुरी हो रही है।

मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरे राज्य को और अधिक धन आवंटित किया जाए ताकि नर्मदा परियोजना को क्रियान्वित किया जा सके ताकि मेरे राज्य में पानी लेने की स्थिति अच्छी हो जाए।

***श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत में सूखे की स्थिति पर नियम 193 के अन्तर्गत की जा रही चर्चा में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हर सत्र में हम इस मामले पर चर्चा करते हैं। यह तो लगभग से परम्परा सी हो गई है। हम अकसर इस पर चर्चा करते हैं परन्तु कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता इस चर्चा के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया जाता।

तमिलनाडु में भयानक सूखा पड़ रहा है। माननीय प्रधानमन्त्री ने तमिलनाडु का व्यापक दौरा किया। उन्होंने अपनी आंखों से जनता की हालत देखी है। भाग्यवश उनके दौरे के तुरन्त बाद तमिलनाडु में हल्की वर्षा हुई। तथापि उससे कोई राहत नहीं मिली। दक्षिण पूर्वी मानसून की वर्षा इस वर्ष नहीं हुई। यदि वर्षा होनी होती तो अब तक हो जाती।

वर्षा के कारण पानी की काफी कमी हो गई है। समाचार पत्रों से मुझे पता चला है कि तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के सम्बद्ध जिला आयुक्तों के परामर्श से सूखे की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से 500 करोड़ रु० की सहायता मांगी है। मुझे समाचारपत्रों से पता चला है कि केन्द्र सरकार ने दो या तीन किश्तों में लगभग 50 करोड़ दिए हैं। राज्य सरकार ने 500 करोड़ रु० मांगे हैं तथा केन्द्र सरकार ने 50 करोड़ रु० दिए हैं। तमिलनाडु सरकार सूखे के लिए राहत साहयता मांगने में भी झिझक रही है। हो सकता है वह पारम्परिक रूप से समृद्ध थी जब और कोई चारा नहीं रहा तब उन्होंने केन्द्र सरकार से सहायता मांगी। परन्तु लगता है कि केन्द्र सरकार ने भी सहायता देते समय मांगी गई राशि के अनुपात से सहायता प्रदान नहीं की।

पिछले सत्रावसान के बाद मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक दौरा किया। मेरे साथ आयुक्त भी थे। मेरा उद्देश्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में सूखा राहत कार्यों को देखना था। क्या आप जानते हैं इन अधिकारियों ने राहत उपायों पर कितना व्यय किया है। 5,000 रु० 10,000 रु० 20000 रु०। जहां राहत कार्य के लिए 5 लाख रु०, 10 लाख रु० और 20 लाख रु० की आवश्यता है, वहां इन अधिकारियों ने केवल यह मासूली राशी व्यय की है। वास्तव में क्या इससे राहत मिलेगी? मैंने अधिकारियों को बताया कि जिस कार्य के लिए 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख रु० व्यय करने चाहिए थे उस पर उन्हें 5000 10000 और 20000 रु० व्यय करने की आवश्यकता नहीं थी। लागत से काम निवेश से वांछित परिश्रम नहीं मिलेंगे। तो खर्चा ही क्यों किया गया? वे असहाय थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हर गाँव ताल्लुक और जिले के लिए एक राशि निर्धारित की है जिसके ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। इससे क्या सूखा पीड़ित जनता को राहत मिलेगी, मुझे इसमें सन्देह है।

पिछले सत्र के दौरान भी मैंने बताया था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र आर्कोनम में कावेरी पक्कम झील से तुरन्त गाद निकाली जानी चाहिए। इस झील में 10,000 एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता है परन्तु यह पिछले तीन वर्ष से सूखी पड़ी है मैंने माननीय कृषि मन्त्री श्री ढिल्लो को झील का दौरा करने के लिए आमन्त्रित किया था ताकि वह स्वयं वहां की स्थिति को देख सकें। उन्होंने कहा था कि यदि राज्य सरकार उन्हें औपचारिक रूप से आमन्त्रित करती है तो वह अवश्य आएंगे। मैंने राज्य सरकार को बताया था कि जब तक केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अपनी निधियों से या दोनों के सहकारी प्रयत्नों से झील में से गाद नहीं निकाली जाती तब तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या दूर नहीं की जा सकती। फिर भी मुझे यह मालूम नहीं है कि केन्द्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में कावेरीपक्कम झील से गाद निकालने की मांग राज्य सरकार द्वारा शामिल की गई है अथवा नहीं।

केवल यही झील नहीं वरन कई अन्य बड़ी झीलें भी हैं जिनमें से गाद निकाले जाने की आवश्यकता है। मामन्दपुर झील जो दो पहाड़ियों के बीच स्थित है काफी बड़ी झील है। इसी प्रकार पेरूम कुटूर और वीराना झीलें भी काफी बड़ी झीलें हैं।

(व्यवधान)

महोदय क्षमा करें मुझे 5 मिनट और दें। मैं पिछले तीन वर्षों से इंतजार कर रहा हूं।

कुछ बड़ी-बड़ी झीलें हैं जो आज सूखी पड़ी हैं, तथा जो 10,000 से 15000 एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय का क्षेत्र जिला धर्मपुरी तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भी अधिक पिछड़ा हुआ है। धर्मपुरी में भी काफी सूखा पड़ा है। दक्षिण अर्काट जिले में भी वर्षा नहीं हुई है। मद्रास में भी पीने का पानी नहीं है। हम तमिलों को सूखे के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

मुझे आशा है कि माननीय कृषि मन्त्री मेरी बात सहानुभूतिपूर्वक सुन कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेंगे।

माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने भी एक सूखा सहायता निगरानी समिति का गठन किया है। मुझे आशा है कि वह समिति भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सूखे से पीड़ित काफी व्यक्तियों की सहायता करने के लिए तुरंत कदम उठाएगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई एकड़ खेती योग्य जमीन सूखी हो गयी है।

जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र विशेषकर गांवों का दौरा कर रहा था तब एक हजार से अधिक महिलाएं सिर पर बर्तन लेकर आई थीं जो हमसे पानी मांग रही थीं उन्होंने केवल पानी की ही याचना की थी। वह गांव विशेष सोलिंगापुरम विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। गांव में 200 फीट की गहराई पर भी पानी उपलब्ध नहीं है।

पिछली बार, जब मैं इसी विषय पर बोला था, मैंने सरकार से आग्रह किया था कि वह 300 और 4 0 फुट गहरे कुए खोदने के लिए सेना को लगाए ताकि प्यासी जनता को तत्काल पीने का पानी सुलभ हो सके। मैं संसद में बोला था। मेरा भाषण समाचारपत्रों में भी छपा था परन्तु उस चर्चा के आधार पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इसीलिए मैं सूखा राहत कार्यक्रमों को धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने पर अपनी मनोव्यथा इस सम्मानीय सदन को सुनाने की प्रतीक्षा कर रहा था।

तमिलनाडु में वर्ष भर और लगातार कई वर्षों से सूखे की स्थिति बनी हुई है। हम 80 से 90 लाख रुपये कई दूसरी परियोजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। हमें सूखा राहत और बाढ़ राहत कार्यों के लिए स्थायी आवंटन करना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमन्त्री से भी यह अपील करता हूं।

महोदय, मैं अब निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आगामी 4 महीनों में वर्षा नहीं होगी। यदि वर्षा होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी विकट स्थिति में विपक्ष मौके का लाभ उठाना चाहेगा।

आप गंगा से पानी नहीं ला सकते। फिलहाल, यह सम्भव नहीं है। अभी समुद्री पानी को भी पीने योग्य बनाना सम्भव नहीं है। इसलिए सरकार को विद्यमान जल स्रोतों से ही 4 जिलों,

धर्मपुरी, उत्तरी आर्काट, मद्रास तथा दक्षिणी आर्काट, में पानी की सप्लाई बढ़ानी चाहिए जहाँ सूखे की स्थिति अत्यन्त विकट है। माननीय मन्त्री कृपया इस ओर ध्यान दें। उन्हें इस सम्बन्ध में तत्काल कदम उठाने के लिए राज्य सरकार के साथ सम्पर्क करना चाहिए।

6.00 म० प०

कर्नाटक के के. आर. सागर क्षेत्र में 4 से 6 माह तक भारी वर्षा का पानी एकत्र होता है और यह पानी के. आर. सागर बांध में इक्ट्ठा होता रहता है। यदि वे वर्षा ऋतु में भी कम से कम एक महीना बांध से पानी छोड़ दें तो इससे कावेरी नदी में पानी बढ़ जाएगा। इससे छोटे टैंक, तालाब भर जाएंगे और हम तमिलवासियों को लाभ होगा।

इसके बाद मैं पलार नदी के बारे में कहना चाहूंगा। यह नदी भी मैसूर से शुरू होती है। उन्होंने नदी के मुहाने पर बेथामंगलम झील बनाई है यदि वे वर्षा ऋतु में बेथामंगलम झील से कम से कम एक महीना पानी छोडें तो इससे तमिलनाडु की जनता को बहुत मदद मिलेगी। माननीय मन्त्री जी इस बात को कृपया नोट करें। माननीय मन्त्री को यह भी मालूम होगा कि उत्तरी आर्काट जिला चावल उत्पादन में मद्रास में तंजोर जिले के बाद दूसरे स्थान पर है। परन्तु पूरा जिला सूखे के कारण बंजर हो गया है। हमने मकई, बाजरा और रागी बोई है। इन फसलों को तो बचाया जाना ही चाहिए। माननीय मन्त्री कृपया आवश्यक कदम उठाएं।

महोदय, अन्त में मैं एक अपील करना चाहूंगा। यह अपील तेलगु गंगा परियोजना के सम्बन्ध में है। कृष्णा नदी का पानी किसी प्रकार तमिलनाडु में आना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री माननीय श्री एन. टी. आर. मद्रास के निवासी थे। उन्होंने अपने फिल्मी जीवन का अधिकांश समय मद्रास में ही बिताया था। उन्होंने अपार धन सम्पदा मद्रास में ही अर्जित की। वह उदार हृदय भी है। उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि यदि केन्द्रीय सरकार परियोजना को मंजूरी नहीं देती है तो भी वह इस परियोजना को कार्यान्वित करेंगे। उन्हें अपना वादा अपनी जेब से खर्च करके भी पूरा करना चाहिए। कृष्णा नदी कुद्दापाह, करनूल, मदना पल्ली, पालमनेरी गुड्डीयट्म पनियामबाडी से गुजरती हुई पलार नदी में गिरनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो एन. टी. आर. का नाम इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में लिखा जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय सांय के 6 बजकर 5 मिन्ट हुए हैं;

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं प्रस्ताव करना चाहूंगी कि सभा की बैठक का समय आधा घन्टा बढ़ा दिया जाए ताकि सभी वक्ता बोल सकें।

कुछ माननीय सदस्य : कल।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि इस विषय पर वाद-विवाद के लिए 2 घन्टे का समय नियत किया गया था और इस पर 5 घन्टे का समय लिया जा चुका है। कार्य मन्त्रणा समिति में अध्यक्ष महोदय कह चुके हैं कि यदि हम प्रति वक्ता पांच से 10 मिनट का समय निर्धारित नहीं करेंगे तो संसद-कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। कल माननीय मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री उत्तम राठोड (हिंगोली) : क्या यह बात सच नहीं है कि भीषणतम सूखा है ? इसलिए सूखे की स्थिति पर चर्चा के लिए और समय दिया जाना चाहिए।

श्रीमती शीला दीक्षित : पिछले सत्र में हमने इस विषय पर लगभग 12 घन्टे चर्चा की थी। परन्तु इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार संसद को है।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : 6.00 बजे यह बताना सही नहीं है कि सभा की बैठक आधे घन्टे और होनी चाहिए। हम उसके लिए तैयार नहीं हैं।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं यह मानकर चली थी कि हम इस विषय पर चर्चा आज पूरी कर पाएंगे। 4.30 बजे मैं यह कल्पना नहीं कर पाई कि यह स्थिति होगी। फिर भी इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार सदन को है। यदि आप आज नहीं बैठना चाहते तो कल आपको मध्याह्न भोजन-अवकाश में भी बैठक करनी पड़ेगी।

डा० जी० एस० ढिल्लो : मेरी एक समस्या है। राज्य सभा में इस विषय पर 4 दिन तक जबरदस्त चर्चा हुई थी और तब यह यहाँ शुरू हुई और अब आप इसे कल के लिए स्थगित कर रहे हैं। मुझे तीन कार्यक्रम रद्द करने पड़े। मैंने सोचा था कि शीघ्र ही मैं कार्य से फारिग हो जाऊंगा। अब आप इस विषय पर कल भी चर्चा करने की कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस विषय के लिए अब अंतिम बार समय बढ़ाया जा रहा है। यदि आपको लगातार घन्टों सुनना पड़े तो आप मेरी स्थिति को महसूस करेंगे। कृपया इस विषय पर चर्चा कल पूरी कर लीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : परन्तु आपको तो सुनने का अनुभव है क्योंकि आप अध्यक्ष रह चुके हैं।

श्रीमती शीला दीक्षित : आपको कल मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं करना पड़ेगा।

श्री वी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : कठिनाई यह है कि उपाध्यक्ष महोदय भी तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दस बजे तक बैठने को तैयार हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन चाहता है तो मैं आधी रात तक बैठने को तैयार हूं।

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, हम भी इस बात से सहमत हैं कि माननीय मन्त्री कल अपराह्न 2 बजे वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। परन्तु उस समय तक सभी कार्य सम्पन्न हो जाने चाहिएं। उसके बाद ऐसी कोई मांग नहीं होनी चाहिये कि यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है और आप इस पर आगे चर्चा करना चाहते हैं। हमें आज लिये गये निर्णय पर कल डटे रहना है।

श्रीमती शीला दीक्षित : हम 12.30 बजे म० प० तक नियम 377 के अधीन सभी मामलों पर चर्चा पूरी कर लेंगे जो शून्य काल पर निर्भर करता है। महोदय 12.30 बजे म. प. तक हम चर्चा पुनः शुरू कर देंगे। प्रश्न काल और नियम 377 के अधीन मामलों के बाद कल की कार्य सूची में यह पहला मद होगा।

———

कार्य मंत्रणा समिति

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, मैं कार्य मन्त्रालय समिति का पैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म. पू. के लिए स्थगित होती है।

6011 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 2 दिसम्बर 1987 11 अग्रहायण, 1909 (शक) के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006